नगर आपदा प्रबंधन योजना

बेगूसराय, बिहार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
बिहार सरकार

को प्रस्तुत

AFC India Ltd.

(Formerly Agricultural Finance Corporation Ltd.)

(An ISO 9001-2015 Company)

Delhi Office: 1-107A, 3rd Floor, Kirti Nagar New Delhi 110015

www.afcindia.org.in

आभार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा बेगूसराय नगर आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण का निर्णय लिया गया जोकि बेगूसराय नगर को सुरक्षित बनाने में एक महती भूमिका निभाएगा। इस योजना के माध्यम से बेगूसराय नगर को विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए आपदा के पहले, दौरान और पश्चात क्या किया जाना चाहिए उसकी स्पष्ट रुपरेखा एक मार्गदर्शिका के रूप में बेगूसराय नगर निगम के लिए तैयार किया गया है. इस कार्य को आरंभ करने के लिए माननीय उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को बहुत-बहुत आभार। नगरीय आपदा प्रबंधन योजना के स्वरुप के निर्धारण तथा समय-समय पर उचित मार्गदर्शन के लिए माननीय सदस्य श्री पी.एन.राय एवं माननीय सदस्य श्री मनीष वर्मा के द्वारा दिए गए निर्देश और सुझाव बहुत महत्वपूर्ण रहे, विशेषकर आपदा के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया योजना विभिन्न आपदाओं के लिए एक SoP की तरह उपयोगी रहेगा. इसके लिए हम आपलोगों का आभार व्यक्त करते हैं।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, बेगूसराय के निर्माण में अनेक अधिकारियों यथा लाइन विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, अग्निशमन विभाग द्वारा अपेक्षित सहयोग दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा हितधारकों का योगदान भी योजना निर्माण में अमूल्य रहा है। इस योजना के अंतर्गत, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को मुख्यधारा में रखकर तथा इनके सहभागिता के साथ इस योजना का निर्माण किया गया है। इस योजना के विकास में नगर की मेयर श्रीमती पिंकी देवी तथा सभी वार्ड पार्षदों की भूमिका प्रशंसनीय रही है। इन हितधारकों ने शोधकर्ताओं को आपदा से संबंधित अपने विचारों, अनुभवों तथा आवश्यकताओं से अवगत कराया।

इस योजना के विकास में बेगूसराय नगर निगम के उपनगर आयुक्त, श्री अजय कुमार; अभियंता, श्री राजीव कुमार और श्री सुदीपक कुमार; मो० हुसैन रिज़वी, ज़िला सलाहकार, आपदा प्रबंधन ने योजना के विभिन्न आयामों का विश्लेषण कर अद्यतन और प्रासंगिक बनाने में मदद की।

इस योजना के निर्माण में AFC इंडिया लिमिटेड के AGM श्री नरेंद्र बदुनी और उनके शोधकर्ताओं ने योजना को कलमबद्ध करने, प्राप्त विचारों और आवश्यकताओं को सन्दर्भ के अनुसार व्यवस्थित करने तथा उसे आपदा के सन्दर्भ में परिभाषित करने का कार्य किया ताकि आपदा प्रबंधन योजना, नगर निगम के लिए प्रासंगिक हो सके।

24/5/23

मनोज कुमार
नगर आयुक्त
बेगूसराय नगर निगम

आभार

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, बेगूसराय के निर्माण में अनेक अधिकारियों तथा लाइन विभागों यथा चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, अग्नि शमन विभाग इत्यादि द्वारा पेक्षित सहयोग दिया है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा हितधारकों का योगदान भी योजना निर्माण में अमूल्य रहा है। इस योजना के अंतर्गत, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को मुख्यधारा में रखकर तथा इनकी सहभागिता के साथ इस योजना का निर्माण किया गया है। बेगूसराय नगर के अलग-अलग वार्डों में रहने वाले लोग विशेष रूप से वंचित, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, महिलाओं और बच्चों की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। इन हितधारकों ने शोधकर्ताओं को आपदा से संबंधित अपने विचारों और अनुभवों से अवगत कराया ।

बेगूसराय नगर निगम के नगर आयुक्त श्री मनोज कुमार, (बि. प्र. से.), का योगदान आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण में सराहनीय रहा है। इन्होने इस योजना में शामिल आपदा से सम्बंधित प्रतिक्रिया योजना वाले अध्याय का स्वयं ही निर्माण किया है । नगरीय आपदा प्रबंधन योजना की प्रस्तुति के समय भी सुझाव प्राप्त हुए जिन्हें निर्मित योजना में सम्मिलित किया गया है।

इस योजना के विकास में नगर के मेयर श्रीमती पिंकी देवी की भूमिका भी प्रशंसनीय रही है। श्री अजय कुमार (बि.स.से.), उपनगर आयुक्त, बेगूसराय नगर निगम, ने योजना के विभिन्न आयामों का विश्लेषण कर अद्यतन और प्रासंगिक बनाने में मदद की। इन्होंने नगर निगम की प्रशासनिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर रूप रेखा तथा जोखिम से निपटने की आवश्यक तैयारियों पर समुचित प्रकाश डालते हुए योजना को सारगर्भित प्रारूप प्रदान करवाने में यथोचित भूमिका निभाई।

श्री राजीव कुमार और श्री सुदीपक कुमार, अभियंता, बेगूसराय नगर निगम; मो० हुसैन रिज़वी, ज़िला सलाहकार, आपदा प्रबंधन बेगूसराय; तथा सिटी प्रबंधक ने योजना निर्माण में अपने बहुमूल्य सुझावों से योजना निर्माण के प्रत्येक पहलू को अभिसिंचित किया जो की उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त बेगूसराय नगर निगम के वार्ड पार्षदों ने नगर की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और अन्य संबंधित पहलुओं को समझाने में अपनी महत्ती भूमिका निभाई है।

नरेंद्र बदुनी
AGM
AFC इंडिया लिमिटेड

शब्द संक्षेप

ADM:	Additional District Magistrate
AES:	Acute Encephalitis Syndrome
AWC:	Anganwadi Centre
AWW:	Anganwadi Worker
BAPEPS:	Bihar Aapda Punarvas Evam Punernirman Society
BDRRF:	Bihar Disaster Risk Reduction Framework
BEO:	Block Education Officer
BIPARD:	Bihar Institute for Public Administration and Rural Development
BRCC:	Block Resource Centre Coordinator
BSDMA:	Bihar State Disaster Management Authority
BSEIDC:	Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation
CBDRR:	Community-Based Disaster Risk Reduction
CERT:	Community-Emergency Response Team
CDRT:	Community Disaster Response Team
CMG:	Crisis Management Group
CPC:	Child Protection Committee
CSO:	Civil Society Organisation
CWC:	Child Welfare Committee
DDMA:	District Disaster Management Authority
DDMP:	District Disaster Management Plan
DMD:	Disaster Management Department
DRR:	Disaster Risk Reduction
DTF:	District Task Force
EOC:	Emergency Operations Centre
ESF:	Emergency Support Functions
EWS:	Early Warning System
FMISC:	Flood Management Information System Centre
HFL:	Highest Flood Level
ICDS:	Integrated Child Development Scheme
IAY:	Indira Awas Yojana
IPRD:	Information and Public Relations Department
LSG:	Local Self Governance

NDMA:	National Disaster Management Authority
NDRF:	National Disaster Response Force
NHM:	National Health Mission
NIDM:	National Institute of Disaster Management
NRC:	Nutrition Rehabilitation Centre
PDS:	Public Distribution system
PHED :	Public Health Engineering Department
PIP:	Program Implementation Plan
PWD:	People with Disabilities
PWD:	Public Works Department
RCD:	Road Construction Department
RVS:	Rapid Visual survey
SDMA:	State Disaster Management Authority
SDMP:	State Disaster Management Plan
SDO:	Sub-Divisional Officer
SDRF:	State Disaster Response Force
SFDRR:	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
SHG:	Self Help Group
SOP:	Standard Operating Procedure
STF:	State Task Force
THR:	Take-Home Ration
TOT:	Training of Trainers
UDHD:	Urban Development and Housing Department
ULB:	Urban Local Bodies

विषय सूची

शब्द संक्षेप *1*

विषय सूची *3*

तालिका सूची *9*

चित्र सूची *10*

अध्याय-1 : परिचय *11*

1.1 संदर्भ **11**

1.2 योजना का उद्देश्य **13**

1.3 योजना का दायरा **14**

1.4 योजना विकास पद्धति **15**

1.4.1 मार्गदर्शक दस्तावेज **16**

1.5 नगर आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन **16**

1.6 योजना की समीक्षा एवं अद्यतनीकरण **16**

अध्याय -2 : नगर परिचय *18*

2.1 नगर प्रोफ़ाइल **19**

2.1.1 नगर निगम, बेगूसराय के मुख्य संपर्क संख्या: 19

2.1.2 भूगोल: 20

2.1.3 प्रशासनिक डिविज़न 22

2.1.4 परिवहन एवं संचार नेटवर्क 23

2.1.5 जलवायु और मौसम : 23

2.1.6 जनसंख्या विवरण 23

2.1.7 आर्थिक और व्यावसायिक विवरण 25

2.1.8 योजना एवं जोनिंग: 25

2.2 महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा एवं भवन: 26

2.2.1 ट्रैफ़िक और यातायात: 26

2.2.2 सरकारी एवं ग़ैर सरकारी अस्पताल : 26

2.2.3 स्कूल: 28

2.2.4 जलापूर्ति 28

2.2.5 स्ट्रीट लाइट 29

2.2.6 सीवरेज 29

2.2.7 ड्रेनेज 29

2.2.8 हाउसिंग 30

2.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 30

2.4 बेगूसराय में उद्योग एवं फ़ैक्टरी 30

2.5 बेगूसराय में प्राकृतिक संसाधन 36

2.6 बेगूसराय की वनस्पति और जीव 36

अध्याय -3 : ख़तरा, जोखिम एवं क्षमता आकलन (HRVCA) 37

3.1 बेगूसराय नगर का आपदा तीव्रता कैलेंडर 38

3.2 नगर की सम्भावित आपदाएँ 39

3.2.1 भूकम्प: 39
3.2.1.1 भूकंप क्षमता विश्लेषण: 42
3.2.1.2 आवश्यक भूकंप बचाव उपकरण: 42
3.2.2 बाढ़ एवं जल जमाव: 43
3.2.2.1 क्षमता विश्लेषण: 44
3.2.2.2 जल-जमाव एवं बाढ़ बचाव उपकरण : 45
3.2.2.3 आवश्यक उपकरण : 45
3.2.3 अगलगी : 47
3.2.3.1 क्षमता विश्लेषण: 48
3.2.3.2 नगर में कार्यरत hydrant का विवरण: 48
3.2.3.3 बेगूसराय अग्निशामालय के पास उपलब्ध संसाधन: 49
3.2.4 सड़क दुर्घटना 52
3.2.4.1 क्षमता विश्लेषण 52
3.2.5 औद्योगिक ख़तरे 54
3.2.5.1 क्षमता विश्लेषण : 56
3.2.6 तेज आँधी तूफ़ान 56
3.2.6.1 तेज हवा के दौरान होने वाली क्षति के प्रकार 56
3.2.6.2 तेज हवा का एरोफ़िल प्रभाव 57
3.2.6.3 क्षमता विश्लेषण 58
3.2.7 गर्म हवा / लू : 59
3.2.7.1 गर्म हवाएँ/लू की स्थितियों के उत्पन्न होने से संबंधित मापदंड 59
3.2.7.2 बिहार में गर्म हवाएँ/लू के प्रति भेद्यता मानचित्रण 60
3.2.8 शीत लहर 63
3.2.9 अन्य ख़तरे 64
3.2.9.1 आवारा पशु और ज़हरीले साँप और बिच्छू दंश : 65
3.2.9.2 वायु प्रदूषण: 65

अध्याय 4 : आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत रूपरेखा 66

4.1 राज्य में आपदा प्रबंधन की रूपरेखा 67

4.2 आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) 67

4.3 इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम (IRS) **68**

4.4 आपातकालीन सहायता समूह: **70**

4.4.1 संचार समूह 71

4.4.2 खोज एवं बचाव समूह 71

4.4.3 राहत और आश्रय समूह 71

4.4.4 स्वास्थ्य और स्वच्छता समूह 72

4.4.5 पेयजल आपूर्ति समूह 72

4.4.6 बिजली आपूर्ति समूह 73

4.4.7 यातायात संचालन समूह 73

4.4.8 सार्वजनिक कार्य समूह 73

4.4.9 मलबा निस्तारण समूह 74

4.4.10 सूचना प्रसार और हेल्प लाइन समूह 74

4.4.11 नुक़सान आकलन समूह 74

4.4.12 डोनेसन मैनेजमेंट समूह 75

4.4.13 मीडिया संचालन समूह 75

4.4.14 कानून और व्यवस्था प्रबंधन समूह 75

अध्याय 5 : आपदा पूर्व तैयारी ***76***

5.1 विभिन्न विभागों / एजेंसियों के कार्य और उनकी भूमिका : **76**

5.2 आपदावार विभिन्न एजेंसियों/ विभागों द्वारा की जाने वाली तैयारी **81**

अध्याय 6 : क्षमतावर्द्धन ***84***

6.1 संस्थागत क्षमता का विकास **84**

6.2 समुदाय/सामुदायिक संस्थाओं की क्षमता का विकास **88**

6.3 जन जागरूकता **89**

अध्याय – 7 : आपदा से निपटने के लिए मोचन योजना ***91***

7.1 आपदा मोचन योजना: **91**

7.2 नगर निगम का प्रशासनिक ढाँचा: **91**

7.3 नगर नियंत्रण कक्ष **91**

7.4 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली **93**

7.5 पूर्व चेतावनी तंत्र **93**

7.6 लॉजिस्टिक सपोर्ट **94**

7.7 जिला प्रशासन तथा अन्य संस्थाओं से संयोजन **94**

7.8 आपातकालीन समर्थन कार्य **94**

अध्याय 8 : प्रतिक्रिया योजना और उसकी मानक संचालन प्रक्रिया..... 96

8.1 भूकंप – प्रतिक्रिया योजना..... 96

8.1.1 भूकंप के दृष्टिकोण से बेगूसराय नगर का परिचय 96

8.1.2 भूकंप के संबंध में पूर्व तैयारी –..... 97

8.1.3 भूकंप के दौरान प्रतिक्रिया –..... 100

8.2 बाढ़ एवं जल जमाव – प्रतिक्रिया योजना 105

8.2.1 जल जमाव के दृष्टिकोण से बेगूसराय नगर का परिचय 105

8.2.2 जल जमाव के संबंध में पूर्व तैयारी..... 106

8.2.3 जल जमाव के दौरान प्रतिक्रिया – 107

8.3 अगलगी – प्रतिक्रिया योजना.....113

8.3.1 अगलगी के दृष्टिकोण से बेगूसराय नगर का परिचय 114

8.3.2 अगलगी के संबंध में पूर्व तैयारी 119

8.3.3 अगलगी के दौरान प्रतिक्रिया –..... 121

8.4 सड़क दुर्घटना – प्रतिक्रिया योजना 126

8.4.1 सड़क दुर्घटना के दृष्टिकोण से बेगूसराय नगर का परिचय 126

8.4.2 सड़क दुर्घटना के संबंध में पूर्व तैयारी –..... 127

8.4.3 सड़क दुर्घटना के दौरान प्रतिक्रिया –..... 129

8.5 गर्म हवा / लू – प्रतिक्रिया योजना 132

8.5.1 गर्म हवा / लू के दृष्टिकोण से बेगूसराय नगर का परिचय 132

8.5.2 गर्म हवा / लू से सुरक्षा हेतु नगर निगम के द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी – 133

8.5.3 गर्म हवा / लू के दौरान प्रतिक्रिया – 133

8.6 शीतलहर – प्रतिक्रिया योजना.....137

8.6.1 शीतलहर के दृष्टिकोण से बेगूसराय नगर का परिचय..... 137

8.6.2 शीतलहर के संबंध में नगर निगम के द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी – 138

8.6.3 शीतलहर के दौरान प्रतिक्रिया – 138

8.7 महत्वपूर्ण संपर्क –.....140

8.8 अस्पतालों की सूची –.....142

8.8.1 सरकारी अस्पताल 142

8.8.2 ग़ैर सरकारी अस्पताल..... 142

अध्याय - 9 : रिकवरी, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास योजना..... 166

9.1 प्रशासनिक राहत 166

9.2 बुनियादी ढांचे को पुनर्स्थापित करना 166

9.3 क्षतिग्रस्त इमारतों/ सामाजिक बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण 167

9.4 आजीविका फिर से सुनिश्चित करना....167
9.5 सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक मदद....167
9.6 आपदा से क्षति और हानि का आकलन....167
9.7 बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण....169
9.8 बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए किए जाने वाले कार्य....170
9.9 सामाजिक और आर्थिक रिकवरी....171
अध्याय -10 आपदा और जोखिम न्यूनीकरण योजना....172
10.1 अल्पकालिक, मध्यम-कालिक और दीर्घ-कालिक आपदा न्यूनीकरण योजना....172
10.2 आपदा मोचन के संरचनात्मक उपाय:....175
10.3 शमन रणनीति के तहत विकास योजनाओं से जुड़ाव :....175
10.4 कार्य योजना....176
10.5 समुदाय का प्रशिक्षण और जन जागरूकता गतिविधियाँ....177
10.6 बीमा....178
10.7 स्वयंसेवकों का क्षमतावर्द्धन....178
10.8 जन जागरूकता....178
10.9 नगर में आपदा प्रबंधन के लिए उपकरण एवं मशीनरी की आवश्यकता....179
अध्याय -11 : वित्तीय व्यवस्था....180
11.1 आपदा प्रबंधन के लिए बजटीय और वित्तीय प्रावधान निम्नलिखित हैं:....181
11.2 आपदा न्यूनीकरण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम....182
11.3 अन्य विकल्प:....182
11.3.1 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS):....182
11.3.2 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALADS):....183
11.3.3 प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष....183
11.3.4 जोखिम और सूक्ष्म बीमा....183
11.3.5 Corporate Social Responsibility (CSR)....183
अध्याय -12: योजना क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन....185
12.1 नगर आपदा प्रबंधन योजना क्रियान्वयन....185
12.2 अनुश्रवण और मूल्यांकन फ्रेमवर्क:....185
अनुलग्नक I : रेसिलीयंट सिटी चेकलिस्ट UNDRR....189

अनुलग्नक II : लाइन विभागों द्वारा दिए गए आँकड़े **190**

Annexure III: BSDMA के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण..... **196**

नाविकों को दिए गए प्रशिक्षण की सूची 196

BSDMA द्वारा अभियंताओं को दिए गए प्रशिक्षण की सूची.....197

BSDMA द्वारा राज मिस्त्रियों को दिए गए प्रशिक्षण की सूची 198

BSDMA द्वारा RVS पर अभियंताओं को दिए गए प्रशिक्षण की सूची.....199

BSDMA द्वारा प्रशिक्षित बेगूसराय के मास्टर प्रशिक्षकों की सूची 200

BSDMA द्वारा प्रशिक्षित तैराकों की सूची 203

Annexure IV: BSDMA द्वारा जारी की गयी एडवाईजरी..... **204**

तालिका सूची

तालिका 1 : नगर निगम, बेगूसराय के मुख्य संपर्क 19
तालिका 2: बेगूसराय नगर की वार्ड वार जनसंख्या 24
तालिका 3 : बेगूसराय नगर के सरकारी अस्पताल 26
तालिका 4 : बेगूसराय नगर के ग़ैर सरकारी अस्पताल 27
तालिका 5 : बेगूसराय नगर एवं उसके आस-पास स्थित ऐसे उद्योग जिनमे 15 से ज़्यादा कर्मचारी है 30
तालिका 6 बेगूसराय नगर के भूकंप प्रवणता वाले क्षेत्र (वार्डवार) 39
तालिका 7 भूकंप की तैयारी के रूप में उपकरणों की आवश्यकता 42
तालिका 8 : बेगूसराय नगर में अत्यधिक जल जमाव वाले मोहल्ले 43
तालिका 9 : बेगूसराय प्रखंड में हुए अग्निकांड 47
तालिका 10 :अगलगी से उच्च प्रवण वार्ड और मोहल्ले 47
तालिका 11 : बेगूसराय में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का विवरण 52
तालिका 12 बेगूसराय में चिन्हित किए गए Black Spot का विवरण 53
तालिका 13: बेगूसराय में अवस्थित मुख्य उद्योगों की सूची 54
तालिका 14 : तेज हवा का एरोफ़िल प्रभाव 57
तालिका 15 बेगूसराय नगर के पिछले 8 वर्षों का औसत एवं अधिकतम तापमान 59
तालिका 16 बेगूसराय नगर के पिछले 8 वर्षों का औसत एवं न्यूनतम तापमान 63
तालिका 17: वर्ष वार नाव दुर्घटना से होने वाली मृत्यु 64
तालिका 18 : जिले में आपातकालीन कार्यों और संबंधित लीड की संरचना 69
तालिका 19: आपदा पूर्व तैयारी के संदर्भ में नगर निगम की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ 76
तालिका 20 : आपदा पूर्व तैयारी में ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ 78
तालिका 21 : आपदा पूर्व तैयारी के लिए अग्निशमन सेवा की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ 79
तालिका 22 : आपदा पूर्व तैयारी में भवन निर्माण विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ 79
तालिका 23 : आपदा पूर्व तैयारी में परिवहन विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ 79
तालिका 24 : आपदा पूर्व तैयारी में स्वास्थ्य विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ 80
तालिका 25 : आपदा पूर्व तैयारी में समेकित बाल विकास विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ 80
तालिका 26 : आपदावार विभिन्न एजेंसियों/ विभागों द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी 81
तालिका 27 : नगर विकास विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय 84
तालिका 28 : ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय 85
तालिका 29 : अग्निशमन सेवा विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय 86
तालिका 30: भवन निर्माण विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय 87
तालिका 31 : परिवहन विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय 87
तालिका 32 : स्वास्थ्य विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय 87
तालिका 33 : समेकित बाल विकास विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय 88
तालिका 34 : सामुदायिक संस्थाओं के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय 88
तालिका 35 : मुख्य हितधारकों की आपदा तैयारी व क्षमतावर्द्धन पर प्रशिक्षण 89
तालिका 36 : आपदा की तैयारी में संचार 90
तालिका 37 : बेगूसराय ज़िले में आपदा से निपटने के लिए उपलब्ध उपकरण (BSDRN पोर्टल से प्राप्त) 144
तालिका 38 : बेगूसराय ज़िले में DEOC में पंजीकृत निजी ऐम्ब्युलन्स (BSDRN पोर्टल से प्राप्त) 165
तालिका 39 : आपदा के बाद हुए नुक़सान के आकलन की प्रविधि और जिम्मेदारियाँ 168
तालिका 40 : बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए किए जाने वाले कार्य की तालिका 170
तालिका 41 : अनुश्रवण और मूल्यांकन फ़्रेमवर्क 187

चित्र सूची

चित्र 1 : योजना विकास पद्धति..... 15
चित्र 2 बेगूसराय नगर निगम का मानचित्र (स्रोत: नगर निगम, बेगूसराय)..... 18
चित्र 3 : बेगूसराय नगर का contour मानचित्र..... 21
चित्र 4 : बेगूसराय नगर निगम का प्रशासनिक ढाँचा..... 22
चित्र 5 : बेगूसराय नगर का परिवहन एवं संचार नेटवर्क..... 23
चित्र 6 प्रस्तावित ड्रेनेज मानचित्र..... 29
चित्र 7 बिहार का भूकंप ज़ोन मानचित्र..... 41
चित्र 8 बेगूसराय नगर के नालों और कैचमेंट का प्रस्तावित मानचित्र..... 44
चित्र 9 बेगूसराय नगर की औद्योगिक ख़तरे से प्रवणता..... 55
चित्र 10 : बिहार राज्य का तेज आंधी तूफ़ान मानचित्र..... 57
चित्र 11 दर्ज किये गए अधिकतम तापमान..... 60
चित्र 12 गर्म हवाएँ भेद्यता सूचकांक (स्रोत – बिहार हीट एक्शन प्लान) 61
चित्र 13 BSDMA द्वारा लू / गर्मी के लिए जारी की गयी एडवाईजारी..... 62
चित्र 14 : BSDMA द्वारा शीत लहर के लिए जारी की गयी एडवाईजारी..... 64
चित्र 15: बेगूसराय नगर की वायु की माहवार औसत गुणवत्ता..... 65
चित्र 16 इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम..... 68
चित्र 17 जागरूकता के चरण..... 89
चित्र 18 : नगर आपदा प्रबंधन का संरचनात्मक ढाँचा..... 186

अध्याय-1 : परिचय

विस्तृत नगरीय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30 के स्वीकृत राज्य आदेश संख्या आoप्राo विविध 01/ 2011/1867/ आoप्राo,पटना दिनांक 10.05.2016 के प्रस्तावना में उल्लेखित क्रियाकलापों में सुरक्षित शहर, सुरक्षित ग्राम, सुरक्षित आजीविका, सुरक्षित बुनियादी सेवाएं तथा सुरक्षित आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के संदर्भ में तैयार किया गया है।

उक्त प्रस्तावना के अनुसार सुरक्षित शहर से तात्पर्य है, शहरवासियों में पूर्ण सुरक्षित स्वयं व्यवहार एवं आदतों (Resilient and Safe Behaviour) का विकास, शहरी सामुदायिक संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन तथा उनके उपयोग की समझ विकसित करना, पूर्व चेतावनी तथा आपातकालीन सेवाओं तक आम जनों की पहुंच सुनिश्चित करना तथा इन क्रियाकलापों के माध्यम से शहरवासियों में आपदाओं से स्थानीय स्तर पर निपटने की क्षमता विकसित करना।

1.1 संदर्भ

प्राकृतिक और मानवजनित दोनों आपदाएं असमय होती हैं और हाल के वर्षों में यह स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि पीड़ितों की संख्या और आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। इस तरह की घटनाओं के दुष्परिणाम को कम करने के लिए योजनाबद्ध तरीक़े से काम करने की आवश्यकता है जिसके लिए सटीक योजना, विभिन्न हितभागियों में परस्पर समन्वय, सशक्त पूर्व चेतावनी प्रणाली और बेहतर पूर्वाभ्यास बहुत ज़रूरी है। यह आपदा के समय अनुकूल प्रतिक्रिया के लिए भी ज़रूरी है। वर्ष 2005 के बाद से आपदा से निपटने के मौलिक सोच में सकारात्मक बदलाव होने से आपदा से निपटने की तैयारी पहले से अधिक प्रभावी हो गयी है। योजना प्रक्रिया में संबंधित विभागों के साथ-साथ इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पेशेवरों को शामिल करने के महत्व को मान्यता दी जा रही है। संघीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सरकार के साथ-साथ जनता और अन्य प्रभावी समूहों की भागीदारी और समन्वय में भी वृद्धि हुई है।

आपदा प्रबंधन के पांच मुख्य चरण हैं: रोकथाम (Prevention), तैयारी (Preparedness), शमन (Mitigation), प्रतिक्रिया (Response) और पुनर्प्राप्ति (Recovery)। इसके लिए संस्थागत उपाय जैसे कानून, योजना, दिशानिर्देश और निगरानी को और भी सटीक बनाने की आवश्यकता है। पूर्वतैयारी संभावित खतरों के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए व्यापक अभ्यास के माध्यम से विभिन्न हितधारकों की क्षमताओं का निर्माण किया जा सकता है। व्यक्तिगत और संस्थागत व्यवहार परिवर्तन के लिए भी निरंतर काम करने की ज़रूरत है। संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों को अपनाकर भी जोखिमों को कम किया जा सकता है।

एक बार योजना विकसित हो जाने के बाद इसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उसका जीवंत दस्तावेज बनना आवश्यक है जो व्याप्त खतरों, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता हो। योजना की सही समझ और उसके उचित क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और अभ्यास आयोजित किया जाना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा जो जानकारी प्राप्त की जाती है, उसका योजना निर्माण चक्र को फिर से शुरू करने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। जैसे-जैसे नए पाठ सीखे जाते हैं, जानकारी प्राप्त होती है और प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित किया जाता है, योजनाएँ विकसित होती रहती हैं । योजना की नियमित समीक्षा समुचित प्राधिकार से होना चाहिए। इस तरह की समीक्षा हर वर्ष होनी चाहिए। इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रख कर बेगूसराय नगर आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया गया है।

“आपदा की सटीक तैयारी ज़िंदगी और मौत के बीच सार्थक अंतर ला सकती है”

सही तैयारी से आपदा को सीमित किया जा सकता है:

व्यापक आपातकालीन योजनाएँ जैसे भूकंप-रोधी निर्माण नियमावली, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली, अग्निरोधक उपाय और आपातकालीन सुरक्षा चौकियों की व्यवस्था, आपदाओं को रोकने या कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि यदि एक बड़े भूकंप से बचने के लिए एक इमारत का निर्माण भूकंप-रोधी निर्माण नियमावली के अनुसार किया जाता है, तो संरचनात्मक क्षति कम होने की संभावना होगी और परिणामस्वरूप लोगों की मृत्यु भी कम होगी। सही योजना और रोकथाम के उपायों की समुचित व्यवस्था और पूर्व तैयारी, समुदायों, विशेष रूप से संवेदनशील आबादी पर प्राकृतिक आपदा के विनाशकारी प्रभाव को कम कर सकते हैं।

सटीक तैयारी से जीवन क्षति को कम किया जा सकता है:

आपदापूर्व तैयारी जीवन और मृत्यु के बीच का मामला हो सकता है। यह आर्थिक, संरचनात्मक और भौतिक नुक़सान के साथ-साथ जीवन के नुक़सान को भी कम कर सकता है। बाढ़ या किसी और आकस्मिक आपदा के समय पहले से निर्धारित सुरक्षित स्थानों तक लोगों को ले जाने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोग खतरनाक स्थानों में फंसे नहीं। पानी और भोजन के सुलभ भंडार लोगों को भूख से मरने या निर्जलीकरण से पीड़ित होने से रोक सकते हैं। आपातकालीन आश्रय स्थल लोगों को खतरनाक परिस्थितियों से बचा सकते हैं और आपदा आने के बाद रहने के लिए एक अस्थायी आश्रय प्रदान कर सकते हैं।

आपदा के प्रकार और स्थिति की बारीकियों के आधार पर उसकी पूर्व तैयारी की जानी चाहिए। आग के लिए तैयार रहने से आपको भूकंप से बचने में मदद नहीं मिल सकती है। सड़क दुर्घटना की स्थिति में लोगों को बाढ़ से बचाने की योजना के उपयोगी होने की संभावना नहीं है। चलने फिरने योग्य रोगियों को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल से निकालने का तरीका दिव्यांग रोगियों या विशेष उपकरणों पर आश्रित रोगियों के लिए काम नहीं कर सकता है। हमें अपने समुदायों के लिए सभी संभावित खतरों के साथ-साथ बेघर, बुजुर्गों और विकलांगों सहित अन्य जोखिम समूहों की सामाजिक परिस्थितियों के साथ विवेकपूर्ण ढंग से विचार करने की आवश्यकता है।

संभावित आपदाओं को ठीक से पहचानने और रोकने के लिए एक प्रणाली होने से लेकर प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए रणनीति बनाने तक, आपातकालीन प्रबंधन मामलों में हर कदम पर, उचित योजना और प्रतिक्रिया का मतलब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर कम करना हो सकता है।

सटीक तैयारी से डर के माहौल को कम किया जा सकता है

आपदाएं और आपात स्थिति पीड़ितों और उनके परिवारों पर मनोवैज्ञानिक असर डालती हैं। हालांकि किसी दर्दनाक घटना का सामना करने के प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभावों को पूरी तरह से रोकने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन समानुभूतिपूर्ण योजना बनाकर और अनावश्यक कठिनाई को कम करने का प्रयास कर परेशानियों को कम किया जा सकता है। यह जानना कि क्या करना है और कहाँ जाना है, अनिश्चितता के डर को कम कर सकता है और इसमें शामिल सभी लोगों को जल्द सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

सटीक तैयारी से पुनर्निर्माण और पुनर्वास को आसान किया जा सकता है

पूरी तैयारी के साथ लागू की गई योजना के पश्चात भी आपदा या आपात स्थिति में अक्सर संपत्ति और/या जीवन का नुकसान होता है। आपातकालीन तैयारियों से यह सुनिश्चित हो पाता है कि नुकसान ज्यादा विनाशकारी न हों। महत्वपूर्ण दस्तावेजों का सुरक्षित स्थान पर बैकअप लेकर रखना चाहिए और नियमित अंतराल पर उसे अद्यतन करते रहना चाहिए। आपदा की स्थिति में जब सरकारी एजेंसियों के कार्यालय को नुक़सान होता है तो ऐसी स्थिति में राहत कार्यों के समुचित संचालन के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है जिसको पूर्व से ही चिन्हित कर रखा जाना चाहिए जहां से वे अपने दायित्वों का निष्पादन कर सकें। अगर इस बात की पहले से योजना बनी हो कि आपदा में होने वाले संभावित नुक़सान के बाद सब कुछ कैसे क्रियाशील हो पाएगा, यह परिस्थितियों को तेज़ी से सामान्य होने में मदद कर सकता है।

1.2 योजना का उद्देश्य

आपदा ज़िंदगी के हर आयाम को प्रभावित करती है। आपदाओं की वजह से एक ओर जान माल की व्यापक क्षति होती है तो दूसरी ओर यह आधारभूत संरचनाओं, मूलभूत सुविधाओं और आजीविका को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। वैश्विक स्तर पर 2015 में हुए SENDAI -Conference ने इस विषय पर होने वाली चर्चा को और व्यापक बनाया, जिससे देश के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर और यहाँ तक कि गाँवों और नगर के स्तर पर भी आपदा को केंद्र में रख कर विकेंद्रीकृत योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन के ऊपर एक व्यापक बहस की शुरूआत हुई। हालाँकि पूर्व से ही भारत सरकार के 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम में बहुत ही विस्तारपूर्वक इसे व्याख्यायित किया गया है।

वर्ष 2016 में बिहार सरकार के द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30 को सैद्धांतिक स्वीकृति के साथ लागू किया गया है। रोड मैप के अंतर्गत 2015 से 2030 तक के लिए चार प्रमुख लक्ष्य रखे गए।

1. वर्ष 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं से मानव जीवन क्षति को बेसलाइन के आँकड़ो की तुलना में 75% कम करना।
2. वर्ष 2030 तक परिवहन संबंधी आपदाओं (सड़क, रेल एवं नाव दूर्घटना) में बेसलाइन की तुलना में पर्याप्त कमी लाना।
3. वर्ष 2030 तक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में बेसलाइन की तुलना में 50% कमी करना
4. वर्ष 2030 तक बिहार में आपदाओं से होने वाली क्षति में बेसलाइन से 50% कमी लाना।

इसके साथ इसी रोडमैप में आपदा न्यूनीकरण और सुरक्षित बिहार के निर्माण के लिए पाँच स्तंभों की बात की गयी है। ये पाँच स्तंभ हैं 1. सुरक्षित गाँव 2. सुरक्षित आजीविका 3. सुरक्षित मूलभूत सेवाएँ 4. सुरक्षित मूलभूत संरचनाएँ तथा 5. सुरक्षित शहर।

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2	स्तम्भ 3	स्तम्भ 4	स्तम्भ 5
सुरक्षित गाँव	सुरक्षित आजीविका	सुरक्षित मूलभूत सेवाएँ	सुरक्षित मूलभूत संरचनाएँ	सुरक्षित शहर

सुरक्षित शहर की चर्चा करते हुए इसमें चार महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है:

- आपदा और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों का आकलन और पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना।
- आपदा पूर्व तैयारियों, आपदा के समय प्रतिक्रिया और आपदा के बाद शमन कार्यों को समाहित करते हुए 'जोखिम सूचित विकास योजना' के माध्यम से "जलवायु परिवर्तन प्रेरित आपदा" को सम्बोधित करना।
- पर्यावरण के ऊपर प्रभाव आकलन के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना।
- आपदा से उबरने के लिए 'बिल्ड बैक बेटर' के सिद्धांत को अपनाना।

बिहार सरकार का "आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30" मील के पत्थर की तरह है जिससे स्पष्टता मिलती है कि विभिन्न संस्थाओं की मदद से आपदा जोखिमों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बनायी जा सके और इसमें शामिल सभी हितभागियों का क्षमतावर्द्धन भी किया जा सके। साथ ही, ज़िले के ज़िला आपदा प्रबंधन योजना के साथ भी इसका तारतम्य स्थापित किया जाना ज़रूरी है ताकि योजना की उपयोगिता बनी रहे।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना के द्वारा शहरी क्षेत्र में आपदाओं से निपटने और उसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए एक संवेदनशील योजना की राह प्रशस्त की जा रही है, जिसके अंतर्गत नगर निकाय प्रशासन विकेंद्रीकृत आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए प्रेरित हो सके, स्थानीय स्तर पर आपदा से निपटने में सक्षम बन सके, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के तरीक़ों को बढ़ावा दिया जा सके और संसाधनों (स्थानीय और विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त) का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

इस योजना के द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :

- बेगूसराय नगर की आपदाओं का समेकित मूल्यांकन
- आपदाओं की तैयारी, उससे निपटने की रणनीति और पुनर्वास की योजना
- बेगूसराय के स्थानीय निकाय, सरकारी और ग़ैर सरकारी संस्था तथा नागरिकों विशेष रूप से महिलाओं की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर सभी की सहभागिता से नगर आपदा प्रबंधन योजना बनाना
- जोखिम समूह जैसे मलिन बस्ती में रहने वाले लोग, दिव्यांग, वृद्ध, महिलाओं और बच्चों के अनुकूलित आपदा प्रबंधन की योजना बनाना
- विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में उचित प्रतिक्रिया योजना का निर्माण

1.3 योजना का दायरा

इस योजना में 48 वर्ग किलोमीटर की परिधि में फैली तथा 45 वार्डों में विभक्त बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार की संभावित आपदाओं यथा प्राकृतिक, मानवजनित, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के कारण उत्पन्न, इस के संदर्भ में एक व्यापक खतरा, जोखिम संवेदनशीलता और क्षमता विश्लेषण किया गया है। विगत दशकों में बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में स्थान परिवर्तन हुआ है। इसके कारण शहरी जनसंख्या में एक दशक में 24.17% की वृद्धि हुई है। अधिक जनसंख्या घनत्व के दबाव का कुप्रभाव वहां की नागरिक सुविधाओं पर पड़ा है। इन विभिन्न असुरक्षित और अनियंत्रित बसावटों पर आपदाओं के कारण कई बार व्यापक जान माल की हानि के साथ जन सुविधाओं यथा शिक्षा, चिकित्सा तथा संचार संपर्क संरचना की सुविधाओं में व्यवधान होता आया है। विगत 10 से 15 वर्षों के आपदा इतिहास के आधार पर पूर्व में घटित तथा भविष्य में संभावित बहु-खतरा का विश्लेषण एवं इसका मानचित्रण भी किया गया है। वर्ष के 12 महीनों में सभी आपदाओं के घटित होने के एक संभावित काल को अनुमानित किया गया

है जिसे तीव्रता कैलेंडर में दर्शाया गया है। इस वार्षिक आवर्ती के आधार पर इनकी अधिकतम तीव्रता (पूर्व अनुभव आधारित), इसकी चपेट में आने वाले संभावित वार्ड तथा वहां स्थित संवेदनशील आबादी तथा आधारभूत संरचनाओं की क्षति का जोखिम, नागरिक सेवाओं तथा सुविधाओं में व्यवधान का पूर्वानुमान लगाने एवं स्थानीय स्तर पर इससे निपटने की क्षमता का आकलन किया गया है। आपदाओं की विभीषिका का एक सीमा से अधिक होने पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध क्षमता से इनका सामना करना संभव नहीं होने पर बाहरी सहायता की आवश्यकता होगी, अतः ऐसी विषम परिस्थिति में नगर निगम की इन बाहरी सहायता स्रोत तक पहुंच होनी / बनानी आवश्यक होगी। बाहरी मदद स्रोत का व्यवहारिक आग्रह करते हुए इस तक त्वरित पहुँच बनाने तथा सहायता प्राप्त करने की औपचारिकताओं को भी चिन्हित करने का प्रयास किया गया है।

1.4 योजना विकास पद्धति

नगर आपदा योजना को विकसित करने में प्राथमिक और द्वितीयक डेटा संग्रह करने के साथ-साथ विभिन्न प्रक्रियाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया, जिसमें हितभागियों के अनुभवों और विचारों को समेकित करते हुए योजना को आख़िरी रूप दिया गया। योजना के निर्माण में समुदाय की सहभागिता को पूरी तरह सुनिश्चित किया गया है। समुदाय के हर तबके की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक बैठक, छोटे समूह में चर्चा और विभिन्न स्तरों पर परामर्श बैठक की गयी। इस प्रक्रिया में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों जैसे जोखिम वाले समूहों के अनुकूल नगर की आपदा योजना विकसित की गयी।

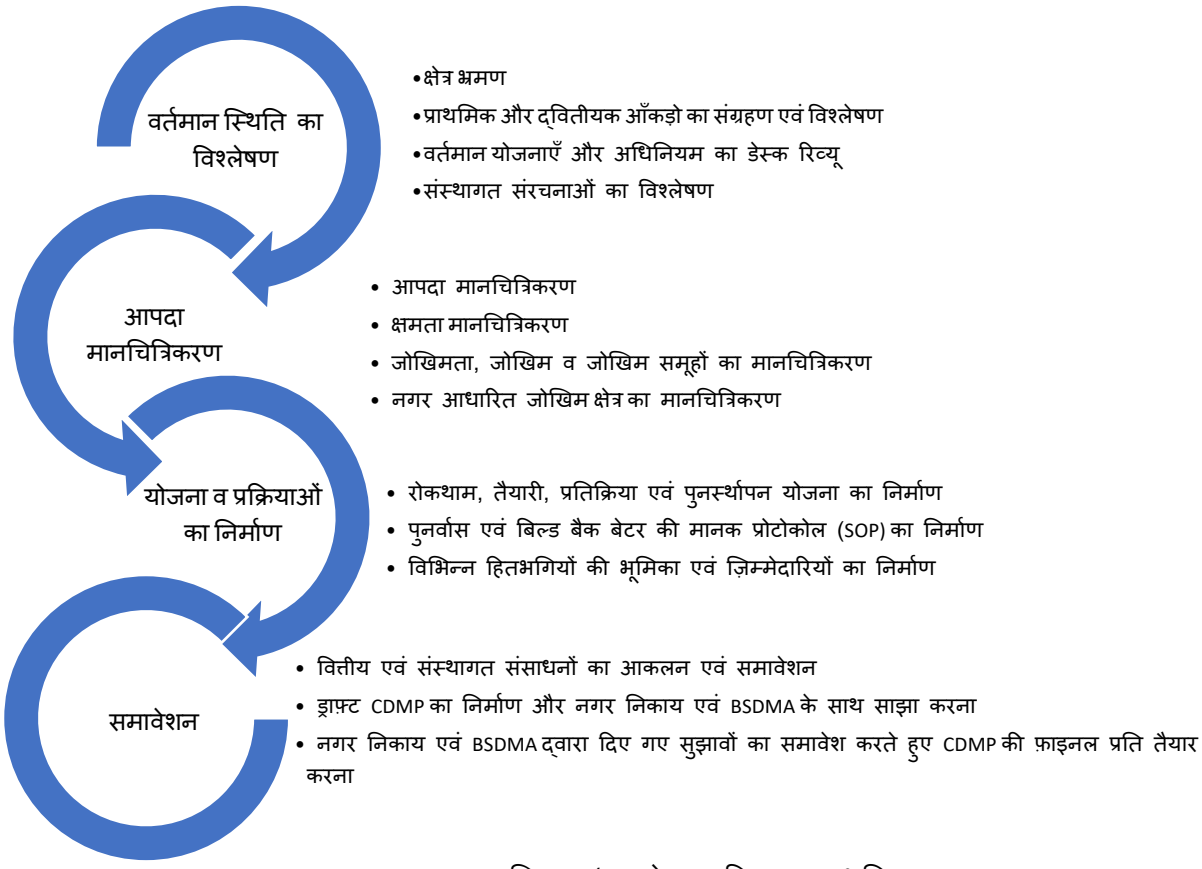

चित्र 1 : योजना विकास पद्धति

1.4.1 मार्गदर्शक दस्तावेज

आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005	SENDAI Framework -2015	बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30	ज़िला आपदा प्रबन्धन योजना
IPCC रिपोर्ट 2020	नगर पालिका अधिनियम	Goal 11 of Sustainable Development Goals (SDGs)	स्मार्ट सिटी मिशन

1.5 नगर आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत बेगूसराय नगर आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन की जवाबदेही बिहार राज्य नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 21 एवं 22 के आलोक में नगर निगम की सभी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हुए सशक्त स्थायी समिति की होगी। इसी अधिनियम के अनुच्छेद 28(2) के आलोक में सशक्त स्थायी समिति के लिखित आदेश द्वारा, यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, अपने किन्ही शक्तियों या कार्यों को महापौर या आयुक्त, नगर निगम बेगूसराय को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

आपदा प्रबंधन के लिए कोई एक विभाग या संस्था कभी भी सारी जिम्मदारियों को नहीं निभा सकता है। कोई भी आपदा जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है और पहले से भी बेहतर संरचनात्मक सुधार (Build Back Better) के लिए विभिन्न विभागों/संस्थाओं को मिल कर काम करना होता है। नगर आपदा प्रबंधन योजना को प्रभावी रूप से तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों/संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय का प्रयास किया गया है। नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के दौरान विभिन्न विभागों, संस्थाओं, ग़ैर सरकारी संस्थाओं और समुदाय के साथ व्यापक विवेचना से यह बात स्पष्ट होकर सामने आयी कि आपदा प्रबंधन के संस्थागत रूपरेखा को सम्बल प्रदान करने के लिए॰ विभिन्न लाइन विभागों के साथ समन्वय किया जाना काफ़ी ज़रूरी है।

1.6 योजना की समीक्षा एवं अद्यतनीकरण

ज़िला स्तर पर भारत और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय स्तर पर ज़िला पदाधिकारी, ज़िला प्राधिकरण के अधीन रहते हुए, आपदा प्रबंधन योजना में निहित प्रावधानों का नियमित रूप से पुनरावलोकन करेंगे और उसे अद्यतन करेंगे। इसके लिए योजना क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ज़रूरी हो जाता है। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है। कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी ख़ास माह में अधिक होती है और कुछ आपदाएँ बिना किसी पूर्व सूचना/ आभास के अचानक ही घटित होती हैं। दोनो तरह की आपदाओं का जोखिम आकलन, पूर्व तैयारी, मोचन, पुनःप्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति ब्योरा का सहारा लिया जाता है। पहले के सफल अनुभवों से सीख लेते हुए उसका उपयोग पूरी प्रक्रिया में किया जाता है। प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के बाद इसका दस्तावेज़ीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनों तरह के प्रयासों की विवेचना की जानी चाहिए। इन समीक्षा दस्तावेज़ों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनःमूल्यांकन कर उसे अद्यतन किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ यह भी ज़रूरी है कि भीषण आपदा के समय योजना के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता की जाँच की जाए । आपदा के बाद, उससे निपटने की योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाना ज़रूरी है । इस मूल्यांकन से

यह पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन से उपाय आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य संचालन, पुनर्स्थापित या पुनःप्राप्ति में अधिक प्रभावी साबित हुए हैं। भविष्य के आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को शामिल किया जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आपदा के दौरान अनुपालित योजनाओं के सटीक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए सूचक (indicators) का तय किया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इन सूचकों में समुदाय के स्वास्थ्य एवं पोषण, आवास, आधारभूत संरचना, असमय मृत्यु और विभिन्न विभागों/ एजेंसियों से होने वाले जुड़ाव के मानक शामिल होने चाहिए।

नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुछेद 33(1) में उल्लेखित शक्तियों का उपयोग करते हुए नगर आपदा प्रबंधन योजना के पुनरावलोकन और सुधार के लिए एक समिति का गठन करेगी। जिसे स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

अध्याय -2 : नगर परिचय

इस अध्याय में बेगूसराय नगर की रूप रेखा, भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक विभाजन, शहरी सीमा एवं पहुँच, जलवायु एवं मौसम की रूप रेखा, जनसांख्यिकी, आर्थिक रूप-रेखा, व्यावसायिक रूप रेखा, शहरी योजना एवं ज़ोनिंग, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक उपागम, जीवन रक्षक संरचना (ट्रैफ़िक एवं परिवहन व्यवस्था, अस्पताल, विद्यालय/महाविद्यालय/जलापूर्ति व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सीवर, ड्रेनेज, रिहायशी मकान, ठोस कचरा प्रबंधन) आधारभूत संरचनाएँ, उद्योग एवं कल-कारख़ाने, प्राकृतिक संसाधन एवं वनस्पति एवं जीव को सम्मिलित किया गया है।

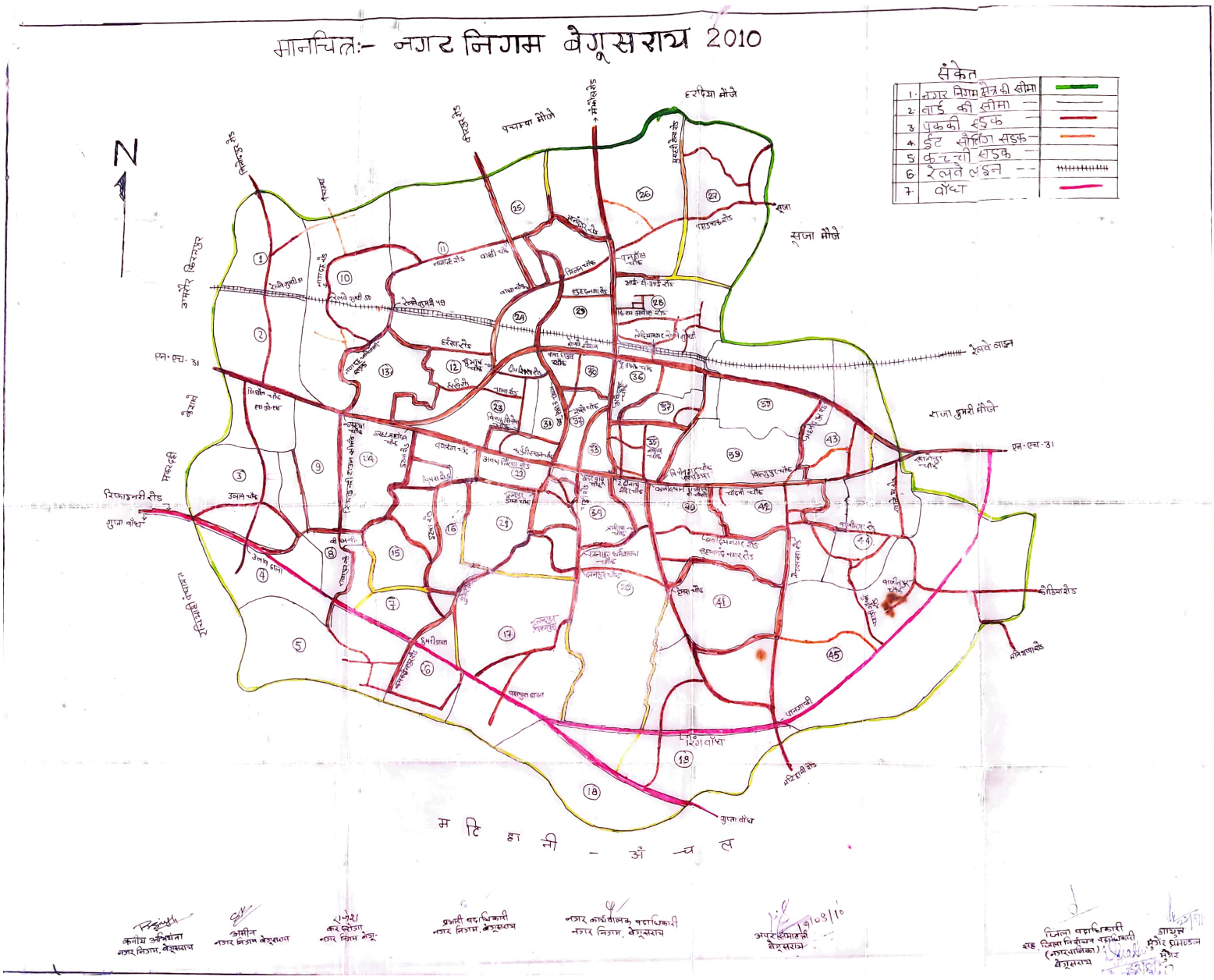

चित्र 2 बेगूसराय नगर निगम का मानचित्र (स्रोत: नगर निगम, बेगूसराय)

2.1 नगर प्रोफ़ाइल

बेगूसराय शहर, बेगूसराय जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है और गंगा नदी के उत्तर में बसा है। बेगूसराय में राज्य के कई मुख्य उद्योग स्थित हैं जिसके कारण इसे बिहार की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। बिहार के एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते औद्योगिक दुर्घटना को लेकर आशंका बनी रहती है। तेल रेफ़ाइनरी, थर्मल पावर, उर्वरक कारख़ाना जैसे उद्योगों को ध्यान में रख कर नागरिक सुरक्षा के लिए व्यापक पहल की जा रही है। बेगूसराय नगर, संचार के बेहतर माध्यमों से जुड़ा हुआ है। बेगूसराय शहर के बीच से होकर NH-31 गुजरती है जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है। बेगूसराय नगर को 2010 में नगर निगम के रूप में अधिसूचित किया गया। बेगूसराय नगर निगम का कुल क्षेत्रफल 48 वर्ग किलोमीटर है (2011 में 30 वर्ग किलोमीटर था)। 2011 की जनगणना के मुताबिक, इसकी कुल जनसंख्या 252008 है जिसमें पुरुषों की आबादी 133722 और महिलाओं की आबादी 118286 है।

2.1.1 नगर निगम, बेगूसराय के मुख्य संपर्क संख्या:

तालिका 1 : नगर निगम, बेगूसराय के मुख्य संपर्क

क्र०	पदनाम	नाम	संपर्क संख्या
1	नगर आयुक्त	मनोज कुमार	9153971912
2	उप नगर आयुक्त	अजय कुमार	790355908
3	नगर प्रबंधक	चंदना झा	7004179458
4	नगर मिशन प्रबंधक - NULM	रंजना कुमारी	9546123788
5	नगर मिशन प्रबंधक - NULM	संजय कुमार	9304446614
6	कंप्यूटर ऑपरेटर	जितेन्द्र कुमार	9334033371
7	अमिन	संजीव कुमार	9334074680
8	कनीय अभियंता	राजीव सिंह	9430066616 8709736502
9	भंडारपाल	पंकज कुमार	8409796886
10	प्रधान सहायक	संजय कुमार	8651503126
11	अभियंता (आवास)	सुदिपक कुमार	9770706021
12	आवास सहायक	गोविन्द कुमार	7461800480
13	बिजली मिस्त्री	शिव शंकर सिंह	9801353300
14	बिजली मिस्त्री	अशोक पासवान	9298670242
15	प्लम्बर	विक्रम पासवान	7091685658
16	प्लम्बर	संजीत पासवान	7808429568
17	रात्रि प्रहरी (बस पड़ाव)	अरुण कुमार साह	
18	डाटा एंट्री ऑपरेटर (SBM)	दिवाकर कुमार	7634864666

क्र०	पदनाम	नाम	संपर्क संख्या
19	डाटा एंट्री ऑपरेटर (SBM)	अंकित कुमार	8340128803
20	डाटा एंट्री ऑपरेटर (SBM)	राहुल कुमार	7004044059
21	माली	नारायण पासवान	
22	फ़ॉगिंग ऑपरेटर	अजित कुमार	9798509215
23	चालक	शम्भू कुमार	7992208254
24	चालक	पवन ठाकुर	9135821603
25	चालक	कमल कान्त पासवान	9262750907

2.1.2 भूगोल:

बेगूसराय उत्तर बिहार में 25°15' और 25° 45' उतरी अक्षांश और 85°45' और 86°36" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। बेगूसराय शहर पूरब से पश्चिम लंबवत रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। इसके उत्तर में पंचबा एवं हरदा पंचायत, दक्षिण में मटिहानि अंचल, पूरब में सुजा एवं लाखो पंचायत और पश्चिम में अमरौर तथा किरदरपुर पंचायत हैं।

बेगूसराय नगर की भौगोलिक बनावट को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि शहर की प्राकृतिक ढलान कुछ इस तरह से है कि गंगा का स्तर शहर के अधिकांश भागों से थोड़ा ऊपर है। गंगा नदी से बचाव के लिए बांध का निर्माण किया गया है परंतु वार्ड संख्या 5 और 18 गंगा नदी के कारण बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित रहते हैं जबकि वार्ड संख्या 4, 6 और 17 आंशिक रूप से प्रभावित होते हैं।

इस परिस्थिति में जब भी शहर जल जमाव का सामना करता है तब पानी के निकास में काफ़ी समस्या होती है और बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इस जल जमाव का लोगों के जन जीवन और व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शहर के सीवरेज सिस्टम का सामंजस्य प्राकृतिक ढलान से किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ-साथ जल जमाव की स्थिति में पानी के अविलंब निकास के लिए संपिंग की समुचित व्यवस्था नगर की ढलान को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।

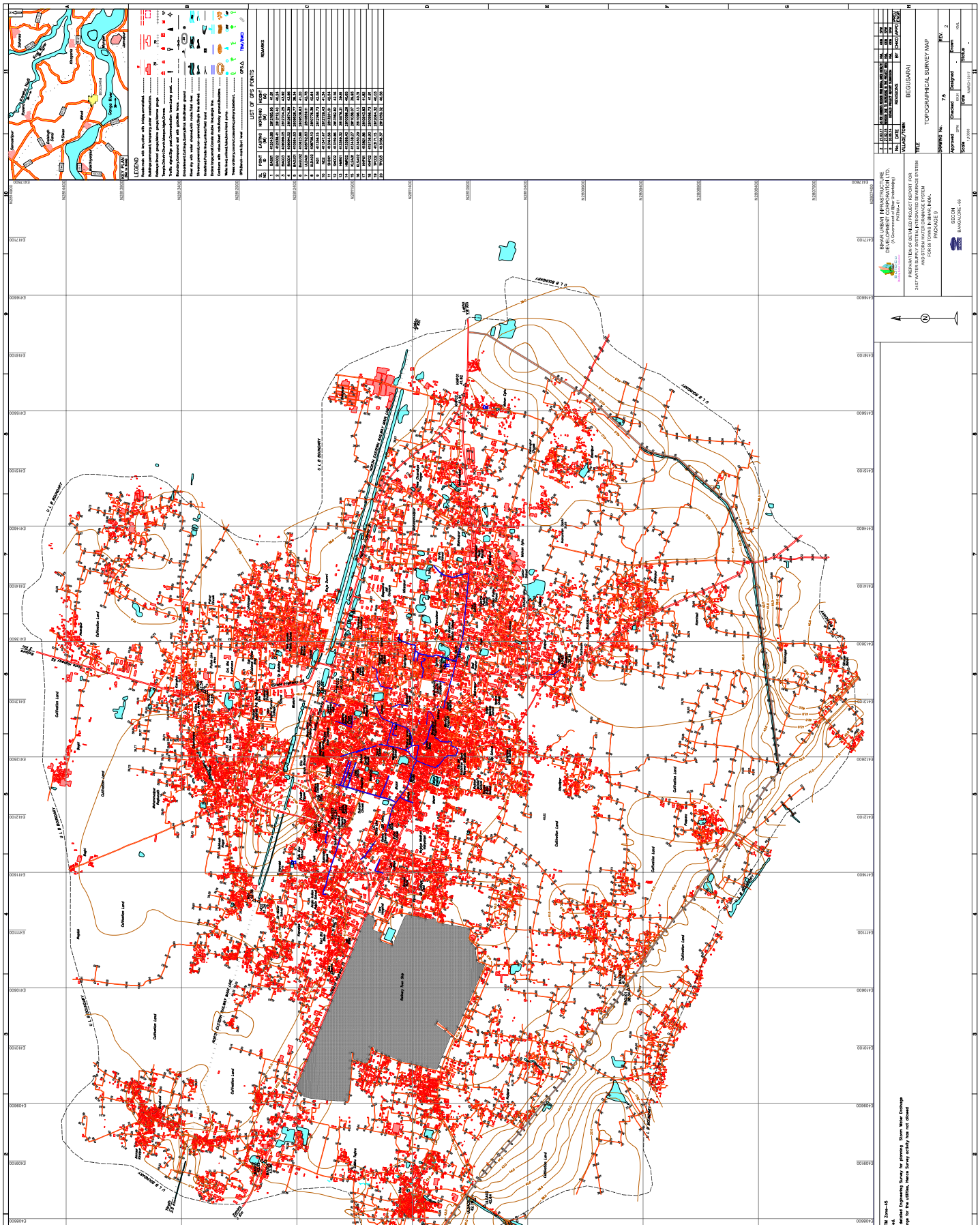

चित्र 3 : बेगूसराय नगर का *contour* मानचित्र

2.1.3 प्रशासनिक डिविज़न

बेगूसराय नगर 45 वार्डों में विभाजित है। बेगूसराय नगर के ढाँचे को समझने के लिए उसकी शासन संरचना को समझना ज़रूरी है। नगर निगम, बेगूसराय की शासन संरचना को दो विंगों में विभाजित किया गया है:

1. निर्वाचित विंग एवं 2. प्रशासनिक विंग

कार्य-संचालन व्यवस्था: बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 के तहत विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए नगर निगम मुख्यालय

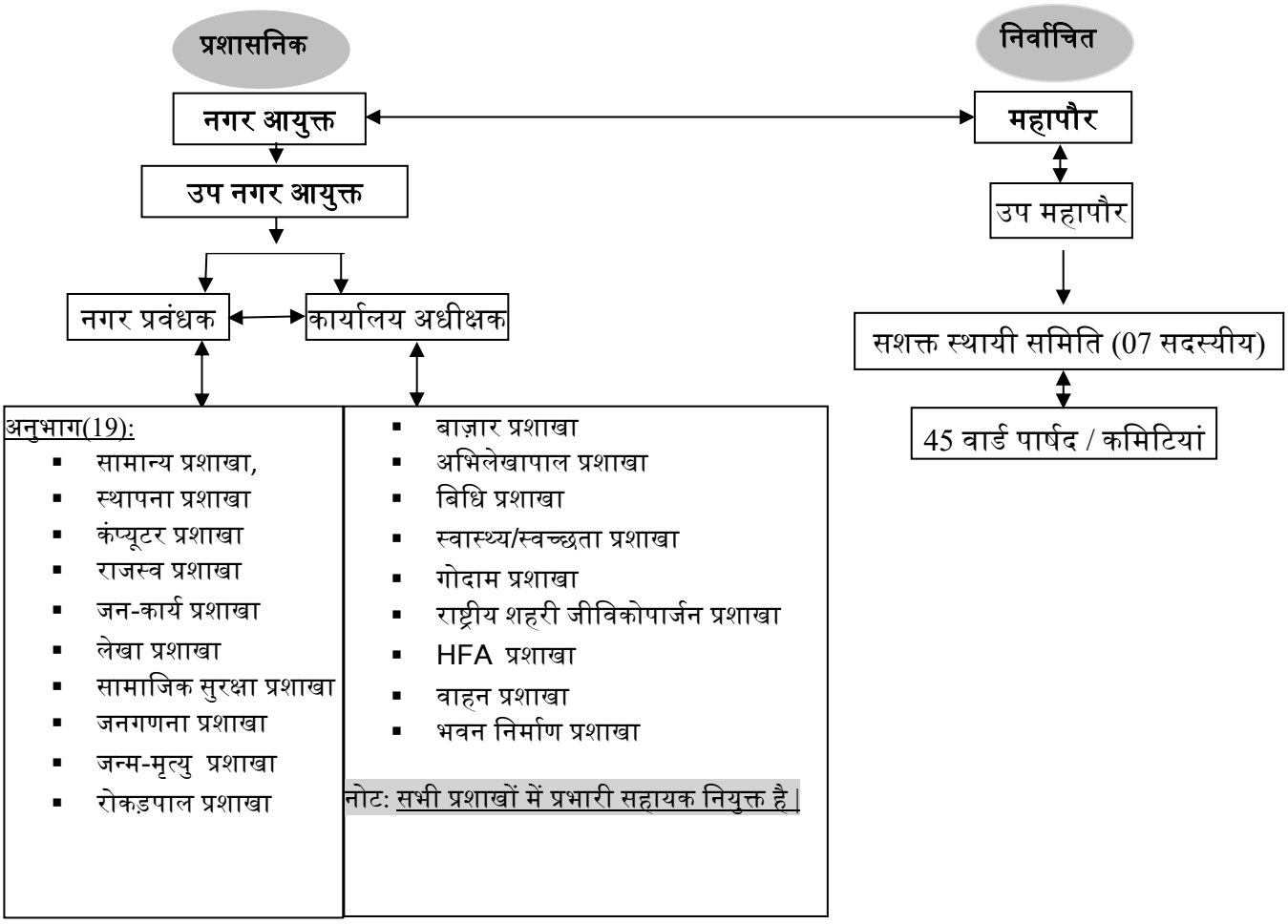

चित्र 4 : बेगूसराय नगर निगम का प्रशासनिक ढाँचा

2.1.4 परिवहन एवं संचार नेटवर्क

बेगूसराय नगर संचार के बेहतर माध्यमों से जुड़ा हुआ है। बेगूसराय शहर के बीच से होकर NH-31 गुजरती है जिसकी नगर के अंदर लम्बाई लगभग 8.98 kms है। यह भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के माल्दा ज़िले के समसी तक जाती है। भूमार्गीय परिवहन का बहुत बड़ा हिस्सा इस राजमार्ग से पोषित होता है। राज्य उच्चपथ 55 बेगूसराय को समस्तीपुर के रोसडा से जोड़ती है। अंतर ज़िला आवागमन और स्थानीय व्यापार के लिए यह राज्य उच्चपथ जीवनरेखा की तरह काम करती है। बेगूसराय रेलवे के महत्वपूर्ण नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। उत्तरपूर्व भारत को जोड़ने वाली रेलवे लाइन बेगूसराय शहर से होकर गुजरती है। गंगा नदी के काफ़ी क़रीब होने के कारण नदी अंतरराज्यीय परिवहन के लिए एक बड़ी सम्भावना की स्थिति बनाती है।

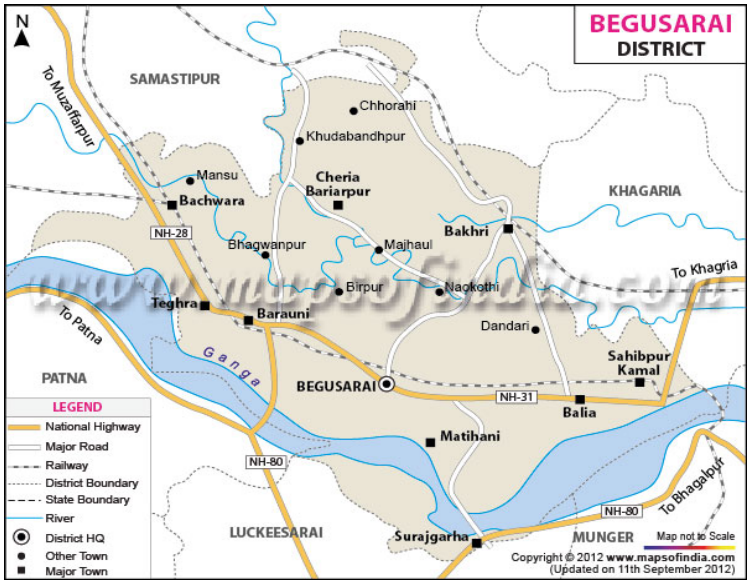

चित्र 5 : बेगूसराय नगर का परिवहन एवं संचार नेटवर्क

2.1.5 जलवायु और मौसम :

बेगूसराय की जलवायु गर्म और शीतोष्ण है। यहाँ का वार्षिक औसत तापमान 25.4 °C रहता है। IMD के एक रिपोर्ट के अनुसार बेगूसराय नगर में 1036.6 mm की औसत वार्षिक वर्षा हर वर्ष होती है। जुलाई के महीने में बेगूसराय शहर में सबसे अधिक (औसतन 307.7 mm) बारिश होती है। बेगूसराय में लगभग 46 दिन बारिश होती है। ज़िले में कोई मौसम विज्ञान वेधशाला नहीं है। पड़ोसी ज़िला पटना और भागलपुर में अवस्थित वेधशालाओं के मौसम संबंधित डेटा के आधार पर बेगूसराय के तापमान का आकलन किया जाता है। यहाँ जनवरी सबसे ठंडा महीना माना जाता है जब औसत न्यूनतम तापमान 12^{0}C होता है, कभी-कभी पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान 2^{0}C से 3^{0}C हो जाता है। बेगूसराय नगर का सबसे गर्म महीना मई होता है जब औसत अधिकतम तापमान 42^{0}C पहुँच जाता है। कभी-कभी मई एवं जून के महीने में किसी ख़ास दिन तापमान 44^{0}C तक पहुँच जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण जून के द्वितीय सप्ताह से दिन का तापमान कमता है परंतु रात्रि का तापमान यथावत रहता है। इस दौरान आद्रता और गर्मी के कारण मौसम असहज हो जाता है। मानसून के दौरान आद्रता 75%-85% होती है जबकि, वर्ष के बाक़ी के दिनों में यह 50%-75% रहता है वही अप्रैल और मई के महीने में यह 30%-40% होता है।

2.1.6 जनसंख्या विवरण

2011 की जनगणना के अनुसार, बेगूसराय नगर की कुल आबादी 252008 है। नगर के वार्डों की औसत जनसंख्या 5600 है। नगर की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या 46.9% है। बेगूसराय शहर की औसत साक्षरता दर 76.48 प्रतिशत है जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता 81.92 और 70.32 प्रतिशत है। **2011**

की जनगणना के अनुसार बेगूसराय ज़िले के शहरी क्षेत्र में दिव्यांगों की कुल संख्या 14521 है, जिसमें 8399 पुरुष एवं 6112 महिला हैं। 10-16 वर्ष आयु वर्ग में सबसे अधिक दिव्यांग जनों की संख्या है। पिछले दशक में नगरीय आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ा है जिससे नगर कि जनांकिकीय विवरण में काफ़ी बदलाव हुए हैं। शहर की आधारभूत संरचना के ऊपर तेज़ी से बढ़ते दबाव के कारण कई मलिन बस्तियाँ बस गई हैं।

तालिका 2: बेगूसराय नगर की वार्ड वार जनसंख्या

क्र०	वार्ड संख्या	आबादी (2011 जनगणना आधारित)			
		कुल	पुरुष	महिला	शिशु (0-06 वर्ष)
1	वार्ड संख्या: 1	6193	3263	2930	1214
2	वार्ड संख्या: 2	5012	2655	2357	1019
3	वार्ड संख्या: 3	5812	3093	2719	1137
4	वार्ड संख्या: 4	4019	2167	1852	792
5	वार्ड संख्या: 5	5795	3082	2713	1271
6	वार्ड संख्या: 6	6270	3378	2892	1219
7	वार्ड संख्या: 7	5725	3081	2644	1004
8	वार्ड संख्या: 8	8568	4420	4148	1385
9	वार्ड संख्या: 9	2474	1291	1183	294
10	वार्ड संख्या: 10	6560	3467	3093	1226
11	वार्ड संख्या: 11	3409	1878	1531	518
12	वार्ड संख्या: 12	4023	2133	1890	549
13	वार्ड संख्या: 13	6171	3288	2883	922
14	वार्ड संख्या: 14	2948	1509	1439	246
15	वार्ड संख्या: 15	3757	1955	1802	545
16	वार्ड संख्या: 16	3480	1872	1608	377
17	वार्ड संख्या: 17	6449	3414	3035	1092
18	वार्ड संख्या: 18	4326	2324	2002	631
19	वार्ड संख्या: 19	5131	2738	2393	946
20	वार्ड संख्या: 20	5291	2701	2590	573
21	वार्ड संख्या: 21	5510	2876	2634	835
22	वार्ड संख्या: 22	7453	3916	3537	1115
23	वार्ड संख्या: 23	5646	2975	2671	666
24	वार्ड संख्या: 24	4173	2259	1914	695
25	वार्ड संख्या: 25	3993	2171	1822	692
26	वार्ड संख्या: 26	6545	3467	3078	1119
27	वार्ड संख्या: 27	2914	1559	1355	580
28	वार्ड संख्या: 28	9898	5262	4636	1154
29	वार्ड संख्या: 29	6871	3622	3249	1184
30	वार्ड संख्या: 30	4672	2452	2220	611
31	वार्ड संख्या: 31	6796	3616	3180	1019

क्र०	वार्ड संख्या	आबादी (2011 जनगणना आधारित)			
		कुल	पुरुष	महिला	शिशु (0-06 वर्ष)
32	वार्ड संख्या: 32	7010	3689	3321	995
33	वार्ड संख्या: 33	3253	1637	1616	453
34	वार्ड संख्या: 34	6182	3292	2890	1001
35	वार्ड संख्या: 35	4556	2429	2127	598
36	वार्ड संख्या: 36	4821	2484	2337	630
37	वार्ड संख्या: 37	5518	2889	2629	718
38	वार्ड संख्या: 38	5143	3096	2047	717
39	वार्ड संख्या: 39	5681	3015	2666	791
40	वार्ड संख्या: 40	7845	4152	3693	949
41	वार्ड संख्या: 41	5568	2943	2625	769
42	वार्ड संख्या: 42	8027	4235	3792	1304
43	वार्ड संख्या: 43	6020	3228	2792	919
44	वार्ड संख्या: 44	4660	2461	2199	914
45	वार्ड संख्या: 45	11840	6288	5552	2168
कुल		252008	133722	118286	39556

2.1.7 आर्थिक और व्यावसायिक विवरण

बेगूसराय बिहार का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। नगर एवं उसके आस-पास के प्रमुख उद्योग तेल रिफ़ाइनरी, थर्मल पावर स्टेशन, खाद और दुग्ध डेयरी है। बेगूसराय ज़िले का मुख्यालय होने के कारण अन्य आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों के अवसर प्रदान करती है और नगर में कई व्यवसाय किए जाते हैं। बेगूसराय नगर, ज़िला का मुख्य व्यावसायिक केंद्र है। बेगूसराय ज़िला की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ के मुख्य नगद फसल में तिलहन, तंबाकू, जुट, आलू और लाल मिर्च शामिल है। फल उत्पादन के क्षेत्र में बेगूसराय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ लीची, आम, अमरूद और केला का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ज़िला मुख्यालय होने के कारण यह शहर इन कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण और विक्रय का अच्छा अवसर प्रदान करता है। इस कारण से बेगूसराय नगर अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ने का एक मंच प्रदान करता है और कई छोटे बड़े एवं खुदरा और थोक व्यवसाय भी किए जाते है। 2019-20 के आँकड़ों की बात करें तो पटना के बाद बेगूसराय प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार में दूसरा स्थान रखता है।

2.1.8 योजना एवं जोनिंग:

होल्डिंग टैक्स वसूली के दृष्टिकोण से शहर के होल्डिंग को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

- प्रधान मुख्य सड़क से जुड़ा होल्डिंग
- मुख्य सड़क से जुड़ा होल्डिंग
- अन्य सड़क से जुड़ा होल्डिंग

बेगूसराय शहर के लगभग 17 वार्डों (वार्ड संख्या 4, 5, 6, 17, 18, 22, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44) में जलजमाव की समस्या उत्पन्न होती है। जल मल की निकासी के लिए शहर को जोन में बांटकर सभी नालों की सफाई कर जलमल निकासी को सुगम बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए

- पूर्वी जोन
- दक्षिण पश्चिम जोन A
- दक्षिण पश्चिम जोन B
- पश्चिम जोन

शहर के सर्वांगीण विकास एवं विस्तार के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा जोनिंग किया जाना अपेक्षित एवं प्रतिक्षित है।

2.2 महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा एवं भवन:

2.2.1 ट्रैफ़िक और यातायात:

बेगूसराय शहर को आस-पास के ज़िलों और प्रखंडों से जोड़ने के लिए सड़कों का एक जाल फैला हुआ है। बेगूसराय नगर के अंदर आवगमन को सुलभ बनाने के लिए कुल **333 km की सड़कों का जाल है जिसकी चौड़ाई 6 फ़ीट से लेकर 36 फ़ीट तक है।** नगरीकरण के अत्यधिक दबाव और अनियोजित विकास के कारण ट्रैफ़िक की समस्या बनी रहती है। शहर में कई ब्लैक स्पॉट है जहां अनेक सड़क दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। इस विषय में लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जाते रहते हैं। ट्रैफ़िक पर अत्यधिक दबाव होने के कारण हमेशा रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है जिसका वायु की गुणवत्ता पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पार्किंग स्थलों की सीमित उपलब्धता के कारण सड़कों पर पार्किंग होती है जिससे वाहनों की गति प्रभावित होती है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली नहीं होने के कारण नागरिकों को निजी वाहनों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिससे यातायात पर भार बढ़ता है।

2.2.2 सरकारी एवं ग़ैर सरकारी अस्पताल :

सरकारी अस्पताल

तालिका 3 : बेगूसराय नगर के सरकारी अस्पताल

अस्पताल का प्रकार	बेड संख्या	पद	कुल पद
ज़िला अस्पताल	ट्रॉमा -2	चिकित्सक	32
	बर्न बेड -8	ANM/ नर्स	54
	सामान्य बेड -100	कम्पाउण्डर / ड्रेसर	16
	ICU-15	पैरामेडिकल कर्मचारी (Technician and Pathologist)	2
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (तेलिया पोखर, बाघा, उल्लाव और बिशनपुर)		चिकित्सक	8
		ANM/ नर्स	16
		कम्पाउण्डर / ड्रेसर	-
		पैरामेडिकल कर्मचारी	4

ग़ैर सरकारी अस्पताल

तालिका 4 : बेगूसराय नगर के ग़ैर सरकारी अस्पताल

क्र0	अस्पताल का नाम	प्रभारी	प्रभारी सम्पर्क	कुल सामान्य बेड	कुल ICU बेड
1	एलेक्सिया अस्पताल	डॉक्टर द्राक्षा नाज़	9934100905	40	10
2	अमर ज्योति अस्पताल	डॉक्टर अंगेश कुमार	9835853348	50	15
3	अमृत जीवन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड	डॉक्टर कृष्णा कुमार	8210037349	28	12
4	अनन्या नर्सिंग होम	डॉक्टर समवर्था कुमार	9431039729	20	10
5	BM हॉस्पिटल (बिशनुपर मल्टी स्पेसियलिटी हॉस्पिटल)	डॉक्टर अतुल कुमार राज	8434050002	100	14
6	बोनस एंड जॉट्स हॉस्पिटल	डॉक्टर उज्ज्वलेंदु	9973692689	50	10
7	धृति जीवन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड	डॉक्टर चंदन सिन्हा	9971597413	30	15
8	गलोकल हॉस्पिटल	डॉक्टर मो. इजाज़ खान	8296384442	50	20
9	लाइफ़ लाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर	डॉक्टर कुमार शंकर नाथ	6205254290	25	10
10	महावीर अग्रसेन सेवा सदन	डॉक्टर रंजन राकेश	9430885214	24	10
11	मायेरा मेडिलैंड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड	डॉक्टर राजीव कुमार रॉय	8470834105	40	15
12	निर्माया हॉस्पिटल, केसावे रोड, अंगरेगी ढाला	डॉक्टर रवि शंकर सिंह	7766956222	21	9
13	सहज संजीवनी हॉस्पिटल, डाक बंगला रोड,	डॉक्टर बिनय कुमार	7903796477	40	10
14	सृष्टि जीवन हॉस्पिटल,	डॉक्टर ज़फ़र अरशद	8084604587	40	10
15	सिद्धि विनायक क्रिटिकल केयर एंड हॉस्पिटल,	डॉक्टर सत्यजीत सिन्हा	9102990506	30	10
16	मीरा नर्सिंग होम, अशोक नगर पोखरिया, बेगूसराय	डॉक्टर मीरा सिंह		50	10
17	AMIMS हॉस्पिटल, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी		10	0
18	शिवम् नर्सिंग होम, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर राम यतन सिंह		40	10
19	MNC ट्रॉमा एंड ओर्थोपेडिक सेंटर, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर मुक्ति नाथ चौधरी		10	0
20	बीना नर्सिंग होम, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर बीना सिंह		50	10

क्र0	अस्पताल का नाम	प्रभारी	प्रभारी सम्पर्क	कुल सामान्य बेड	कुल ICU बेड
21	कल्पना नर्सिंग होम, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर अशोक शर्मा		30	10
22	मंजु मीरा हॉस्पिटल, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर ब्रजेश कुमार		30	10
23	सिटी हॉस्पिटल, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर रौशन लाल		20	10
24	पेनसिया हॉस्पिटल, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर मृत्युंजय कुमार		50	10
25	गंगा हॉस्पिटल, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर दीपक कुमार		50	10
26	अवध मेमोरियल हॉस्पिटल (ट्रॉमा), NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर मनीष कुमार		40	10
27	आयुष्मान हॉस्पिटल, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर हीरा कुमार		20	10

2.2.3 स्कूल:

बेगूसराय नगर में सरकारी और निजी स्कूलों का एक पूरा नेटवर्क फैला है। पहले से बने स्कूल के भवन आपदारोधी निर्माण के मानकों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे भवनों की पहचान कर उनकी रेट्रोफ़िट्टिंग करने की ज़रूरत है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्कूलों में बच्चों को आपदा की तैयारी और उससे निपटने के उपाय पर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपदा को लेकर व्यवहार परिवर्तन के लिए बच्चों को एक उत्प्रेरक की तरह विकसित किया जा रहा है। सभी सरकारी विद्यालयों में आपदा की तैयारी और उससे निपटने के उपाय के लिए **"सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम"** चलाया जा रहा है। बेगूसराय नगर परिक्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें तो **46 प्राथमिक विद्यालय, 41 माध्यमिक विद्यालय, 6 उच्च विद्यालय और 7 महाविद्यालय हैं।**

2.2.4 जलापूर्ति

बेगूसराय नगर निगम (बीएमसी) और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) नगरपालिका क्षेत्र में जलापूर्ति और रखरखाव के लिए वैधानिक प्राधिकरण हैं। पेयजल आपूर्ति की योजना, डिजाइन, निर्माण, कार्यान्वयन, रखरखाव, संचालन और प्रबंधन सहित पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए दोनों एजेंसियां संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। "हर घर नल का जल" शहरी निश्चय के तहत हर घर को पाइप्ड पेयजल कनेक्शन के माध्यम से 70 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति दिया जाना प्रस्तावित है। **अभी तक कुल 28793 घरों में से 23341 घरों में पाइप्ड पेयजल कनेक्शन दिया जा चुका है।**

2.2.5 स्ट्रीट लाइट

बेगूसराय नगर में 8996 स्ट्रीट लाइट और 24 फ़्लड लाइट टावर हैं। बेगूसराय में स्ट्रीट लाइटिंग अपर्याप्त हैं। अधिकांश स्ट्रीट लाइटें काम नहीं कर रही हैं। औद्योगिक इकाइयों से जुड़ी सम्पर्क सड़कों में स्ट्रीट लाइट को लगाया जाना प्रस्तावित है। सभी मुख्य चौराहों पर फ़्लड लाइट टावर लगाया जा चुका है।

2.2.6 सीवरेज

वर्तमान में बेगूसराय नगर में सीवरेज नेटवर्क बनाने का कार्य चल रहा है। नगर के निचले इलाकों में काफी देर तक गंदा पानी जमा रहता है। लघु और मध्यम अवधि में, एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवेज संग्रह प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। अधिकांश क्षेत्रों में सीवरेज लाइनों के आभाव के कारण बारिश के पानी के भर जाने और वर्षा जल नालियों की अनुपस्थिति, विशेष रूप से मानसून के दौरान समस्याएँ पैदा करती हैं। **बेगूसराय में 90.5 kms की व्यवस्थित सीवरेज प्रणाली जिसमें 82.66 kms पर कार्य किया जा चुका है।** इससे अपशिष्ट जल निपटान में काफ़ी सुधार हो पाएगा।

2.2.7 ड्रेनेज

नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ चर्चा के अनुसार, नाली का कवरेज बहुत कम है और अधिकांश क्षेत्रों में बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या होती है जो बीमारी फैलाने वाले मच्छरों के प्रजनन स्थल बन जाते हैं। नगर निगम ने BUIDCO की सहायता से बेगूसराय नगर में ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था के लिए एक विस्तृत DPR बनाया गया है जिसे विभाग को स्वीकृति के लिए अग्रसारित किया जा चुका है । **इसके अंतर्गत पूरे नगर को 62 catchment area में विभाजित किया गया है। सभी catchment area में एक-एक**

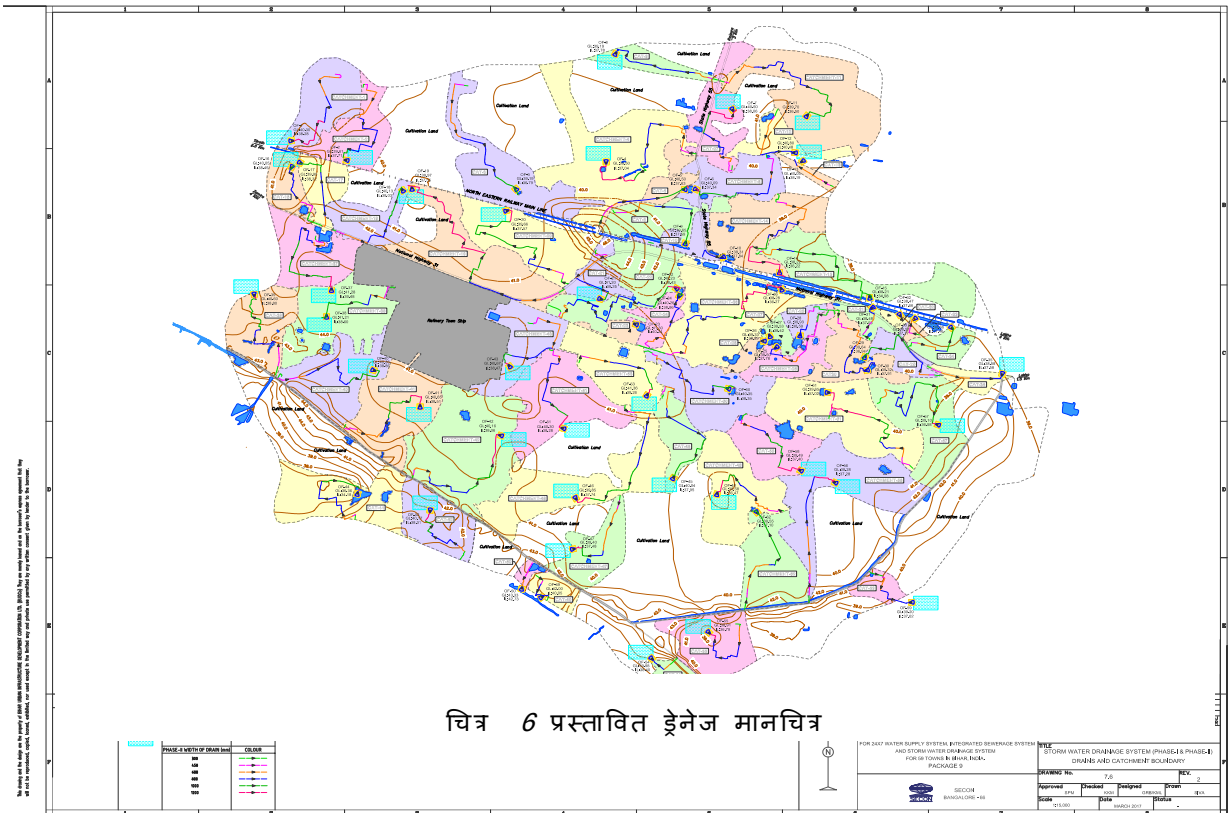

चित्र 6 प्रस्तावित ड्रेनेज मानचित्र

reservoir और एक-एक outflow का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 3 ड्रेन पम्पिंग स्टेशन (DPS), एक लोहिया नगर में, एक मार्केट में तथा एक गुप्ता बांध में प्रस्तावित है।

2.2.8 हाउसिंग

2008 में चल रहे SPUR कार्यक्रम के तहत किए गए सर्वेक्षण में नगरपालिका क्षेत्र में **36 स्लम क्षेत्रों** की पहचान की गई है। इन स्लम क्षेत्रों की अनुमानित **जनसंख्या लगभग 23,615 है, जो वर्ष 2010** की अनुमानित जनसंख्या का लगभग **20%** है।

नगर के वार्ड संख्या 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32 33, 34, 36, 37, 39, 40 और 42 में कई इलाक़े काफ़ी पुराने है, कुछ इलाक़े अति व्यस्त और संकरे हैं, जोकि आपदा की दृष्टि से असुरक्षित हैं। जोखिम वाले आवासों की एक विस्तृत सूची बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि समुदाय को रेट्रोफ़िट्टिंग के तरीक़ों के बारे में बताया जा सके। नए आवास का निर्माण मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए और नगर निगम को इस बात की सख़्ती से निगरानी करनी चाहिए कि कोई भी निर्माण समुचित प्राधिकार की अनुमति के बाद ही बने।

2.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

बेगूसराय नगर में 90 TPD MSW उत्पन्न हुआ, जिसमें से 55 TPD जैविक है, 34 TPD पुनर्चक्रण योग्य है। 0.2 TPD घरेलू ख़तरनाक अपशिष्ट है और शेष 0.8 TPD सेनेटरी मलबा है। निगम द्वारा **डोर टू डोर कचरा संग्रहण** किया जा रहा है। बेगूसराय नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के **2 MRF** का भी निर्माण किया गया है जोकि **रतनपुर (वार्ड संख्या 20)** एवं **बाघो (वार्ड संख्या 11)** में स्थित है। बेगूसराय नगर निगम हर महीने **474 टन गीले कचरे और 94.5 सूखे कचरे का प्रसंस्करण** सफलतापूर्वक करता है।

बेगूसराय नगर से एकत्र किए गए कचरे को बदरपुर में डंपिंग किया जाता है, नगर में कोई landfill का निर्माण नहीं किया गया है।

2.4 बेगूसराय में उद्योग एवं फ़ैक्टरी

बिहार के अन्य नगरों की तुलना में बेगूसराय में औद्योगिकरण की गति काफ़ी तेज रही है। बेगूसराय नगर एवं उसके आस-पास कई प्रकार के लघु, मध्यम और बड़े उद्योग कार्यरत हैं। बेगूसराय तेल रिफ़ाइनरी, उर्वरक कारख़ाना और थर्मल पावर के लिए पूरे देश में जाना जाता है। इसके अलावा बेगूसराय में निम्न उद्योग मुख्य हैं:

तालिका *5 :* बेगूसराय नगर एवं उसके आस-पास स्थित ऐसे उद्योग जिनमे *15* से ज़्यादा कर्मचारी है

क्र०	उद्योग का नाम	उत्पाद का नाम	कर्मचारियों की संख्या	क्या उद्योग खतरनाक श्रेणी में आता है? (हाँ या नहीं)	औद्योगिक सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त हैं? (हाँ या नहीं)	औद्योगिक परिसर में एम्बुलेंस की उपलब्धता (हाँ या नहीं)	परिसर में डिस्पेंसरी की उपलब्धता	ट्रामा सेंटर की दूरी
1	M/S Ganga Dairy Limited Bahadpur Begusarai	Dairy Product	300	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं, सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर

क्र०	उद्योग का नाम	उत्पाद का नाम	कर्मचारियों की संख्या	क्या उद्योग खतरनाक श्रेणी में आता है? (हाँ या नहीं)	औद्योगिक सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त हैं? (हाँ या नहीं)	औद्योगिक परिसर में एम्बुलेंस की उपलब्धता (हाँ या नहीं)	परिसर में डिस्पेंसरी की उपलब्धता	ट्रामा सेंटर की दूरी
2	M/S Graphite India Teghra Begusarai	Raw Petroleum	100	नहीं	नहीं	नहीं	ugha	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
3	M/S Niyo Carbon Private Limited Director O.P Maniyar,Hajipur Barauni Begusarai	Tar.P.C Petroleum	132	नहीं	नहीं	नहीं	ugha	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
4	M/S Bihar Carbon Private Limited Gajipur Barauni	R P Cto C.P.C	34	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
5	M/S Sudhanshu Cold Storage Ullav Begusarai	Cold Storage Services	18	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
6	M/S Jadamba Int Udyog Papror Barauni Begusarai	Bricks Manufacturing	56	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
7	M/S Kalpana Construction Cold Storage Barauni Begusarai	Frakshian Workers	149	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
8	M/S Mo. Nandlal Rai Rachiyahi Barauni Begusarai	Civil & Mechanical Construction	18	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
9	M/S Hotel K.D.M Palace Begusarai	Hotel & Restaurant	15	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
10	M/S Suresh Prasad Singh	Civil & Mechanical	19	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से

क्र०	उद्योग का नाम	उत्पाद का नाम	कर्मचारियों की संख्या	क्या उद्योग खतरनाक श्रेणी में आता है? (हाँ या नहीं)	औद्योगिक सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त हैं? (हाँ या नहीं)	औद्योगिक परिसर में एम्बुलेंस की उपलब्धता (हाँ या नहीं)	परिसर में डिस्पेंसरी की उपलब्धता	ट्रामा सेंटर की दूरी
	Savora Barauni Begusarai	Constructio n						लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
11	M/S Jindal Construction Anand Kumar Singholpokhar Barauni Begusarai	Mechanical Workers	18	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
12	M/S G.M Eng. Workers Ullav Begusarai	Civil Constructio n Job Workers	54	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
13	M/S Vikash Industries Udyogik Shetra Barauni Jila Begusarai	Cattle Factory Feed Manufacturi ng	35	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
14	M/s Industrial House, 1P & 2P, Industrial Area, Barauni.	Shallow well Hand Pump, 13.02.1999	21	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
15	M/s Kisan Tractor, 10,11,12, Industrial Area, Barauni.	Khad (Granular Fertilizer) 17-09-2005	40	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
16	M/s Universal Hydro Carbon Co. Ltd., 13,14,31,32, Industrial Area, Barauni	C.P.C , 1976	60	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
17	M/s Sureka Metal Enterprises, 15,16,30 P,	Aluminum Utensil, 1975	15	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर

क्र०	उद्योग का नाम	उत्पाद का नाम	कर्मचारियों की संख्या	क्या उद्योग खतरनाक श्रेणी में आता है? (हाँ या नहीं)	औद्योगिक सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त हैं? (हाँ या नहीं)	औद्योगिक परिसर में एम्बुलेंस की उपलब्धता (हाँ या नहीं)	परिसर में डिस्पेंसरी की उपलब्धता	ट्रामा सेंटर की दूरी
	Industrial Area, Barauni.							
18	M/s Kumar Ferocast India Pvt. Ltd, 33 P & 34 P, Industrial Area, Barauni.	C.I. Hand Pump, 01.05.1984	25	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
19	M/s Kumar Cement Company, 39 P, Industrial Area, Barauni	Cement, 20.06.2006	20	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
20	M/s Mahabir Industries, 1P & 2P, Industrial Area, Barauni	Deepwell Hand Pump, 10.08.1989	18	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
21	M/s Mahabir Ind. & Allied Works Pvt. Ltd., 1P & 2P, Industrial Area, Barauni	Tower, All Blacks & Galvanising & Electrical Sub Station Matterial Etc (Structured Material), 25.03.2009	24	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
22	M/s Mahabir Polytubes, 1P & 2P Industrial Area, Barauni	HDPE Pipe, 07.05.2018	18	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
23	M/s Premier Industries, 8 P, Ind. Area, Barauni	C.P.C., 01-07-2010	42	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
24	M/s Jai Shree Udyog, 61 P,	Pulse, July 2017	17	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से

क्र०	उद्योग का नाम	उत्पाद का नाम	कर्मचारियों की संख्या	क्या उद्योग खतरनाक श्रेणी में आता है? (हाँ या नहीं)	औद्योगिक सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त हैं? (हाँ या नहीं)	औद्योगिक परिसर में एम्बुलेंस की उपलब्धता (हाँ या नहीं)	परिसर में डिस्पेंसरी की उपलब्धता	ट्रामा सेंटर की दूरी
	Industrial Area, Barauni,							लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
25	M/s Vikash Industries, 66 P & 67 P, Ind. Area, Barauni	Poultry Feed & Cattle Feed, 10.08.2015	25	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
26	M/s Tara Health Food Limited, 104 P, Industrial Area, Barauni	Cattle Feed , 09.11.2015	15	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
27	M/s Om Chemical Industries, 105 P, Industrial Area, Barauni	C.I. Hand Pump, 23.10.2010	20	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
28	M/s Krishna Poles, 64 P, Industrial Area, Barauni	P.S.C. Poles, 13.10.2015	20	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
29	M/s Om Food Processing Pvt. Ltd.(Old Name:- Shandilya Chemical) 63 P, Industrial area, Barauni	Flour, Besan & Sattu, 02.04.2015	20	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
30	M/s Kumar Commodity & Food Management Pvt. Ltd., 74P, 75P & 63P, Industrial Area, Barauni	Rice Mill, 17.04.2013	19	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर

क्र०	उद्योग का नाम	उत्पाद का नाम	कर्मचारियों की संख्या	क्या उद्योग खतरनाक श्रेणी में आता है? (हाँ या नहीं)	औद्योगिक सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त हैं? (हाँ या नहीं)	औद्योगिक परिसर में एम्बुलेंस की उपलब्धता (हाँ या नहीं)	परिसर में डिस्पेंसरी की उपलब्धता	ट्रामा सेंटर की दूरी
31	M/s Mahabir Petro Product Pvt. Ltd., 92-95, Industrial Area, Barauni	C.P.C. & E.C. Paste, Sept.1994	24	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
32	M/s Kisco Wax Industries, 80 P, Industrial Area, Barauni	P.S.C. Poles, 07.09.2007	18	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
33	M/s Krishna Hydro Carbon Pvt. Ltd., 57 & 77 (P), Industrial Area, Barauni	CPC, 05.10.2011	45	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
34	M/s Electro Carbon India Ltd., 49,50(P), Industrial Area, Barauni	Carbon Electrod Paste, 05.081984	22	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
35	M/S Carbon Resources Pvt. Ltd. Unit-II, 53 & 54, Industrial Area, Barauni	CPC, 08.11.1995	29	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
36	M/s Phonix Construction Equipment, 112,113,110 P, Industrial Area, Barauni	Construction Equipment Repair and Dervising, 15.12.2018	20	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर
37	M/s Jai Shree Iron & Steel Pvt Ltd, 105 P, Industrial Area, Barauni	Nail & Black Wire, 14-12-2018	19	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल बेगूसराय से लगभग 8 कि.मी. के अन्दर

2.5 बेगूसराय में प्राकृतिक संसाधन

बेगूसराय की मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ है। इस जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी की बनावट अलग-अलग है। दोमट गंगा की तटबंधों में पाई जाती है, इस क्षेत्र की मिट्टी रेतीली दोमट है जिसमें ह्यूमस है और यह बहुत उपजाऊ होने के साथ-साथ कृषि के लिए भी अच्छी है। गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण बेगूसराय में भूजल की प्रचुरता है।

2.6 बेगूसराय की वनस्पति और जीव

बेगूसराय में जंगल का अभाव है। इस क्षेत्र में अधिकतर आम और लीची के बाग मौजूद हैं। बेगूसराय में अमरूद, निम्बू , शीशम, बबूल, नीम, गमहर, पीपल, बांस, शिरीष आदि सामान्यत: पाए जाते हैं। जीव जंतुओं की बात करें तो इस जिले में जंगली जानवरों की उपस्थिति बहुत कम है। हालाँकि, इस जिले में पक्षियों की कई प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। पक्षियों की सबसे दुर्लभ प्रजाति कांवर झील पक्षी विहार के क्षेत्र में देखने को मिलती है।

अध्याय -3 : ख़तरा, जोखिम एवं क्षमता आकलन (HRVCA)

बेगूसराय नगर आपदा प्रबंधन योजना के इस अध्याय में नगर में सम्भावित आपदा के ख़तरे, जोखिम एवं क्षमता का आकलन किया गया है। बेगूसराय आपदा की दृष्टि से बिहार के संवेदनशील नगरों में से एक है। बेगूसराय नगर अपनी जलवायु और भौगोलिक स्थिति के कारण कई आपदाओं के ख़तरों से घिरा रहता है। बेगूसराय की जलवायु गर्म और शीतोष्ण है। बेगूसराय शहर के अंदर तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जाता है, अत्यधिक गर्मी और कंपकपाती हुई ठंड का मौसम होता है । यह देखने को मिलता है कि नदियों के काफ़ी क़रीब होने के बावजूद सुरक्षित पेयजल के स्रोत की उपलब्धता एक समस्या बनी रहती है। जलीय अशुद्धता में आयरन और क्लोराइड की समस्या प्रमुख है। **आपदा जोखिम विश्लेषण के अनुसार बेगूसराय "B" समूह के अंदर आता है। बाढ़ प्रभावित होने के साथ-साथ यह भूकंप के ज़ोन -IV में आता है।** ज़िला मुख्यालय होने की वजह से जनसंख्या का घनत्व और अनियोजित बस्तियों से यहाँ की बहुसंख्यक आबादी अप्रत्याशित जोखिम से घिरी रहती है। तीव्र शहरीकरण के कारण वन और हरित क्षेत्रों में लगातार कमी आयी है जिससे वायु प्रदूषण उतरोत्तर बढ़ता रहा है और शहर के पर्यावरण के लिए अनुपयुक्त है। **शहर में वाहनों (विशेषकर व्यावसायिक) की अत्यधिक संख्या और पर्यावरणीय मानकों का ध्यान नही दिए जाने के कारण ज़हरीले गैसों के उत्सर्जन से स्थिति और भी दयनीय हो जाती है, इसके साथ-साथ नगर के नज़दीक अवस्थित बड़े-बड़े उद्योगों से भी ज़हरीले धुएँ के निष्कासन के फलस्वरूप नगर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।**

बाढ़ एवं जल जमाव से शहर का बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा प्रभावित रहता है। सही जल निकास की व्यवस्था के अभाव में विशेष रूप से मानसून के समय में स्थिति और भी विकराल हो जाती है। हालाँकि नगर के सभी वार्डों में नाला के माध्यम से जल निकासी की व्यवस्था की गयी है जो आमतौर पर जल जमाव की स्थिति में ठीक से काम नही कर पाता है। हालाँकि, नमामी गंगा परियोजना के तहत सीवरेज और STP के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। आम दिनों में मोटर और पम्प के माध्यम से जल निकासी का कार्य किया जाता है साथ ही जल जमाव की निकासी के लिए सर्किंग पम्प का भी उपयोग किया जाता है। वहीं खुला नाला से जल बहाव कई प्रकार के संचारी रोगों का कारण बनता है।

बेगूसराय नगर में आगजनी की घटनाएँ आमतौर पर गर्मी के दिनों में कई बार सुनने को मिल जाती हैं। अग्निकांड से सामान्यतः समाज का सबसे गरीब तबका ही शिकार होता है। फूस और अस्थाई सामग्रियों से बने उनके झोंपड़े जल जाने से एक ओर उन्हें जाल माल की क्षति उठानी पड़ती है तो दूसरी ओर उनके आश्रय की भी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है।

कचरा प्रबंधन की व्यवस्था के लिए डोर टू डोर कचरा संग्रहण किया जाता है और कचरा की डम्पिंग की व्यवस्था शहर सीमा से 8 km दूर बदरपुर गाँव में है। बिहार के एक प्रमुख औद्योगिक शहर होने के नाते औद्योगिक दुर्घटना को लेकर भी एक सम्भावना बनी रहती है।

3.1 बेगूसराय नगर का आपदा तीव्रता कैलेंडर

क्र	समस्या	जनवरी	फ़रवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	भूकंप												
2	जल जमाव												
3	अगलगी												
4	सड़क दुर्घटना												
5	औद्योगिक ख़तरे												
6	संचारी रोग												
7	तेज आंधी तूफ़ान												
8	लू												
9	शीत लहर												
10	वज्रपात												
11	नाव दुर्घटना												
12	डूबना												
13	वायु प्रदूषण												

तीव्रता	
	उच्च
	मध्यम
	निम्न

3.2 नगर की सम्भावित आपदाएँ

3.2.1 भूकम्प:

भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिसमें जीवन और सम्पत्ति का व्यापक नुक़सान होता है। **BMTPC के भूकंप मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बेगूसराय शहर सिस्मिक ज़ोन-IV के अंदर आता है। एक प्रमुख सब सर्फ़स फ़ॉल्ट (Munger Saharasa Ridge Fault) बेगूसराय नगर से होकर गुजरता है। इसके साथ-साथ पूर्वी पटना फ़ॉल्ट बेगूसराय ज़िले के उत्तरी सीमा के पास से गुजरता है और भूकंप ज़ोन V ज़िले के उत्तरी भाग से कुछ ही दूरी पर अवस्थित है।** यही वजह है कि बेगूसराय नगर की सघन आबादी भूकंप के गम्भीर ख़तरे में रह रही है। नगर के अधिकांश भवनें और संरचनाएँ भूकंपरोधी नही हैं और ये संरचनाएँ बिना किसी इंजीनियरिंग मापदंड के बनाए गए हैं। अधिकांश भूभाग नदियों के तलचट से बना है, यही वजह है कि वैज्ञानिक तरीक़े से पाइलिंग नहीं होने के कारण किसी भी सम्भावित बड़े भूकंप की स्थिति में यहाँ के अधिकांश मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। शहर के पुराने और क्षतिग्रस्त मकानों में भी एक बड़ी आबादी रह रही है। इस तरह की परिस्थिति एक बड़े नुक़सान के लिए ज़िम्मेदार हो जाता है।

पिछले 10 वर्षों में बेगूसराय में कम तीव्रता के भूकंप आए हैं। इन भूकम्पों में सबसे तेज असर 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप का रहा। लेकिन सौभाग्य से इस भूकंप के कारण बेगूसराय शहर में किसी भी तरह के जान माल का नुक़सान नहीं हुआ। हालाँकि 1934 में आए भूकंप की तीव्रता 8.4 थी और इस भूकंप में नगर के काफ़ी मकानों की क्षति हुई थी।

यदि बेगूसराय नगर में 7 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो निम्न वार्डों के मोहल्लों में बहुत ज़्यादा क्षति होने की सम्भावना है:

तालिका *6* बेगूसराय नगर के भूकंप प्रवणता वाले क्षेत्र (वार्डवार)

क्र	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम	भूकंप प्रवणता
1	20	खड़कपुर टोला, कानू टोला चक गोपाल	उच्च
2	21	दास टोला करगाह, दास टोला शिव मंदिर के पीछे रतनपुर	उच्च
3	22	मियाचक मोहल्ला, चट्टी रोड स्थित मोहल्ला	उच्च
4	23	कोठी टोला, मिरगंज मोहल्ला	उच्च
5	24	संपूर्ण वार्ड	उच्च
6	28	संपूर्ण वार्ड	उच्च
7	29	मुस्लिम मोहल्ला एवं दास टोला	उच्च
8	30	गोपी टोला पावर हाउस रोड	उच्च
9	31	तुरहा टोला कॉलेजिएट स्कूल के सामने, सीपीआई पार्टी ऑफिस के पीछे मुस्लिम मोहल्ला	उच्च
10	32	तुरहा टोली, महापात्र टोला, माली टोला, गाछी टोला	उच्च
11	33	मुंगेरीगंज	उच्च
12	34	मियाँचक पूर्वी, चट्टी रोड अवस्थित मोहल्ला	उच्च
13	35	मुस्लिम मोहल्ला, पोखरिया	उच्च
14	36	पोखरिया हरिजन स्कूल से उत्तर स्थित मोहल्ला	उच्च
15	37	पोखरिया	उच्च

क्र	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम	भूकंप प्रवणता
16	39	मिश्रा टोला विष्णुपुर	उच्च
17	40	विष्णुपुर पराट	उच्च
18	41	पंडित टोला	उच्च
19	42	विष्णुपुर, राजीव नगर, शर्मा टोला	उच्च
20	43	सूक्कन टोला, वचनु लाल टोला, रविदास टोला, यादव टोला, खातोपुर मुस्लिम टोला, सिन्हा मोहल्ला	उच्च

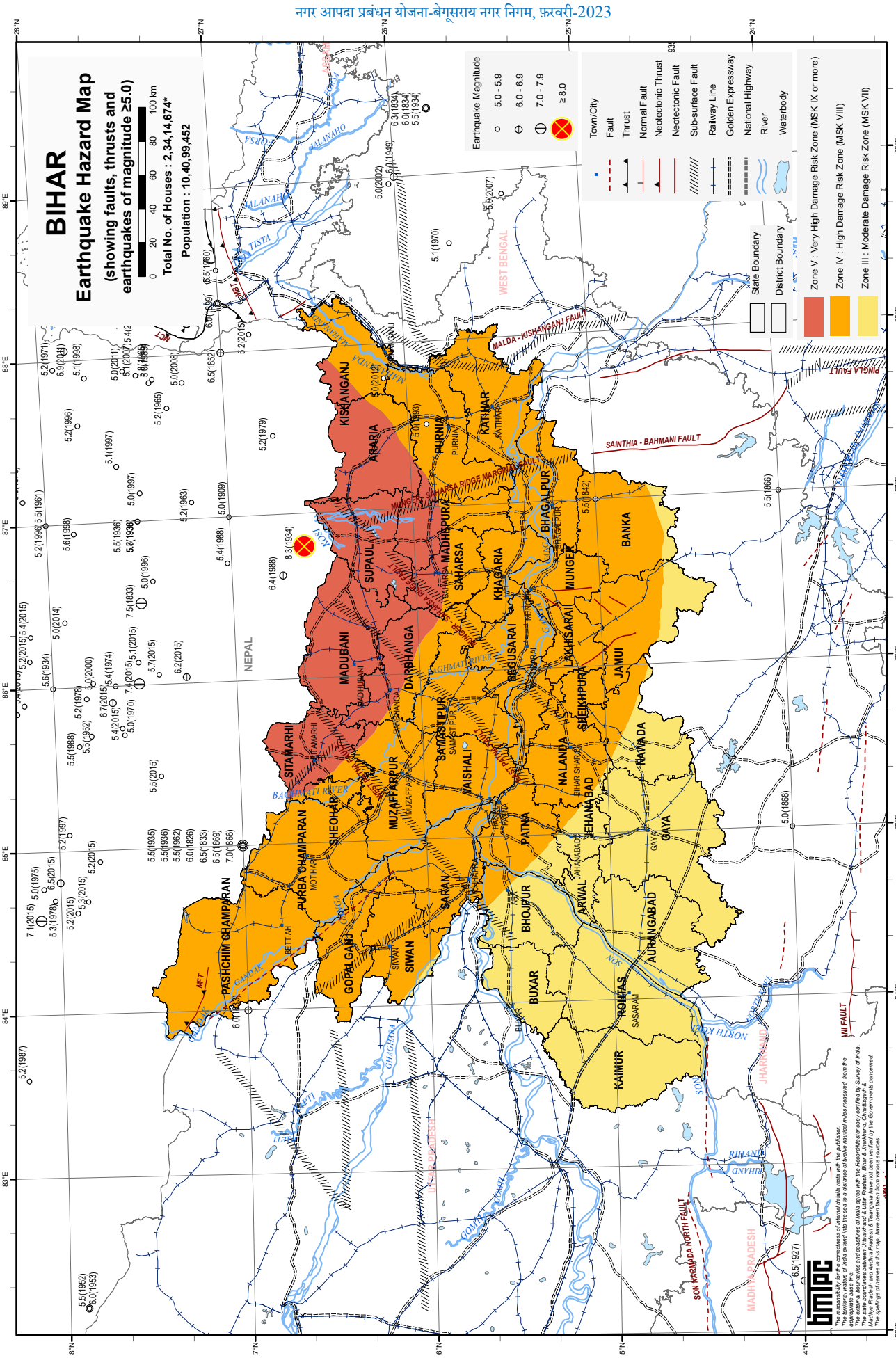

BMTPC : Vulnerability Atlas - 3rd Edition ; Peer Group, MoHUA, GOI; Map is Based on digitised data of SOI; Seismic Zones of India Map IS: 1893 (Part I): 2002, BIS; Earthquake Epicentre from IMD; Seismotectonic Atlas of India and its Environs, GSI; Houses/Population as per Census 2011; *Houses including vacant & locked houses. Disclaimer: The maps are solely for thematic presentation.

चित्र 7 बिहार का भूकंप ज़ोन मानचित्र

3.2.1.1 भूकंप क्षमता विश्लेषण:

इमारतों की संरचना एवं संकरी सड़कें, जनसँख्या का घनत्व आदि भूकंप में क्षति की संवेदनशीलता को बढाती है। यही वजह है कि बेगूसराय नगर की सघन आबादी भूकंप के गम्भीर ख़तरे में रह रही है। **बेगूसराय नगर में अवस्थित कर्पूरी स्थान, काली मंदिर, कचहरी चौक, कोर्ट एरिया, ट्रैफ़िक चौक तथा बेगूसराय का मध्य हिस्सा विशेष रूप से भूकंप से होने वाली क्षति के लिए प्रवण है।** इनमें लगभग 1000 घर पुराने और अत्यधिक पुराने हैं जिन्हें भूकंप के दौरान काफ़ी क्षति होने की सम्भावना है।

समुदाय के साथ समूह चर्चा में यह बात स्पष्ट तौर पर निकल कर आयी कि नगरवासी भूकंप की तैयारी को लेकर बिल्कुल अनजान थे और कभी किसी मॉक ड्रिल का हिस्सा नही रहे। सम्भव है कि नगर के कुछ हिस्सों में ऐसी जानकारी दी गयी हो लेकिन व्यापक तौर पर पूरे शहर में भूकंप को लेकर जागरूकता और मॉक ड्रिल किए जाने की आवश्यकता है ।

- BSDMA द्वारा वर्ष 2017 से ही अभियंताओं/ वास्तुविदों/संवेदकों/ निर्माणकर्ताओं/ प्रखंड स्तर राज मिस्त्रियों को भूकंप रोधीनिर्माण एवं रेट्रोफिट्टिंग तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। **वर्तमान में बेगूसराय में पदस्थापित 34 अभियंता और 30 राज मिस्त्री BSDMA द्वारा प्रशिक्षित हैं। बिहार के सभी प्रशिक्षित अभियंताओं और राजमिस्त्रियों की सूची BSDMA की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।**
- **बेगूसराय नगर निगम में कार्यपालक अभियंता वर्तमान में पाँच ज़िला के प्रभार में हैं। सहायक अभियंता का पद रिक्त है और BUIDCO के सहायक अभियंता प्रभार में हैं।**
- **भूकंप सुरक्षा क्लिनिक- बेगूसराय नगर के अंदर एक राजकीय पॉलीटेक्निक बरौनी एवं रामधारी सिंह दिनकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय है जहां भूकंप सुरक्षा क्लिनिक बनाया जा सकता है जिससे ज़िले के लोगों को भूकंपरोधी संरचना के निर्माण में मदद मिलेगी।**

3.2.1.2 आवश्यक भूकंप बचाव उपकरण:

तालिका 7 भूकंप की तैयारी के रूप में उपकरणों की आवश्यकता

क्र०	उपकरण	आवश्यक संख्या
1	कंक्रीट कटर	5
2	स्टील कटर	5
3	वुड कटर	5
4	इमरजेंसी लाइट	20
5	हैंड हेल्ड कटर	5
6	स्प्रेडर्स	5
7	कॉम्बीटूल और मिनी कटर	10
8	लिफ्टिंग किट	50
9	हेड टॉर्च	50
10	हेलमेट और सर्च लाइट	50
11	चमड़ा और रबर हैंड ग्लव्स	100
12	इंसुलेटेड फायरमैन एक्स	30
13	न्यूमेटिक जैक	30
14	कंप्रेसर के साथ एयर सिलेंडर	10
15	श्वास उपकरण सेट	100

3.2.2 बाढ़ एवं जल जमाव:

बेगूसराय के लगभग एक तिहाई वार्डों में जल जमाव एक गम्भीर समस्या है। वार्ड संख्या **4, 5, 6, 17 एवं 18** मानसून के दौरान **बाढ़** से प्रभावित होता है, इसका मुख्य **कारण है कि ये सभी वार्ड बाढ़ सुरक्षा बांध के आंतरिक भाग में अवस्थित** हैं। **वहीं तालिका 6 में दिए गए वार्ड एवं उनके मोहल्ले मानसून के दौरान जल जमाव से अत्यधिक प्रभावित होते हैं** और इस वजह से नगर वासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

तालिका *8 :* बेगूसराय नगर में अत्यधिक जल जमाव वाले मोहल्ले

क्र ०	वार्ड नम्बर	मोहल्ला
बाढ़ प्रभावित वार्ड और मोहल्ले		
1	4	कैलाशपुर (अंशभाग)
2	5	सम्पूर्ण वार्ड
3	6	मुशहर टोल (अंशभाग)
4	17	पशपुरा (अंशभाग)
5	18	सम्पूर्ण वार्ड
जल जमाव से प्रभावित वार्ड		
6	22	मिंयाँचक
7	28	लोहिया नगर
8	29	बाघा, दास मोहल्ला, मुस्लिम मोहल्ला
9	32	स्टेशन रोड, तिलक नगर
10	36	अशोक नगर, अशोक नगर पोखरिया
11	37	चित्रगुप्त नगर पोखरिया
12	38	महमदपुर, चाणक्य नगर
13	39	विष्णुपुर
14	40	सर्वोदय नगर, भारद्वाज नगर, MRJD कॉलेज
15	41	पंडित टोला
16	42	राजीव नगर, शर्मा टोला
17	43	सूक्कन टोला, रजक मोहल्ला
18	44	खातोपुर
19	45	वाजितपुर

स्रोत – वार्ड सदस्यों से चर्चा

3.2.2.1 क्षमता विश्लेषण:

बेगूसराय नगर के लिए एक विस्तृत ड्रेनेज योजना का निर्माण किया गया है जिसके अंतर्गत बाढ़ एवं बारिश के पानी को निकालने के लिए पूरे नगर को **62 कैचमेंट एरिया** में विभाजित किया गया है। इन **62 catchment area के पानी के निकास के लिए नालियों का एक विस्तृत map का निर्माण कर outflow बनाते हुए प्रत्येक catchment area के लिए एक-एक water reservoir बनाए जाने के लिए स्थान चिन्हित किया** गया है। इससे संबंधित विस्तृत नक़्शा चित्र 8 में देखा जा सकता है।

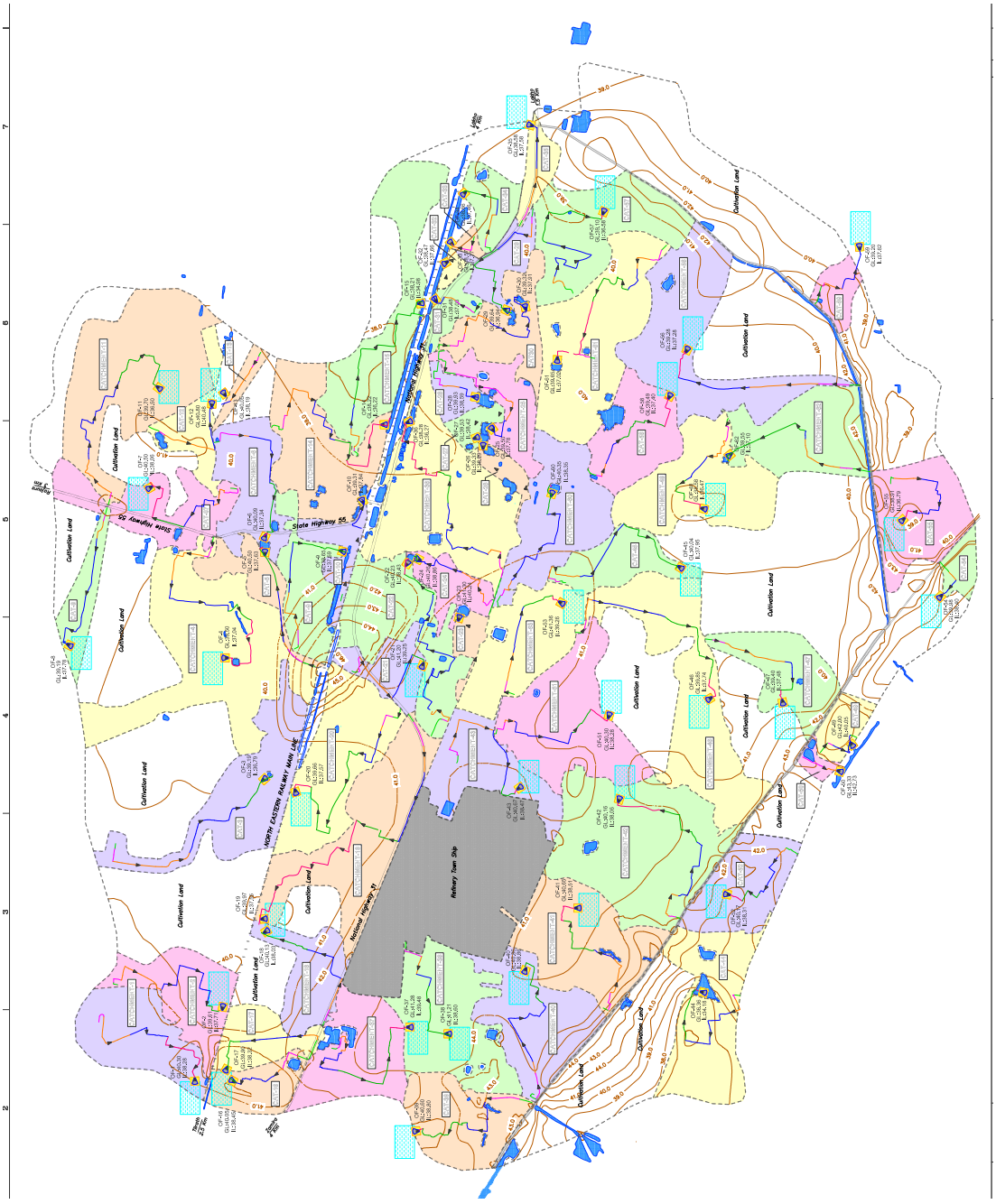

चित्र 8 बेगूसराय नगर के नालों और कैचमेंट का प्रस्तावित मानचित्र

जल जमाव की स्थिति में नगर निगम द्वारा जल निकासी के लिए सम्पिंग की व्यवस्था मोटर पम्प के द्वारा की जाती है। नगर निगम के पास जल जमाव जैसी आपदा से निपटने के लिए अपनी तैयारी भी है। नगर निगम के पास लगभग **दो दर्जन से अधिक शक्तिशाली मोटर** हैं जो जल जमाव की स्थिति में आम नगर वासियों को राहत देने का काम करती हैं।

क्र०	पम्प-सेट	पम्प सेट की क्षमता	फ्यूल / इंधन का प्रकार	संख्या
1	उषा	5 HP	डीजल	09
2	उषा	6.5 HP	डीजल	01
3	किर्लोस्कर	6.5 HP	डीजल	02
4	हौंडा	WP 30 K/5 HP	पेट्रोल	05
5	कोइल मोटर पम्प सेट	3 HP	विद्युत् चालित	06
6	क्राम्पटन मोटर पम्प सेट	3 HP	विद्युत् चालित	04
7	सम्सोनित पम्प सेट	2.5 HP	विद्युत् चालित	01
कुल				**28 अदद**

स्रोत – नगर निगम कार्यालय, बेगूसराय

बेगूसराय नगर का वार्ड संख्या 4, 5, 6, 17 और 18 लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं जिनमे सबसे ज़्यादा नुक़सान कच्चे घरों को होता है। बीते दिनों में सारे मकान पक्के हो गए हैं, इस कारण घर के गिरने की घटनाओं में कमी आयी है।

बाढ़ के दौरान राहत शिविर लगाने हेतु नगर प्रशासन के द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेतों के नज़दीक के छः विद्यालयों यथा वार्ड संख्या 3 में राजकीय विद्यालय, उल्लाव एवं प्राथमिक विद्यालय उल्लाव; वार्ड संख्या 4 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मचहा; वार्ड संख्या 7 में मध्य विद्यालय डूमरी; वार्ड संख्या 8 में मध्य विद्यालय राजापुर; और वार्ड संख्या 17 में मध्य विद्यालय रामदेरी को चिन्हित किया गया है। बाढ़ आने पर नगर प्रशासन द्वारा संबंधित अंचल पदाधिकारी के साथ समन्वय कर इन जगहों पर राहत शिविर लगाए जाते हैं।

3.2.2.2 जल-जमाव एवं बाढ़ बचाव उपकरण :

जल-जमाव एवं बाढ़ जैसी आपदा की प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका उपलब्ध संसाधनों की होती है। नीचे संबंधित उपकरण तथा उनकी आवश्यक संख्या दी गई है जिनके होने से जल-जमाव एवं बाढ़ से निपटने में बेगूसराय नगर को आवश्यक मदद मिल पाएगी। आवश्यक यह भी है कि उपलब्ध संसाधनों की संख्या हमेशा बरकरार रखी जाए तथा समय-समय पर उसकी उपयोगिता की जाँच की जानी चाहिए।

3.2.2.3 आवश्यक उपकरण :

क्र०	उपकरण	आवश्यक संख्या
1	बोरवेल कैमरा/पानी के नीचे खोज करने वाला कैमरा	6
2	इन्फ्लेटेबल बोट (OBM के साथ और OBM के बिना (10 एचपी)	6
3	HRP नावें (OBM के साथ और ओबीएम के बिना (10 एचपी))	5
4	लाइफ बॉय	20
5	लाइफ जैकेट	200
6	गमबूट	5
7	हेलमेट	10

8	स्ट्रेचर	50
9	सुरक्षा गॉगल्स	50
10	चेन पुली ब्लॉक	10
11	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम	50
12	रोप लैडर	10
13	डायमंड सॉ कटर	5
14	सर्च लाइट्स	10
15	हाई-पावर टॉर्च	20
16	हाइड्रोलिक या पेट्रोल से चलने वाला वुड कटर	5
17	एयर सिलेंडर के साथ डाइविंग सूट	20
18	पेट्रोल संचालित कंप्रेसर	10

3.2.3 अगलगी :

बेगूसराय शहर में आग से होने वाली क्षति या नुक़सान आम बात है सामान्यतः **लोगों की अज्ञानता के कारण झुग्गी बस्तियों, भीड़-भाड़ वाले बाज़ारों में आग का ख़तरा काफ़ी बढ़ जाता है। व्यावसायिक अग्निकांड में ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित नियमों का उल्लंघन मुख्य कारण बनता है। बेगूसराय नगर में बहुत सारे कच्चे मकान और झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं और यहाँ शार्ट सर्किट या किसी अन्य लापरवाही से** आग लग जाने पर यह बड़े इलाक़े में फैल जाती है। जब आग बड़ी और बेक़ाबू हो जाती है तो लोगों के साथ-साथ उनके सामानों का आपातकालीन निकास आवश्यक हो जाता है। ऐसा नहीं हो पाने के कारण व्यापक रूप से जीवन क्षति भी देखने को मिलती है।

तालिका 9 : बेगूसराय प्रखंड में हुए अग्निकांड

वर्ष	अग्निकांड की संख्या	मृत्यु (मनुष्य)	मृत्यु (जानवर)
वर्ष 2019	31	उल्लेखनीय है कि इन अग्निकांडों में मानव क्षति नहीं हुई।	उल्लेखनीय है कि इन अग्निकांडों में जानवरों की क्षति नहीं हुई।
वर्ष 2020	20		
वर्ष 2021	26		
वर्ष 2022	13		

स्रोत – ज़िला अग्निशमन विभाग

ज़िला अग्निशमन पदाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2022 में अग्निकांड की संख्या वर्ष 2021 से आधी रही क्योंकि अग्निशमन विभाग के द्वारा अगलगी से बचाव के लिए व्यापक रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया जिसके अंतर्गत अग्नि सुरक्षा रथ, नुक्कड़ नाटक, पैम्फ़लेट वितरण तथा अग्नि से बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया गया। ज़िला अग्निशमन पदाधिकारी के अनुसार अगलगी से प्रभावित स्थल पर घटना के उपरांत अग्नि से सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मॉक ड्रिल कराए जाते हैं। जिसे एक गुड प्रैक्टिस के रूप में देखा जा सकता है।

वार्ड सदस्यों से हुई चर्चा के आधार पर यह निकल कर सामने आया कि वैसे व्यावसायिक क्षेत्र जहां भीड़ ज़्यादा है, मकान आपस में सटे हैं तथा गलियाँ बहुत ही पतली हैं में आग लगने की आशंका सबसे अधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि आग लगने पर ऐसे स्थानों पर अग्निशमन वाहनों का पहुँचना मुश्किल होता है, जिससे नुक़सान व्यापक पैमाने पर होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त नगर में अवस्थित मलिन बस्तियों में शॉर्ट सर्किट तथा खाना बनाने के दौरान और अग्नि के खुले स्रोत से आग लगने की सम्भावना प्रबल रहती है। अगलगी प्रवण वार्ड एवं उनके क्षेत्र नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है:

तालिका 10 :अगलगी से उच्च प्रवण वार्ड और मोहल्ले

क्र ०	वार्ड नम्बर	मोहल्ला
1	21, 22	दास टोला फरगाहा, पश्चिमी मियाँचक, चट्टी रोड से सटे मोहल्ले
2	24	सुभाष नगर, यशपाल नगर, सत्संग मोहल्ला, कुशवाहा मोहल्ला, पासवान मोहल्ला एवं ताँती मोहल्ला
3	28	लोहिया नगर
4	29	मुस्लिम मोहल्ला, वाघा पवारी मोहल्ला, वाघा रघुवर नगर, नोनिया टोला
5	30,31	गाछि टोला, CPI के पीछे मुस्लिम मोहल्ला, तुरहा टोला कंपोज़िट स्कूल के सामने
6	32,33,34	मुंगेरिगंज, हीरालाल चौक से कर्पूरी स्थान, सदर अस्पताल से नौरंग पूल तक, चट्टी रोड के समीप मोहल्ला, तुरहा टोली, महापत्र टोला, मियाँचक एवं तखन्ना

ज़िला अग्निशमन पदाधिकारी के अनुसार नीचे दिए गए भवन तथा व्यावसायिक संस्थान भी अगलगी से प्रवण होते हैं:

क्र ०	भवनों/ व्यावसायिक संस्थान	नगर में संख्या

1	सरकारी भवन	23
2	बड़े अस्पताल	46
3	सिनेमा हॉल	2
4	मॉल	8
5	पेट्रोल पम्प	20
6	बैंक	13
7	गैस गोदाम	10

3.2.3.1 क्षमता विश्लेषण:

चर्चा के दौरान यह बात निकल कर सामने आयी कि आमतौर पर उन्हें अग्निकांड से निपटने (पूर्व तैयारी, आपदा का सामना और उससे उबरना) के संबंध में जानकारी नहीं दी गयी है। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से अग्निशमन विभाग एवं ज़िला आपदा प्राधिकरण द्वारा अगलगी को लेकर व्यापक क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम चलाया जाए।

इमारत निर्माण में आमतौर पर वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाए जाते हैं, इसी कारण अगलगी से बचाव कर पाना मुश्किल हो जाता है। आग के कारण आपदा के ज़्यादातर मामलों में भवन निर्माण के डिज़ाइन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त मकानों में आग बुझाने के उपकरण, रेत की बोरी जैसे उपाय सामान्यतः नहीं किए गए होते हैं जो नुक़सान को कई गुना बढ़ा देता है। नगर में किसी भी बड़ी अगलगी से निपटने के लिए अग्निशमन दस्ता तैयार रहता है जो एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत कार्य करता है। इस कार्य के लिए अग्निशमन दस्ता के पास दो तरह के अग्निशमन वाहन हैं और hydrant की भी व्यवस्था की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है:

अग्निशमन वाहन के प्रकार	अग्निशमन वाहन की संख्या	अग्निशमन वाहन की जल क्षमता
वाटर टेंडर	05	4500 लीटर एवं 3500 लीटर
MT वाहन	01	400 लीटर x 03

स्रोत – ज़िला अग्निशमन विभाग

3.2.3.2 नगर में कार्यरत *hydrant* का विवरण:

Hydrant की संख्या	Hydrant का स्थल एवं वार्ड नम्बर	अग्निशमन सेवा कार्यालय से दूरी	पम्प का diameter
03	अग्निशमन कार्यालय	0 कि०मी०	2 इंच
	पी०एच०ई०डी०, बेगूसराय	4 कि०मी०	2 इंच
	रिफाइनरी परिसर	5 कि०मी०	4 इंच

स्रोत – ज़िला अग्निशमन विभाग

नगर में जितने hydrant लगे हैं वह नगर के क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात में कम है। आवश्यकता है कि अग्नि आपदा के सम्भावित क्षेत्र/ वार्ड के आस-पास Hydrant लगाना ज़रूरी है। **बेगूसराय नगर में हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत अग्निशमन वाहनों के लिए जलापूर्ति हेतु एक निश्चित दूरी पर hydrant की व्यवस्था की जानी चाहिए।**

अग्नि आपदा के समय सभी महत्वपूर्ण विभाग मिलकर समन्वय से काम करते हैं। जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, प्र०वि०पदा०, अंचलाधिकारी, स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य एवं जन-

प्रतिनिधियों के समन्वय से अग्निकांड वाले घटना स्थल पर जल्द पहुँचने एवं राहत और बचाव कार्य को गति प्रदान की जाती है।

नगर में ऐसे व्यावसायिक संस्थान एवं प्रतिष्ठान जिनमें आग लगने की सम्भावना हो सकती है उनके fire safety audit का प्रावधान किया गया है जिसे हर वर्ष किया जाता है।

3.2.3.3 बेगूसराय अग्निशामालय के पास उपलब्ध संसाधन:

क्र0	सामानों का नाम	संख्या	कार्यशील (हाँ/ ना)
1	टायर 1020 रिंग के साथ	दो अदद	हाँ
2	टायर 835	चार अदद	हाँ
3	टायर 620	दो अदद	हाँ
4	फोम ड्रम नीला$ फोम ड्रम काला	बाईस डब्बा	हाँ
5	डिलवरी होज मेल $ फिमेल कपलिंग(मेटल)	तेरह अदद	नहीं
6	डिलीवरी होज मेल $ फिमेल कपलिंग (स्टील)	दस अदद	हाँ
7	डिलीवरी होज सिर्फ फिमेल कपलिंग	चार अदद	हाँ
8	डिलीवरी होज सिर्फ मेल कपलिंग	तीन अदद	हाँ
9	फोम ब्रांच $ फोम ब्रांच ठ2	तीन अदद	हाँ
10	हाइडेन्ट पाईप	दो अदद	हाँ
11	घंटी पुराना	चार अदद	हाँ
12	मेल फिमेल सेक्शन कपलिंग	तेईस अदद	हाँ
13	मेल कपलिंग	पाॅच अदद	हाँ
14	सूचना पट्ट	एक अदद	हाँ
15	मेटल स्टेनर	सात अदद	हाँ
16	कलेक्टिंग हेड 2 वेज	पाॅच अदद	हाँ
17	कलेक्टिंग हेड 3 वेज	दो अदद	हाँ
18	डिवाईडींग ब्रीचिंग$ कलेक्टिंग ब्रीचिंग	नौ अदद	हाँ
19	जैक	सात अदद	हाँ
20	मोनीटर ब्रांच	एक अदद	हाँ
21	सेक्शन रींच	ग्यारह अदद	हाँ
22	आयरन टांग बिना हैण्डल का	चार अदद	हाँ
23	उडेन्सा (आरी)	दो अदद	हाँ
24	कुदाल	एक अदद	हाँ
25	सावेल	दो अदद	हाँ
26	ग्रीस गन	एक अदद	नहीं
27	वोल्ट कटर	दो अदद	हाँ
28	सेक्शन एडप्टर	दस अदद	हाँ
29	सेक्शन ब्लैंकप स्टील	एक अदद	हाँ
30	डिलवारी आउटलेट ब्लैंकप (स्टील)	एक अदद	हाँ
31	नोजल ब्रांच गन मेटल का	सात अदद	हाँ

क्र0	सामानों का नाम	संख्या	कार्यशील (हाँ/ ना)
32	हाइडेन्ट की वार	एक अदद	हाँ
33	यूनिवर्सल पैटर्न ब्रांच	तीन अदद	हाँ
34	डिफ्यूजल नोजल	दो अदद	हाँ
35	डिलीवरी होज बिना कप्लिंग के	सत्ताईस अदद	हाँ
36	नोजल स्पेनर (रींच)	तीन अदद	हाँ
37	डबल फिमेल कपलिंग विथ मेल फिटेड	दो अदद	नहीं
38	कपलिंग मेल $ फिमेल	चैदह अदद	हाँ
39	कपलिंग मेल $ फिमेल स्टील	एक अदद	हाँ
40	मेल $ फिमेल कपलिंग	छत्तीस अदद	हाँ
41	एल्युमूनियम नोजल	पाँच अदद	हाँ
42	मेटल नोजल	उन्नीस अदद	हाँ
43	हैण्ड कंट्रोल ब्रांच	तीन अदद	नहीं
44	फा◌ॅग ब्राँच	एक अदद	हाँ
45	हाइडेन्ट हेड	-	हाँ
46	स्ट्रेचर	-	नहीं
47	सी0सी0 पम्प नं0◌ं-58	एक अदद	हाँ
48	छोटा लैडर	छः अदद	हाँ
49	हेक्सा फ्रेम	दो अदद	हाँ
50	टायर लीवर	तीन अदद	हाँ
51	चैन पुली	चार अदद	नहीं
52	साईकिल	एक अदद	नहीं
53	हार्ड सेक्शन होज विथ मेल $ फिमेल कपलिंग	बारह अदद	हाँ
54	सेक्शन होज हरा प्लास्टिक	एक अदद	हाँ
55	सेक्शन होज बिना कपलिंग का 15 फीट	एक अदद	हाँ
56	सेक्शन होज 10 फीट मेल फिमेल कपलिंग के साथ	एक अदद	हाँ
57	हैवी लैडर	एक अदद	हाँ
58	एक्सटेंशन लैडर	तीन अदद	नहीं
59	टायर	दो अदद	हाँ
60	पुराना बैट्री 12 वोल्ट 24 प्लेट	तीन अदद	हाँ
61	पुराना बैट्री 12 वोल्ट 15 प्लेट	चार अदद	हाँ
62	सालवेज सीट	एक अदद	नहीं
63	सालवेज सीट पुराना	एक अदद	हाँ
64	स्टेटिंक टैंक	एक अदद	हाँ
65	त्रिपाल	दो अदद	नहीं
66	हैन्ड सायरन	तीन अदद	हाँ
67	परसुएडर	-	हाँ
68	पाइप रींच	एक अदद	हाँ
69	ग्रीस गन	एक अदद	हाँ

क्र0	सामानों का नाम	संख्या	कार्यशील (हाँ/ ना)
70	व्हील रिंच	तीन अदद	हाँ
71	टांगी बिना हैण्डल का	चार अदद	हाँ
72	फायर रेक बिना हैण्डल का	एक अदद	हाँ
73	रिंग रींच	एक अदद	हाँ
74	सिंलिंग हुक बिना हैण्डल का	तीन अदद	हाँ
75	एक्सटींग्यूसर	दस अदद	नहीं
76	बेलचा	-	हाँ
77	डीजल टंकी पुराना	दो अदद	नहीं

3.2.4 सड़क दुर्घटना

बेगूसराय नगर के बीच से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 31 गुजरती है जो एक अतिव्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस परिप्रेक्ष्य में बेगूसराय नगर सड़क दुर्घटना के लिहाज़ से अत्यधिक प्रवण है। नीचे दी गई तालिका से यह स्पष्ट है कि नगर के अंदर दुर्घटना की संख्या अधिक है जबकि इससे संबंधित मृत्यु अनुपातिक रूप से कम है। औद्योगिक नगर होने के कारण नगर के अंदर भारी वाहनों का आवागमन बहुत ज़्यादा है जिस कारण मुख्य सड़क पर दुर्घटना होने की स्थिति हमेशा बनी रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग के नगर के बीच से गुजरने के कारण सड़क के दोनों ओर व्यावसायिक क्षेत्र विकसित हो चुके हैं जहां अत्यधिक भीड़ बनी रहती है।
बेगूसराय शहर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो गाड़ियों का तय मानक गति से तेज गाड़ी चलना, ट्रैफ़िक के नियमों का सही से पालन नही करना, वन वे सड़क पर उल्टी दिशा में ड्राइविंग करना, जानवरों का मुक्त रूप से रोड पर आना, गाड़ी चलाते समय मल्टी टास्किंग जैसे फ़ोन पर बात करना, आपस में बात करना, खाना और पीना आदि।

तालिका *11 :* बेगूसराय में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का विवरण

बेगूसराय में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं का विवरण				
क्र	**वर्ष**	**मृत्यु**	**घायल**	**कुल दुर्घटना**
1	2021	22	9	31
2	2022	27	34	61

स्रोत – पुलिस उपाधीक्षक- ट्रैफिक, कार्यालय

3.2.4.1 क्षमता विश्लेषण

सड़क दुर्घटना रोकने के लिए परम्परागत तौर पर सरकार के द्वारा क़ानून और जुर्माना का सहारा लिया जाता है। लेकिन इससे सड़क दुर्घटना और उससे होने वाली मौतों में कोई कमी नहीं आ रही है। पुलिस विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं जो लोगों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें सम्भावित दुर्घटना वाले क्षेत्रों की पहचान बहुत ही सराहनीय काम है। ऐसी जगहों पर कुछ साइनेज के साथ-साथ फ़्लैक्स और बैनर भी चेतावनी के लिए लगाए गए हैं।

बेगूसराय नगर के अंदर संभावित 6 Black Spot की पहचान की गई है जिसकी सूची नीचे तालिका 12 में दी गई है। इन जगहों पर दुर्घटना रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर निर्माण और वाहन गति नियंत्रक बोर्ड लगाए गए हैं।

तालिका *12* बेगूसराय में चिन्हित किए गए *Black Spot* का विवरण

क्र.	चिन्हित Black Spot	सुधार के लिए उठाए गए कदम	लोगों को जागरूक करने के लिए संचार सामग्री	नज़दीकी ट्रॉमा सेंटर का नाम
01	टाउन पुलिस स्टेशन निगम एरिया, BP स्कूल के समीप, एन०एच०-31	- स्पीड ब्रेकर निर्माण - वाहन गति नियंत्रक बोर्ड - सड़क दुर्घटना से संबंधित ब्लैक स्पॉट निर्धारण - जन-जागरूकता आदि	- प्रचार प्रसार; हैण्ड बिल/ पोस्टर आदि - जन-जागरूकता - नुकड़ नाटक - जागरूकता रैली - समन्वय बैठक आदि	-अलेरिया अस्पताल -ग्लोकल हॉस्पिटल -एम्.एन.सी. ट्रामा & ओर्थपेडीक सेंटर -अवध मेमोरियल हॉस्पिटल
02	चांदनी चौक, बिहट रेलवे क्रासिंग के बीच एन०एच०-31			
03	हर हर महादेव चौक एन०एच०-31			
04	खमहर एस०एच०-55			
05	हर्दिया एस०एच०-55			
06	रजौड़ा एस०एच०-55			

उपरोक्त के अतिरिक्त वार्ड संख्या 2, 12, 13, 23, 24, 30, 36, 38 और 43, NH से लगे होने के कारण, इन वार्डों में सड़क दुर्घटना आए दिन होती रहती हैं।

बेगूसराय नगर में नियमित रूप से प्रत्येक 03 माह पर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला पदाधिकारी–सह-अध्यक्ष, बेगूसराय की अध्यक्षता में की जाती है, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी भाग लेते हैं :

- पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय
- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर
- नगर आयुक्त, बेगूसराय
- सिविल सर्जन, बेगूसराय
- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर बेगूसराय
- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेगूसराय
- कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण अनुमंडल, बेगूसराय
- जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय
- पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, बेगूसराय
- पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, बेगूसराय
- प्रमंडलीय प्रबंधक, पथ परिवहन निगम, मुंगेर
- मोटरयान निरीक्षक, बेगूसराय
- स्थानीय अभियंता, एन०एच०ए०आई०
- अध्यक्ष, परिवहन महासंघ, बेगूसराय
- सचिव, परिवहन महासंघ, बेगूसराय

3.2.5 औद्योगिक ख़तरे

बिहार का प्रमुख औद्योगिक शहर होने के नाते औद्योगिक दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। **तेल रेफ़ाइनरी, थर्मल पावर, उर्वरक कारख़ाना जैसे बड़े उद्योग हालाँकि नगर निगम क्षेत्र से बाहर अवस्थित हैं परंतु इन बड़े उद्योगों में घटित किसी भी दुर्घटना का असर बड़े क्षेत्र में पड़ेगा जिसके अंतर्गत नगर निगम परिक्षेत्र भी आ सकता है। ऐसी किसी भी दुर्घटना के पश्चात उद्योगों से निकलने वाली ख़तरनाक एवं ज़हरीली गैसें हवा के साथ-साथ एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इन उद्योगों में उत्पादित सामानों का परिवहन बड़े व्यावसायिक वाहनों के द्वारा किया जाता है उनके भी दुर्घटनाग्रस्त होने पर रासायनिक ख़तरों से आम जनता प्रभावित हो सकती है।**

इन सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अपने कर्मचारियों और आस-पास की आबादी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मानक संचालन प्रक्रिया बनी हुई है। लेकिन इन सुरक्षा प्रावधानों की जानकारी आम लोगों को, विशेषकर उसके आस-पास रहने वाले लोगों को, बिलकुल नहीं है जबकि इसकी जानकारी आमलोगों को होना बहुत ही आवश्यक है। बेगूसराय नगर एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में अवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सूची नीचे तालिका में दी गयी है।

तालिका 13: बेगूसराय में अवस्थित मुख्य उद्योगों की सूची

उद्योग का नाम
The Asiatic Oxygen & Acetylene Co. Ltd., Fulwariya, Barauni, Begusarai
Barauni Thermal Power Station, PO, BTPS, Begusarai
Hindustan Urvarak & Rasayan Ltd, Barauni, Begusarai
I.O.C.L. Barauni Refinery, PO- B.O. Refinery, Begusarai
I.O.C.L. Barauni Pump station, (Barauni- Kanpur Line, PO- Barauni oil refinery, Begusarai)
Kumar Ferrocast (I) Pvt. Ltd., 33, B.I.A., Tilrath, Begusarai
Electro Carbons Pvt Ltd., (I) Pvt. Ltd., B. Ind. Area, Tilrath, Begusarai
Neo Carbon Hazipur Pokhar, Pipra Devas, Begusarai
Bihar Carbons Pvt. Ltd. Hazipur Pokhar, Pipradevash, Begusarai
IOCL (M.D.), Marketing Terminal, PO.- B.O.R., Begusarai
Graphite India Ltd, NH- 28, Fulwariya, Barauni, Begusarai
Jai Mangala Steels Pvt. Ltd., NH- 28, Fulwariya, Begusarai
Mahavir Petro Products Pvt Ltd, B. Ind. Area, Begusarai
Shyma Foundary Works, B. Ind. Area, Tilrath, Begusarai
Hindustan Petroleum, Cor. Ltd., POL Depot., Barauni Terminal, At & PO.- Papraur, Distt.- Begusarai
Carbon Resources Pvt. Ltd. Unit II, B. Ind. Area, Begusarai
Bharat Petroleum Corporation Ltd, Barouni, Top, At & PO.- Papraur, Distt.- Begusarai
Premier Industries, B. Ind. Area, Tilrath, Begusarai
LPG Bottling Plant, PO. B. Oil Refinery, Begusari
Bala Ji Foundary, NH- 28, Phulwariya, PO, Barauni, Begusarai
Durga Chemical Industries, B. Ind. Area, Begusarai
Sristi Lube (I) Pvt. Ltd,, At NH- 28, Bagrahadih, PO.- Barauni, Begusarai

उद्योग का नाम
Barauni Pump station, Oil India Ltd, At- Harpur, PO. Barauni Oil Refinery, Begesarai
Universal Hydra Carbons Co. Ltd., B. Ind., Area, Begusarai
IOCL, Haldia- Barauni Crude Pipeline, Barauni Terminal Station, PO—Brauni Oil Refinery, Begusrai
Kaniska Carbons Pvt Ltd. Ltd., NH- 31- Papraur, Begusarai
Om Chemical Industries, Barauni Industrial Area

उद्योगों के कारण होने वाले रासायनिक ख़तरों के सम्पर्क में आने वाले वार्ड निम्नवत हैं।

वार्ड संख्या	जोखिम प्रवणता
3, 4, 8, 9, 14, 15 और 16	उच्च जोखिम
10, 12 और 13	मध्यम जोखिम

उपरोक्त वार्ड में इन उद्योगों में दुर्घटना के पश्चात आँख या त्वचा में संक्रमण तथा श्वसन सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसका मुख्य कारण दुर्घटना के पश्चात उद्योगों से निकलने वाला **गैस, flying particles, तरल रसायन, वाष्प, धूल, धुआँ** इत्यादि हैं जो हवा के बहाव के साथ आस-पास के क्षेत्रों में फैल जाता है। हालाँकि इन ख़तरों से किसी तरह की बीमारी या मौत के आँकड़े मौजूद नहीं हैं परंतु इसका बेगूसराय नगर की वायु गुणवत्ता पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

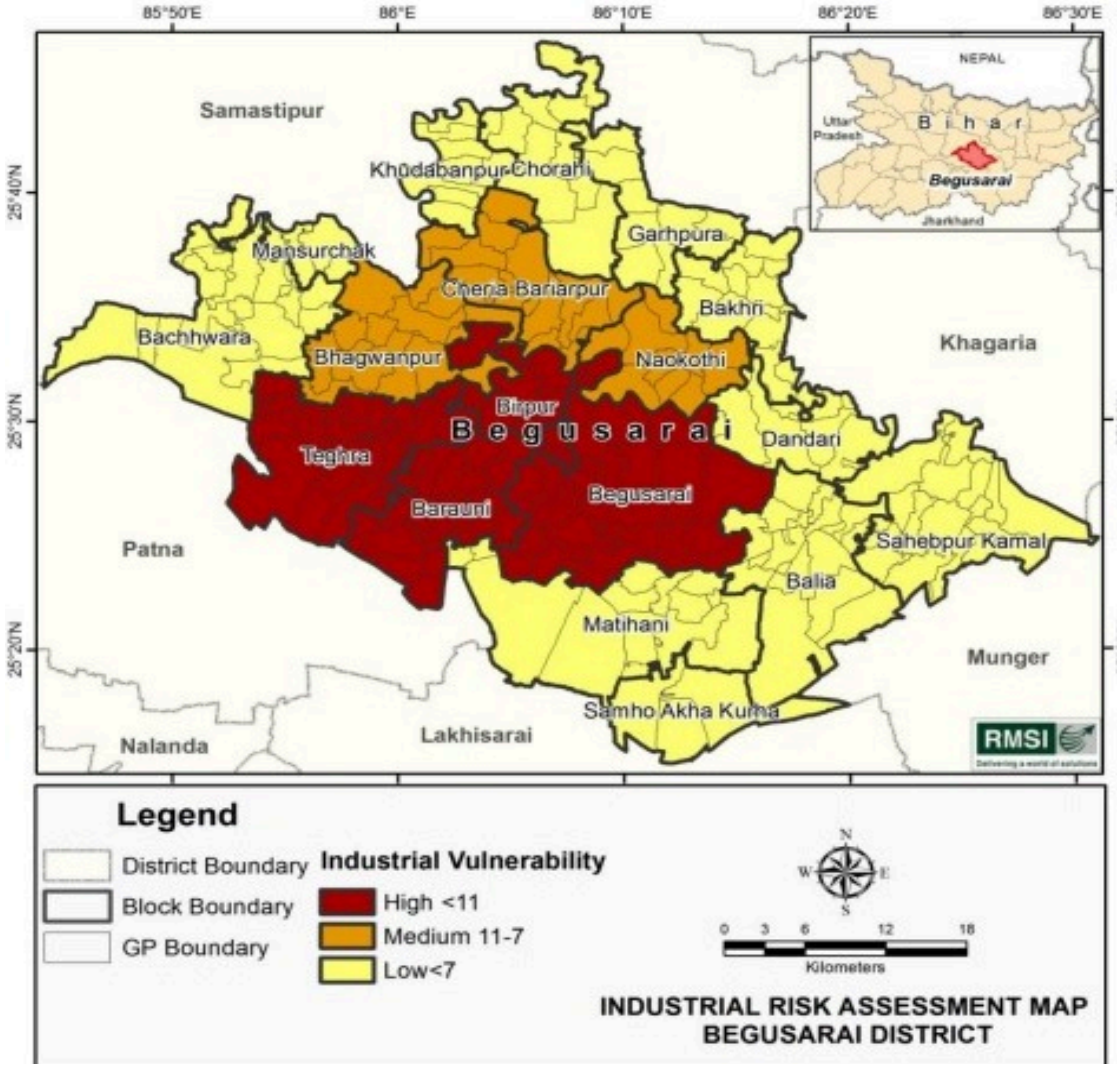

चित्र 9 बेगूसराय नगर की औद्योगिक ख़तरे से प्रवणता

3.2.5.1 क्षमता विश्लेषण :

किसी भी औद्योगिक ख़तरा के संदर्भ में ऑन साइट एवं ऑफ़ साइट प्लान महत्वपूर्ण हैं। ऑन साइट प्लान फ़ैक्टरी के अंदर के लिए होता है जिसका अनुपालन करना फ़ैक्टरी प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि ऑफ़ साइट प्लान फ़ैक्टरी के परिक्षेत्र के बाहर आवश्यक सुरक्षा के लिए होता है। ऑफ़ साइट प्लान में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परंतु ऑफ़ साइट प्लान को ऑन साइट प्लान से अलग कर के नहीं देखा जा सकता दोनों में समन्वय होना आवश्यक है।

3.2.6 तेज आँधी तूफ़ान

तेज आंधी या चक्रवात कम वायुमण्डलीय दबाव का एक क्षेत्र होता है जो उच्च वायुमण्डलीय दबाव से घिरा होता है। बेगूसराय में आने वाले चक्रवात की प्रकृति सामान्य से तेज भी होती है। **BMTPC के अनुसार बेगूसराय "High Damage Risk Zone" में आता है। जहां तेज हवा की गति 169.2 km/h (47 m/s) तक हो सकती है। आमतौर पर मार्च और जून के महीने में तेज हवायें (5-28 km/h की गति तक) चलती हैं।** बेगूसराय नगर के बहुत सारे मकान अर्ध-पक्का संरचना/ झुग्गी झोपड़ी के रूप में है। ऐसे मकान काफ़ी तेज हवा और बारिश में नहीं टिक पाते हैं और कई बार इससे जान और माल का भी नुक़सान होता है। बेगूसराय नगर पर बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का भी असर होता है। **वर्ष 2021 में आए गुलाब और यस, वर्ष 2020 में अमफान तथा 2019 में फेनी चक्रवात प्रमुख रहे हैं।** इस दौरान सामान्य तौर पर तेज आंधी तूफ़ान के साथ तेज बारिश भी देखने को मिली है और नगर में जल जमाव भी हो जाता है। इसके साथ-साथ कई बड़े पेड़ गिर जाते हैं और कई बार बिजली आपूर्ति भी बाधित हो जाती है। इस दौरान सबसे ज़्यादा नुक़सान कच्चे घरों को होता है।

3.2.6.1 तेज हवा के दौरान होने वाली क्षति के प्रकार

सपाट वस्तुएं यदि ठीक से बंधे न हों तो तेज हवा के pressure and suction प्रभाव के कारण उड़ सकते हैं। तालिका 14 हवा की कुछ गतियों के एयरोफिल प्रभावों को दर्शाती है। हवा के मार्ग में बाधा डालने वाले तत्वों पर काम करने वाले हवा के दबावों/सक्शन के परिणामस्वरूप उच्च हवा की गति के दौरान आमतौर पर निम्न प्रकार की क्षति देखी जाती है।

1. पेड़ों का गिरना जो परिवहन और राहत कार्य को बाधित करते हैं।
2. साइन पोस्ट, बिजली के खंभे और ट्रांसमिशन लाइन टावर जैसी कई कैंटिलीवर संरचनाओं में खराबी;
3. अनुचित रूप से संलग्न खिड़कियों या खिड़की के फ्रेम को नुकसान;
4. छत के प्रोजेक्शन, छज्जों और सनशेड को नुकसान
5. अनुचित रूप से निर्मित पैरापेट की विफलता,
6. परिसर की दीवारों का गिरना ;
7. कमजोर रूप से निर्मित दीवारों का गिरना और परिणामस्वरूप छतों का गिरना ;
8. आंतरिक और बाहरी दबावों के संयोजन के कारण हल्के वजन की छत के आवरण और लंबी/लंबी दीवारों वाली बड़ी औद्योगिक इमारतों को नुक़सान ;

9. झुग्गी-झोपड़ियों को नुक़सान

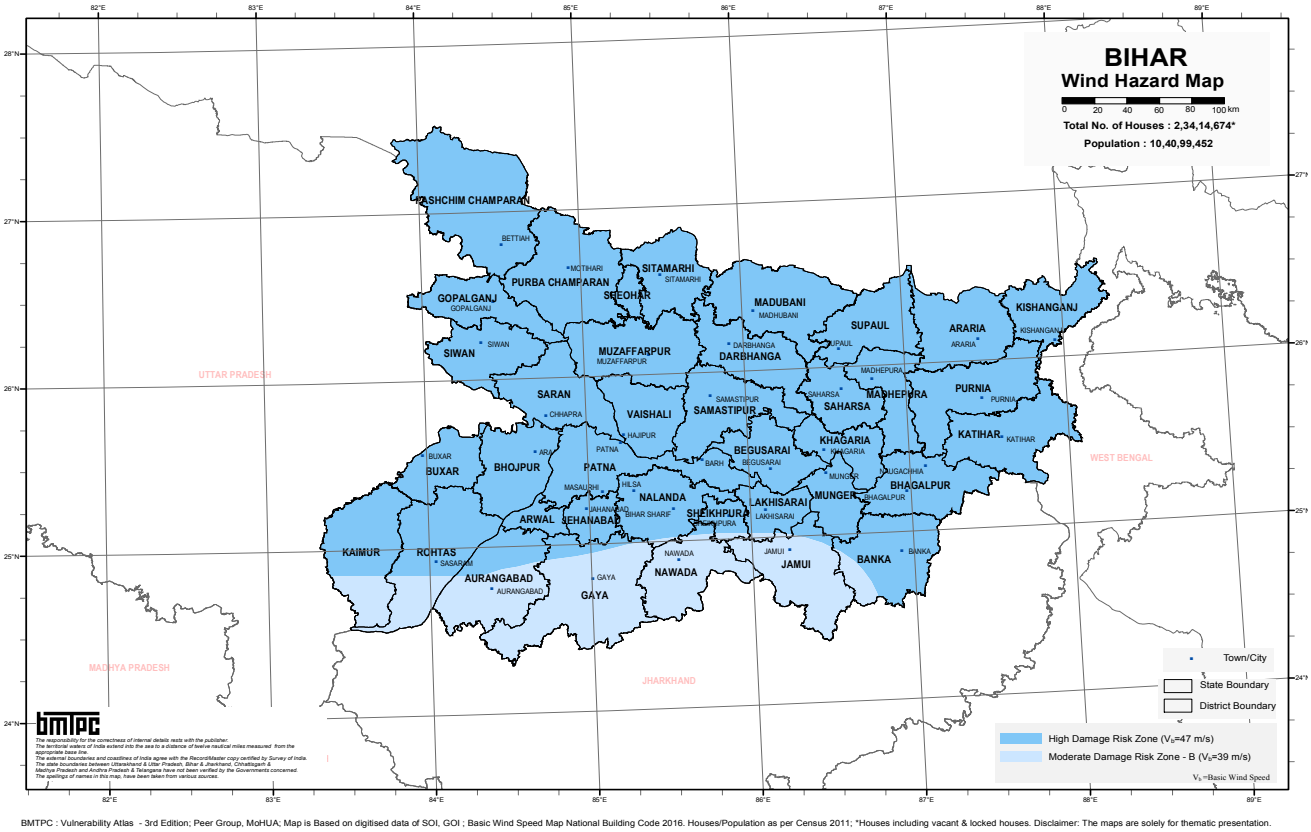

BMTPC : Vulnerability Atlas - 3rd Edition; Peer Group, MoHUA; Map is Based on digitised data of SOI, GOI ; Basic Wind Speed Map National Building Code 2016. Houses/Population as per Census 2011; *Houses including vacant & locked houses. Disclaimer: The maps are solely for thematic presentation.

चित्र *10* : बिहार राज्य का तेज आंधी तूफ़ान मानचित्र

3.2.6.2 तेज हवा का एरोफ़िल प्रभाव

तालिका *14* : तेज हवा का एरोफ़िल प्रभाव

Wind Speed m/sec	Typical Movement
5-10	Loose aluminium sheets fly
10-15	Loose galvanised iron sheets fly
15-20	Loose fibre cement sheets fly
25-30	Loose concrete and clay tiles fly
30-35	Roof sheets fixed to battens fly
35-40	Small aircrafts take off speed
40-45	Roof tiles nailed to battens fly
45-50	Garden walls blow over
50-55	Unreinforced brick walls fail
55-60	Major damage from flying debris
60-65	75 mm thick concrete slabs fly
65-70	100 mm thick concrete slabs fly
70-75	120 mm thick concrete slabs fly
75-80	150 mm thick concrete slabs fly

3.2.6.3 क्षमता विश्लेषण

बेगूसराय नगर के अंदर तेज आंधी के दौरान सड़कों पर पेड़ एवं बिजली के पोल के गिरने की सम्भावना रहती है जिससे यातायात एवं आवागमन बाधित होता है। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम वन विभाग एवं विद्युत विभाग के साथ समन्वय कर समस्या का तत्काल समाधान करता है। यातायात बाधित होने की स्थिति में नगर निगम तत्काल ही संबंधित क्षेत्र के थाना अध्यक्ष तथा ट्रैफ़िक थाना के सहयोग से यातायात नियंत्रण का कार्य अथवा यातायात डायवर्ट करने का कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि नगर के अंदर 8000 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट हैं, जिसका समय समय पर अवलोकन एवं निरीक्षण कर उनके गिरने की सम्भावना को कम किया जाता है।

3.2.7 गर्म हवा / लू :

गर्म हवा / लू एक प्राकृतिक आपदा है जो मौसम से संबंधित है और सामान्यतः अप्रैल – जून माह के बीच घटित होता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग गर्म हवाएँ/लू को एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्गीकृत करता है, जब तापमान सामान्य से 4.5-6.4 डिग्री ज्यादा हो। मैदानी क्षेत्रों के लिये गर्म हवाएँ/लू की स्थिति तब मानी जाती है, जब अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री से अधिक हो। गर्म हवाएँ/लू एक वायुमंडलीय स्थिति है, जिसमें शारीरिक क्रियाओं में तनाव उत्पन्न होता है, जो कभी-कभी जान लेवा हो सकता है। गर्म हवाएँ/लू को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें अधिकतम तापमान लगातार दो दिनों अथवा उससे अधिक दिनों तक सामान्य तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता हो। (स्रोत – बिहार हीट एक्शन प्लान)

मौसम संबंधी चरम स्थितियां, यथा गर्म हवाएँ/लू, बाढ़, सुखाड़, चक्रवाती तूफान आदि जैसी आवर्ती घटनाएं राज्य के 45 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। बिहार गर्मी के मौसम में भीषण गर्म हवाएँ/लू की स्थितियों से जूझता रहा है, जो कालांतर में और भी तीव्र होता रहा है। बिहार में आवर्ती रूप से तापमान प्रत्येक वर्ष बढता रहा है। केवल कुछ दिनों के लिये कतिपय जगहों (राजधानी पटना सहित) पारा रूक रूक कर नीचे आता है। (जैसा कि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा परिभाषित है)

3.2.7.1 गर्म हवाएँ/लू की स्थितियों के उत्पन्न होने से संबंधित मापदंड

यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो तो गर्म हवाएँ/लू की स्थिति मानी जाती है।

1. सामान्य तापमान से विचलन पर आधारित

क. गर्म हवाएं - सामान्य से 4.5 डिग्री से0ग्रे0 से 6.4 डिग्री से0ग्र0

ख. गंभीर/प्रचंड गर्म हवाएं - यदि सामान्य से 6.4 डिग्री से0ग्रे0 से ज्यादा हो

2. वास्तविक अधिकतम तापमान पर आधारित

क. गर्म हवाएं - जब वास्तविक अधिकतम तापमान >_ 45 डिग्री से0ग्रे0

ख. गंभीर/प्रचंड हवाएं - जब वास्तविक अधिकतम तापमान >_ 47 डिग्री से0ग्रे0

ऊपर दिए गए मापदंडों को सन्दर्भ में रखते हुए तथा बेगूसराय नगर के पिछले आठ वर्षों के आंकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि यहाँ गर्म हवाएँ/लू का प्रकोप बहुत ज्यादा नहीं है। हांलांकि अप्रैल-मई माह में तापमान बहुत बढ़ता है और गर्मी बहुत रहती है और लू की स्थिति बनती है।

तालिका *15* बेगूसराय नगर के पिछले 8 वर्षों का औसत एवं अधिकतम तापमान

बेगूसराय नगर के पिछले 8 वर्षों का औसत एवं अधिकतम तापमान			
वर्ष	माह	औसत सामान्य तापमान	अधिकतम
2022	अप्रैल	37	44
2021	अप्रैल	39	43
2020	मई	37	40

2019	मई	39	43
2018	जून	38	40
2017	मई	38	41
2016	अप्रैल	38	42
2015	मई	39	42

3.2.7.2 बिहार में गर्म हवाएँ/लू के प्रति भेद्यता मानचित्रण

गर्म हवाएँ/लू की भेद्यता के परिप्रेक्ष्य में, भौगोलिक परिवर्तनशीलता का आकलन, उपयुक्त अनुकूलन रणनीति के आधार है। भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान, गांधीनगर गुजरात तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थानों (Centre for Research and Development Agency) के एशिया पैसिफीक नीति के तहत वित्त पोषित) के संयुक्त अध्ययन ने भारत के सभी 640 जिलों के लिये गर्म हवाएँ/लू भेद्यता सूची (Heat Vulnerability Index) तैयार किया है, जो उन जिलो के जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक तथा पर्यावरणीय भेद्यता के कारकों पर आधारित है। यह (भेद्यता मानचित्रण) जिला स्तरीय वर्ष 2011 के जनगणना, स्वास्थ्य प्रतिवेदन तथा उपग्रहीय सुदूर संवेदी आंकड़ों पर संयुक्त रूप से आधारित है। बेगूसराय नगर गर्म हवाएं और लू भेद्यता सूची में अधिक सामान्य श्रेणी 3 में आता है और इसकी ताप भेद्यता सूचकांक 1.97 है. इसका अर्थ ही कि यहाँ का अधिकतम तापमान औसत तापमान के आस-पास रहता है।

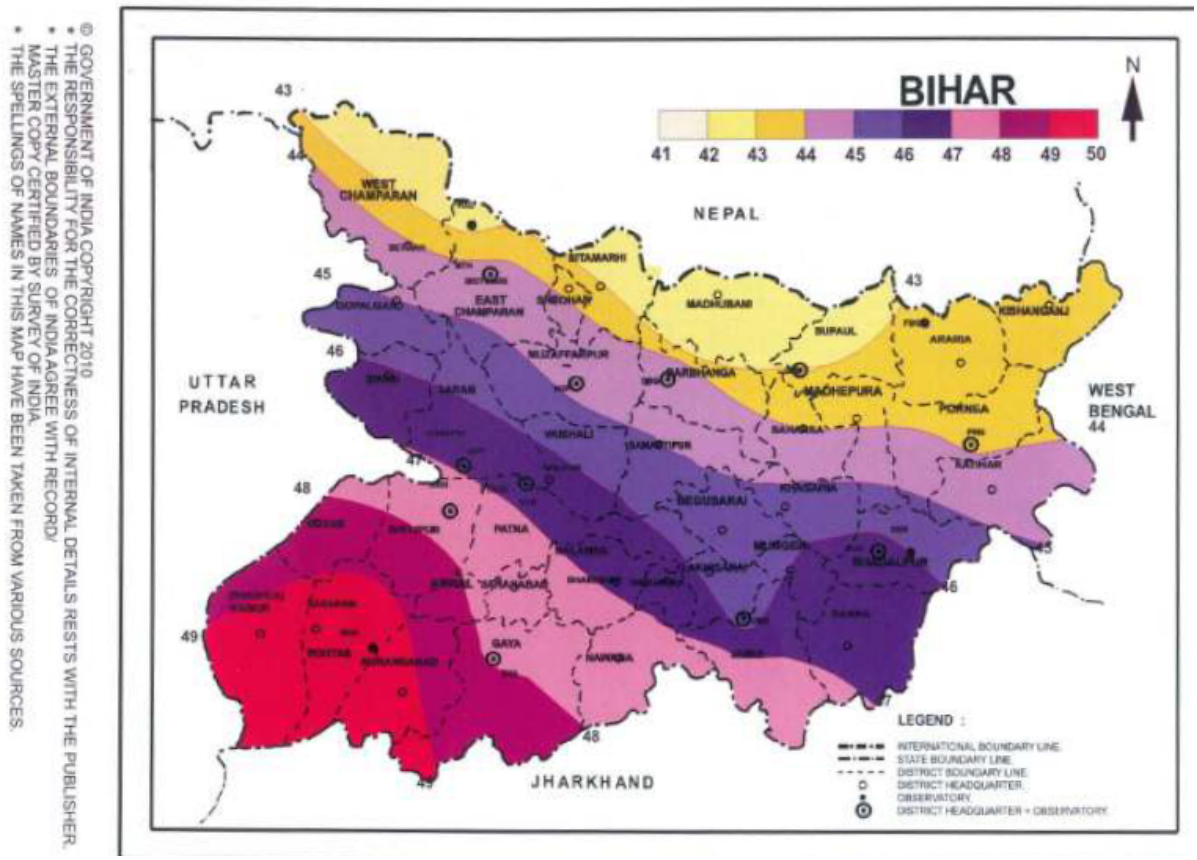

चित्र *11* दर्ज किये गए अधिकतम तापमान

बिहार के सभी जिलों के लिए गर्म हवाएँ भेद्यता सूचकांक श्रेणी बिहार के नक़्शे में निम्न रूप से दर्शाया गया है –

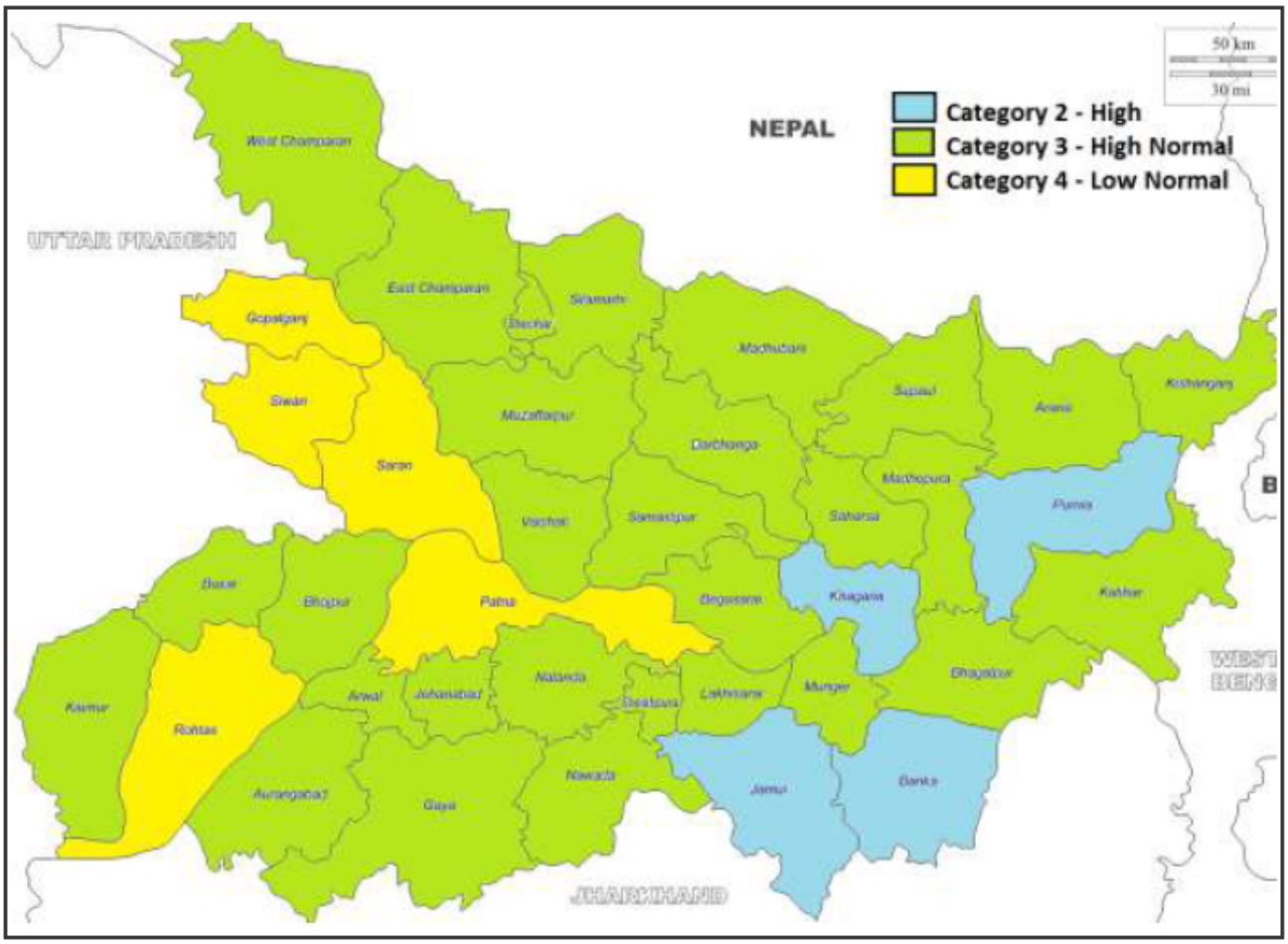

चित्र 12 गर्म हवाएँ भेद्यता सूचकांक (स्रोत – बिहार हीट एक्शन प्लान)

इस आपदा से निपटने के लिए इससे बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। आम लोगों तक इस संदेश को पहुँचाने के लिए प्राधिकरण की तरफ़ से समय-समय पर मुख्य रूप से समाचार पत्रों में एडवाईजरी छापी जाती है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हीट वेव से संबंधित मार्गदर्शिका भी बनायी गयी है जिसका अनुपालन जिले में किया जाना जरुरी है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बिहार सरकार

आपदाओं से रक्षा हेतु मानो एक सुझाव। बेहतर पूर्व तैयारी से ही होता है बचाव।।

गर्म हवाएं/लू

हमारे राज्य में गर्मी के महीनों में गर्म हवाएँ एवं लू चलती हैं जिनका प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है जो कभी-कभी तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस संबंध में नीचे दिये गये उपायों का पालन कर के गर्म हवाओं/लू के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है।

गर्म हवाएं/लू से सुरक्षा के उपाय

क्या करें :-

- जितनी बार हो सके पानी पीयें, बार–बार पानी पीयें। सफर में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें।
- जब भी बाहर धूप में जायें यथा संभव हल्के रंग के, ढीले ढाले एवं सूती कपड़े पहने। धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। गमछे या टोपी से अपने सिर को ढकें व हमेशा जूता या चप्पल पहनें।
- हल्का भोजन करें, अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल जैसे– तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, संतरा आदि का अधिकाधिक सेवन करें।
- घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नमक–चीनी का घोल, छाछ, नींबू–पानी, आम का पन्ना इत्यादि का नियमित सेवन करें।
- अपने दैनिक भोजन में कच्चा प्याज, सत्तू, पुदीना, सौंफ तथा खस को भी शामिल करें।
- जानवरों को छाँव में रखें एवं उन्हें भी खूब पानी पीने को दें।
- रात में घर में ताजी और ठंडी हवा आने की व्यवस्था रखें।
- स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान और आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में विभिन्न विश्वसनीय सूत्रों से लगातार जानकारियां लेते रहें।
- अगर तबीयत ठीक न लगे या चक्कर आये तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

लू लगने पर क्या करें:

- लू लगे व्यक्ति को छाँव में लिटा दें। अगर उनके शरीर पर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- लू लगे व्यक्ति का शरीर ठंडे गीले कपड़े से पोछें या ठंडे पानी से नहलायें।
- उसके शरीर के तापमान को कम करने के लिए कूलर, पंखे आदि का प्रयोग करें।
- उसके गर्दन, पेट एवं सिर पर बार–बार गीला तथा ठंडा कपड़ा रखें।
- उस व्यक्ति को ओ0आर0एस0/नींबू – पानी, नमक–चीनी का घोल, छाछ या शर्बत पीने को दें, जो शरीर में जल की मात्रा को बढ़ा सके।
- लू लगे व्यक्ति की हालत में यदि एक घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में ले जायें।

क्या न करें :-

- जहाँ तक संभव हो कड़ी धूप में बाहर न निकलें।
- अधिक तापमान में बहुत अधिक शारीरिक श्रम न करें।
- चाय, कॉफी जैसे– गर्म पेय तथा जर्दा तंबाकू आदि मादक पदार्थों का सेवन कम से कम अथवा न करें।
- ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन जैसे – मांस, अंडा व सूखे मेवे, जो शारीरिक ताप को बढ़ाते हैं, का सेवन कम करें अथवा न करें।
- यदि व्यक्ति गर्मीया लू के कारण उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने–पीने को न दें।
- बच्चों को बंद वाहनों में अकेला न छोड़ें।

चित्र *13 BSDMA* द्वारा लू / गर्मी के लिए जारी की गयी एडवाईजारी

3.2.8 शीत लहर

शीतलहर एक प्राकृतिक आपदा है जो मौसम संबंधी चरम स्थितियां हैं और सामान्यतः दिसंबर के आखिरी सप्ताह से जनवरी माह के मध्य तक घटित होता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग शीतलहर को एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्गीकृत करता है, जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे हो और लगातार 2 दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान हो। शीतलहर एक वायुमंडलीय स्थिति है, जिसमें शारीरिक क्रियाओं में तनाव उत्पन्न होता है, जो कभी-कभी जानलेवा हो सकता है। शीतलहर के कारण सामान्य जन-जीवन और उसके विभिन्न क्रियाकलाप प्रभावित हो जाते हैं। सबसे विकट प्रभाव बेघर लोगों, बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ता है.

बेगूसराय नगर में शीतलहर की स्थिति सामान्यतः नहीं होती है परन्तु वर्ष का न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है. बेगूसराय नगर में पिछले 8 वर्षों का न्यूनतम तापमान जनवरी माह में दर्ज किया गया है –

तालिका *16* बेगूसराय नगर के पिछले 8 वर्षों का औसत एवं न्यूनतम तापमान

क्र.	वर्ष	माह	औसत सामान्य तापमान	न्यूनतम
1	2022	जनवरी	19	12
2	2021	जनवरी	22	15
3	2020	जनवरी	20	15
4	2019	जनवरी	21	15
5	2018	जनवरी	20	14
6	2017	जनवरी	21	14
7	2016	जनवरी	22	15
8	2015	जनवरी	21	14

शीतलहर व पाला की स्थिति में प्रभावित लोगों को राज्य/राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष से सहायता प्रदान की जाती है। राज्य के किसी जिले को शीतलहर या पाला से प्रभावित मानने के लिए मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्गत तापमान आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। रबी या खरीफ फसल के 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक की क्षति होने पर अनुदान देय होता है। इससे पहले केन्द्रीय टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करके आकलन किया जाता है। इसी तरह किसी क्षेत्र में यदि तापमान शून्य डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए और यह रबी/खरीफ फसल के मौसम में उस क्षेत्र विशेष के लिए असामान्य स्थिति हो, तब उस क्षेत्र को पाला प्रभावित माना जाएगा। आम लोगों तक इस संदेश को पहुँचाने के लिए प्राधिकरण की तरफ़ से समय-समय पर मुख्य रूप से समाचार पत्रों में एडवाईजरी छापी जाती है।

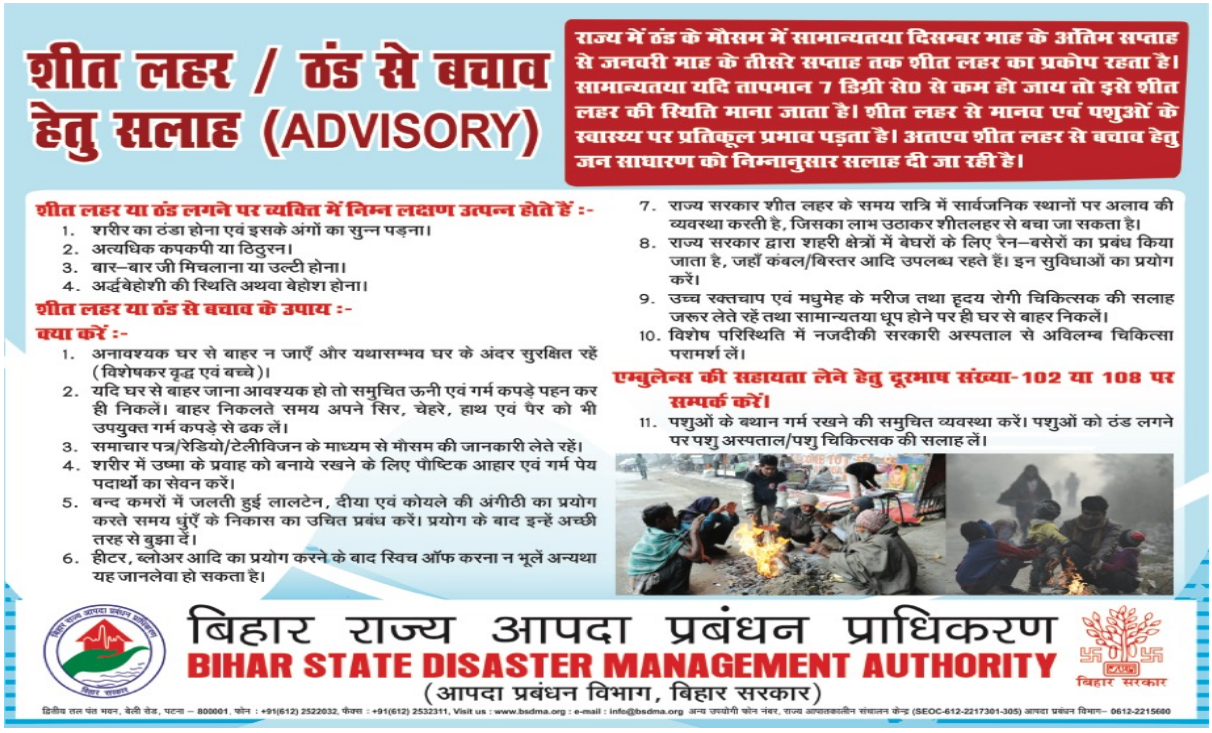

चित्र 14 : *BSDMA* द्वारा शीत लहर के लिए जारी की गयी एडवाईजारी

नगर निगम के द्वारा शीतलहर के दौरान पूर्व के वर्षों में निम्न कार्य किए गए हैं –

- शीतलहर के प्रभाव से बचने के लिए बेगूसराय नगर के निःसहाय और बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थल या रैनबसेरा का निर्माण किया जाता रहा है.
- ठंड के मौसम में नगर के अन्दर जगह-जगह अलाव की व्यवस्था की जाती रही है।
- वार्डवार कंबल की भी व्यवस्था स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यावसायिक संघों तथा अन्य के सहयोग से की जाती रही है।

3.2.9 अन्य ख़तरे

नाव दुर्घटना : बेगूसराय नगर में इन आपदाओं के अलावे कुछ और ऐसी परिस्थितियाँ भी बनती है जिनसे आम नागरिकों के ऊपर ख़तरा और बढ़ जाता है और ये जीवन और सम्पत्ति के नुक़सान का कारण बनता है। नदियों से घिरा होने के कारण दियर क्षेत्रों से नाव आवागमन का मुख्य साधन है। असुरक्षित नाव, क्षमता से अधिक लोगों का नाव में बैठना, इंसान और वाहनों को एक साथ ले जाना और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए मानकों का पालन न करने के कारण कई बार नाव पलटने जैसी घटना हो जाती है।

तालिका 17: वर्ष वार नाव दुर्घटना से होने वाली मृत्यु

क्र0	वर्ष	मृत्यु
1	2012	5
2	2013	24
3	2014	23
4	2015	0
5	2016	3
6	2017	4
7	2018	0
8	2019	1
9	2020	0
10	2021	2

3.2.9.1 आवारा पशु और ज़हरीले साँप और बिच्छू दंश :

इसके आलावे आवारा पशु और ज़हरीले साँप और बिच्छू दंश के कई मामले भी आते रहते हैं। नगर के सरकारी अस्पतालों में Anti Rabbies Vaccine और Antidots की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है ताकि किसी भी सम्भावित ख़तरे की स्थिति में इनका उपयोग किया जा सकता है ।

3.2.9.2 वायु प्रदूषण:

तीव्र शहरीकरण के कारण वन और हरित क्षेत्रों में लगातार कमी आयी है जिससे वायु प्रदूषण उतरोत्तर बढ़ता जा रहा है और यह वृद्धि शहर के पर्यावरण के लिए अनुपयुक्त है। नगर के क़रीब अनेकों बड़े उद्योग होने के कारण तथा इससे जुड़े वाहनों की अत्यधिक संख्या और पर्यावरणीय मानकों का ध्यान नहीं दिए जाने के कारण ज़हरीले गैसों के उत्सर्जन से स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। **दिसम्बर और जनवरी माह में वायु प्रदूषण के स्तर में काफ़ी वृद्धि हो जाती है क्योंकि ठंडी हवा सघन होती है और गर्म हवा की तुलना में धीमी गति से चलती है। अधिक घनत्व के कारण वायु प्रदूषक ठंडी हवा में देर तक बने रहते हैं और इसलिए गर्मियों की तुलना में वायु प्रदूषण की दर अधिक होती है। इसका एक और कारण यह भी है कि सर्दियों के दौरान बहुत सारी प्रदूषणकारी गतिविधियां बढ़ जाती हैं जैसे अपने घरों को गर्म करने के लिए बायोमास को जलाना, फसल के पश्चात बचे हुए ठूंठ को जलाना आदि।**

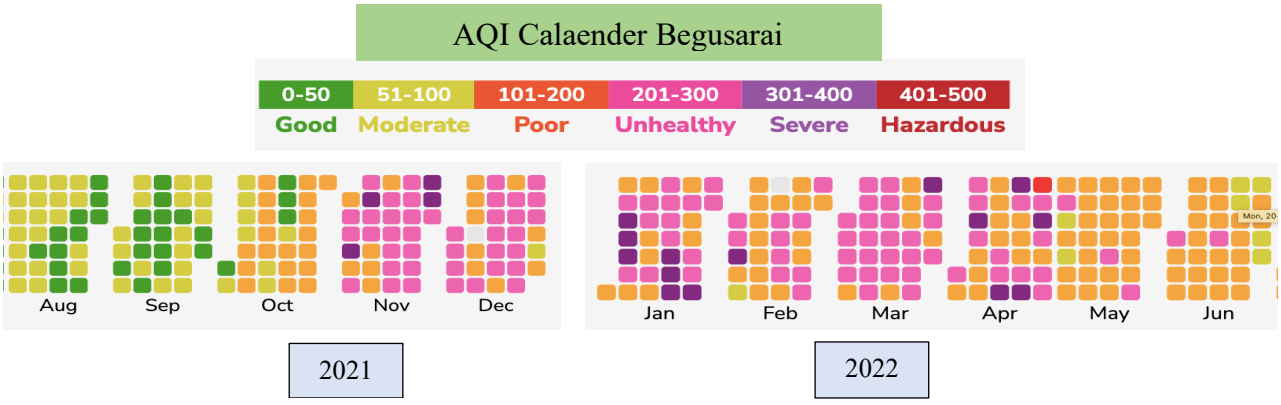

Source: https://www.aqi.in/dashboard/india/bihar/begusarai

चित्र *15:* बेगूसराय नगर की वायु की माहवार औसत गुणवत्ता

अध्याय 4 : आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत रूपरेखा

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर एक मील का पत्थर है। अधिनियम का उद्देश्य आपदाओं का प्रबंधन करना है, जिसमें आपदाओं की रोकथाम और शमन रणनीति तैयार करना, समुदाय एवं अन्य का क्षमता निर्माण आदि शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर यह अधिनियम गृह मंत्रालय को देश में समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की देखभाल के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय के रूप में भी नामित करता है।

इसी के तहत यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार होगा और राज्य के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना होगी जिसके आधार पर राज्य में आपदा का प्रबंधन किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने राज्य क्षेत्र के लिये आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कार्ययोजना, नीति, मार्गदर्शिका एवं SOP बनाने का कार्य करेगा। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यरत है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक ज़िले में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकारण की स्थापना की गयी है। ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बेगूसराय आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ज़िला स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग/ बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण आदि के सहयोग से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न कार्य कर रही है। इसी तरह नगर निकाय अपने स्तर पर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य हेतु आवश्यक संस्थागत रूपरेखा तैयार कर सकती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कंडिका 41 (1 और 2) के अनुसार

1. स्थानीय प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए
    - यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं,
    - यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वह किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे
    - यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी संनिर्माण परियोजनाएं राष्ट्रीय प्राधिकरण राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और संबंध के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप है।
    - प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रियाकलाप करेगा।
2. स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

आपदा प्रबंधन के लिए कोई एक विभाग या संस्था कभी भी सारी जिम्मदारियों को नही निभा सकती। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में "बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप (2015-2030)" बनाया गया जिसमें सुरक्षित शहर हेतु विभिन्न विभागों के लिए कई महत्वपूर्ण ज़िम्मदारियाँ तय की गयी हैं।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित संस्थाओं /विभागों के साथ आवश्यक समन्वय किया जा सकता है।

क्र.स.	लाईन विभाग	क्र.स.	लाईन विभाग
1	शहरी विकास विभाग	9	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग
2	स्वास्थ्य विभाग	10	शिक्षा विभाग

क्र.स.	लाईन विभाग	क्र.स.	लाईन विभाग
3	पुलिस विभाग	11	खाद्य आपूर्ति एवं उपभोगता संरक्षण विभाग
4	सूचना एवं जन सम्पर्क	12	श्रम संसाधन विभाग
5	ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	13	पंचायती राज विभाग
6	परिवहन विभाग	14	योजना एवं विकास विभाग
7	अग्निशमन सेवा	15	खाद्य निगम
8	सामाजिक सुरक्षा विभाग	16	भवन निर्माण विभाग
17	भारत संचार निगम लिमिटेड	21	विज्ञान एवं प्राद्यौगिक विभाग
18	उद्योग विभाग	22	सांख्यिकी विभाग
19	ऊर्जा विभाग	23	जल संसाधन विभाग

4.1 राज्य में आपदा प्रबंधन की रूपरेखा

4.1.1 आपदा प्रबंधन से संबंधित संगठन:

नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स): नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय कार्यालय, पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्य के केवल चार जिले पटना, बेगूसराय, पूर्णिया एवं कटिहार में जिला कोर टीम कार्यरत है। मधुबनी सहित अन्य 24 जिलों में कोर टीम का विस्तार विचाराधीन है।

बिहार अग्निशमन सेवाएं: बिहार अग्निशमन सेवाएं, आपदा प्रबंधन की एक मौलिक ईकाई है जिसे अग्नि आपदा से बचाव एवं राहत कार्यो के साथ-साथ इससे संबंधित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम को भी प्रमुखता से करना है। बेगूसराय फ़ायर स्टेशन के पास 12 अग्निशमन वाहनों की कुल संख्या है।

राज्य आपदा मोचन बल: जिला में इसकी एक टीम कार्यरत है, जिसमें 32 लोग होते है एस.डी.आर.एफ की टीम ने आपदाओं के दौरान, विशेषकर बाढ़ अवधि में, बचाव एवं राहत कार्यो का सफलतापूर्वक निष्पदान किया है।

4.2 आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC)

आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC), आपातकालीन प्रबंधन के हर चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी आपदा के दौरान रिकवरी को सुविधाजनक बनाने और निर्देशित करने तक में इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। EOC किसी घटना का प्रबंधन नहीं करता है, यह समन्वय करता है। आपदा के दौरान विभिन्न हितभागियों में बेहतर समन्वय के लिए EOC की सक्रियता ज़रूरी हो जाती है। **ज़िले में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए एक ज़िला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) की सक्रियता एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।**

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, दरभंगा, जिला मुख्यालय में आपदा प्रभारी के देख रेख में कार्यरत है। आपातकालीन संचालन केन्द्र में आपातकालीन सहायता कार्य ; (Emergency Support Function-ESF) हेतु टीम के सदस्यों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध है। टीम के सदस्य के रूप में प्रोग्रामर, डेटा इंट्री ऑपरेटर, लिपिक आदि सहयोगी एजेन्सियों के साथ जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर चल रहे आपदा प्रबंधन के कार्यों में सहयोग करते हैं। आपदा के दौरान जिला आपातकालीन संचालन

केन्द्र को बेहतर तरीके से काम करना अति आवश्यक है। इसके लिए समयानुसार नई तकनीक एवं इससे प्रशिक्षित लोग एवं सुविधाओं का होना आवश्यक है।

सामान्य समय में आपातकालीन संचालन केन्द्र के कार्य:

केन्द्र सामान्य समय में निम्नांकित कार्यों करता है।

- सुनिश्चित करना कि आपातकालीन संचालन केन्द्र के सभी यंत्र जैसे कि डेस्कटॉप, इंटरनेट, टेलिफ़ोन आदि सक्रिय है तथा कभी भी इसे चालू किया जा सकता है।
- लाईन डिपार्टमेन्टस से आपदा प्रबंधन हेतु नियमित तौर पर आंकड़ा इकट्ठा करना।
- जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।
- जिले की आपदा प्रबंधन योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- डाटा बैंक को नियमित अद्यतन करते हुए अभिलिखित करना तथा किसी आपदा की जानकारी/ चेतावनी मिलने पर आपदा मोचन तंत्र (ट्रिगर मेकेनिज्म) को सक्रिय करना।

उपरोक्त ज़िला आपातक़ालीन संचालन केंद्र के अनुसार नगर निगम बेगूसराय अपने स्तर आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) को भी सक्रिय रूप से कार्यरत करने हेतु विचार किया जा सकता है। इसके लिए नगर निगम बेगूसराय के अधिकारियों/ कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

4.3 इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम (IRS)

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अनुशंसा है कि आपदाओं के प्रबंधन में इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के अनुसार कार्य किया जाए। इस संबंध में National Disaster Management Authority (NDMA), New Delhi के द्वारा दिशानिर्देश भी निर्गत किया गया है, जो NDMA की वेबसाइट https://ndma.gov.in/Reference_Material/NDMAGuidelines पर उपलब्ध है। IRS की संरचना नीचे दी गयी है :

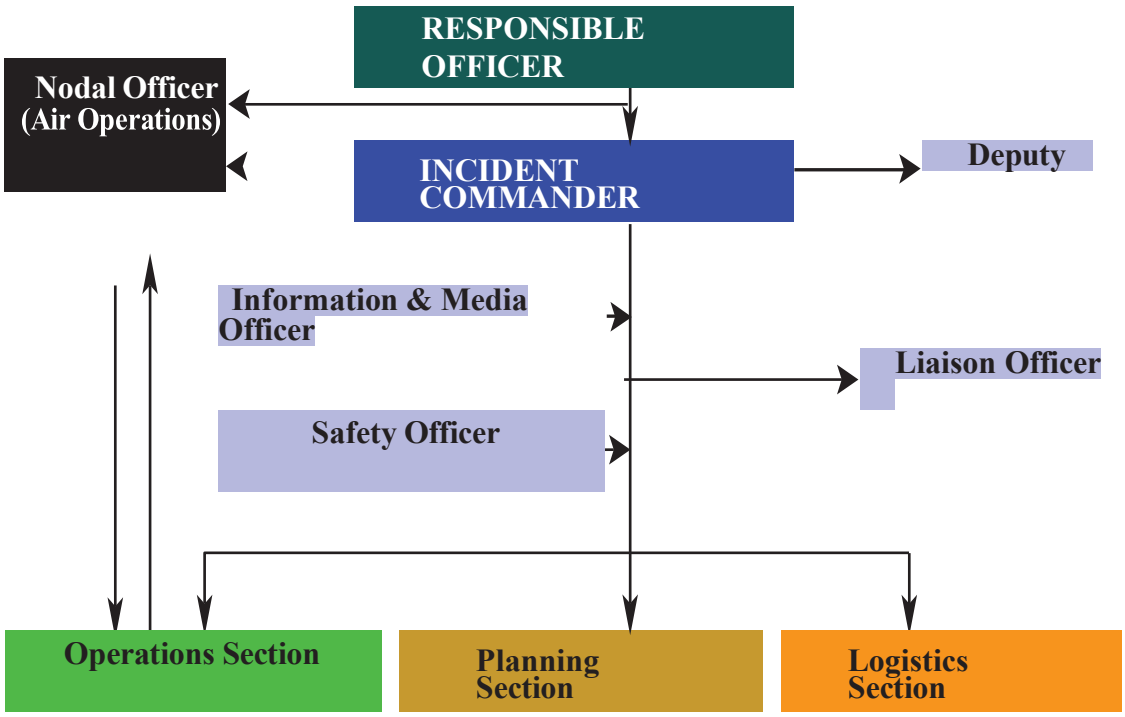

(Source: National Disaster Management Guidelines, Incident Response System

चित्र 16 इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम

आपदा प्रतिक्रिया, के लिए राज्य, जिला और सामुदायिक स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों के प्रयासों, कार्यों और रणनीतियों के समन्वय की आवश्यकता होती है। आपदा प्रतिक्रिया में तीन महत्वपूर्ण प्रभाग होते हैं मौजूदा सरकारी तंत्र, गैर-सरकारी संगठन और प्रभावित समुदाय। **आपदा प्रतिक्रिया** में चार महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं: **योजना बनाना, लामबंद करना, समन्वय करना और संचालन करना**। जब कोई घटना होती है, और उसे आपदा घटना के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम (आईआरएस) सक्रिय हो जाता है। घटना के समग्र प्रबंधन की जिम्मेदारी इंसीडेंट कमांडर की होती है। ज्यादातर घटनाओं पर, एक ही इंसीडेंट कमांडर कमांड गतिविधि को अंजाम देता है। नगर आयुक्त के साथ हुई वार्ता के आलोक में, आपदा प्रतिक्रिया के दौरान कार्यात्मक जिम्मेदारियां नीचे दर्शाई गई हैं:

तालिका 18 : जिले में आपातकालीन कार्यों और संबंधित लीड की संरचना

क्र.	आपातकालीन प्रबंधन कार्य	कार्य लीड	कार्य अधिकारी/ सहयोगी एजेंसियां
1	दिशा, नियंत्रण और समन्वय	ज़िलाधिकारी	नगर आयुक्त, एसपी, अपर समाहर्ता, हल्का कर्मचारी
2	सूचना संग्रहन, विश्लेषण और क्षति सर्वेक्षण	ज़िलाधिकारी	नगर आयुक्त, एसपी, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन प्रभारी, हल्का कर्मचारी, कार्यपालक अभियंता
3	संचार	ज़िला जन सम्पर्क अधिकारी (DPRO)	मोबाइल ऑपरेटर, टीवी, रेडियो, पुलिस, वन, अग्निशमन
4	चेतावनी	अपर समाहर्ता	आपदा प्रबंधन प्रभारी पदाधिकारी, DEOC, ज़िला जन सम्पर्क अधिकारी
5	परिवहन (ईएसएफ, निकासी, राहत आपूर्ति)	ज़िला परिवहन अधिकारी	ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी , एसपी
6	SAR (खोज और बचाव)	एसपी	अग्निशमन, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, एसडीआरएफ (जब किसी भी आपदा की भयावहता इन प्रतिक्रिया एजेंसियों की क्षमता से परे हो; खोज और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की आवश्यकता हो सकती है)
7	आपातकालीन सार्वजनिक सूचना	उप विकास आयुक्त	DEOC/ पुलिस/परिवहन/वन
8	कानून और व्यवस्था / जन सुरक्षा	पुलिस अधीक्षक	पुलिस उपाधीक्षक, होमगार्ड कमांडेंट, गैर सरकारी संगठन, अर्ध-सैन्य और सशस्त्र बल
9	लोक कार्य	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई; पंचायत, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , नगर निकाय, होमगार्ड, पुलिस
10	जन देखभाल/आपातकालीन सहायता/आश्रय	ज़िला शिक्षा अधिकारी	स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षक, स्वास्थ्य, पीएचसी, राज्य परिवहन, जलापूर्ति, आरटीओ, हल्का कर्मचारी,
11	स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, मनो-सामाजिक देखभाल	सिविल सर्जन	अधीक्षक सरकारी अस्पताल, नगर निकाय , पीएचसी, सीएचसीएस, रेड क्रॉस, फायर ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा, गैर सरकारी संगठन, डॉक्टर, यूपीएचसी
12	पशु स्वास्थ्य और कल्याण	उप निदेशक, पशुपालन	पशु चिकित्सा निरीक्षक, गैर सरकारी संगठन
13	जलापूर्ति और स्वच्छता	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	पीएचईडी, ज़िला स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय
14	बिजली	कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग	सहायक अभियंता, फ़िटर

क्र.	आपातकालीन प्रबंधन कार्य	कार्य लीड	कार्य अधिकारी/ सहयोगो एजेंसियां
15	संसाधन प्रबंधन (भोजन और राहत आपूर्ति के साथ-साथ अन्य रसद सहायता)	ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी	आरटीओ, डीएसओ, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र,

आपदा की तीव्रता एवं इसके प्रभाव क्षेत्र को देखते हुए इसे तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

L-1 आपदा- इस श्रेणी के अंतर्गत वैसी आपदाएं आती हैं, जिनका स्थानीय स्तर पर संबंधित ज़िला के द्वारा प्रबंध कर लिया जाता है। इस मामले में, जिला मजिस्ट्रेट इंसीडेंट कमांडर होंगे और इंसीडेंट मैनेजमेंट टीम का गठन करेंगे। डीईओसी, नियंत्रण कक्ष और संचालन केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

L-2 आपदा- इस श्रेणी के अंतर्गत वैसी आपदाएं आती हैं, जिनका स्थानीय स्तर से प्रबंध नहीं किया जा सकता और राज्य स्तर से हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इस मामले में, प्रधान सचिव, डीएमडी; इंसीडेंट कमांडर होंगे और एसईओसी नियंत्रण कक्ष और संचालन का केंद्र होगा।

L-3 आपदा- इस श्रेणी के अंतर्गत वैसी आपदाएं आती हैं, जिनका राज्य स्तर से प्रबंध नहीं किया जा सकता और राष्ट्रीय स्तर से हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में, मुख्य सचिव इंसीडेंट कमांडर होंगे और संकट प्रबंधन समूह/राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य आईएमटी का हिस्सा होंगे। SEOC नियंत्रण कक्ष और संचालन का केंद्र होगा।

आपदा के दौरान प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर कदम उठाना ज़रूरी हो जाता हैं:

1. ईओसी पर इकट्ठा होकर स्थिति का जायजा लेना
2. उच्च अधिकारियों को सूचित कर कार्रवाई पर निर्णय लेना (योजना)
3. खोज और बचाव के लिए आपातकालीन सहायता समूहों को जुटाना और भेजना
4. प्रतिक्रिया के लिए योजना और रणनीति बनाना
5. संसाधनों (सामग्री और मानव) को व्यवस्थित करना
6. संचालन प्रबंधन टीम का गठन कर जिम्मेदारियां तय करना
7. नुकसान का आकलन करना
8. घटना के बारे में विस्तार से उच्च अधिकारियों और मीडिया में जानकारी देना
9. राहत वितरण, आश्रय और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की निगरानी करना
10. आवश्यक उपायों का समन्वय करना
11. निकासी की योजना (यदि आवश्यक हो)
12. सभी कार्यवाहियों, निर्णयों और घटनाओं का दस्तावेजीकरण करना

4.4 आपातकालीन सहायता समूह:

आपातकालीन सहायता कार्य (ईएसएफ) आपदा प्रतिक्रिया योजना की रीढ़ हैं और इसमें समर्पित तरीके से और मिशनरी उत्साह के साथ विशिष्ट सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किए गए व्यक्तियों के समूह शामिल होते हैं। इन टीमों को आपातकालीन सहायता समूह कहा जाता है। वे खतरे को कम करने के लिए सभी संभावित आवश्यक कदम उठाते हैं । ईएसएफ क्षति का आकलन कर नुकसान की मरम्मत तथा स्थिति को नियंत्रित करने के उपाय करता है । प्रत्येक ईएसएफ में सहायक विभागों का एक सेट होगा जो आपात स्थिति में और सामान्य समय में कार्यों को सम्पादित करेगा। निम्नलिखित ईएसएफ हैं:

4.4.1 संचार समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. बीएसएनएल और अन्य सेवा प्रदाता 2. आकाशवाणी/टेलीविजन 3. सैटेलाइट फोन 4. मोबाइल फोन 5. हैम रेडियो 6. पुलिस वायरलेस	• संचार बहाल करने के लिए • EOCs, IMT को जोड़ने वाला आपातकालीन संचार प्रदान करने के लिए • समुदायों को संचार प्रदान करने के लिए • राज्य और जिले की सहायता के लिए संचार सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए • अस्थायी संचार आवश्यकताओं का समन्वय सुनिश्चित करने के लिए	• संचार प्रौद्योगिकियों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अद्यतन करना • EWS और संचार उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव • आपदा संबंधी व्यवस्थाओं के बीच संचार प्रणाली की आवधिक जांच • संचार प्रौद्योगिकियों पर ग्राम पंचायत ईओसी में प्रशिक्षण प्रदान करना

4.4.2 खोज एवं बचाव समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1)नगर निगम 2) अग्निशमन विभाग 3) नागरिक सुरक्षा 4) NDRF/ SDRF 5) बीएमपी/पुलिस 6) सेना	• राहत और बचाव कार्य करना • राहत और बचाव कार्य में उपयोग होने वाले उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना • निकासी योजना तैयार करना • शिविर कार्यालय के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करना • पीड़ितों के लिए आश्रय, सुरक्षा, पीने का पानी और भोजन, आपातकालीन दवा आदि सुनिश्चित करना • बच्चों, महिलाओं, वृद्धों, विकलांगों आदि की निकासी को प्राथमिकता देना।	• राहत और बचाव कार्य में उपयोग होने वाले उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव • टीम का फ़िटनेस बनाए रखना • जिला और नगर स्तर पर खोज और बचाव ऑपरेटरों की टीम तैयार करना • प्रशिक्षित जनशक्ति की एक सूची बना कर रखना और किसी भी खतरे की स्थिति में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराना

4.4.3 राहत और आश्रय समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. नगर निगम 2. अंचल कार्यालय 3. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग 4. राज्य खाद्य निगम 5. भवन निर्माण विभाग 6. कॉर्पोरेट निकाय 7. स्वैच्छिक संगठन	• खाद्य सामग्रियों के तत्काल वितरण के लिए समुचित पैकेट तैयार करवाना • पेयजल की आपूर्ति को व्यवस्थित करना • आश्रय शिविर, रसोई शिविर लगाना, खाना पकाने, परोसने, धोने आदि के लिए स्वयंसेवकों को जुटाना। • खाद्यान्न और सब्जियों की आपूर्ति को व्यवस्थित करना • बचाए गए लोगों को राहत और आश्रय शिविरों में ले जाने के लिए स्थानीय युवाओं की टीमों को लगाना • पीड़ितों के नाम, गांवों, पंचायतों, प्रखंडों का रिकॉर्ड रखना • स्नानघर और शौचालय की व्यवस्था करना • बच्चों, महिलाओं, वृद्धों और विकलांगों, विशेषकर परिवारों से बिछड़े लोगों का विशेष ध्यान रखना	• जागरूकता पैदा करना और आपातकालीन जरूरतों के लिए खाद्यान्न बचाने की आदत को प्रेरित करना • प्रखंड स्तर पर कम से कम तीन दिनों के लिए चुडा और सत्तू जैसे तत्काल खाने का स्टॉक बनाए रखना

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
	• राहत सामग्री प्राप्त करने, एकत्र करने, छांटने और वितरित करने के लिए आपदा राहत केंद्र स्थापित करना • पीड़ितों तक पहुंचने के लिए उचित आपूर्ति श्रृंखला को व्यवस्थित करना और अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित करना	

4.4.4 स्वास्थ्य और स्वच्छता समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. स्वास्थ्य विभाग 2. सरकारी और निजी अस्पताल 3. रेड क्रॉस सोसाइटी 4. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 5. नगर निगम 6. स्वैच्छिक निकाय	• उपकरण और दवाओं के स्टॉक का वितरण सुनिश्चित करना • प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने वाली टीम को संगठित करना • चिकित्सा कर्मियों की टीम बनाना और उनकी प्रतिनियुक्ति • आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन की व्यवस्था रखना • अविलम्ब चिकित्सा शिविर लगाने की तैयारी रखना • ट्रॉमा परामर्श डेस्क स्थापित करना • मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार करना • उपचारित रोगियों का रिकॉर्ड रखना • आश्रय शिविरों का दौरा करना और उचित स्वच्छता सुनिश्चित करना और उसके लिए उचित व्यवस्था करना • आश्रय स्थल पर साफ़-सफाई की समुचित व्यवस्था करना • आश्रय स्थल पर महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना	• चिकित्सा किट/दवाओं की जांच, प्रतिस्थापन और रखरखाव • अद्यतन प्राथमिक चिकित्सा किट रखना और आपात स्थिति में उपयोग के लिए इसकी पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करना • डॉक्टरों की सूची तैयार रखना • स्थानीय स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए नगर और सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षित करना • गंभीर रूप से घायलों की मदद करने और उन्हें ले जाने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना

4.4.5 पेयजल आपूर्ति समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 2. नागरिक आपूर्ति 3. मिनरल वाटर निर्माता 4. कॉर्पोरेट निकाय 5. दाता एजेंसियां 6. स्थानीय गैर सरकारी संगठन	• पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्रोतों की पहचान करना और संदूषित (contaminated) होने पर समुचित उपचार करना • कुओं/तालाबों का उपचार कर उसका उपयोग बहाल करना • हैंडपंपों का उपचार कर उसका उपयोग बहाल करना • क्लोरीन गोलियों की पर्याप्त मात्रा में संग्रहण और उसका प्रावधान सुनिश्चित करना • आपातकालीन राहत के दौरान मिनरल वाटर की बोतलें वितरित करना	• आश्रय के चिन्हित क्षेत्रों में जोखिम प्रतिरोधी हैण्डपम्पों की स्थापना • आपात स्थिति के दौरान पानी की बोतलों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं/ कॉर्पोरेट के साथ अनुबंध कर के रखना • कुओं और हैंडपंपों के प्लेटफार्म को ऊंचा करना • समुदाय और घरों को आपातकालीन स्थितियों में उपयोग के लिए वाटर प्यूरीफायर (टैबलेट) को अपने पास रखने के लिए प्रोत्साहित करना

4.4.6 बिजली आपूर्ति समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. ऊर्जा विभाग 2. बिजली बोर्ड 3. अपरंपरागत ऊर्जा विभाग 4. जेन-सेट आपूर्तिकर्ता	• जेनसेट आदि के लिए मरम्मत और रखरखाव किट का इंतज़ाम रखना • बिजली आपूर्ति लाइन की जांच कर निरंतर आपूर्ति बहाल करना • अस्पतालों, आश्रय शिविरों, रसोई शिविरों, ऑनसाइट ईओसी आदि को निरंतर बिजली आपूर्ति करना। • बिजली के वैकल्पिक स्रोतों को व्यवस्थित करना • जेन-सेट, डीजल, पेट्रोल, अतिरिक्त बैटरी आदि का इंतज़ाम करना • बैटरी चार्जर के साथ सोलर लैंप, पेट्रोमैक्स, मोमबत्तियां, टॉर्च आदि का स्टॉक बनाए रखना	• उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति को अद्यतन रखने के लिए बिजली बोर्ड के साथ बातचीत • आपातकालीन स्थिति में बिजली के संभावित स्रोतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए गैर-पारंपरिक ऊर्जा विभाग के साथ बातचीत • जेन-सेट के आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार रखना • अतिरिक्त बैटरी चार्जर के साथ सोलर लैंप, पेट्रोमैक्स, मोमबत्तियां, टॉर्च आदि का स्टॉक बनाए रखना • आपात स्थिति के लिए मोमबत्ती, टॉर्च आदि का स्टॉक रखने के लिए समुदाय/घरों को बढ़ावा देना

4.4.7 यातायात संचालन समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. परिवहन विभाग 2. ट्रैफ़िक पुलिस 3. परिवहन एजेंसियां 4. नाव के मालिक 5. एम्बुलेंस सेवा प्रदाता	• राहत और बचाव सामग्री के लिए परिवहन की व्यवस्था करना • सभी सहायता एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए उन्हें परिवहन सुविधाएं प्रदान करना • दुर्घटना साइट पर यातायात की आवाजाही को विनियमित करना • बीमार और घायलों के परिवहन की व्यवस्था करना	• परिवहन सुविधा प्रदाताओं की अद्यतन सूची तैयार रखना • एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं की अद्यतन सूची तैयार रखना • जिले में संवेदनशील क्षेत्रों के वैकल्पिक रोड मैप बना कर तैयार रखना • नाव मालिकों के फोन नंबर की अद्यतन सूची तैयार रखना

4.4.8 सार्वजनिक कार्य समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. लोक निर्माण विभाग 2. सड़क निर्माण विभाग 3. पुल निर्माण निगम	• सड़क संपर्क बहाल करना • जहां आवश्यक हो वहां अस्थायी पुलों का निर्माण करना • स्वास्थ्य केन्द्रों, विद्यालयों, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों की मरम्मत करना • किए गए निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण और निगरानी करना	• आपात स्थिति हेतु आवश्यक उपकरण और सामग्री का भंडारण • आपात स्थिति में सहायता के लिए निर्माण कंपनियों की सूची तैयार कर रखना • यदि आवश्यक हो तो उपकरण/ जनशक्ति /सामग्री उधार लेने की व्यवस्था करना

4.4.9 मलबा निस्तारण समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. नगर निगम 2. नागरिक सुरक्षा 3. होम गार्ड 4. स्काउट और गाइड 5. एन सी सी 6. एन वाई के	• मानव और पशुओं के शवों को हटाने/निपटान/दफन/जलाने के लिए स्वयंसेवकों को संगठित करना • पुनर्निर्माण के लिए भवन, पुल, सड़क आदि का मलबा हटाने के लिए स्थानीय बल को संगठित करना • विशेष रूप से चक्रवाती तूफान/भूकंप की घटनाओं के बाद पेड़ों को काटने और हटाने के लिए स्थानीय बल को संगठित करना	• गैस कटर, क्रेन जैसे उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना • व्यावसायिक वाहनों के मालिकों के फोन नंबरों की सूची तैयार करना • नगर निकाय के कामगारों को सूचीबद्ध करना और उन्हें एक टीम के रूप में काम करने के लिए तैयार करना • आपात स्थिति के दौरान समय पर प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए ऐसी टीमों के साथ नियमित बातचीत सुनिश्चित करना

4.4.10 सूचना प्रसार और हेल्प लाइन समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 2. स्काउट्स एंड गाइड्स 3. मीडिया 4. कॉलेज और विश्वविद्यालय	• दुर्घटना साइट पर अधिकारियों से सही जानकारी इकट्ठा करना • बचाए गए व्यक्तियों की सूची तथा प्रत्येक व्यक्ति के बारे में पूर्ण विवरण रखना • गुमशुदा व्यक्तियों की सूची अद्यतन करते रहना • मृतकों की संख्या और उनके स्थान अपडेट करना • टीमों और ईएसएफ की स्थिति का ट्रैकिंग रखना • जन संबोधन प्रणाली का उपयोग करना • एस्कॉर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें आपदा स्थल के पास रखना • छोटी पाली की अवधि में काम निर्धारित करना	• आघात में लोगों को संभालने के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण प्राप्त करना • संकट की स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मनोविज्ञान, जनसंपर्क, जनसंचार की व्यापक समझ विकसित करना

4.4.11 नुक़सान आकलन समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. आपदा प्रबंधन विभाग 2. नगर निगम 3. शहरी विकास विभाग 4. लोक निर्माण विभाग	• नुकसान के आकलन का प्रारूप तैयार रखना • अति महत्वपूर्ण जानकारी को इकट्ठा करना (प्रभावित क्षेत्र, वार्ड, जनसंख्या, मानव जीवन की हानि, पशुधन की हानि, क्षतिग्रस्त संसाधनों की सूचि, क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना- सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल, सरकारी भवन, बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, इत्यादि • संश्लेषित मूल्यांकन	• त्वरित क्षति आकलन के लिए टूल्स और तकनीक विकसित करना • क्षति आकलन करने के लिए संबंधित लोगों का प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान कर उनका क्षमतावर्द्धन करना

4.4.12 डोनेसन मैनेजमेंट समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. आपदा प्रबंधन विभाग 2. नगर निगम 3. आपूर्ति विभाग 4. राज्य भंडारण निगम 5. सहकारिता विभाग	• आपदा राहत सहायता के लिए तीन तरह के शिविर लगाना: फंड, राहत, सेवाएं • नकद/चेक/ड्राफ्ट के लिए रसीदें आदि रखना • प्राप्त राहत सामग्री के भंडारण, पैकिंग, उसके उचित वितरण के लिए भंडारण केंद्र की पहचान करना • किसके साथ और कब भेजी गई आपूर्ति का रिकॉर्ड रखना • आवश्यक स्वयंसेवकों को तैनात करना और उनकी बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखना: भोजन, आराम, आदि। • एकत्र की गई राहत सामग्रियों को लाभुकों तक निर्धारित SOP के तहत पहुँचाना • वितरण में मानवीय गरिमा का ध्यान रखना	• गैर सरकारी संगठनों के काम के लिए मानव संसाधन और सामग्री प्रबंधन में अभिविन्यास प्रदान करना • स्वयंसेवकों को सामग्री प्रबंधन, पैकिंग और वितरण में प्रशिक्षित करें

4.4.13 मीडिया संचालन समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 2. आपदा प्रबंधन विभाग	• प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समय-समय पर मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन • यथासंभव ग्राफिक और सांख्यिकीय विवरण प्रदान करना • राहत एवं बचाव कार्य की गुणवत्ता के आकलन के लिए निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा आश्रय, राहत और विभिन्न गतिविधि शिविरों में भ्रमण का आयोजन करना	• आपदा जागरूकता के लिए पर्चे, पोस्टर और संदर्भ सामग्रियाँ विकसित करना • आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें के बारे में लोगों को शिक्षित करना

4.4.14 कानून और व्यवस्था प्रबंधन समूह

सहायक विभाग	आपात समय में किए जाने वाले कार्य	सामान्य समय में किए जाने वाले कार्य
1. ज़िला प्रशासन 2. सिविल सोसाइटी	• महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा बलों की तैनाती • निगरानी रखने और आवश्यक आदेश देने के लिए एक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति • मोहल्ला या टोला समिति को सक्रिय बनाना	• आपदा के समय में क़ानून और व्यवस्था को बनाए रखने की मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करना • सुरक्षा बलों और स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण

अध्याय 5 : आपदा पूर्व तैयारी

किसी भी आपदा के न्यूनीकरण के लिए व्यापक आपदा तैयारी योजना एक महत्वपूर्ण कदम होता है। आपदा प्रबंधन योजना में इस बारे में दिशानिर्देश दिए गए होते हैं कि आपदा के दौरान, पहले और बाद में किस तरह की कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसी योजनाएँ आपदा की स्थितियों में दिशा बोध कराती हैं और आपदा से होने वाले नुक़सान को कम करने में दिशा प्रदान करती हैं। आपदा तैयारी योजना की एकदम से तय रूपरेखा नहीं हो सकटि है और इसके अंदर पूरा लचीलापन होना चाहिए ताकि जिस नगर के लिए इसे बनाया गया हो, वहाँ इसका सही उपयोग हो सके। आपदा की तैयारी की योजनाओं को तैयार करने में अलग-अलग तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि योजना किस आपदा के लिए बनायी गयी है। इस अध्याय में आपदा पूर्व तैयारी को विभागवार एवं आपदावार बताया गया है।

5.1 विभिन्न विभागों / एजेंसियों के कार्य और उनकी भूमिका :

आपदा की तैयारी किसी अकेले विभाग या व्यक्ति की ज़िम्मदारी नही हो सकती है बल्कि यह विभिन्न विभाग एवं एजेंसियों के तालमेल और समन्वय से ही सम्भव है। बेगूसराय नगर में आपदा की तैयारी के लिए विभिन्न विभागों की ज़िम्मेदारियों को नीचे दिए गए तालिक में दर्शाया गया है।

तालिका 19: आपदा पूर्व तैयारी के संदर्भ में नगर निगम की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ

नोडल विभाग: नगर निगम		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
1	अन्तर-विभागीय/एजेन्सी से “नगर आपदा प्रबंधन योजना” का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना	ज़िला प्रशासन
2	“नगर आपदा प्रबंधन योजना” के अनुसार बेगूसराय शहर का आकलन कर विभिन्न वार्डों का आपदा भेदयता (Vulnerability) श्रेणी बनाना	लाइन डिपार्टमेंट
3	“नगर आपदा प्रबंधन योजना” के सुझावों के आधार पर बेगूसराय नगर के City Development Plan और नगर के विकास के लिए बनाए गए योजनाओं का पुनरावलोकन कर आपदा तैयारी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित करना	DM-DDMA
4	नगर के पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक जैसे तालाब, नाला, नदी, वेट लैंड और वन क्षेत्र में हुए बदलाव और अतिक्रमण की व्यापक समीक्षा कर पुनर्स्थापित करना।	जलवायु परिवर्तन पर्यावरण एवं वन विभाग, जल जीवन हरियाली मिशन, ज़िला प्रशासन
5	नगर में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आपदा प्रबंधन के on site और off site प्रावधानों का मूल्यांकन और “नगर आपदा प्रबंधन योजना” के साथ उनका जुड़ाव सुनिश्चित करना।	DM-DDMA और संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रबंधन
6	बेगूसराय नगर निगम के द्वारा Resilience सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले संरचनात्मक और ग़ैर-संरचनात्मक उपायों हेतु पर्याप्त वित्तीय प्रावधानों को सुनिश्चित करना।	योजना विभाग, वित्त विभाग, BSDMA
7	विभाग द्वारा तय आपदा से सुरक्षित मानक आधारित भवन निर्माण (सरकारी और निजी) सुनिश्चित करना जिससे भूकंप, बाढ़, आँधी तूफ़ान, अगलगी जैसी आपदाओं में क्षति को कम से कम किया जा सके। सुझाव है कि, नगर निकाय को इन मानकों के अनुसार बने बिल्डिंग में करों में विशेष रियायत देने की घोषणा करनी चाहिए।	DDMA, भवन निर्माण विभाग

नोडल विभाग: नगर निगम		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
8	नगर के सभी सरकारी एवं पुराने निजी भवनों का विभिन्न आपदाओं से होने वाले जोखिम को ध्यान में रखकर एक रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग और सेफ़्टी ऑडिट किया जाना चाहिए जिससे उनकी स्थिति का आकलन किया जा सके।	DDMA, भवन निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग
9	नगर में मौजूद सभी कार्यरत और पुराने भवनों का रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग और सेफ़्टी ऑडिट को केंद्र में रखकर रेट्रोफ़िटिंग किया जाना चाहिए या उसे ख़तरनाक घोषित कर ख़ाली कर देना चाहिए। इस कड़ी में सबसे पहले महत्वपूर्ण सरकारी भवनों जैसे विद्यालयों और अस्पतालों का रेट्रोफ़िटिंग किया जाना चाहिए।	DDMA, भवन निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग
10	जल जमाव वाले क्षेत्रों की पहचान कर नगर निगम द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उचित समय पर उठा लिए जाने चाहिए: • पम्पिंग स्टेशन और उपलब्ध मोटरों का हर साल बरसात के पहले आकलन कर उसका मरम्मत कर लेनी चाहिए या नयी ख़रीदारी कर लेनी चाहिए। • शहरी इलाक़ों में वैसे आश्रय स्थलों की पहचान कर लेनी चाहिए जहां आपदा की स्थिति में लोगों को रखा जा सके। • मानसून के पहले नगर के सीवरेज सिस्टम और ड्रेनेज की सफ़ाई करवा लेनी चाहिए।	DDMA
11	नगर में सीवरेज लाइन का कार्य प्रगति पर है, इसके अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए।	DDMA, लघु सिंचाई विभाग
12	नगर निगम के अंदर एक निगरानी सेल का गठन किया जाए जो यह सुनिश्चित करेगा कि बाढ़ रेखा या बाढ़ को रोकने के लिए बनाए गए दीवार के अंदर किसी भी तरह का भवन (सरकारी या निजी) निर्माण न हो।	DDMA, राजस्व एवं भूमि सुधार
13	"नगर आपदा प्रबंधन योजना" के आधार पर नगर निगम के कर्मचारियों, वार्ड सदस्यों, पदाधिकारियों के द्वारा ख़तरों का जोखिम आकलन, जोखिम को केंद्र में रखकर योजना तैयार करना और योजनाओं के अनुपालन के लिए उनका क्षमतावर्द्धन करना। इसके लिए मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कार्यशाला, प्रदर्शन, शैक्षणिक भ्रमण, निर्णय लेने में सहयोग करने वाले टूल्स के माध्यम से विभिन्न हितधारकों का प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। • Community Disaster Response Team (CDRTs) का विभिन्न आपदा सम्बंधित SOPs, आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया पर प्रशिक्षण किया जाना। • भवन निर्माणकर्ता, अभियंता, आर्किटेक्ट और राज मिस्त्रियों का भवन निर्माण नियमावली, रेट्रोफ़िटिंग, और सिस्मिक ज़ोन आधारित भवन निर्माण कोड पर प्रशिक्षण किया जाना। इस संबंध में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। ऐसे सभी प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची जिला प्रशासन के द्वारा प्रकाशित किया जाना। • यूथ क्लब के सदस्यों, कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों, दुकानदारों और पुलिस कर्मियों को प्राथमिक उपचार, ट्रैफ़िक नियमों, कोहरा तथा	DDMA, अग्निशमन सेवा, SDRF, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग

नोडल विभाग: नगर निगम		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
	अन्य विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षित ड्राइविंग, वाहन फ़िटनेस और रखरखाव के साथ-साथ दुर्घटना की स्थिति में ट्रॉमा सेंटर एवं पुलिस के साथ संवाद स्थापित करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।	
14	"नगर आपदा प्रबंधन योजना" के अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संचार के उपयुक्त टूल (बैनर, पंप्लेट, फ़्लाइअर, AV स्पॉट, नुक्कड़ नाटक स्क्रिप्ट आदि) विकसित किया जाना चाहिए। जिन्हें TV, Radio, समाचार पत्र के साथ-साथ स्कूल और कॉलेजों में होने वाले प्रदर्शनों का हिस्सा बनाना।	DDMA, IPRD, BSDMA,
15	"नगर आपदा प्रबंधन योजना" की हर साल समीक्षा की जानी चाहिए ताकि उसमें अपेक्षित सुधार किया जा सके।	DDMA, लाइन विभाग

तालिका 20 : आपदा पूर्व तैयारी में ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ

नोडल विभाग: आपदा प्रबंधन विभाग		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
1	नगर में बाढ़ एवं व्यापक जल जमाव की स्थिति में प्रभावित लोगों को बाहर निकालने के लिए नाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	परिवहन विभाग
2	नगर की सभी संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, अग्निकांड,आँधी-तूफ़ान, लू, शीत लहर, भगदड़ आदि के साथ-साथ ट्रैफ़िक व्यवस्था, पूर्व सूचना आदि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाना और नगर निगम को इन मानकों का अनुपालन हेतु प्रशिक्षित करना। जिसके लिए: • नियमित अंतराल पर मॉक ड्रिल • रियल टाइम ऑन लाइन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करना • मानक संचालन प्रक्रियाओं एवं दिशानिर्देशों का समय-समय पर समीक्षा	नगर निगम, SDRF, BSDMA, CSOs
3	आपदा पूर्व चेतावनी को समुदाय के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करना।	नगर निगम IPRD, CSOs
4	समुदाय, सिविल डिफ़ेंस और सिविल वेल्फ़ेयर एसोसीएशन के सक्रिय सहभागिता से वार्ड स्तर पर आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए Community Disaster Response Team (CDRTs) तैयार करना।	नगर निगम, CSOs,
5	आपदा की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए मीडिया एवं सिविल सोसायटी संस्थाओं के साथ व्यापक संचार रणनीति तैयार करना।	नगर निगम, IPRD

तालिका 21 : आपदा पूर्व तैयारी के लिए अग्निशमन सेवा की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ

नोडल विभाग: अग्निशमन सेवा		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
1	- सभी सरकारी और महत्वपूर्ण निजी भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन निकास की योजना बनी होनी चाहिए। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं एवं विद्यालयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आवश्यकता है कि इससे संबंधित व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। - अग्निकांड से निपटने के लिए उपयुक्त उपकरणों एवं संसाधनों की ससमय ख़रीदारी करना और उसे अग्निकांड के ख़तरे के संभावित जगहों पर स्थापित करना। - सभी सरकारी और निजी भवनों में आग से निपटने के लिए पानी, बालू और ज़रूरी रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। - अग्निकांड से सुरक्षा की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए 15 मीटर ऊँचाई और 500 वर्ग मीटर से बड़े प्रतिष्ठानो में वर्ष में कम से कम दो बार सेफ़्टी ड्रिल करना जिससे की गयी तैयारियों और आपातकालीन निकास की तैयारी का सही-सही आकलन किया जा सके।	नगर निगम

तालिका 22 : आपदा पूर्व तैयारी में भवन निर्माण विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ

नोडल विभाग: भवन निर्माण विभाग		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
1	बेगूसराय नगर निगम परिक्षेत्र में भूकंप सुरक्षा क्लिनिक बनाना चाहिए ताकि भवन निर्माण के दौरान भूकंप सुरक्षा से जुड़े संरचनात्मक एवं ग़ैर संरचनात्मक पहलुओं पर बेहतर समाधान दिया जा सके।	नगर निगम
2	बेगूसराय नगर निगम में भूकंप आपदारोधी तकनीक के ऊपर भवन निर्माणकर्ता, अभियंता, आर्किटेक्ट और राज मिस्त्रियों का नियमित रूप से प्रशिक्षण का आयोजन करना	नगर निगम

तालिका 23 : आपदा पूर्व तैयारी में परिवहन विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ

नोडल विभाग: परिवहन विभाग		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
1	ट्रैफ़िक नियमों का सही तरीक़े से अनुपालन कराना।	ट्रैफ़िक थाना, नगर निगम
2	हर मोड़ और चौराहे पर सिग्नल और साईनेज लगाना।	
3	महत्वपूर्ण स्थानो पर CCTV कैमरा लगवाना।	
4	वाहनों की सुरक्षा जाँच और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करवाना।	
5	लोगों को जागरुक करने के लिए “सड़क सुरक्षा सप्ताह” का आयोजन करना।	
6	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां सूचना पट्ट लगाना।	

तालिका 24 : आपदा पूर्व तैयारी में स्वास्थ्य विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ

नोडल विभाग: स्वास्थ्य विभाग		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
1	निजी अस्पतालों को नज़दीकी पुलिस थाना से टैग करना ताकि दुर्घटना उपरांत पीड़ित को जल्द से जल्द उपचार उपलब्ध कराया जा सके।	नगर थाना, DDMA
2	दुर्घटना उपरांत पीड़ितों को अविलंब अस्पताल पहुँचाने के लिए जीवन रक्षक साधनों से सुसज्जित आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।	DDMA
3	नगर के प्रमुख अस्पतालों में दुर्घटना उपरांत पीड़ितों को तुरंत चिकित्सीय सहायता देने की 24X7 की तैयारी रखना। सभी चिन्हित अस्पतालों में आपदा की तैयारी के रूप में अतिरिक्त बेडों के साथ सभी आवश्यक उपकरणों और दवाओं की व्यवस्था करना।	DDMA
4	किसी भी आपदा के समय मौक़े पर राहत पहुंचाने के लिए चलित अस्पताल की व्यवस्था करना।	नगर निगम
5	आपदा की स्थिति में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए CSOs और सिविल डिफ़ेंस के साथ समन्वय रखना।	DDMA, CSOs

तालिका 25 : आपदा पूर्व तैयारी में समेकित बाल विकास विभाग की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ

नोडल विभाग: समेकित बाल विकास सेवाएँ		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**सहयोगी विभाग/ एजेन्सी**
1	आपदा के दौरान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए आवश्यक सेवाओं जैसे टीकाकरण, पूरक पोषाहार आदि को जारी रखने के लिए आवश्यक तैयारी रखना।	नगर निगम, CSOs
2	आपदा शिविरों में रह रहे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए ICDS का एक प्रतिनिधि आपदा राहत शिविर में प्रतिनियुक्ति करना ।	नगर निगम, CSOs

5.2 आपदावार विभिन्न एजेंसियों/ विभागों द्वारा की जाने वाली तैयारी

तालिका *26 :* आपदावार विभिन्न एजेंसियों/ विभागों द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी

आपदा	एजेन्सी/ विभाग	तैयारी
भूकम्प	DDMA, SDRF	• मॉक ड्रिल, • समुदाय का संवेदीकरण, • संवेदनशील जगहों की पहचान, • योजना बनाना
	DDMA	• योजना को आख़िरी रूप देना • विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करवाना
	शिक्षा विभाग	• सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का आयोजन करना • बच्चों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना
	भवन निर्माण	• अभियंताओं, आर्किटेक्ट एवं राज मिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक पर प्रशिक्षित करना • पुराने भवनों (सरकारी तथा निजी) का RVS कर रेट्रोफ़िट्टिंग के लिए सुझाव देना
	नगर निगम	• किसी भी सम्भावित भूकंप के लिए कार्ययोजना तैयार रखना • सभी हितभगियों को भूकंप की तैयारी के संबंध में प्रशिक्षित करना • भवन निर्माण का आकलन कर पुराने मकानों को रेट्रोफ़िट करवाना और जर्जर मकानों को ख़ाली करना या ध्वस्त करना • नए भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी मानकों का अनुपालन करवाना • नए बिल्डर, निर्माणकर्ता और इस्टेट डेवलपर का निबंधन व विनियमन करने वाले विभागों के कर्मचारियों का उन्मुखीकरण
	स्वास्थ्य विभाग	• निजी अस्पतालों को नज़दीकी पुलिस थाना से टैग करना • दुर्घटना उपरांत पीड़ितों को अविलंब अस्पताल पहुँचाना • जीवन रक्षक साधनों से सुसज्जित आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। • नगर के प्रमुख अस्पतालों में 24X7 चिकित्सीय सहायता • सभी चिन्हित अस्पतालों में आपदा की तैयारी के रूप में अतिरिक्त बेडों के साथ सभी आवश्यक उपकरणों और दवाओं की व्यवस्था करना। • किसी भी आपदा के समय मौक़े पर राहत पहुंचाने के लिए चलित अस्पताल की व्यवस्था करना। • आपदा की स्थिति में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए CSOs और ब्लड बैंक के साथ समन्वय रखना।

आपदा	एजेन्सी/ विभाग	तैयारी
जल जमाव/ शहरी बाढ़	नगर निगम	• प्रभावी क्षेत्र से जमे हुए पानी को निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा में मोटर पम्प की व्यवस्था रखना • मानसून से पहले सभी नालों का उड़ाही करना • संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और फ़ॉगिंग की पर्याप्त व्यवस्था रखना • मानव एवं पशु हेतु सभी आधारभूत सुविधा युक्त ऊंचाई पर स्थित शरण स्थल को चिन्हित कर रखना • गंभीर स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक जीवन रक्षक सामग्री जैसे जीवन रक्षक जैकेट, फ्लोटिंग रिंग, रस्सी एवं नाव की खरीदारी एवं भंडारण • कंट्रोल रूम की स्थापना तथा संचालन प्रक्रिया का निर्धारण • नगर के पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक जैसे तालाब, नाला, नदी, वेट लैंड और वन क्षेत्र में हुए बदलाव और अतिक्रमण की व्यापक समीक्षा कर पुनर्स्थापित करना।
	ICDS	• आपदा के दौरान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए आवश्यक सेवाओं जैसे टीकाकरण, पूरक पोषाहार आदि को जारी रखने के लिए आवश्यक तैयारी रखना। • आपदा शिविरों में रह रहे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए ICDS का एक प्रतिनिधि आपदा राहत शिविर में प्रतिनियुक्त करना ।
	स्वास्थ्य विभाग	• प्रभावितों को सतत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलंत अस्पताल हमेशा तैयार रखना तथा मोबाइल यूनिट का गठन करना • नगर में मौजूद सभी निजी चिकित्सकों एवं अस्पतालों की सूची बनाकर आपदा की स्थिति में बेहतर व प्रभावी काम करने हेतु समन्वय करना • आपदा के समय सभी सरकारी तथा निजी एंबुलेंस सेवा की उपलब्धता तथा संचालन की तैयारी रखना
	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	• प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की तैयारी रखना • आपदा राहत शिविरों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की तैयारी रखना
	ज़िला आपूर्ति विभाग	• राहत सामग्री के पैकेट के वितरण की तैयारी रखना • आपदा शिविरों में भोजन की व्यवस्था के लिए समुचित अनाज का भंडारण
अगलगी	अग्निशमन	• नगर और ज़िला प्रशासन के समन्वय से अगलगी के संबंध में समुदाय के बीच व्यापक जन जागरूकता एवं मॉक ड्रिल • हॉट स्पॉट की पहचान कर गर्मी के मौसम में फ़ायर टेंडर का पूर्व नियोजन • अग्निशमन कर्मियों के बचाव हेतु अग्निशमन किट की व्यवस्था • पुलिस और ट्रैफ़िक के साथ समन्वय तंत्र बनाना ताकि अगलगी स्थल तक अग्निशमन गाड़ियों को यथाशीघ्र पहुँचाया जा सके • सभी निजी एवं सरकारी भवन जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से ज़्यादा हो, उनकी नियमित रूप से Fire Audit करना
	नगर निगम	• जोखिम सम्भावित क्षेत्र के समीप वाटर टैंक, Hydrant और अन्य जल स्रोतों की मैपिंग • अगलगी के सम्बंध में जन जागरूकता एवं मॉक ड्रिल

आपदा	एजेन्सी/ विभाग	तैयारी
	भवन निर्माण	• बड़े भवनों में मानक अनुसार जल स्रोत और Hydrant की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना • बड़े भवनों में वैकल्पिक सीढ़ियों एवं निकास की व्यवस्था
	स्वास्थ्य विभाग	• सभी प्रमुख अस्पतालों में बर्न वार्ड की व्यवस्था एवं अगलगी के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधियों और अन्य उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	• 'हर घर नल का जल' योजना के अंतर्गत सभी योजना में Hydrant के साथ-साथ fire tender के लिए attachment की व्यवस्था सुनिश्चित करना
सड़क दुर्घटना	परिवहन विभाग	• ड्राइविंग लाइसेन्स देने से पूर्व सभी आवेदकों के लिए ट्रैफ़िक नियमों, संकेतों और ट्रैफ़िक अनुकूल व्यवहार के अनुपालन की वैधता सुनिश्चित कराना • वाहनों के फ़िट्नेस को बनाए रखने के लिए निरंतर जागरूकता कार्यक्रम करना
	ट्रैफ़िक पुलिस	• सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों से ट्रैफ़िक नियमों एवं संकेतों का पालन करवाना • दुर्घटना की स्थिति में नज़दीकी अस्पताल से संपर्क कर घायल व्यक्तियों का इलाज सुनिश्चित करवाना
	नगर निगम	• नगर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य उच्च पथ से लगने वाले क्षेत्रों में NHAI और परिवहन विभाग के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम चलाना, सड़क सुरक्षा से संबंधित होर्डिंग्स लगवाना तथा नगर के अस्पतालों को आपात स्थिति से निपटने के लिए सचेत एवं सतर्क रखना
लू , शीतलहर, ठनका	ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• आकस्मिक संचार व्यवस्था सुनिश्चित करना • IMD के "Now Cast" के द्वारा अल्प समय के लिए चेतावनी जारी करना • मौसम के पूर्वानुमान के सटीक जानकारी उपलब्ध कराने वाले विभिन्न मोबाइल ऐप INDRAVAJRA, DAMINI, और MEGHDOOT के बारे में समुदाय को जागरूक करना और उसे डाउनलोड करने के लिए समुदाय को प्रेरित करना। • शीतलहर और लू से बचाव के लिए एडवाईज़री जारी करना
	नगर निगम	• शीतलहर से बचने के लिए अस्थायी रैन बसेरा का निर्माण करवाना • शहर की चिन्हित जगहों पर अलाव की व्यवस्था • गर्मी के दिनों में चिन्हित जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था

अध्याय 6 : क्षमतावर्द्धन

बेगूसराय नगर के प्रमुख हितधारकों को आपदा प्रबंधन के संदर्भ में समुदाय से लेकर जिला स्तर तक विभिन्न भूमिकाएँ निभानी होती हैं। प्रमुख हितधारकों के अलावा सुनियोजित नगर आपदा प्रबंधन योजना के लिए सजग और जागरूक समुदाय एक महत्वपूर्ण घटक हैं। नगर आपदा प्रबंधन योजना में प्रावधानित कार्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए योजना में वर्णित सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। सभी हितधारकों और समुदाय का क्षमता निर्माण कर के हम Resilient City की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं।

आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण का आकलन करते समय, यह महत्वपूर्ण है कि स्वदेशी परंपराएं; और स्थानीय रूप से आपदा प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और सामग्रियों पर विचार किया जाए और उन्हें यथोचित तरीक़े से आपदा प्रबंधन योजना में शामिल किया जाए। किसी भी आपदा की स्थिति में स्थानीय समुदाय सबसे पहले आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ता होते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में समुदाय के द्वारा उठाए गए आरम्भिक कदम और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यही आरम्भिक उपाय संस्थागत मदद पहुँचने में हुई देरी के कारण होने वाले नुक़सान को कम कर सकते हैं। क्षमता निर्माण का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और समुदायों दोनों के कौशल, दक्षताओं और क्षमताओं को विकसित करना और मजबूत करना है ताकि आपदाओं के दौरान और बाद में उनके वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें, साथ ही साथ खतरनाक घटनाओं को आपदा बनने से रोका जा सके। स्थानीय समुदाय को प्रक्रिया और समाधान का हिस्सा बनाने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि स्थानीय उपायों के साथ आपदा शमन के सकारात्मक उपायों को लागू किया जा सके। क्षमता निर्माण योजना एवं जागरूकता योजना नगर में किए गए HRVCA और योजना के अनुसार हितधारकों को सौंपी गई कार्यात्मक जिम्मेदारियों के आधार पर बनाया गया है ।

6.1 संस्थागत क्षमता का विकास

संस्थागत क्षमता का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है। समुदाय के बाद आपदा पर सबसे पहली प्रतिक्रिया स्थानीय संस्थाओं से आती है। संस्थागत क्षमतावर्द्धन आपदा की तैयारी और उससे निपटने के हर पहलू पर समझ विकसित करती है और राहत व बचाव कार्यों को सही दिशा देती है।

तालिका 27 : नगर विकास विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय

नोडल विभाग: नगर विकास और आवास विभाग/ ULB		
विभाग	**मुख्य कार्य**	**प्रशिक्षण के विषय**
नगर निगम	"नगर आपदा प्रबंधन योजना" का बेहतर अनुपालन	• Resilient City Programme • बिहार DRR रोड मैप 2015-30 • आपदा प्रबंधन पर समझ विकसित करना
	नगर के पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा	• वायु प्रदूषण, पर्यावरणीय बदलाव और आपदा • बेगूसराय नगर का पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र • पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर बनाने के कदम
	औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आपदा प्रबंधन के on site और off site प्रावधानों का मूल्यांकन	• मानवजनित आपदा • औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आपदा का प्रबंधन • औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आपदा प्रबंधन के मानक

नोडल विभाग: नगर विकास और आवास विभाग/ ULB		
विभाग	**मुख्य कार्य**	**प्रशिक्षण के विषय**
	आपदा से सुरक्षित मानक आधारित भवन निर्माण (सरकारी और निजी) सुनिश्चित करवाना	• भूकंपरोधी भवनों का निर्माण कैसे करें • रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग और सेफ़्टी ऑडिट • इंजीनियर, आर्किटेक्ट, राजमिस्त्रीयों का कार्यरत और पुराने भवनों के लिए रेट्रोफ़िटिंग
	जल जमाव के प्रबंधन के लिए योजना का अनुपालन	• सीवरेज लाइन पर समझ विकसित करना • सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन एवं रख रखाव पर समझ विकसित करना
	निगरानी सेल का गठन (टास्क फ़ोर्स)	• आपदा प्रवण क्षेत्रों में अवैध निर्माण को रोकने के लिए विभागीय कनवरजेंस • आपदा भेद्यता की समझ
	विभिन्न हितधारकों का क्षमतावर्द्धन करना	• आपदा प्रबंधन में नगर निगम एवं अन्य हितधारकों की भूमिका • सामुदायिक लामबंदी
	सामुदायिक जागरूकता अभियान	• सामाजिक व्यवहार परिवर्तन

तालिका 28 : ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय

नोडल विभाग: ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	
मुख्य कार्य	**प्रशिक्षण के विषय**
1. “Resilient City Programme” के बेहतर अनुपालन में सहयोग	• Resilient City Programme • सेंडई फ़्रेमवर्क • बिहार DRR रोड मैप 2015-30 • Resilient city के लिए उठाए गए कदमों के विभिन्न चरणों की समझ • प्रधानमंत्री दस सूत्री एजेंडा
2. नगर में बाढ़ एवं व्यापक जल जमाव की स्थिति में प्रभावित लोगों को बाहर निकालने एवं राहत शिविरों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	• बाढ़ पूर्व तैयारियों की SOP • सुरक्षित निकास की SOP • राहत और बचाव की SOP • बाढ़ राहत शिविर के मानक और रख रखाव • विभिन्न विभागों से समन्वय
3. नगर के सभी संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, आगज़नी, आँधी-तूफ़ान, लू, शीत लहर, भगदड़ आदि के साथ-साथ ट्रैफ़िक व्यवस्था, पूर्व सूचना आदि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाना और नगर निगम को इन मानकों का अनुपालन हेतु प्रशिक्षित करना। जिसके लिए: ○ नियमित अंतराल पर मॉक ड्रिल, ○ रियल टाइम ऑन लाइन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करना, ○ मानक संचालन प्रक्रियाओं एवं दिशानिर्देशों का समय-समय पर समीक्षा करना	• Early warning system पर समझ, महत्व और अनुपालन • मॉक ड्रिल के लिए प्रशिक्षकों की पहचान और उनका TOT • अनुश्रवण व्यवस्था • आपदा के दौरान सूचना प्रणाली को कार्यशील रखना
4. समुदाय, स्वयं सेवकों और सिविल वेल्फ़ेयर एसोसीएशन की सक्रिय सहभागिता से वार्ड स्तर पर आपदा की तैयारी और	• वार्ड स्तर पर आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया में सामुदायिक सहभागिता और Community

नोडल विभाग: ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	
मुख्य कार्य	**प्रशिक्षण के विषय**
प्रतिक्रिया के लिए Community Disaster Response Team (CDRTs) तैयार करना।	Disaster Response Team (CDRTs) का महत्व • Community Disaster Response Team (CDRTs) का गठन एवं उनका क्षमतावर्द्धन
5. आपदा की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए मीडिया एवं सिविल सोसायटी संस्थाओं के साथ व्यापक संचार रणनीति तैयार करना।	• मीडिया को आपदा के विषय पर संवेदित करना • मीडिया एवं सिविल सोसायटी संस्थाओं को आपदा के दौरान संचार रणनीति एवं उसकी संवेदनशीलता
6. विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर टूटे सड़कों, घाटों एवं तटबंधों का मरम्मत सुनिश्चित करवाना। 7. संभावित आपदा के जगहों की पहचान कर अस्थायी बैरिकेड लगवाना। 8. आपातकालीन निकास के जगहों पर स्पष्ट निर्देश लगवाना। 9. जिन जगहों पर भगदड़ हो सकती है उन जगहों पर पर्याप्त रौशनी की व्यवस्था करना। 10. समय समय पर आपदा को लेकर आवश्यक एडवाइज़री जारी करना। 11. नगर के आम जनों तक आपदा की तैयारी और उससे निपटने के उपायों को लेकर विभिन्न लाइन विभागों और CSOs के साथ मिलकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाना। 12. CDRTs (Community Disaster Response Team) के साथ समन्वय बनाना और उसका नियमित अंतराल पर क्षमतावर्द्धन करते रहना।	• विभागों से समन्वय स्थापित करने पर प्रशिक्षण • विभिन्न विभागों का आपदा के समय ज़िम्मेदारियों पर समझ बनाना • समुदाय और सामुदायिक संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर प्रशिक्षण

तालिका 29 : अग्निशमन सेवा विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय

नोडल विभाग: अग्निशमन सेवा	
मुख्य कार्य	**प्रशिक्षण के विषय**
1. सभी सरकारी और निजी भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन निकास की योजना बनी होनी चाहिए। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्कूलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 2. आगज़नी से निपटने के लिए उपयुक्त उपकरणों एवं संसाधनों की ससमय ख़रीदारी करना और उसे आगज़नी के ख़तरे के संभावित जगहों पर स्थापित करना। 3. सभी सरकारी और निजी भवनों में आग से निपटने के लिए पानी, बालू और ज़रूरी रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। 4. आगज़नी से सुरक्षा की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए नियमित रूप से सेफ़्टी ड्रिल करना जिससे की गयी तैयारियों और आपातकालीन निकास की तैयारी का सही-सही आकलन किया जा सके। 5. “अग्नि सुरक्षा जागरूकता सप्ताह” का आयोजन करना।	• अग्निशमन SOP • विभिन्न संस्थानो को fire सेफ़्टी ऑडिट कराने के लिए प्रेरित करने पर प्रशिक्षण • अग्नि सुरक्षा उपाय अपनाने के प्रति जागरूकता • अग्नि सुरक्षा पर चलाए जाने वाले अभियानों पर प्रशिक्षण • NOC प्राप्त करने के दिशानिर्देश पर प्रशिक्षण

तालिका 30: भवन निर्माण विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय

नोडल विभाग: भवन निर्माण विभाग	
मुख्य कार्य	**प्रशिक्षण के विषय**
1. बेगूसराय नगर निगम परिक्षेत्र में भूकंप सुरक्षा क्लिनिक बनाना चाहिए ताकि भवन निर्माण के दौरान भूकंप सुरक्षा से जुड़े संरचनात्मक एवं ग़ैर संरचनात्मक पहलुओं पर बेहतर समाधान दिया जा सके। 2. बेगूसराय नगर निगम में आपदारोधी तकनीक के ऊपर भवन निर्माणकर्ता, अभियंता, आर्किटेक्ट और राज मिस्त्रियों के नियमित प्रशिक्षण का आयोजन करना।	• आपदारोधी भवन निर्माण तकनीक के SOP के ऊपर प्रशिक्षण • भवनों के सुरक्षा ऑडिट पर प्रशिक्षण • RVS और रेट्रोफिटिंग के संबंध में जानकारी और जागरूकता

तालिका 31 : परिवहन विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय

नोडल विभाग: परिवहन विभाग	
मुख्य कार्य	**प्रशिक्षण के विषय**
1. ट्रैफ़िक नियमों का सही तरीक़े से अनुपालन कराना। 2. हर मोड़ और चौराहों पर सिग्नल और साईनेज लगाना। 3. महत्वपूर्ण स्थानों पर CCTV कैमरा लगवाना। 4. वाहनों की सुरक्षा जाँच और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करवाना। 5. लोगों को जागरुक करने के लिए "सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह" का आयोजन करना। 6. दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों एवं Black Spot की पहचान कर सूचना पट लगाना।	• रोड सेफ़्टी SOP पर TOT प्रशिक्षण • समुदाय को सड़क सुरक्षा नियमों और कानूनों की जानकारी • सडक सुरक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्हों के संबंध में • गुड सेमेरिटन और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने संबंधी • सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के संबंध में

तालिका 32 : स्वास्थ्य विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय

नोडल विभाग: स्वास्थ्य विभाग	
मुख्य कार्य	**प्रशिक्षण के विषय**
1. निजी अस्पतालों को नज़दीकी पुलिस थाना से टैग करना ताकि दुर्घटना उपरांत पीड़ित का जल्द से जल्द उपचार किया जाए। 2. दुर्घटना उपरांत पीड़ितों को अविलंब अस्पताल पहुँचाने के लिए जीवन रक्षक साधनों से सुसज्जित आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। 3. किसी भी आपदा के समय मौक़े पर राहत पहुँचाने के लिए चलित अस्पताल की व्यवस्था करना। 4. आपदा की स्थिति में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए CSOs और ब्लड बैंक के साथ समन्वय रखना।	• आपदा के दौरान आने वाले मरीज़ों के इलाज शुरू करने एवं प्रबंधन के ऊपर प्रशिक्षण • आपदा के दौरान आए गंभीर मरीज़ों का प्राथमिकता के आधार पर इलाज और रेफेरल के प्रोटोकोल पर प्रशिक्षण • प्राथमिक उपचार के संबंध में

तालिका 33 : समेकित बाल विकास विभाग के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय

नोडल विभाग: समेकित बाल विकास सेवाएँ	
मुख्य कार्य	**प्रशिक्षण के विषय**
1. आपदा के दौरान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए आवश्यक सेवाओं जैसे टीकाकरण, पूरक पोषाहार आदि को जारी रखने के लिए आवश्यक तैयारी रखना। 2. आपदा शिविरों में रह रहे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए ICDS का एक प्रतिनिधि आपदा शिविर में प्रतिनियुक्त करना ।	• आपदा के दौरान निर्बाध सेवा कैसे जारी रखे पर प्रशिक्षण • आपदा के दौरान राहत शिविरों में सभी संवेदनशील की सुरक्षा और देखभाल से संबंधित

6.2 समुदाय/सामुदायिक संस्थाओं की क्षमता का विकास

आपदा के दौरान समुदाय और सामुदायिक संस्थाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। समुदाय की सक्रिय सहभागिता के बिना आपदा से संबंधित सही व समय पर जानकारी या अन्य राहत कार्य की पहुंच सुनिश्चित करना मुश्किल होगा।

तालिका 34 : सामुदायिक संस्थाओं के मुख्य कार्य एवं प्रशिक्षण के विषय

सामुदायिक संस्थाओं का प्रशिक्षण		
क्र.	**मुख्य कार्य**	**प्रशिक्षण के विषय**
1	सम्भावित आपदा के लिए समुदाय को तैयार, जागरूक एवं सतर्क करना	• आपदा की तैयारी में स्थानीय संसाधनों के उपयोग का महत्व • आपदा से निपटने के लिए समुदाय की भागीदारी • प्राथमिक चिकित्सा
2	आपदा के दौरान प्रथम सम्पर्क के रूप में काम करना	
3	राहत और बचाव कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए संबंधित विभागों को जानकारी मुहैया कराना	

प्राकृत्तिक एवं मानवजनित आपदाओं की प्रवृत्ति निरंतर बाढ़ रही है लेकिन अपनी सीमित क्षमता के कारण अक्सर इनके प्रभावों से निपटने में समुदाय एवं संस्थाएँ ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं। संस्थागत क्षमता को मजबूत करने में बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद यह एक चुनौती बना हुआ है। विभिन्न तंत्रों के माध्यम से आपदा प्रबंधन और जोखिम में कमी के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण किया जा सकता है। इस सोच के पीछे यह विचार है कि आपदा से निपटने में कुछ संस्थाओं की भूमिका दूसरे की तुलना में अधिक होती है और इस संस्थाओं की क्षमता और प्रभावशीलता, प्रशिक्षण और मानक संचालन प्रक्रिया कहीं अधिक होती है। ऐसे महत्वपूर्ण विभागों/ संस्थाओं के संस्थागत क्षमता निर्माण पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।

1. लाईन विभाग (शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भवन निर्माण विभाग आदि)
2. नीति निर्माता (कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका)
3. ज्ञान प्रबंधन से जुड़े संस्थान
4. आँकड़ा संग्रहण से जुड़े संस्थान
5. शैक्षणिक संस्थानें
6. राहत कार्यों से जुड़ी संस्थाएँ

तालिका 35 : मुख्य हितधारकों की आपदा तैयारी व क्षमतावर्द्धन पर प्रशिक्षण

क्र.	गतिविधि	ज़िम्मेदारी
1	खोज और बचाव के साथ-साथ आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों पर होमगार्ड कर्मियों का प्रशिक्षण	पुलिस विभाग, DDMA
2	आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में एनसीसी और एनएसएस कर्मियों को प्रशिक्षण	NCC निदेशालय
3	आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मियों को प्रशिक्षण	शिक्षा विभाग और DDMA
4	आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में नागरिक समाज, सीबीओ और कॉर्पोरेट संस्थाओं को प्रशिक्षण	DDMA, रेड क्रॉस, स्वयं सेवी संस्थाएँ
5	आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मियों को प्रशिक्षण	अग्नि शमन विभाग
6	आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में पुलिस और यातायात कर्मियों को प्रशिक्षण	पुलिस विभाग, यातायात, DDMA
7	आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में मीडिया कर्मियों को प्रशिक्षण	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग ; DDMA
8	आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण	DDMA
9	आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में इंजीनियरों, वास्तुकारों, संरचनात्मक इंजीनियरों, बिल्डरों और राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण	लोक कार्य विभाग; DDMA

6.3 जन जागरूकता

आपदा जोखिम प्रबंधन में विशेष रूप से शमन, रोकथाम और तैयारी के उपायों में समुदाय की विशेष भागीदारी होती है। सामुदायिक भागीदारी मुख्य रूप से आपदा से उत्पन्न होने वाले ख़तरों और उससे निपटने की तैयारी के प्रति जागरूकता पर निर्भर करती है। आपदा प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जागरूक बनाना ज़रूरी हो जाता है।

चित्र 17 जागरूकता के चरण

सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तरीकों का प्रयास किया जा सकता है:

1. गैर-सरकारी संगठनों और CBO के माध्यम से खतरों, प्रभावों आदि पर केंद्रित करते हुए अभियान।
2. कठपुतली शो, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से प्रदर्शन ।
3. क्या करें और क्या न करें सहित मल्टी-मोड इंगेज़मेंट
4. छोटे समूह की बैठकों, फोकस समूह चर्चाओं, स्वयं सहायता समूह की बैठकों, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं, सामुदायिक और धार्मिक नेताओं के साथ बैठक, शिक्षकों की बैठक आदि के माध्यम से सीखने का तरीका।
5. संस्थागत स्तर पर राज्य के भीतर और बाहर आपदा प्रभावित स्थलों का दौरा कर जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा सकता है। समुदायों और विशेष रूप से पीड़ितों के साथ सीधे संपर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए नगर निकाय, स्थानीय सीबीओ, गैर सरकारी संगठनों आदि को आपदा के जोखिम कम करने के लिए उनके संगठित प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित किया जाना ज़रूरी है ।

आपदा तैयारी के लिए समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए मुख्य गतिविधियाँ:

तालिका 36 : आपदा की तैयारी में संचार

क्र.	विषय	गतिविधियाँ	ज़िम्मेदारी
1	सूचना	विज्ञापन, होर्डिंग, पुस्तिकाएं, पत्रक, बैनर, प्रदर्शन, लोक नृत्य और संगीत, नुक्कड़ नाटक और प्रदर्शनी, टीवी स्पॉट और रेडियो स्पॉट, ऑडियो-विजुअल और वृत्तचित्र	सूचना और जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी); जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नगर निगम
2	शिक्षा	विद्यालयों में आपदा के विभिन्न विषयों पर जानकारी और जागरूकता अभियान और मॉक ड्रिल।	शिक्षा विभाग, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नगर निगम
3	संचार	हितधारक के अनुसार विशिष्ट संचार योजना बनाना	सूचना और जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी); जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ज़िला पदाधिकारी, नगर निगम

अध्याय – 7 : आपदा से निपटने के लिए मोचन योजना

आपदा प्रतिक्रिया योजना सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करने, संपत्ति के नुकसान को कम करने और सार्वजनिक जीवन की रक्षा करने को ध्यान में रख कर बनाई जाती है। प्रतिक्रिया योजना में योजनाओं, प्रक्रियाओं और सहयोग कार्यों के लिए ज़िम्मेदार एजेंसियों को शामिल किया गया है । नगर आपदा प्रतिक्रिया योजना का उपयोग ज़िले के लाइन विभागों द्वारा आगे विकसित की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए रूपरेखा भी प्रदान करेगी। बहु-राज्यीय आपदाओं की स्थिति में संसाधनों का इष्टतम उपयोग और राज्यों के बीच समन्वय आवश्यक है।

7.1 आपदा मोचन योजना:

इस आपदा मोचन योजना में स्थानीय स्तर पर आपदाओं के लिए प्रत्युत्तर कार्य का निर्धारण किया जाना है। इस संबंध में आपदा की तीव्रता निर्धारण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। आपदा मोचन के कमान अधिकारी भी जिलाधिकारी होते हैं। उनके निर्देशन तथा नेतृत्व में सभी हितधारकों को काम करना होता है।

आपदा के समय सामान्यतया जिलाधिकारी के नेतृत्व एवं निर्देशन में नगर निगम वे सभी कार्य संपन्न करेगा जो इनको सौंपा जाएगा या स्वीकृत जिला आपदा प्रबंधन योजना में नगर निगम के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हो। इस दायरे में नगर आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा आपदा मोचन के सभी कार्य किए जाएंगे, इसके लिए सर्वप्रथम नगर निगम के प्रशासनिक ढाँचे को समझना ज़रूरी है ।

7.2 नगर निगम का प्रशासनिक ढाँचा:

नगर निगम, बेगूसराय की शासन संरचना को दो विंगों में विभाजित किया गया है:

1. निर्वाचित विंग एवं 2. प्रशासनिक विंग

कार्य-संचालन व्यवस्था: बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 के तहत विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए नगर निगम मुख्यालय, बेगूसराय में आवश्यक 19 अनुभाग हैं:

लेकिन आपदा मोचन हेतु नगर में ज़िला आपदा प्रबंधन समिति के नियंत्रणाधीन नगर स्तर पर एक त्वरित प्रत्युत्तर दल काम करेगा जिसका स्वरूप निम्नवत होगा:

- नगर आयुक्त-अध्यक्ष
- उप नगर आयुक्त-उपाध्यक्ष
- कार्यपालक अभियंता नगर विकास एवं आवास प्रमंडल- सदस्य
- मुख्य सफ़ाई निरीक्षक- सदस्य
- विद्युत पर्यवेक्षक- सदस्य

आपदा मोचन योजना में निम्न महत्वपूर्ण घटक हैं

7.3 नगर नियंत्रण कक्ष

बेगूसराय नगर निगम की आपदा प्रबंधन गतिविधियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निगम कार्यालय में एक आपदा संचालन केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

- आपदा प्रबंधन टीमों के गठन में पूर्व चेतावनी, खोज और बचाव अभियान, प्राथमिक चिकित्सा, जल और स्वच्छता, आश्रय प्रबंधन, आघात परामर्श और क्षति आकलन के लिए प्रत्येक कार्य आधारित उप-टीम होनी चाहिए।
- सार्वजनिक डोमेन और कर्मचारी लॉगिन के साथ आपदा प्रबंधन पर एक समर्पित वेबसाइट विभिन्न हितधारकों की जागरूकता और क्षमता निर्माण करने के लिए ज़रूरी है। यह वेबसाइट आगे चलकर बेगूसराय नगर निगम के विभिन्न वार्डों की सामुदायिक प्रतिक्रिया टीमों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- नगर नियंत्रण कक्ष को एक टोल फ़्री नम्बर जारी करना चाहिए और इस नम्बर को वृहद् रूप से प्रचारित-प्रसारित किया जाना चाहिए।
- नगर नियंत्रण कक्ष और राज्य इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के साथ-साथ अन्य स्थानीय स्तर के अधिकारियों के साथ संवाद करने के लिए अत्याधुनिक आपातकालीन संचार उपकरणों के साथ मजबूत रखना चाहिए।
- जिला मुख्यालय बेगूसराय में एक पूर्ण सुसज्जित आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) उपलब्ध है, जिसे नगर नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय रखना चाहिए।
- नगर नियंत्रण कक्ष में एक आपदा प्रतिक्रिया कॉल सेंटर स्थापित की जानी चाहिए जिसमें फोन पर रिवर्स इमरजेंसी कॉल करने और एसएमएस संदेश भेजने की भी सुविधा हो ।

सामान्य समय में नगर नियंत्रण कक्ष द्वारा निम्न कार्यों का सम्पादन किया जाना है-

- यह सुनिश्चित करना कि सभी चेतावनी और संचार प्रणाली सही ढंग से काम कर रहे हैं।
- विभिन्न वार्डों में आपदा की तैयारी को लेकर नियमित आधार पर जानकारी प्राप्त करते रहना।
- संबंधित जिला स्तरीय विभागों और अन्य विभागों से प्रारूपों के अनुसार आपदा की तैयारियों पर रिपोर्ट प्राप्त करना और इन रिपोर्टों के आधार पर, नगर नियंत्रण कक्ष द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन को राज्य नियंत्रण कक्ष को अग्रेसित करना।
- नगर में बदलते परिदृश्य के अनुसार नगर नियंत्रण कक्ष प्रणाली और डेटा बैंक को अपडेट करना ताकि संसाधनों की सटीक सूची बनायी जा सके ।
- डेटा बैंक को अपडेट करने सहित किसी भी बदलाव के बारे में SDRN/IDRN पोर्टल पर अपडेट करना, राज्य नियंत्रण कक्ष, राहत आयुक्त को सूचित करना।
- विभिन्न विभागों द्वारा किए गए मॉक ड्रिल सहित अन्य तैयारी के उपायों की निगरानी करना।
- स्थानीय स्तर और आपदा संभावित क्षेत्रों में नगर नियंत्रण कक्ष प्रणाली के बारे में सूचना का उचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना ।
- उपयुक्त गैर सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्र के संगठनों की पहचान करना, जिन्हें सामुदायिक स्तर की तैयारी का कार्य सौंपा जा सकता है।
- आपदा के बाद का मूल्यांकन करना और नगर नियंत्रण कक्ष प्रणाली को तदनुसार अद्यतन करना।
- नगर स्तर पर आपदा घटनाओं पर रिपोर्ट और दस्तावेज तैयार करना और इसे राज्य नियंत्रण कक्ष, राहत आयुक्त को अग्रसारित करना।

आपदा के दौरान नगर नियंत्रण कक्ष द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्य

- मौसम संबंधी अलर्ट की सूचना प्राप्त करना और पूर्व चेतावनी का प्रसार प्रभावित क्षेत्रों में करना।
- संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण करना।
- नागरिक समाज संगठनों और स्वयंसेवकों की सेवा प्रभावित क्षेत्रों में लेना।

- नागरिक समाज संगठनों की नियमित बैठकों में निकल कर आए कार्य बिंदुओं का मूल्यांकन कर उसे अमल में लाना।

7.4 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) को आवश्यक क्षमताओं के एक सेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके माध्यम से समय पर और सार्थक चेतावनी सूचना उत्पन्न और प्रसारित किया जाता है जिससे संभावित चरम घटनाएँ या आपदाएँ (जैसे बाढ़, सूखा, आग, भूकंप और सुनामी) जो लोगों के जीवन के लिए खतरा हैं, के बारे में लोगों को त्वरित जानकारी प्राप्त हो सके। समय पर और सटीक विश्वसनीय जानकारी के बिना तीव्र और सक्षम राहत और बचाव कार्य सम्भव नही है।
आपदा जोखिम प्रबंधन राष्ट्रीय नीति, आपदा जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत समुदाय को केंद्र में रख कर योजना का निर्माण करती है। जन केंद्रित पूर्व चेतावनी प्रणाली के चार घटक हैं:

7.4.1 जोखिमों का ज्ञान:

जोखिम मूल्यांकन, रणनीतियों को तैयार करने, जोखिम को कम करने, रोकने और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

7.4.2 खतरों की निगरानी, विश्लेषण और पूर्वानुमान (चेतावनी सेवा):

निगरानी और भविष्यवाणी करने वाली प्रणालियाँ संभावित जोखिम का समय पर अनुमान प्रदान करती हैं। सटीक निगरानी से प्राप्त आँकड़ों के सही विश्लेषण से आपदाओं का पूर्वानुमान लगा पाना सहज हो जाता है।

7.4.3 प्रसारित की जाने वाली सूचनाओं में एकरूपता:

यह महत्वपूर्ण है कि सभी अलर्ट और चेतावनियां यदि जारी की जाए तो उनमें एकरूपता ज़रूरी है ताकि वे सभी एक ही तरह का संदेश लोगों व संबंधित विभाग को भेज सकें। संदेशों को विश्वसनीय और सरल रखा जाना चाहिए ताकि उन्हें न केवल अधिकारियों द्वारा बल्कि लोगों द्वारा भी समझा जा सके।

7.4.4 अलर्ट और चेतावनियों का प्रसार और संचार:

आपदा संभावित क्षेत्रों में चेतावनी संदेश पहुंचाने के लिए एक मजबूत संचार योजना की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह की चेतावनियों के लिए संचार चैनलों की पहचान पूर्व चेतावनी प्रणाली योजना के हिस्से के रूप में की जाए, न कि आपदा आने पर घबराहट की स्थिति में।

7.5 पूर्व चेतावनी तंत्र

प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी में समन्वय, सुशासन और उपयुक्त कार्य योजनाएं एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लोगों तक प्रभावी सूचना पहुँचाने में संचार के माध्यमों जैसे समाचार पत्र, टेलीविज़न और रेडियो की जगह मोबाइल फोन लेता जा रहा है। स्मार्ट फ़ोन या फ़ीचर फोन डिवाइस पर ससमय लक्षित समुदाय को सूचना भेजी जा सकती है।

7.6 लॉजिस्टिक सपोर्ट

आपदा मोचन के दौरान मुख्यतया निकासी, राहत एवं बचाव, राहत शिविरों का संचालन, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाना, अस्पताल में उनका समुचित इलाज, खून की कमी वालों के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन, मृतकों का अंतिम संस्कार, ध्वस्त संरचनाओं का मलवा निपटान तथा सार्वजनिक सेवाओं का त्वरित पुनर्स्थापना के लिए बहुत तरह के हल्के व भारी यंत्र संयंत्र उपस्कर और उसको चलाने वाले प्रशिक्षित ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। इस संबंध में आस-पास आपदा मोचन हेतु उपलब्ध संसाधनों की सूची BSDRN पोर्टल पर देखी जा सकती है।

7.7 जिला प्रशासन तथा अन्य संस्थाओं से संयोजन

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला पदाधिकारी को ही जिला के सभी विभागों के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्रतिनियोजित की गई है। नगर निगम क्षेत्र में आपदा प्रबंधन से संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 की निम्न उप धाराओं में स्पष्ट किया गया है।

(क) **30.2.(II)-** जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है। आपदाओं के निवारण और इसके प्रभाव के संबंध के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा किए गए हैं।

(ख) **30.2 (IV)-** जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण, उनके प्रभाव के न्यूनीकरण, पूर्वतैयारी और राष्ट्रीय तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकृत मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है।

(ग) **30.2 (X)-** जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनरावलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो आवश्यक हो।

(घ) **30.2 (XI)-** तैयारी उपायों का पुनरावलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबंधित पदाधिकारियों को, जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति है, का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हो निर्देश दे सकेगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक तथा मानवीय घटना घटित होने पर प्रत्युत्तर प्रक्रिया के नेतृत्व तथा समन्वय का संपूर्ण दायित्व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार को है। उसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं।

(अधिनियम की धारा 30.2 (XVI) से 30.2 (XXIV) तथा 34(a) से 34(m) तक दृष्टव्य है)। इसके आलोक में नगर निगम क्षेत्र में प्रत्युत्तर हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

7.8 आपातकालीन समर्थन कार्य

नगर निगम किसी भी आपदा के दौरान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के नेतृत्व तथा निर्देशन में वैसे सभी आपातकालीन समर्थन कार्य करेगी जिसकी अधिकारिता बिहार म्युनिसिपल अधिनियम 2007 द्वारा नगर निगम को प्राप्त है एवं समय-समय पर शहरी विकास विभाग या अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निर्देशित किया जाता है। नगर निगम, आपदा काल में प्रत्युत्तर के लिए एक त्वरित प्रत्युत्तर दल (Quick

Response Team) का गठन करेगी जो न्यूनतम समय अंतराल में अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए 24 * 7 टीम लीडर एवं उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर्मी तथा आवश्यक यंत्र संयंत्रों के साथ तैयार रहेगी।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना में निम्नांकित 15 प्रकार के आपातकालीन समर्थन कार्यों की सूची दी गई है जो निम्नांकित है-

1. सूचना आदान-प्रदान
2. कानून व्यवस्था
3. खोज एवं बचाव
4. राहत एवं आश्रय
5. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
6. पेयजल आपूर्ति
7. पालतू पशु आश्रय एवं चारा
8. ऊर्जा आपूर्ति
9. परिवहन व्यवस्था
10. लोक निर्माण कार्य
11. मलवा निपटान एवं सफाई
12. क्षति आकलन
13. सूचना प्रवाह तथा सहायता केंद्र
14. दान प्रबंधन
15. मीडिया प्रबंधन

बेगूसराय नगर के किसी भी वार्ड या वार्ड समूहों में अथवा पूरे शहर में आने वाली विभिन्न आपदाओं के दौरान जिलाधिकारी के नेतृत्व एवं निर्देशन में उपरोक्त आपातकालीन समर्थन कार्य हेतु नगर निगम द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 30 एवं 31 के अनुसार गठित वार्डों की समिति तथा वार्ड समिति को सक्रिय किया जाएगा।

अध्याय 8 : प्रतिक्रिया योजना और उसकी मानक संचालन प्रक्रिया

8.1 भूकंप – प्रतिक्रिया योजना

भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो भूमि के अन्दर होने वाली भूकंपीय गतिविधियों का परिणाम है। वास्तव में यह एक ऐसी आपदा है जिसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, इस कारण इससे बचाव के तरीकों में इसके लिए पूर्व तैयारी ही एकमात्र साधन है। भूकंप अपने आप में कोई नुकसान नहीं करता परन्तु यदि इसके प्रभाव क्षेत्र में संरचनात्मक परिक्षेत्र आ जाए तो भूकंप एक आपदा के रूप में हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि भूकंप के दौरान संरचनाओं के गिरने से जान-माल की क्षति होती है।

उद्देश्य : किसी भी भूकंप के दौरान तथा बाद में कुछ संभावित परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिनका समुचित रूप से ध्यान रखने पर ही हम भूकंप के दौरान उचित प्रतिक्रिया कर सकते हैं। भूकंप आपदा के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रत्युत्तर दे सकना जिससे होने वाले नुक़सान को कम से कम किया जा सके और सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली जल्द से जल्द हो सके।
भूकंप आने के पश्चात निम्न संभावित परिस्थितियाँ सामान्यतः उत्पन्न होती हैं –

- भगदड़
- मकानों का गिरना या ढहना,
- मकानों में आग लगना
- लोगों का घायल होना अथवा मलबे में दबना
- परिवार के सदस्यों का बिछुड़ना
- अफवाह का फैलना
- खुली जगहों पर लोगों का जमा होना तथा रात बिताना
- लोगों को खाने-पीने की दिक्कत होना इत्यादि

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तर के लिए निम्न कार्य किए जाने आवश्यक हैं-

- खोज एवं बचाव कार्य
- क़ानून एवं यातायात व्यवस्था प्रबंधन
- संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) करना
- स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- मानवीय सहायता उपलब्ध कराना
- जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई
- सूचना सम्प्रेषण एवं मीडिया प्रबंधन
- आपदा की भयावहता का आकलन
- जर्जर एवं ख़तरनाक भवनों को चिन्हित कर तोड़कर हटाना

उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भूकंप से संबंधित आपदा प्रत्युत्तर योजना को विस्तार से निम्नरूपेण व्याख्यायित किया जा सकता है-

8.1.1 भूकंप के दृष्टिकोण से बेगूसराय नगर का परिचय

- बेगूसराय नगर भूकंप के जोन IV में आता है।

- हांलांकि बेगूसराय नगर में भूकंप से नुकसान का कोई पुराना इतिहास नहीं है फिर भी यह देखने में आया है कि वर्ष 1934 (मुंगेर) और 2015 (नेपाल) में आए भूकंप से कुछ मकानों को नुकसान उठाना पड़ा।
- बेगूसराय नगर का मध्य भाग घनी आबादी का क्षेत्र है और साथ ही इन क्षेत्रों में मकान काफी सटे-सटे बने हुए हैं, सडकों कि चौड़ाई बहुत ही कम है तथा खुली जगहों का अभाव है। इन क्षेत्रों के ज्यादातर मकान इंजीनियरिंग के मापदंडों के अनुसार नहीं बने हैं तथा कुछ संरचनाएं बहुत पुरानी भी हैं। इस कारण से बेगूसराय नगर का यह क्षेत्र किसी बड़े भूकंप के दौरान व्यापक क्षति की संभावना को पैदा कर सकते हैं।
- वार्ड पार्षद, वरिष्ठ नागरिकों, सफ़ाई निरीक्षकों के साथ समूह वार्ता के दौरान भूकंप से प्रभावित होने वाले वार्डों और उसके मोहल्लों का चिन्हीकरण किया गया जहां यदि 7 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो बहुत ज़्यादा क्षति होने की सम्भावना है।

वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम	वार्ड संख्या	मोहल्लों का नाम
20	खड़कपुर टोला, कानू टोला चक गोपाल	33	मुंगेरीगंज
21	दास टोला करगाह, दास टोला शिव मंदिर के पीछे रतनपुर	34	मियाँचक पूर्वी, चट्टी रोड अवस्थित मोहल्ला
22	मियाचक मोहल्ला, चट्टी रोड स्थित मोहल्ला	35	मुस्लिम मोहल्ला, पोखरिया
23	कोठी टोला, मिरगंज मोहल्ला	36	पोखरिया हरिजन स्कूल से उत्तर स्थित मोहल्ला
24	संपूर्ण वार्ड	37	पोखरिया
28	संपूर्ण वार्ड	39	मिश्रा टोला विष्णुपुर
29	मुस्लिम मोहल्ला एवं दास टोला	40	विष्णुपुर पराट
30	गोपी टोला पावर हाउस रोड	41	पंडित टोला
31	तुरहा टोला कॉलेजिएट स्कूल के सामने, सीपीआई पार्टी ऑफिस के पीछे मुस्लिम मोहल्ला	42	विष्णुपुर, राजीव नगर, शर्मा टोला
32	तुरहा टोली, महापात्र टोला, माली टोला, गाछी टोला	43	सूक्कन टोला, वचनु लाल टोला, रविदास टोला, यादव टोला, खातोपुर मुस्लिम टोला, सिन्हा मोहल्ला

- यह भी उल्लेखनीय है कि बेगूसराय नगर के पास से मुंगेर-सहरसा फाल्ट लाइन गुजरती है, जो एक बड़े खतरे को पैदा कर सकती है।

8.1.2 भूकंप के संबंध में पूर्व तैयारी –

- भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है अतः पूर्व तैयारी आवश्यक है।
- भूकंप से बचाव की तैयारी को विभिन्न हिस्सों में बांटा जा सकता है जैसे
    - व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाना,
    - भवनों का RVS (Rapid Visual Screening) करना,
    - संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण (क्षतिग्रस्त मकानों के रेट्रोफिटिंग के लिए मकान मालिक को प्रेरित करना, नए भवनों का भूकंप रोधी निर्माण)
    - गैर-संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण (घर के अन्दर लगे सामानों को दीवारों से कस कर रखना),
    - भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का नियमित अभ्यास करना (अग्निशमक उकरण चलाना प्रदर्शित कर प्रशिक्षण देना)
    - राहत कर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में प्रशिक्षित करना तथा
    - ऐसी संभावित प्रस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नगर प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था पूर्व से तैयार रखना इत्यादि

- **जागरूकता कार्यक्रम –** इसे निम्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है
    - बेगूसराय नगर निगम और संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भूकंप सुरक्षा के बारे में जागरूक एवं प्रशिक्षित करना तथा उन्हें इससे संबंधित विस्तृत जानकारी एक नियमित अंतराल पर देना।

जिम्मेदारी
• **प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों की सूची और वार्षिक प्रशिक्षण योजना बनाना**-कनीय अभियंता, नगर निगम, • **Resource Person की व्यवस्था-** जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा SDRF • **वित्तीय व्यवस्था-** नगर निगम

    - नगर निगम के निर्वाचित और गणमान्य जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित और जागरूक करना।

जिम्मेदारी–
• **प्रशिक्षण के लिए निर्वाचित और गणमान्य जन प्रतिनिधियों की सूची और वार्षिक प्रशिक्षण योजना बनाना**-नगर प्रबंधक, नगर निगम • **प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्ति** - कनीय अभियंता, नगर निगम और Disaster Management Consultant, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण • **वित्तीय व्यवस्था-** नगर निगम

    - तीसरे चरण में नगर निगम के निर्वाचित और गणमान्य जन प्रतिनिधियों के सहयोग से वार्डवार भूकंप जागरूकता शिविर का आयोजन करना तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुँच बनाना।

जिम्मेदारी –
वार्ड वार प्रशिक्षण जागरूकता शिविर की वार्षिक योजना बनाना- CMM -नगर निगम / नगर-प्रबंधक, नगर निगम, **प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्ति** – कनीय अभियंता, नगर निगम और Disaster Management Consultant, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण **वित्तीय व्यवस्था--**नगर निगम

- **संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण**
    - भूकंप सुरक्षा पर प्रशिक्षित नगर निगम के अभियंताओं के माध्यम से बेगूसराय नगर के पुराने क्षतिग्रस्त भवनों (सरकारी एवं निजी) का RVS करना तथा क्षतिग्रस्त निजी मकानों के मकान मालिकों को रेट्रोफिटिंग करवाने के लिए प्रेरित करना। सरकारी भवनों के लिए संबंधित विभागों को सूचित करना। **(जिम्मेदारी – कार्यपालक अभियंता, नगर निगम)**
    - बेगूसराय नगर में बनने वाले नए भवनों के निर्माण के लिए बिल्डिंग बायलॉज़ के मापदंडों को अनिवार्य करना। **(जिम्मेदारी – कार्यपालक अभियंता, नगर निगम)**
- **गैर-संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण**
    - भवनों अथवा कार्यालयों के अन्दर लगे सामानों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें उचित तरीके से दीवारों से कस कर रखना। इस संबंध में नियमित तौर पर लोगों को जागरूक किया जाना जरुरी है, क्योंकि भूकंप के दौरान कंपन के कारण घरों के अन्दर के सामानों के गिरने

कि संभावना बहुत ज्यादा होती जिससे व्यक्ति को चोट लग सकती है अथवा घरों से बाहर निकलने का रास्ता अवरुद्ध हो सकता है।

- सार्वजनिक स्थानों पर तथा कार्यालयों के अन्दर गैर-संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण से संबंधित पोस्टर लगाकर भी इससे संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। (**जिम्मेदारी – उप नगर आयुक्त, नगर निगम**)

जिम्मेदारी
- **IEC सामग्री का निर्माण**- DEOC / DM Consultant, बेगूसराय
- **निर्मित सामग्री का प्रचार प्रसार**- उप नगर आयुक्त, नगर निगम

- **भूकंप से संबंधित मॉक ड्रिल का नियमित अभ्यास**
  - भूकंप बिना किसी पूर्व सूचना के आता है, अतः इससे बचाव के लिए समय कम मिलता है। ऐसी परिस्थिति में भूकंप से संबंधित मॉक ड्रिल (झुको, ढको, पकड़ो) का नियमित अभ्यास एक महत्वपूर्ण कार्य है जो लोगों को अपनी जान बचाने में मदद करेगा।

  - इसके लिए एक वार्षिक कैलेंडर बनाया जाएगा।

जिम्मेदारी –
• **वार्षिक कैलेंडर बनाना**-नगर प्रबंधक, नगर निगम;
• **समुदाय को mobilize करना**- CMM और संबधित वार्ड के CRP
• **Mock drill team की व्यवस्था**-SDRF, बेगूसराय

➢ **राहतकर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा पर प्रशिक्षित करना**

- नगर निगम के आपदा राहतकर्मी दल (Sanitation Inspectors, CRP, Sanitation Workers और Tax collectors) को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देना अति आवश्यक है ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में लोगों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके।

जिम्मेदारी – **वार्षिक कैलेंडर बनाना**-नगर प्रबंधक, नगर निगम; **प्रशिक्षण स्थल-** सदर अस्पताल; **प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्ति** -सिविल सर्जन, बेगूसराय स्वास्थ्य विभाग एवं SDRF

➢ **नगर प्रशासन के द्वारा की जाने वाली अन्य तैयारियां –**

- घनी आबादी वाले क्षेत्रों में खुले स्थानों को चिन्हित करना जहाँ लोगों को निकाल कर रखा जा सके।
- घायल लोगों के त्वरित इलाज़ के लिए अस्पतालों को वार्डवार चिन्हित करना तथा उनके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देना।

- किसी भी प्रकार की अफवाह को रोकने के लिए सूचना संप्रेषण की उचित व्यवस्था रखना जैसे लाऊडस्पीकर का इस्तेमाल करना।
- भगदड़ की स्थिति को रोकने के लिए भीड़ नियंत्रण का प्रयास करने की समुचित तैयारी रखना।
- घटना के तुरंत बाद एक कंट्रोल रूम को प्रारंभ कर सकें ऐसी व्यवस्था करना जिसके माध्यम से घटना स्थल पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों में सामंजस्य बनाया जा सके।
- राहत शिविर के संचालन का प्रावधान रखना।

8.1.3 भूकंप के दौरान प्रतिक्रिया –

आपदा की स्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी जल्दी हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार होंगे उतना कम नुकसान होगा।

- **कंट्रोल रूम की स्थापना–** भूकंप की सूचना के प्राप्त होते ही कंट्रोल रूम को नगर आयुक्त की सहमति से एक्टिवेट करना तथा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यों के संपादन के लिए प्रतिनियुक्त करना। यह कंट्रोल रूम एकीकृत कमांड सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। इसका समन्वय जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से भी किया जाना जरुरी है।

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
1	नगर आयुक्त	कमांड अधिकारी के रूप में- 1. सभी नगर निगम अधिकारियों की ज़िम्मेदारी फ़िक्स करना 2. DEOC एवं ज़िला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु संवाद स्थापित करना - अलर्ट मोड पर निम्न महत्वपूर्ण विभाग एवं संस्था को रहने के लिए सूचित करना a. DEOC, SDRF b. अग्निशाम सेवा c. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग d. ज़िला स्वास्थ्य समिति e. विद्युत विभाग f. संबंधित थाना एवं यातायात पुलिस g. स्थानीय CSOs 3. मीडिया से संवाद के लिए ज़िम्मेदार 4. ज़रूरी संसाधनों को जुटाने के लिए त्वरित रूप से सभी ज़िला स्तरीय विभाग के पदाधिकारियों से संवाद करना 5. मानवीय सहायता के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं एवं CSR को सहयोग करने के लिए प्रेरित कर उनका सहयोग लेना 6. ज़िला पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करना 7. प्रतिदिन शाम में दिनभर चली राहत कार्यों का अनुश्रवण एवं अगले दिन की योजना का निर्धारण करना 8. अकस्मात आए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन
2	उपनगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों में सहयोग करना तथा प्रतिदिन शाम में नगर आयुक्त को घटना और विभिन्न राहत दलों के द्वारा निष्पादित कार्यों का प्रतिवेदन समर्पित करना

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
		2. प्रभावित क्षेत्र में जाकर राहत कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना 3. नगर निगम के द्वारा बनाए गए विभिन राहत दलों का supportive supervision करना 4. राहत कार्यों के दौरान राहत दलों को logistic support सुनिश्चित करना
3	कार्यपालक अभियंता	1. आपदा के दौरान संरचनात्मक क्षति का आकलन और मूल्यांकन कर नगर आयुक्त को घटना स्थिति से अवगत कराना 2. सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के सहयोग से कार्यपालक अभियंता, सभी आवश्यक सिविल कार्यों का निष्पादन करेंगे 3. DEOC, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , SDRF और NDRF के साथ समन्वय कर भूकंप के दौरान बचाव में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी उपकरणों को घटना स्थल पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे 4. नगर निगम के द्वारा बनाए गए राहत एवं बचाव दल के कर्मियों को पदस्थापित करना 5. टैक्स कलेक्टर, वार्ड पार्षद और संबंधित CRP के साथ मिलकर समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों का आवश्यकतानुसार इंतज़ाम करना
4	नगर प्रबंधक	1. कंट्रोल रूम का संचालन करना 2. सभी राहत दलों के Team Leader के साथ समन्वय करना 3. घटना स्थल पर किए जा रहे राहत कार्यों में आने वाली परेशानियों और आवश्यकताओं के संबंध में उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सूचित करना 4. घायल/ बीमार एवं मृतकों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना 5. दिनभर की गतिविधियों का प्रतिदिन शाम में उप नगर आयुक्त को प्रतिवेदन समर्पित करना

राहत टीम – नगर आयुक्त कमांड अधिकारी के रूप में सबसे पहला कार्य राहत दल का गठन करना तथा प्रभावित क्षेत्रों में भेजना होगा (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)-

कार्य	उत्तरदायी	दायित्व
विभिन्न दलों का गठन	नगर आयुक्त	आपदा की सूचना प्राप्त होते ही नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त के सहयोग से निम्न दलों का गठन करेंगे- 1. खोज एवं बचाव कार्य दल 2. क़ानून एवं यातायात व्यवस्था 3. संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल 4. स्वास्थ्य सेवा दल 5. मानवीय सहायता दल 6. जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल 7. सूचना सम्प्रेषण दल 8. आपदा आकलन दल

खोज एवं बचाव कार्य – प्रभावित क्षेत्र में राहतकर्मियों और आवश्यक उपकरणों के पहुँचते ही खोज एवं बचाव का कार्य प्रारंभ करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
खोज एवं बचाव कार्य दल	कार्यपालक अभियंता	1. DEOC, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , SDRF और NDRF के साथ समन्वय कर बचाव में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी उपकरणों का घटना स्थल पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे 2. नगर निगम के द्वारा बनाए गए खोज एवं बचाव दल के कर्मियों को पदास्थापित करना 3. टैक्स कलेक्टर, वार्ड पार्षद और संबंधित CRP के साथ मिलकर समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों का आवश्यकतानुसार इंतज़ाम करना

क़ानून एवं यातायात व्यवस्था – प्रभावित क्षेत्र में कानून व्यवस्था, राहत कार्यों की सुगमता तथा घायलों को ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित थाना को सूचित करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
क़ानून एवं यातायात व्यवस्था दल	उप नगर आयुक्त-	संबंधित थाना के थानाध्यक्ष एवं उपाधीक्षक ट्रैफ़िक पुलिस की मदद से प्रभावित क्षेत्र में निम्न कार्य सुनिश्चित करवाना - 1. कानून व्यवस्था को बनाये रखना 2. राहत कार्यों की सुगमता सुनिश्चित करवाना तथा 3. घायलों को ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था 4. मानव तस्करी रोकने के लिए संबंधित थाना को निर्धारित मापदंडों के अनुसार आवश्यक उपाय करना 5. राहत शिविरों में समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करना जिससे बाल शोषण एवं महिला उत्पीड़न को रोका जा सके

राहत उपकरण – भूकंप की तीव्रता और उससे हुए नुकसान को देखते हुए तत्काल ही सभी आवश्यक उपकरण को घटनास्थल पर भेजने का प्रबंध करना (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)। आवश्यक उपकरणों की सूची अंत में दी गयी है.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल	टैक्स कलेक्टर	1. समुदाय के ऐसे लोगों की सूची तैयार करना जिनके पास भूकंप आने पर खोज एवं बचाव में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हों जैसे JCB, क्रेन, रस्सा, जैक, सा कटर आदि. 2. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित BSDRN पोर्टल पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध संसाधनों की जानकारी लेकर यथाशीघ्र उनके मालिकों से संपर्क स्थापित करना।

स्वास्थ्य सेवा – प्रभावित क्षेत्रों में घायलों के इलाज़ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से ही चिन्हित अस्पतालों को निर्देश देना तथा उनके टीम की उपस्थिति सुनिश्चित करना.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी

स्वास्थ्य सेवा दल	उप नगर आयुक्त	सिविल सर्जन की मदद से 1. नगर के सभी अस्पतालों (निजी सहित) को आकस्मिक सेवा के लिए संदेश भेजवाना 2. आवश्यकतानुसार ambulance की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना (DEOC की सेवा ली जा सकती है) 3. घटनास्थल के लिए आवश्यक संख्या में चिकित्सा दल की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना 4. प्राथमिकता के आधार पर घायल व्यक्तियों की चिकित्सा सुनिश्चित करना 5. प्रभावित क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग जनों, बुजुर्गों, गम्भीर रूप से बीमार के लिए समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना 6. बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करना 7. प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं 0-5 साल के बच्चों को ICDS मानक अनुसार पोषक आहार मिले इसके लिए ज़िला पदाधिकारी एवं DPO-ICDS के साथ समन्वय करना

जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई -

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल	सैनिटेशन इन्स्पेक्टर	1. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , स्वयं सेवी संस्थाओं, Lions Club आदि के साथ समन्वय कर चलित शौचालय, शुद्ध पेयजल एवं कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना 2. क्षतिग्रस्त मकानों के मलवों का निस्तारण करना 3. क्षतिग्रस्त मकानों के मलवे को नीची जगहों अथवा गड्ढों को भरने में इस्तेमाल करना 4. राहत शिविरों में समुचित मात्रा में सैनिटेरी पैड का इंतज़ाम सुनिश्चित करना

मानवीय सहायता – प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए आवश्यक उपाय करना। खुली जगहों पर एकत्रित लोगों के लिए खाने-पीने की समुचित व्यवस्था करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
मानवीय सहायता दल	CMM	1. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में अंचल अधिकारी के साथ समन्वय कर चिन्हित खुले जगहों पर राहत शिविर लगवाना 2. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में ज़िला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी के साथ समन्वय कर प्रभावित लोगों के लिए खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना 3. समुदाय या City Level Federation की मदद से सामुदायिक रसोई घर का संचालन करवाना

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
		4. वार्ड वार CRP एवं वार्ड पार्षद के सहयोग से प्रभावित लोगों को सांत्वना देना, उनकी संवेदनाओं को समझना एवं राहत सहायता प्राप्त करने में सहयोग करना 5. आवश्यकतानुसार सिविल सर्जन की मदद से सदमे या मानसिक आघात से प्रभावित व्यक्तियों को trauma management के लिए मनोविशेषज्ञ की सुविधा उपलब्ध कराना 6. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में अंचल अधिकारी के साथ समन्वय कर मौसम अनुकूल रहात कार्यों का संचालन यथा ठंड के समय प्रभावित लोगों के लिए कम्बल तथा अलाव की व्यवस्था करना, बारिश के समय water proof tent लगवाना आदि 7. मानव तस्करी तथा अराजक गतिविधियों (बाल शोषण एवं महिला उत्पीड़न) में संलिप्त अराजक तत्वों की पहचान कर संबंधित थाना को तत्काल सूचित करना

सूचना सम्प्रेषण दल : भूकंप जैसी आपदा के दौरान, after shock को लेकर अफ़वाह सामान्य बात है जिस कारण समुदाय में एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इस कारण प्रभावित क्षेत्र के लोग लम्बे समय तक खुले स्थानों पर रहने को मजबूर होते हैं। आवश्यकता है कि ऐसी अफ़वाह को फ़ैलने से रोकने का भरपूर प्रयास किया जाए।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
सूचना सम्प्रेषण दल	नगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त, IPRD की मदद से आपदा के दौरान प्रत्येक दिन शाम को Press Briefing देंगे 2. अफ़वाह रोकने के लिए Social Media का इस्तेमाल करना तथा नगर में Miking की व्यवस्था करना 3. Toll free हेल्प लाइन नम्बर जारी करना

अतिरिक्त सहायता के संदर्भ का आकलन – घटनास्थल पर पहुंचे पदाधिकारियों के द्वारा प्रभावित क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन करना। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सहायता के लिए जिला प्रशासन, अग्निशाम सेवा, SDRF/NDRF या राज्य प्रशासन को सूचना देना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
आपदा आकलन दल	नगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त घटना स्थल का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे 2. आपदा से हुए नुक़सान का आकलन करते हुए यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सहायता के लिए ज़िला प्रशासन, अग्निशाम सेवा, SDRF/NDRF या राज्य प्रशासन से अनुरोध करेंगे 3. आवश्यकतानुसार नगर आयुक्त परिस्थिति के संदर्भ में वन विभाग, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, ज़िला परिवहन विभाग और अन्य किसी भी लाइन विभाग की सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं

8.2 बाढ़ एवं जल जमाव – प्रतिक्रिया योजना

जल जमाव एक मानव जनित आपदा है जो अत्यधिक बारिश तथा नगर के जल निकास व्यवस्था में रुकावट के कारण होती है। सामान्यतः नगर का वह क्षेत्र जिसका प्राकृतिक ढलान बाहर की ओर न होकर अवरुद्ध रहता है, वैसे निचले क्षेत्र में जल जमाव की समस्या पैदा होती है। मानसून के समय यह समस्या सामने आती है, विशेषकर जुलाई माह के उत्तरार्ध से सितम्बर माह के अंत तक। इसका एक दूसरा पहलू यह है इन निचले क्षेत्र में प्राकृतिक जल निकास का साधन नहीं होता है, तथा कृत्रिम जल निकास मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जल जमाव के कारण प्रभावित क्षेत्र में सामान्य जन जीवन अत्यधिक प्रभावित होता है। इस आपदा से जान की हानि नहीं होती है परंतु लम्बे समय तक जल जमाव कई प्रकार के संचारी रोगों को जन्म देता है, जो जन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

उद्देश्य : जल जमाव के दौरान तथा बाद में कुछ संभावित परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिनका समुचित रूप से ध्यान रखने पर ही हम जल जमाव के प्रति उचित प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया योजना का उद्देश्य है कि जल जमाव आपदा के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रत्युत्तर दे सकना जिससे होने वाले नुक़सान को कम से कम किया जा सके और सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली जल्द से जल्द हो सके।
जल जमाव आने के पश्चात निम्न संभावित परिस्थितियाँ सामान्यतः उत्पन्न होती हैं –

- सड़कों पर अथवा गलियों में पानी का जमा होना
- मकानों में पानी घुस जाना तथा घर के समानों का नुक़सान होना
- लोगों को खाने-पीने की दिक्कत होना इत्यादि
- आवगमन में व्यवधान पैदा होना
- संचारी रोगों यथा डेंगू, मलेरिया, डायरिया, हैजा, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का फैलना
- जल का प्रदूषित होना
- भूमिगत सर्विस लाइन का नुक़सान

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तर के लिए निम्न कार्य किए जाने आवश्यक हैं-

- राहत एवं बचाव कार्य
- जल निकासी की व्यवस्था करना
- यातायात व्यवस्था प्रबंधन
- संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) करना
- स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- मानवीय सहायता उपलब्ध कराना
- जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई
- सूचना सम्प्रेषण एवं मीडिया प्रबंधन

उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जल जमाव से संबंधित आपदा प्रत्युत्तर योजना को विस्तार से निम्नरूपेण व्याख्यायित किया जा सकता है-

8.2.1 जल जमाव के दृष्टिकोण से बेगूसराय नगर का परिचय

- बेगूसराय के लगभग एक तिहाई वार्डों में जल जमाव एक गम्भीर समस्या है।
- वार्ड संख्या 4, 5, 6, 17 एवं 18 मानसून के दौरान बाढ़ से प्रभावित होता है, इसका मुख्य कारण है कि ये सभी वार्ड बाढ़ सुरक्षा बांध के आंतरिक भाग में अवस्थित हैं।
- नीचे दिए गए तालिका में विभिन्न वार्ड एवं उनके मोहल्ले मानसून के दौरान जल जमाव से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और इस वजह से नगर वासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

क्र ०	वार्ड नम्बर	मोहल्ला
बाढ़ प्रभावित वार्ड और मोहल्ले		
1	4	कैलाशपुर (अंशभाग)
2	5	सम्पूर्ण वार्ड
3	6	मुशहर टोल (अंशभाग)
4	17	पशपुरा (अंशभाग)
5	18	सम्पूर्ण वार्ड
जल जमाव से प्रभावित वार्ड		
6	22	मिंयाँचक
7	28	लोहिया नगर
8	29	बाघा, दास मोहल्ला, मुस्लिम मोहल्ला
9	32	स्टेशन रोड, तिलक नगर
10	36	अशोक नगर, अशोक नगर पोखरिया
11	37	चित्रगुप्त नगर पोखरिया
12	38	महमदपुर, चाणक्य नगर
13	39	विष्णुपुर
14	40	सर्वोदय नगर, भारद्वाज नगर, MRJD कॉलेज
15	41	पंडित टोला
16	42	राजीव नगर, शर्मा टोला
17	43	सूक्कन टोला, रजक मोहल्ला
18	44	खातोपुर
19	45	वाजितपुर

- बाढ़ के दौरान **राहत शिविर लगाने हेतु** नगर प्रशासन के द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के नज़दीक के छः विद्यालयों यथा **वार्ड संख्या 3 में राजकीय विद्यालय, उल्लाव एवं प्राथमिक विद्यालय उल्लाव; वार्ड संख्या 4 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मचहा; वार्ड संख्या 7 में मध्य विद्यालय डूमरी; वार्ड संख्या 8 में मध्य विद्यालय राजापुर; और वार्ड संख्या 17 में मध्य विद्यालय रमदिरी** को चिन्हित किया गया है।

8.2.2 जल जमाव के संबंध में पूर्व तैयारी

- मानसून के पूर्व सभी छोटे, मध्यम तथा बड़े नालों के गाद की समुचित सफ़ाई करवाना।
- जल जमाव वाले चिन्हित जगहों पर मानसून के पूर्व पानी निकालने वाले मोटर पम्प की व्यवस्था करना।
- नगर निगम के स्तर से योजनाबद्ध तरीक़े से ठोस कचरा का निस्तारण एवं सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करना।

- विशेष रूप से जल जमाव वाले वार्ड स्थलों के संबंधित सफाई इंस्पेक्टरों को पूर्व से ही जल जमाव को ध्यान में रख कर नालों की ससमय सफ़ाई करवाना एवं नाले के मुख्य निकास पर जाली लगाना।
- नगर स्तर पर बाढ़ और जल जमाव वाले क्षेत्रों के लिए टास्क फ़ोर्स का गठन करवाना ।
- बाढ़ से प्रभावित होने वाले वार्डों के लोगों को बाढ़ के बारे में पूर्व चेतावनी जारी करने की प्रणाली DEOC और DSO (District Statistics Officer) के साथ समन्वय कर स्थापित करना ।
- वार्ड संख्या 4, 5, 6, 17 एवं 18 मानसून के दौरान सामान्यतः हर वर्ष बाढ़ आती है इसलिए इन क्षेत्रों के लिए पूर्व से आश्रय स्थल को चिन्हित किए गए जगहों पर राहत कार्यों में इस्तेमाल वाली सामग्रियों की बुनियादी व्यवस्था पूर्व से करके रखना।

नगर प्रशासन के द्वारा की जाने वाली अन्य तैयारियां –

- पर्याप्त संख्या में पानी निकालने के लिए मोटर पम्प को संवेदनशील इलाक़ों में स्थापित करना।
- मोटर मैकेनिक की सूची तैयार रखना ताकि मोटर ख़राब होने की स्थिति में तत्काल ठीक किया जा सके।
- बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के घरों में फँसे लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाने हेतु नाव व मोटर बोट एवं गोताखोरों की व्यवस्था रखना।
- पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर का भंडारण रखना ताकि पानी निकास के तुरंत बाद इसका छिड़काव किया जा सके।
- फ़ॉगिंग करने के लिए सभी ज़रूरी उपकरणों व रसायनों का भंडारण करना।
- घटना के तुरंत बाद एक कंट्रोल रूम को प्रारंभ कर सकें ऐसी व्यवस्था करना जिसके माध्यम से घटना स्थल पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों में सामंजस्य बनाया जा सके।
- राहत शिविर के संचालन का प्रावधान रखना।

8.2.3 जल जमाव के दौरान प्रतिक्रिया –

आपदा की स्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी जल्दी हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार होंगे उतना कम नुकसान होगा।

- **कंट्रोल रूम की स्थापना–** नगर परिधि के अंतर्गत किसी क्षेत्र में बाढ़ एवं जल जमाव की स्थिति बनते ही कंट्रोल रूम को नगर आयुक्त की सहमति से एक्टिवेट करना तथा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यों के संपादन के लिए प्रतिनियुक्त करना। यह कंट्रोल रूम एकीकृत कमांड सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। इसका समन्वय जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से भी किया जाना जरुरी है। नगर निगम अवस्थित कंट्रोल रूम का संचालन नगर आयुक्त के निर्देशन में उप नगर आयुक्त और नगर प्रबंधक करेंगे और उनकी मुख्य ज़िम्मदारियाँ आगे की तालिका में दी गयी है-

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
1	नगर आयुक्त	**कमांड अधिकारी के रूप में-** 1. सभी नगर निगम अधिकारियों की ज़िम्मेदारी फ़िक्स करना 2. DEOC एवं ज़िला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु संवाद स्थापित करना - अलर्ट मोड पर निम्न विभाग एवं संस्था को रहने के लिए सूचित करना a. DEOC, SDRF b. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग c. ज़िला स्वास्थ्य समिति

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
		d. विद्युत विभाग e. संबंधित थाना एवं यातायात पुलिस f. स्थानीय CSOs 3. मीडिया से संवाद के लिए ज़िम्मेदार 4. ज़रूरी संसाधनों को जुटाने के लिए त्वरित रूप से सभी ज़िला स्तरीय विभाग के पदाधिकारियों से संवाद करना 5. मानवीय सहायता के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं एवं CSR को सहयोग करने के लिए प्रेरित कर उनका सहयोग लेना जैसे IOL, NTPS, रोटरी क्लब आदि 6. आवश्यकतानुसार ज़िला पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करना 7. प्रतिदिन शाम में दिनभर चली राहत कार्यों का अनुश्रवण एवं अगले दिन की योजना का निर्धारण करना 8. अकस्मात आए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन
2	उपनगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों में सहयोग करना तथा प्रतिदिन शाम में नगर आयुक्त को घटना और विभिन्न राहत दलों के द्वारा निष्पादित कार्यों का प्रतिवेदन समर्पित करना 2. प्रभावित क्षेत्र में जाकर राहत कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना 3. नगर निगम के द्वारा बनाए गए विभिन राहत दलों का supportive supervision 4. राहत कार्यों के दौरान राहत दलों को logistic support सुनिश्चित करना
3	कार्यपालक अभियंता	1. आपदा के दौरान संरचनात्मक क्षति का आकलन और मूल्यांकन कर नगर आयुक्त को घटना स्थिति से अवगत कराना 2. सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के सहयोग से सभी आवश्यक सिविल कार्यों का निष्पादन करेंगे 3. DEOC, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , SDRF और NDRF के साथ समन्वय कर बाढ़ के दौरान बचाव में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी उपकरणों को घटना स्थल पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे 4. नगर निगम के द्वारा बनाए गए राहत एवं बचाव दल के कर्मियों को पदस्थापित करना 5. टैक्स कलेक्टर, वार्ड पार्षद और संबंधित CRP के साथ मिलकर समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों का आवश्यकतानुसार इंतज़ाम करना
4	नगर प्रबंधक	1. कंट्रोल रूम का संचालन करना 2. सभी राहत दलों के Team Leader के साथ समन्वय करना 3. घटना स्थल पर किए जा रहे राहत कार्यों में आने वाली परेशानियों और आवश्यकताओं के संबंध में उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सूचित करना 4. घायल/ बीमार एवं मृतकों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना 5. दिनभर की गतिविधियों का प्रतिदिन शाम में उप नगर आयुक्त को प्रतिवेदन समर्पित करना

राहत टीम – नगर आयुक्त कमांड अधिकारी के रूप में सबसे पहला कार्य राहत दल का गठन करना तथा प्रभावित क्षेत्रों में भेजना होगा (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)-

कार्य	उत्तरदायी	दायित्व
विभिन्न दलों का गठन	नगर आयुक्त	आपदा की सूचना प्राप्त होते ही नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त के सहयोग से निम्न दलों का गठन करेंगे- 1. राहत एवं बचाव कार्य दल 2. यातायात व्यवस्था 3. संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल 4. स्वास्थ्य सेवा दल 5. मानवीय सहायता दल 6. जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल 7. सूचना सम्प्रेषण दल

राहत एवं बचाव कार्य – प्रभावित क्षेत्र में राहतकर्मियों और आवश्यक उपकरणों के पहुँचते ही पानी निकासी का कार्य प्रारंभ करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
राहत एवं बचाव कार्य दल	कार्यपालक अभियंता* सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता	1. DEOC, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , SDRF और NDRF के साथ समन्वय कर बाढ़ के दौरान बचाव में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी उपकरणों को घटना स्थल पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे 2. नगर निगम के द्वारा बनाए गए राहत एवं बचाव दल के कर्मियों को पदस्थापित करना 3. टैक्स कलेक्टर, वार्ड पार्षद और संबंधित CRP के साथ मिलकर समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों का आवश्यकतानुसार इंतज़ाम करना

(*कार्यपालक अभियंता वर्तमान में पाँच ज़िला के प्रभार में हैं, ** सहायक अभियंता का पद रिक्त है और BUIDCO के सहायक अभियंता प्रभार में हैं)

यातायात व्यवस्था – प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्यों की सुगमता लिए यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित थाना/ ट्रैफ़िक थाना को सूचित करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
क़ानून एवं यातायात व्यवस्था दल	उप नगर आयुक्त-	संबंधित थाना प्रभारी एवं पुलिस उपाधिक्षक-ट्रैफ़िक/थाना अध्यक्ष-ट्रैफ़िक थाना, की मदद से प्रभावित क्षेत्र में निम्न कार्य सुनिश्चित करवाना - 1. राहत कार्यों की सुगमता सुनिश्चित करवाना तथा 2. आवश्यकतानुसार ट्रैफ़िक को डाईवर्ट करना 3. गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था 4. राहत शिविरों में समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करना जिससे बाल शोषण एवं महिला उत्पीड़न को रोका जा सके

राहत उपकरण – जल जमाव की तीव्रता और उससे हुए नुकसान को देखते हुए तत्काल ही सभी आवश्यक उपकरण को घटनास्थल पर भेजने का प्रबंध करना (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)। आवश्यक उपकरणों की सूची अंत में दी गयी है.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल	टैक्स कलेक्टर	1. समुदाय के ऐसे लोगों की सूची तैयार करना जिनके पास जल जमाव या बाढ़ की स्थिति होने पर राहत एवं बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण हों जैसे लाइफ़ जैकेट, नाव, जेनरेटर आदि. 2. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित BSDRN पोर्टल पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध संसाधनों की जानकारी लेकर यथाशीघ्र उनके मालिकों से संपर्क स्थापित करना।

स्वास्थ्य सेवा – प्रभावित क्षेत्रों में घायलों के इलाज़ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से ही चिन्हित अस्पतालों को निर्देश देना तथा उनके टीम की उपस्थिति सुनिश्चित करना.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
स्वास्थ्य सेवा दल	उप नगर आयुक्त	सिविल सर्जन की मदद से 1. नियमित रूप से चिकित्सीय देखभाल में रहने वाले वैसे मरीज़ जिन्हें तत्काल ही अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है परंतु उनके बेहतर स्वास्थ्य देख भाल के लिए घर पर ही चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाना 2. आवश्यकतानुसार ambulance की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना ताकि गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा ससमय मिल सके (DEOC की सेवा ली जा सकती है) 3. संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए preventive medicine की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना 4. प्रभवित क्षेत्रों में रह रहे गर्भवती महिलाओं एवं 0-1 साल के बच्चों, दिव्यांग जनों, बुजुर्गों, गम्भीर रूप से बीमार के लिए समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना 5. बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करना 6. प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं 0-5 साल के बच्चों को ICDS मानक अनुसार पोषक आहार मिले इसके लिए ज़िला पदाधिकारी एवं DPO-ICDS के साथ समन्वय करना

जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल-

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल	सैनिटेशन इन्स्पेक्टर	1. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्वयं सेवी संस्थाओं आदि के साथ समन्वय कर **बायो डायजेस्टर युक्त चलित शौचालय, शुद्ध पेयजल एवं कचरा प्रबंधन** सुनिश्चित करना 2. घरेलू स्तर पर पेयजल को शुद्ध करने के लिए Chlorine Tablet का वितरण करवाना 3. पानी निकासी के उपरांत जमे हुए मलवों का उचित निस्तारण करना 4. जल जमाव के दौरान एवं पानी निकासी के उपरांत ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव एवं फ़ॉगिंग करवाना 5. राहत शिविरों में जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई सुनिश्चित करना 6. राहत शिविरों में समुचित मात्रा में सैनिटरी पैड का इंतज़ाम सुनिश्चित करना

मानवीय सहायता – प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए आवश्यक उपाय करना। राहत शिविरों में एकत्रित लोगों के लिए खाने-पीने की समुचित व्यवस्था करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
मानवीय सहायता दल	CMM	1. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में अंचल अधिकारी के साथ समन्वय कर चिन्हित जगहों पर राहत शिविर लगवाना 2. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में ज़िला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी के साथ समन्वय कर प्रभावित लोगों के लिए खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना 3. समुदाय या City Level Federation की मदद से सामुदायिक रसोई घर का संचालन करवाना 4. ANM की मदद से प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं 0-5 साल के बच्चों की सूची अनुसार इन लोगों के लिए सामुदायिक रसोई में ICDS के मानक अनुसार पोषक आहार बनवाना 5. वार्ड वार CRP एवं वार्ड पार्षद के सहयोग से प्रभावित लोगों को सांत्वना देना, उनकी संवेदनाओं को समझना एवं राहत सहायता प्राप्त करने में सहयोग करना 6. मानव तस्करी तथा अराजक गतिविधियों (बाल शोषण एवं महिला उत्पीड़न) में संलिप्त अराजक तत्वों की पहचान कर संबंधित थाना को तत्काल सूचित करना

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
		7. ANM की मदद से प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे गर्भवती महिलाओं एवं 0-1 साल के बच्चों की सूची तैयार कर स्वास्थ्य दल के साथ साझा करना

सूचना सम्प्रेषण दल : बाढ़ एवं जल जमाव के दौरान अफ़वाहों का फैलना सामान्य बात है जिस कारण समुदाय में एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। आवश्यकता है कि अफ़वाह को फ़ैलने से रोकने का भरपूर प्रयास किया जाए।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
सूचना सम्प्रेषण दल	नगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त, IPRD की मदद से आपदा के दौरान प्रत्येक दिन शाम को Press Briefing देंगे 2. अफ़वाह रोकने के लिए Social Media का इस्तेमाल करना तथा नगर में Miking की व्यवस्था करना 3. Toll free हेल्प लाइन नम्बर जारी करना

8.3 अगलगी – प्रतिक्रिया योजना

नगर के अन्दर अगलगी एक मानवजनित आपदा है जो मानवीय भूल के कारण होती है। नगर में अगलगी के अनेक कारण हो सकते हैं यथा विद्युत् लाइन में शार्ट सर्किट होना, रसोई घर में खाना बनाते समय चूल्हे की आग से, दिवाली या अन्य पर्व त्योहारों के दौरान पटाखों को छोड़ने से, घरों में दीपक, मोमबत्ती या लालटेन से, पूजा के दौरान हवन करते समय, ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित नियमों का उल्लंघन तथा ऐसी ही अनेकानेक परिस्थितियों में आग लगने की आशंका रहती है। नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। वास्तव में यह एक ऐसी आपदा है जिसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि हमलोग दिन प्रतिदिन अगलगी के विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल करते है और थोड़ी सी असावधानी ऐसी घटना को अंजाम देती है। इससे संबंधित जागरूकता, सतर्कता और सावधानी से ऐसी घटनाओं के होने से रोका जा सकता है। यदि आग लग जाता है तो तीव्र प्रतिक्रिया से नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। अगलगी होने पर जान माल की क्षति होती है।

उद्देश्य : अगलगी के दौरान तथा बाद में कुछ संभावित परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिनका समुचित रूप से ध्यान रखने पर ही हम अगलगी के दौरान उचित प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया योजना का उद्देश्य है कि अगलगी होने पर और पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रत्युत्तर दे सकना जिससे होने वाले नुक़सान को कम से कम किया जा सके और सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली जल्द से जल्द हो सके।

अगलगी होने पर निम्न संभावित परिस्थितियाँ सामान्यतः उत्पन्न होती हैं –

- मकानों में आग लगना
- लोगों का जल जाना / जीवन क्षति अथवा घायल होना
- घर के सामानों का जलना
- आस-पास के घरों में आग लगने कि संभावना
- लोगों का लंबे समय तक विस्थापन
- अफरा-तफरी फैलना या भगदड़ होना
- लोगों को खाने-पीने की दिक्कत होना इत्यादि

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तर के लिए निम्न कार्य किए जाने आवश्यक हैं-

- खोज, बचाव एवं राहत कार्य विशेषकर लोगों के साथ-साथ उनके सामानों का आपातकालीन निकास
- आग को फैलने से रोकने कि व्यवस्था
- क़ानून एवं यातायात व्यवस्था प्रबंधन
- संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) करना
- स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- मानवीय सहायता उपलब्ध कराना
- आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना
- जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई
- सूचना सम्प्रेषण एवं मीडिया प्रबंधन
- आपदा की भयावहता का आकलन
- नगर निगम क्षेत्र में लैंड्मार्क स्थापित करने हेतु साइनेज

उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अगलगी से संबंधित आपदा प्रत्युत्तर योजना को विस्तार से निम्नरूपेण देखा जा सकता है-

8.3.1 अगलगी के दृष्टिकोण से बेगूसराय नगर का परिचय

- बेगूसराय नगर का मध्य भाग घनी आबादी का तथा मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र है और साथ ही इन क्षेत्रों में मकान काफी सटे-सटे बने हुए हैं, सडकों कि चौड़ाई बहुत ही कम है तथा खुली जगहों का अभाव है। इन क्षेत्रों में आग लगने पर ज़्यादा क्षति होने की आशंका सबसे अधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि आग लगने पर ऐसे स्थानों पर अग्निशमन वाहनों का पहुँचना मुश्किल होता है, जिससे नुक़सान व्यापक पैमाने पर होने की आशंका बढ़ जाती है।
- बेगूसराय प्रखंड में अग्निकांड का विवरण

वर्ष	अग्निकांड की संख्या	मृत्यु (मनुष्य)	मृत्यु (जानवर)
वर्ष 2019	31	उल्लेखनीय है कि इन अग्निकांडों में मानव क्षति नहीं हुई।	उल्लेखनीय है कि इन अग्निकांडों में जानवरों की क्षति नहीं हुई।
वर्ष 2020	20		
वर्ष 2021	26		
वर्ष 2022	13		

स्रोत – ज़िला अग्निशमन विभाग

- अगलगी से उच्च प्रवण वार्ड और मोहल्ले

क्र ०	वार्ड नम्बर	मोहल्ला
1	21, 22	दास टोला फरगाहा, पश्चिमी मियाँचक, चट्टी रोड से सटे मोहल्ले
2	24	सुभाष नगर, यशपाल नगर, सत्संग मोहल्ला, कुशवाहा मोहल्ला, पासवान मोहल्ला एवं ताँती मोहल्ला
3	28	लोहिया नगर
4	29	मुस्लिम मोहल्ला, वाघा पवारी मोहल्ला, वाघा रघुवर नगर, नोनिया टोला
5	30,31	गाछी टोला, CPI के पीछे मुस्लिम मोहल्ला, तुरहा टोला कंपोज़िट स्कूल के सामने
6	32,33,34	मुंगेरिगंज, हीरालाल चौक से कर्पूरी स्थान, सदर अस्पताल से नौरंग पूल तक, चट्टी रोड के समीप मोहल्ला, तुरहा टोली, महापत्र टोला, मियाँचक एवं तखन्ना

- नीचे दिए गए भवन तथा व्यावसायिक संस्थान भी अगलगी से प्रवण होते हैं:

क्र ०	भवनों/ व्यावसायिक संस्थान	नगर में संख्या
1	सरकारी भवन	23
2	बड़े अस्पताल	46
3	सिनेमा हॉल	2
4	मॉल	8
5	पेट्रोल पम्प	20
6	बैंक	13
7	गैस गोदाम	10

- नगर में अवस्थित 34 मलिन बस्तियों में शॉर्ट सर्किट तथा खाना बनाने के दौरान और अग्नि के खुले स्रोतों से आग लगने की सम्भावना प्रबल रहती है।

क्र०	स्लम का नाम	स्लम कोड	नये वार्ड का नाम	कुल आवादी (2011)	घरों की संख्या
1	राजीव नगर (बिसुनपुर)	10-42002000-001	42	1130	226
2	बाघा पूर्वी टोला	10-42002000-002	29	1625	325
3	लोहिया नगर	10-42002000-003	28	470	110
4	विष्णुपुर	10-42002000-004	39	490	98
5	सर्वदाय	10-42002000-005	40	310	58
6	पोखरिया	10-42002000-006	37	350	70
7	पासी टोला	10-42002000-007	33	380	61
8	तरवाना मुस्लिम टोला	10-42002000-008	34	780	153
9	चक गोपाल	10-42002000-009	20	700	500
10	पासवान टोला	10-42002000-010	32	420	75
11	मीर गंज	10-42002000-011	23	200	40
12	पासवान टोला	10-42002000-012	13	350	70
13	पोखरा मोहल्ला	10-42002000-013	39	900	150
14	पोखरिया मोहल्ला	10-42002000-014	35	1100	200
15	मीरगंज	10-42002000-019	31	660	110
16	गाँधी टोला	10-42002000-020	32	780	140
17	कोठी टोला	10-42002000-021	23	125	46
18	दसटोला मुस्लिम टोला	10-42002000-022	12	1190	238
19	सुभाष टोला मुस्लिम	10-42002000-023	24	830	166
20	शर्मा टोला	10-42002000-024	42	1050	210
21	तरवाना	10-42002000-029	34	225	45
22	कुशवाहा टोला	10-42002000-030	21	750	150
23	गाछी टोला मुस्लिम	10-42002000-031	22	1025	205
24	दसटोला	10-42002000-032	21	450	90
25	पुरानी मछली मार्केट	10-42002000-033	31	775	155
26	गाछी टोला	10-42002000-034	30	790	143
27	माली टोला	10-42002000-035	32	410	82
28	तेलिया पोखर	10-42002000-036	21	600	120
29	बुद्धा स्कूल	10-42002000-037	28	220	44

क्र०	स्लम का नाम	स्लम कोड	नये वार्ड का नाम	कुल आवादी (2011)	घरों की संख्या
30	महतो टोली	10-42002000-038	24	440	89
31	दास मोहल्ला	10-42002000-039	29	220	44
32	कल्याणपुर	10-42002000-041		965	213
33	नया टोला	10-42002000-042		335	67
34	पासवान टोला बाघा	10-42002000-043	24	260	52

- बेगूसराय नगर में अग्निशमन दस्ता के पास दो तरह के अग्निशमन वाहन हैं और नगर में कई जगह पर hydrant की भी व्यवस्था की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है।

अग्निशमन वाहन के प्रकार	अग्निशमन वाहन की संख्या	अग्निशमन वाहन की जल क्षमता
वाटर टेंडर	05	4500 लीटर एवं 3500 लीटर
MT वाहन	01	400 लीटर x 03

स्रोत – ज़िला अग्निशमन विभाग

- नगर में कार्यरत hydrant का विवरण:

Hydrant की संख्या	Hydrant का स्थल	अग्निशमन सेवा कार्यालय से दूरी	पम्प का diameter
03	अग्निशमन कार्यालय	0 कि०मी०	2 इंच
	पी०एच०ई०डी०, बेगूसराय	4 कि०मी०	2 इंच
	रिफाइनरी परिसर	5 कि०मी०	4 इंच

स्रोत – ज़िला अग्निशमन विभाग

- नगर में जितने hydrant लगे हैं वह नगर के क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात में कम है। इसलिए अग्नि आपदा के सम्भावित क्षेत्र/ वार्ड के आस-पास Hydrant लगाना ज़रूरी है।
- बेगूसराय अग्निशामानलय के पास उपलब्ध संसाधन:

क्र0	सामानों का नाम	संख्या	कार्यशील (हाँ/ ना)
1	टायर 1020 रिंग के साथ	दो अदद	हाँ
2	टायर 835	चार अदद	हाँ
3	टायर 620	दो अदद	हाँ
4	फोम ड्रम नीला$ फोम ड्रम काला	बाईस डब्बा	हाँ
5	डिलवरी होज मेल $ फिमेल कपलिंग(मेटल)	तेरह अदद	नहीं
6	डिलीवरी होज मेल $ फिमेल कपलिंग (स्टील)	दस अदद	हाँ
7	डिलीवरी होज सिर्फ फिमेल कपलिंग	चार अदद	हाँ

क्र0	सामानों का नाम	संख्या	कार्यशील (हाँ/ ना)
8	डिलीवरी होज सिर्फ मेल कपलिंग	तीन अदद	हाँ
9	फोम ब्रांच $ फोम ब्रांच ठ2	तीन अदद	हाँ
10	हाइडेन्ट पाईप	दो अदद	हाँ
11	घंटी पुराना	चार अदद	हाँ
12	मेल फिमेल सेक्शन कपलिंग	तेईस अदद	हाँ
13	मेल कपलिंग	पांच अदद	हाँ
14	सूचना पट्ट	एक अदद	हाँ
15	मेटल स्टेनर	सात अदद	हाँ
16	कलेक्टिंग हेड 2 वेज	पांच अदद	हाँ
17	कलेक्टिंग हेड 3 वेज	दो अदद	हाँ
18	डिवाईडींग ब्रीचिंग$ कलेक्टिंग ब्रीचिंग	नौ अदद	हाँ
19	जक	सात अदद	हाँ
20	मोनीटर ब्रांच	एक अदद	हाँ
21	सेक्शन रींच	ग्यारह अदद	हाँ
22	आयरन टांग बिना हैण्डल का	चार अदद	हाँ
23	उडेन्सा (आरी)	दो अदद	हाँ
24	कुदाल	एक अदद	हाँ
25	सावेल	दो अदद	हाँ
26	ग्रीस गन	एक अदद	नहीं
27	वोल्ट कटर	दो अदद	हाँ
28	सेक्शन एडप्टर	दस अदद	हाँ
29	सेक्शन ब्लैंकप स्टील	एक अदद	हाँ
30	डिलवारी आउटलेट ब्लैंकप (स्टील)	एक अदद	हाँ
31	नोजल ब्रांच गन मेटल का	सात अदद	हाँ
32	हाइडेन्ट की वार	एक अदद	हाँ
33	यूनिवर्सल पैटर्न ब्रांच	तीन अदद	हाँ
34	डिफ्यूजल नोजल	दो अदद	हाँ
35	डिलीवरी होज बिना कप्लिंग के	सत्ताईस अदद	हाँ
36	नोजल स्पेनर (रींच)	तीन अदद	हाँ
37	डबल फिमेल कपलिंग विथ मेल फिटेड	दो अदद	नहीं
38	कपलिंग मेल $ फिमेल	चैदह अदद	हाँ
39	कपलिंग मेल $ फिमेल स्टील	एक अदद	हाँ
40	मेल $ फिमेल कपलिंग	छत्तीस अदद	हाँ
41	एल्युमूनियम नोजल	पाँच अदद	हाँ

क्र0	सामानों का नाम	संख्या	कार्यशील (हाँ/ ना)
42	मेटल नोजल	उन्नीस अदद	हाँ
43	हैण्ड कंट्रोल ब्रांच	तीन अदद	नहीं
44	फा ॅग ब्राँच	एक अदद	हाँ
45	हाइडेन्ट हेड	-	हाँ
46	स्ट्रेचर	-	नहीं
47	सी0सी0 पम्प नं0ं-58	एक अदद	हाँ
48	छोटा लैडर	छः अदद	हाँ
49	हेक्सा फ्रेम	दो अदद	हाँ
50	टायर लीवर	तीन अदद	हाँ
51	चैन पुली	चार अदद	नहीं
52	साईकिल	एक अदद	नहीं
53	हार्ड सेक्शन होज विथ मेल $ फिमेल कपलिंग	बारह अदद	हाँ
54	सेक्शन होज हरा प्लास्टिक	एक अदद	हाँ
55	सेक्शन होज बिना कपलिंग का 15 फीट	एक अदद	हाँ
56	सेक्शन होज 10 फीट मेल फिमेल कपलिंग के साथ	एक अदद	हाँ
57	हैवी लैडर	एक अदद	हाँ
58	एक्सटेंशन लैडर	तीन अदद	नहीं
59	टायर	दो अदद	हाँ
60	पुराना बैट्री 12 वोल्ट 24 प्लेट	तीन अदद	हाँ
61	पुराना बैट्री 12 वोल्ट 15 प्लेट	चार अदद	हाँ
62	सालवेज सीट	एक अदद	नहीं
63	सालवेज सीट पुराना	एक अदद	हाँ
64	स्टेटिंक टैंक	एक अदद	हाँ
65	तिरपाल	दो अदद	नहीं
66	हैन्ड सायरन	तीन अदद	हाँ
67	परसुएडर	-	हाँ
68	पाइप रींच	एक अदद	हाँ
69	ग्रीस गन	एक अदद	हाँ
70	व्हील रिंच	तीन अदद	हाँ
71	टं ागी बिना हैण्डल का	चार अदद	हाँ
72	फायर रेक बिना हैण्डल का	एक अदद	हाँ
73	रिंग रींच	एक अदद	हाँ
74	सिंलिंग हुक बिना हैण्डल का	तीन अदद	हाँ
75	एक्सटींग्यूसर	दस अदद	नहीं

क्र0	सामानों का नाम	संख्या	कार्यशील (हाँ/ ना)
76	बेलचा	-	हाँ
77	डीजल टंकी पुराना	दो अदद	नहीं

स्रोत – ज़िला अग्निशमन विभाग

8.3.2 अगलगी के संबंध में पूर्व तैयारी

- अगलगी का सामान्यतः पूर्वानुमान संभव नहीं है क्योंकि यह मानवीय भूल का परिणाम है, अतः जागरूकता, सतर्कता एवं पूर्व तैयारी आवश्यक है।
- अगलगी से बचाव की तैयारी को विभिन्न हिस्सों में बांटा जा सकता है जैसे
    - व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाना,
    - IEC सामग्री का निर्माण और प्रचार प्रसार
    - चिन्हित अग्नि आपदा सम्भावित क्षेत्र/ वार्ड की पहचान कर वहां Hydrant लगाना
    - अगलगी से बचाव के लिए मॉक ड्रिल के माध्यम से आग से बचाव की विधियों का प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार करना
    - राहत कर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में प्रशिक्षित करना तथा
    - ऐसी संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नगर प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था पूर्व से तैयार रखना इत्यादि
- **जागरूकता कार्यक्रम –** इसे निम्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है
    - बेगूसराय नगर निगम और संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अगलगी से सुरक्षा के बारे में निम्न तथ्यों के प्रति जागरूक एवं प्रशिक्षित करना-
        - क्षेत्र भ्रमण के दौरान अगलगी प्रवण इलाक़ों की पहचान कैसे करें
        - क्षेत्र में अगलगी के संभावित स्रोतों की पहचान कर संबंधित विभाग या संस्था को तत्काल ही सूचित करने की प्रक्रिया
        - लोगों को अगलगी से बचाव और सुरक्षा के उपायों को अपनाने के लिए कैसे प्रेरित करें

जिम्मेदारी
- **प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों की सूची और वार्षिक प्रशिक्षण योजना बनाना**- कनीय अभियंता, नगर निगम,
- **Resource Person की व्यवस्था-** ज़िला अग्निशाम पदाधिकारी तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- **वित्तीय व्यवस्था-** नगर निगम

    - नगर निगम के निर्वाचित और गणमान्य जन प्रतिनिधियों को अगलगी से बचाव और सुरक्षा के उपायों पर प्रशिक्षित और जागरूक करना।

जिम्मेदारी–
- **प्रशिक्षण के लिए निर्वाचित और गणमान्य जन प्रतिनिधियों की सूची और वार्षिक प्रशिक्षण योजना बनाना**- नगर प्रबंधक, नगर निगम
- **प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्ति** - कनीय अभियंता, नगर निगम और ज़िला अग्निशाम पदाधिकारी
- **वित्तीय व्यवस्था-** नगर निगम

    - तीसरे चरण में नगर निगम के निर्वाचित और गणमान्य जन प्रतिनिधियों के सहयोग से वार्डवार अगलगी से सुरक्षा और बचाव के बारे में जागरूकता शिविर का आयोजन करना तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुँच बनाना।

जिम्मेदारी –
वार्ड वार प्रशिक्षण जागरूकता शिविर की वार्षिक योजना बनाना- CMM / नगर प्रबंधक, नगर निगम,
प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्ति – कनीय अभियंता, नगर निगम और ज़िला अग्निशाम पदाधिकारी
वित्तीय व्यवस्था- नगर निगम

- **IEC सामग्री का निर्माण और प्रचार प्रसार**
  - सार्वजनिक स्थानों पर तथा कार्यालयों के अन्दर अगलगी से सुरक्षा तथा अगलगी के पश्चात सुरक्षित निकासी (Evacuation Plan) संबंधित पोस्टर लगाकर भी इससे संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है।

जिम्मेदारी
- **IEC सामग्री का निर्माण**- ज़िला अग्निशाम विभाग एवं विद्युत् विभाग, बेगूसराय
- **निर्मित सामग्री का प्रचार प्रसार**- उप नगर आयुक्त, नगर निगम
- **वित्तीय व्यवस्था-** नगर निगम

- **अगलगी से संबंधित मॉक ड्रिल का नियमित अभ्यास**
  - अगलगी सामान्यतः मानवीय भूल के कारण होती है, अतः इससे बचाव के लिए समय कम मिलता है। ऐसी परिस्थिति में अगलगी से बचाव संबंधित मॉक ड्रिल के माध्यम से आग बुझाने के विभिन्न तरीकों का नियमित अभ्यास करवाना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो लोगों को अपनी जान बचाने में मदद करेगा।
  - शरीर में लगी आग को बुझाने के लिए (रुको, लेटो, लुढ़को) संबंधित मॉक ड्रिल का नियमित अभ्यास भी आवश्यक है।

  - इसके लिए एक वार्षिक कैलेंडर बनाया जाएगा।

जिम्मेदारी –
- **वार्षिक कैलेंडर बनाना-** नगर प्रबंधक, नगर निगम;
- **समुदाय को mobilize करना**- CMM और संबधित वार्ड के CRP
- **Mock drill team की व्यवस्था**- ज़िला अग्निशाम विभाग, बेगूसराय

- **राहतकर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा पर प्रशिक्षित करना**
  - नगर निगम के आपदा राहतकर्मी दल (Sanitation Inspectors, CRP, Sanitation Workers और Tax collectors) को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देना अति आवश्यक है ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में लोगों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके।

जिम्मेदारी –
वार्षिक कैलेंडर बनाना- नगर प्रबंधक, नगर निगम;
प्रशिक्षण स्थल- सदर अस्पताल;
प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्ति -सिविल सर्जन, बेगूसराय स्वास्थ्य विभाग एवं SDRF

- **नगर प्रशासन के द्वारा की जाने वाली अन्य तैयारियां –**
  - नगर निगम के द्वारा ज़िला अग्निशाम पदाधिकारी को, वैसे सभी भवनों जिनकी ऊँचाई 15 मी0 या उससे ज़्यादा हो, गोदाम, पेट्रोल पम्प आदि की नियमित रूप से, फ़ायर ऑडिट करने के लिए अनुरोध करेंगे।
  - घनी आबादी वाले क्षेत्रों में खुले स्थानों को चिन्हित करना जहाँ लोगों को निकाल कर रखा जा सके।
  - घायल लोगों के त्वरित इलाज़ के लिए बर्न वार्ड वाले अस्पतालों को चिन्हित करना तथा उनके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देना।
  - किसी भी प्रकार की अफवाह को रोकने के लिए सूचना संप्रेषण की उचित व्यवस्था रखना जैसे लाऊडस्पीकर का इस्तेमाल करना।
  - भीड़ की स्थिति को रोकने के लिए भीड़ नियंत्रण का प्रयास करने की समुचित तैयारी रखना।
  - घटना के तुरंत बाद एक कंट्रोल रूम को प्रारंभ कर सकें ऐसी व्यवस्था करना जिसके माध्यम से घटना स्थल पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों में सामंजस्य बनाया जा सके।
  - राहत शिविर के संचालन का प्रावधान रखना।

8.3.3 अगलगी के दौरान प्रतिक्रिया –

आपदा की स्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी जल्दी हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार होंगे, उतना कम नुकसान होगा।

- **कंट्रोल रूम की स्थापना–** अगलगी की सूचना के प्राप्त होते ही कंट्रोल रूम को नगर आयुक्त की सहमति से एक्टिवेट करना तथा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यों के संपादन के लिए प्रतिनियुक्त करना। यह कंट्रोल रूम एकीकृत कमांड सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। इसका समन्वय जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से भी किया जाना जरुरी है।

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
1	नगर आयुक्त	**कमांड अधिकारी के रूप में-** 1. सभी नगर निगम अधिकारियों की ज़िम्मेदारी फ़िक्स करना 2. DEOC एवं ज़िला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु संवाद स्थापित करना - अलर्ट मोड पर निम्न महत्वपूर्ण विभाग एवं संस्था को रहने के लिए सूचित करना a. DEOC, SDRF b. अग्निशाम सेवा c. विद्युत विभाग d. PHED e. ज़िला स्वास्थ्य समिति f. संबंधित थाना एवं यातायात पुलिस g. स्थानीय CSOs

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
		3. मीडिया से संवाद के लिए ज़िम्मेदार 4. ज़रूरी संसाधनों को जुटाने के लिए त्वरित रूप से सभी ज़िला स्तरीय विभाग के पदाधिकारियों से संवाद करना 5. मानवीय सहायता के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं एवं CSR को सहयोग करने के लिए प्रेरित कर उनका सहयोग लेना 6. ज़िला पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करना 7. दिनभर चले राहत कार्यों का अनुश्रवण एवं अग्रेत्तर योजना का निर्धारण करना 8. अकस्मात आए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन
2	उपनगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों में सहयोग करना तथा नगर आयुक्त को घटना और विभिन्न राहत दलों के द्वारा निष्पादित कार्यों का प्रतिवेदन समर्पित करना 2. प्रभावित क्षेत्र में जाकर राहत कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना 3. नगर निगम के द्वारा बनाए गए विभिन राहत दलों का supportive supervision करना 4. राहत कार्यों के दौरान राहत दलों को logistic support सुनिश्चित करना
3	नगर प्रबंधक	1. कंट्रोल रूम का संचालन करना 2. सभी राहत दलों के Team Leader के साथ समन्वय करना 3. घटना स्थल पर किए जा रहे राहत कार्यों में आने वाली परेशानियों और आवश्यकताओं के संबंध में उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सूचित करना 4. घायल/ बीमार एवं मृतकों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना 5. दिनभर की गतिविधियों का उप नगर आयुक्त को प्रतिवेदन समर्पित करना

राहत टीम – राहत दल का गठन करना तथा प्रभावित क्षेत्रों में भेजना (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)-

कार्य	उत्तरदायी	दायित्व
विभिन्न दलों का गठन	नगर आयुक्त	आपदा की सूचना प्राप्त होते ही नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त के सहयोग से निम्न दलों का गठन करेंगे- 1. राहत एवं बचाव कार्य दल 2. अग्निशमन दल 3. क़ानून एवं यातायात व्यवस्था 4. संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल 5. स्वास्थ्य सेवा दल 6. मानवीय सहायता दल 7. जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दल 8. सूचना सम्प्रेषण दल 9. आपदा आकलन दल

राहत एवं बचाव कार्य – प्रभावित क्षेत्र में राहतकर्मियों और आवश्यक उपकरणों के पहुँचते ही राहत एवं बचाव का कार्य प्रारंभ करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
खोज एवं बचाव कार्य दल	कनीय अभियंता	1. अग्निशाम विभाग, DEOC, विद्युत् विभाग, SDRF/ NDRF और PHED के साथ समन्वय कर बचाव में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी उपकरणों को घटना स्थल पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे 2. नगर निगम के द्वारा बनाए गए खोज एवं बचाव दल के कर्मियों को पदस्थापित करना 3. टैक्स कलेक्टर, वार्ड पार्षद और संबंधित CRP के साथ मिलकर समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों का आवश्यकतानुसार इंतज़ाम करना 4. अगलगी प्रभावी क्षेत्र में समुदाय को अलर्ट करना तथा लोगों को सुरक्षित निकासी में मदद करना

अग्निशमन कार्य – प्रभावित क्षेत्र में कानून व्यवस्था, राहत कार्यों की सुगमता तथा घायलों को ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित थाना को सूचित करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
क़ानून एवं यातायात व्यवस्था दल	उप नगर आयुक्त-	संबंधित अग्निशामालय की मदद से प्रभावित क्षेत्र में निम्न कार्य सुनिश्चित करवाना - 1. घरों/ बाज़ारों/ मलिन बस्तियों में लगी आग को बुझाने का कार्य 2. फंसे हुए लोगों और आवश्यक सामानों को निकालने का कार्य (Evacuation करना) 3. आग को फैलने से रोकने का कार्य

क़ानून एवं यातायात व्यवस्था – प्रभावित क्षेत्र में कानून व्यवस्था, राहत कार्यों की सुगमता तथा घायलों को ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित थाना को सूचित करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
क़ानून एवं यातायात व्यवस्था दल	उप नगर आयुक्त-	संबंधित थाना एवं ट्रैफ़िक थाना की मदद से प्रभावित क्षेत्र में निम्न कार्य सुनिश्चित करवाना - 1. कानून व्यवस्था को बनाये रखना 2. राहत कार्यों की सुगमता सुनिश्चित करवाना 3. अग्निशमन वाहनों के आवागमन के लिए यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना 4. घायलों को ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना 5. राहत शिविरों में समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करना जिससे बाल शोषण एवं महिला उत्पीड़न को रोका जा सके

राहत उपकरण – अगलगी की तीव्रता और उससे हुए नुकसान को देखते हुए तत्काल ही सभी आवश्यक उपकरण को घटनास्थल पर भेजने का प्रबंध करना (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)। आवश्यक उपकरणों की सूची अंत में दी गयी है.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल	टैक्स कलेक्टर	1. समुदाय के ऐसे लोगों की सूची तैयार करना जिनके पास अगलगी होने पर राहत एवं बचाव में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हों जैसे JCB, क्रेन, रस्सा, सा कटर आदि। 2. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित BSDRN पोर्टल पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध संसाधनों की जानकारी लेकर यथाशीघ्र उनके मालिकों से संपर्क स्थापित करना।

स्वास्थ्य सेवा – प्रभावित क्षेत्रों में घायलों के इलाज़ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से ही चिन्हित अस्पतालों को निर्देश देना तथा उनके टीम की उपस्थिति सुनिश्चित करना.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
स्वास्थ्य सेवा दल	उप नगर आयुक्त	सिविल सर्जन की मदद से 1. नगर के सभी अस्पतालों (निजी सहित) को आकस्मिक सेवा के लिए संदेश भेजवाना 2. आवश्यकतानुसार ambulance की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना (DEOC की सेवा ली जा सकती है) 3. घटनास्थल के लिए आवश्यक संख्या में चिकित्सा दल की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना 4. प्राथमिकता के आधार पर घायल व्यक्तियों की चिकित्सा सुनिश्चित करना 5. प्रभावित क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग जनों, बुजुर्गों, गम्भीर रूप से बीमार के लिए समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना

जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
जल, स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई दल	सैनिटेशन इन्स्पेक्टर	1. PHED तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ समन्वय कर चलित बायो डाईजेस्टर शौचालय, शुद्ध पेयजल एवं कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना 2. जले हुए मकानों तथा सामानों के मलवों का सुरक्षित निस्तारण करना

मानवीय सहायता – प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए आवश्यक उपाय करना। खुली जगहों पर एकत्रित लोगों के लिए खाने-पीने की समुचित व्यवस्था करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
मानवीय सहायता दल	CMM	1. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में अंचल अधिकारी के साथ समन्वय कर चिन्हित खुले जगहों पर राहत शिविर लगवाना 2. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में ज़िला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी के साथ समन्वय कर प्रभावित लोगों के लिए खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना 3. समुदाय या City Level Federation की मदद से सामुदायिक रसोई घर का संचालन करवाना 4. वार्ड वार CRP एवं वार्ड पार्षद के सहयोग से प्रभावित लोगों को सांत्वना देना, उनकी संवेदनाओं को समझना एवं राहत सहायता प्राप्त करने में सहयोग करना 5. आवश्यकतानुसार सिविल सर्जन की मदद से सदमे या मानसिक आघात से प्रभावित व्यक्तियों को trauma management के लिए मनोविशेषज्ञ की सुविधा उपलब्ध कराना 6. उप नगर आयुक्त के निर्देशन में अंचल अधिकारी के साथ समन्वय कर मौसम अनुकूल राहत कार्यों का संचालन यथा ठंड के समय प्रभावित लोगों के लिए कम्बल तथा अलाव की व्यवस्था करना, बारिश के समय water proof tent लगवाना आदि

सूचना सम्प्रेषण दल : अगलगी जैसी आपदा के दौरान अफ़वाह का फैलना सामान्य बात है जिस कारण समुदाय में एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। आवश्यकता है कि ऐसे अफ़वाह को फैलने से रोकने का भरपूर प्रयास किया जाए।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
सूचना सम्प्रेषण दल	नगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त, IPRD की मदद से Press Briefing देंगे 2. अफ़वाह रोकने के लिए Social Media का इस्तेमाल करना तथा नगर में Miking की व्यवस्था करना 3. Toll free हेल्प लाइन नम्बर जारी करना

अतिरिक्त सहायता के संदर्भ का आकलन – घटनास्थल पर पहुंचे पदाधिकारियों के द्वारा प्रभावित क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन करना। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सहायता के लिए जिला प्रशासन, SDRF/NDRF या राज्य प्रशासन को सूचना देना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
आपदा आकलन दल	नगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त घटना स्थल का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे 2. आपदा से हुए नुक़सान का आकलन करते हुए यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सहायता के लिए ज़िला प्रशासन, SDRF/NDRF या राज्य प्रशासन से अनुरोध करेंगे 3. आवश्यकतानुसार नगर आयुक्त परिस्थिति के संदर्भ में वन विभाग, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, ज़िला परिवहन विभाग और अन्य किसी भी लाइन विभाग की सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं

8.4 सड़क दुर्घटना – प्रतिक्रिया योजना

सड़क दुर्घटना एक मानवजनित आपदा है जो मानवीय भूल का परिणाम है। सड़क दुर्घटना यातायात एवं परिवहन से जुडी हुई है जिसका मुख्य कारण वाहनों की तेज़ गति, तेज ड्राइविंग, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, ट्रैफिक संकेतों को समझने में विफलता, चालक का थका होना या सो जाना, नशे की हालत में वाहन चलाना तथा पैदल यात्री की लापरवाही इत्यादि है। इससे संबंधित जागरूकता, नियमों का पालन, सतर्कता और सावधानी से ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है.

उद्देश्य : किसी भी सड़क दुर्घटना के दौरान तथा बाद में कुछ संभावित परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिनका समुचित रूप से ध्यान रखने पर ही हम उचित प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया योजना का उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना आपदा के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रत्युत्तर दे सकना जिससे होने वाले नुक़सान को कम से कम किया जा सके और सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली जल्द से जल्द हो सके।

सड़क दुर्घटना होने के पश्चात निम्न संभावित परिस्थितियाँ सामान्यतः उत्पन्न होती हैं –

- जीवन क्षति अथवा लोगों का घायल होना तथा अफरा-तफरी फैलना
- वाहनों में आग लग जाना
- दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में लोगों का फंसा होना
- दुर्घटना के कारण सड़क जाम हो जाना तथा यातायात का अवरुद्ध हो जाना

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तर के लिए निम्न कार्य किए जाने आवश्यक हैं-

- राहत एवं बचाव कार्य तथा एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- क़ानून एवं यातायात व्यवस्था प्रबंधन
- वाहनों में लगी आग को बुझाना
- संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) करना
- आपातकालीन परिस्थिति के लिए अस्पतालों का चिन्हीकरण करना
- मानवीय सहायता उपलब्ध कराना

उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सड़क दुर्घटना से संबंधित आपदा प्रत्युत्तर योजना को विस्तार से निम्नरूपेण व्याख्यायित किया जा सकता है-

8.4.1 सड़क दुर्घटना के दृष्टिकोण से बेगूसराय नगर का परिचय

- बेगूसराय नगर सड़क दुर्घटना के लिहाज़ से अत्यधिक प्रवण है।
- बेगूसराय नगर के बीच से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 31 गुजरती है जो एक अतिव्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है, बेगूसराय नगर के अन्दर इसकी लंबाई 8.98 कि०मी०है।
- औद्योगिक नगर होने के कारण नगर के अंदर भारी वाहनों का आवगमन बहुत ज़्यादा है जिस कारण मुख्य सड़क पर दुर्घटना होने की स्थिति हमेशा बनी रहती है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग के नगर के बीच से गुजरने के कारण सड़क के दोनो ओर व्यावसायिक क्षेत्र विकसित हो चुके हैं जहां अत्यधिक भीड़ बनी रहती है।
- बेगूसराय में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का विवरण

बेगूसराय में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का विवरण

क्र	वर्ष	मृत्यु	घायल	कुल दुर्घटना
1	2021	22	9	31
2	2022	27	34	61

स्रोत– – पुलिस उपाधीक्षक- ट्रैफिक, कार्यालय

- बेगूसराय में चिन्हित किए गए *Black Spot* का विवरण

क्र.	चिन्हित Black Spot	सुधार के लिए उठाए गए कदम	नज़दीकी ट्रॉमा सेंटर का नाम
01	बिहट, एन०एच०- 31	- स्पीड ब्रेकर निर्माण - वाहन गति नियंत्रक बोर्ड - सड़क दुर्घटना से संबंधित ब्लैक स्पॉट निर्धारण - जन-जागरूकता आदि	- अलेरिया अस्पताल - ग्लोकल हॉस्पिटल - एम्.एन.सी. ट्रामा & ओर्थपेडीक सेंटर - अवध मेमोरियल हॉस्पिटल
02	टाउन पुलिस स्टेशन निगम एरिया, BP स्कूल के समीप, एन०एच०- 31		
03	चांदनी चौक, बिहट रेलवे क्रासिंग के बीच एन०एच०- 31		
04	हर हर महादेव चौक एन०एच०- 31		
05	खमहर एस०एच०- 55		
06	हर्दिया एस०एच०- 55		
07	रजौड़ा एस०एच०- 55		

8.4.2 सड़क दुर्घटना के संबंध में पूर्व तैयारी –

- विभिन्न हितभागियों के सहयोग से सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय कर ट्रैफ़िक नियमों का पालन करवाना।
- Black Spot चिन्हित स्थानों पर सड़क सुरक्षा चेतावनी लगवाना।
- सड़क दुर्घटना से बचाव की तैयारी को विभिन्न हिस्सों में बांटा जा सकता है जैसे
    - व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाना,
    - IEC सामग्री का निर्माण और प्रचार प्रसार
    - नगर निगम के राहत कर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा तथा ट्रामा प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित करना
    - NH-31 तथा ब्लैक स्पॉट के नजदीक रहने वाले पुलिसकर्मी तथा कुछ अन्य संबंधित लोगों को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देना तथा प्रशिक्षित करना।
- **जागरूकता कार्यक्रम –**
    - सड़क सुरक्षा से संबंधित व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम
    - सभी शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के लिए नियमित तौर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना

जिम्मेदारी –

- **शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम के लिए वार्षिक योजना बनाना-** जिला सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशन में DM Consultant, ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाएंगे (NHAI से तकनीकि सहयोग लिया जाएगा)
- **Resource Person की व्यवस्था-** DM Consultant, ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / ट्रैफिक थाना
- **वित्तीय व्यवस्था-** NHAI
- **अनुश्रवण –** नगर निगम

- **IEC सामग्री का निर्माण और प्रचार प्रसार**
  - NH-31 से सटे वार्डों में तथा ब्लैक स्पॉट वाली जगहों पर सड़क सुरक्षा संबंधित पोस्टर लगाकर भी इससे संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है।

जिम्मेदारी - **IEC सामग्री का निर्माण**- NHAI एवं उपाधीक्षक ट्रैफिक पुलिस, बेगूसराय - **निर्मित सामग्री का प्रचार प्रसार**- उप नगर आयुक्त, नगर निगम - **वित्तीय व्यवस्था—**NHAI

- **सड़क सुरक्षा से संबंधित क़ानूनों का प्रचार प्रसार करना**

सड़क दुर्घटना सामान्यतः मानवीय भूल के कारण होती है, इससे बचाव के लिए पूर्व तैयारी बहुत आवश्यक है जिसके अंतर्गत -

कार्य	जिम्मेदारी
सड़क सुरक्षा से संबंधित क़ानूनों का प्रचार प्रसार करना	उपाधीक्षक ट्रैफिक पुलिस एवं NHAI
गुड सेमिरेटन को प्रोत्साहित करना	जिला सड़क सुरक्षा समिति
ट्रैफिक संकेतकों का प्रचार प्रसार करना	उपाधीक्षक ट्रैफिक पुलिस
NH-31 तथा ब्लैक स्पॉट के नजदीक अवस्थित सरकारी और निजी अस्पतालों को सड़क दुर्घटना के पश्चात घायलों के इलाज़ के लिए निर्देशित करना	जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं ज़िला स्वास्थ्य समिति

- **राहतकर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा पर प्रशिक्षित करना**
  - आपदा राहतकर्मी दल (दुर्घटनास्थल के पास प्रतिनियुक्त होनेवाले पुलिसकर्मी तथा नगर निगम के Sanitation Inspectors, Sanitation Workers और Tax collectors) को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देना अति आवश्यक है ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में लोगों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके।

जिम्मेदारी – **वार्षिक कैलेंडर बनाना-** जिला सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशन में उपाधीक्षक ट्रैफिक पुलिस; **प्रशिक्षण स्थल-** सदर अस्पताल; **प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्ति** -सिविल सर्जन, बेगूसराय स्वास्थ्य विभाग एवं SDRF

8.4.3 सड़क दुर्घटना के दौरान प्रतिक्रिया –

आपदा की स्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी जल्दी हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार होंगे उतना कम नुकसान होगा।

- **कंट्रोल रूम की स्थापना–** सड़क दुर्घटना की सूचना के प्राप्त होते ही कंट्रोल रूम को नगर आयुक्त की सहमति से एक्टिवेट करना तथा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यों के संपादन के लिए प्रतिनियुक्त करना। यह कंट्रोल रूम एकीकृत कमांड सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। इसका समन्वय जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से भी किया जाना जरुरी है।

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
1	नगर आयुक्त	कमांड अधिकारी के रूप में- 1. सभी नगर निगम अधिकारियों की ज़िम्मेदारी फ़िक्स करना 2. DEOC एवं ज़िला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु संवाद स्थापित करना - अलर्ट मोड पर निम्न महत्वपूर्ण विभाग एवं संस्था को रहने के लिए सूचित करना a. DEOC, SDRF b. उपाधीक्षक ट्रैफिक पुलिस c. परिवहन विभाग d. अग्निशाम सेवा e. ज़िला स्वास्थ्य समिति f. संबंधित थाना एवं यातायात पुलिस 3. ज़रूरी संसाधनों को जुटाने के लिए त्वरित रूप से सभी ज़िला स्तरीय विभाग के पदाधिकारियों से संवाद करना 4. आवश्यकतानुसार ज़िला पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करना 5. राहत कार्यों का अनुश्रवण करना 6. अकस्मात आए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन
2	उपनगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों में सहयोग करना तथा नगर आयुक्त को घटना और विभिन्न राहत दलों के द्वारा निष्पादित कार्यों का प्रतिवेदन समर्पित करना 2. प्रभावित क्षेत्र में जाकर राहत कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना 3. नगर निगम के द्वारा बनाए गए विभिन्न राहत दलों का supportive supervision करना 4. राहत कार्यों के दौरान राहत दलों को logistic support सुनिश्चित करना
3	नगर प्रबंधक	1. कंट्रोल रूम का संचालन करना 2. सभी राहत दलों के Team Leader के साथ समन्वय करना 3. घटना स्थल पर किए जा रहे राहत कार्यों में आने वाली परेशानियों और आवश्यकताओं के संबंध में उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सूचित करना 4. घायल/ बीमार एवं मृतकों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना 5. उप नगर आयुक्त को गतिविधियों का प्रतिवेदन समर्पित करना

राहत टीम – राहत दल का गठन करना तथा प्रभावित क्षेत्रों में भेजना (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)-

कार्य	उत्तरदायी	दायित्व
विभिन्न दलों का गठन	नगर आयुक्त	आपदा की सूचना प्राप्त होते ही नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त के सहयोग से निम्न दलों का गठन करेंगे- 1. राहत एवं बचाव कार्य दल 2. अग्निशमन दल (यदि वाहनों में आग लग जाती है) 3. क़ानून एवं यातायात व्यवस्था 4. संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल 5. स्वास्थ्य सेवा दल

राहत एवं बचाव कार्य – प्रभावित क्षेत्र में राहतकर्मियों और आवश्यक उपकरणों के पहुँचते ही राहत एवं बचाव का कार्य प्रारंभ करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
खोज एवं बचाव कार्य दल	नगर प्रबंधक	1. DEOC, ट्रैफ़िक थाना, NHAI, SDRF, परिवहन विभाग तथा आवश्यकतानुसार अग्निशाम विभाग के साथ समन्वय कर बचाव में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी उपकरणों का घटना स्थल पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे 2. टैक्स कलेक्टर, वार्ड पार्षद और संबंधित CRP के साथ मिलकर समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों का आवश्यकतानुसार इंतज़ाम करना

क़ानून एवं यातायात व्यवस्था – प्रभावित क्षेत्र में कानून व्यवस्था, राहत कार्यों की सुगमता तथा घायलों को ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित थाना को सूचित करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
क़ानून एवं यातायात व्यवस्था दल	उप नगर आयुक्त	संबंधित थाना एवं ट्रैफ़िक थाना, की मदद से प्रभावित क्षेत्र में निम्न कार्य सुनिश्चित करवाना - 1. कानून व्यवस्था को बनाये रखना 2. राहत कार्यों की सुगमता सुनिश्चित करवाना 3. अग्निशमन वाहनों के आवागमन के लिए यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना 4. घायलों को ले जाने वाले एम्बुलेंस के लिए यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना 5. नजदीकी अस्पतालों एवं सिविल सर्जन को सूचित करना

राहत उपकरण – आवश्यक उपकरण को घटनास्थल पर भेजने का प्रबंध करना (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)। आवश्यक उपकरणों की सूची अंत में दी गयी है.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) दल	टैक्स कलेक्टर	1. समुदाय के ऐसे लोगों की सूची तैयार करना जिनके पास सड़क दुर्घटना होने पर राहत एवं बचाव में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हों जैसे JCB, क्रेन, रस्सा, जैक, सा कटर आदि. 2. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित BSDRN पोर्टल पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध संसाधनों की जानकारी लेकर यथाशीघ्र उनके मालिकों से संपर्क स्थापित करना।

स्वास्थ्य सेवा – दुर्घटना में हुए घायलों के इलाज़ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से ही चिन्हित अस्पतालों को निर्देश देना तथा एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करना.

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
स्वास्थ्य सेवा दल	उप नगर आयुक्त	सिविल सर्जन की मदद से 1. दुर्घटना स्थल से नजदीक के सभी अस्पतालों (निजी सहित) को आकस्मिक सेवा के लिए संदेश भेजवाना 2. आवश्यकतानुसार ambulance की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना (DEOC की सेवा ली जा सकती है) 3. प्राथमिकता के आधार पर घायल व्यक्तियों की चिकित्सा सुनिश्चित करना 4. दुर्घटना में यदि प्रभावित के तौर पर गर्भवती महिला, दिव्यांग जन, बुजुर्ग, गम्भीर रूप से बीमार व्यक्ति हैं तो उनके लिए समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना

8.5 गर्म हवा / लू – प्रतिक्रिया योजना

गर्म हवा / लू एक प्राकृतिक आपदा है जो मौसम से संबंधित है और सामान्यतः अप्रैल – जून माह के बीच घटित होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग गर्म हवाएँ/ लू को एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्गीकृत करता है, जब तापमान सामान्य से 4.5-6.4 डिग्री ज्यादा हो। मैदानी क्षेत्रों के लिये गर्म हवाएँ/लू स्थिति तब मानी जाती है, जब अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री से अधिक हो। गर्म हवाएँ/लू एक वायुमंडलीय स्थिति है, जिसमें शारीरिक क्रियाओं में तनाव उत्पन्न होता है, जो कभी-कभी जान लेवा हो सकता है। गर्म हवाएँ/लू को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें अधिकतम तापमान लगातार दो दिनों अथवा उससे अधिक दिनों तक सामान्य तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता हो। (स्रोत – बिहार हीट एक्शन प्लान)

उद्देश्य : गर्म हवा / लू के दौरान कुछ संभावित परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिनका समुचित रूप से ध्यान रखने पर ही हम उचित प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया योजना का उद्देश्य है कि गर्म हवा / लू आपदा के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रत्युत्तर दे सकना जिससे होने वाले नुक़सान को कम से कम किया जा सके और सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली जल्द से जल्द हो सके।

गर्म हवा / लू की स्थिति बनने से निम्न संभावित परिस्थितियाँ सामान्यतः उत्पन्न होती हैं –

- जीवन क्षति अथवा लोगों का मूर्छित होना
- शरीर में पानी की कमी होना
- इस दौरान आग लगने की आशंका बढ़ जाती है

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तर के लिए निम्न कार्य किए जाने आवश्यक हैं-

- राहत कार्य एवं एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) करना एवं आश्रय स्थल की व्यवस्था करना
- अस्पतालों को लू से प्रभवित लोगों के इलाज के लिए सतर्क, सचेत और तैयार रखना
- समुदायों के बीच अलर्ट जारी करना
- जगह-जगह प्याऊ की व्यवस्था करना

उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गर्म हवा / लू से संबंधित आपदा प्रत्युत्तर योजना को विस्तार से निम्नरूपेण व्याख्यायित किया जा सकता है-

8.5.1 गर्म हवा / लू के दृष्टिकोण से बेगूसराय नगर का परिचय

- बेगूसराय नगर गर्म हवाएं और लू भेद्यता सूची में **अधिक सामान्य श्रेणी 3** में आता है और इसकी **ताप भेद्यता सूचकांक 1.97** है स्रोत – बिहार हीट एक्शन प्लान। इसका अर्थ ही कि यहाँ का अधिकतम तापमान औसत तापमान के आस-पास रहता है.
- बेगूसराय नगर में पिछले 8 वर्षों का अधिकतम तापमान अप्रैल – मई माह में होता रहा है ।

बेगूसराय नगर के पिछले 8 वर्षों का औसत एवं अधिकतम तापमान			
वर्ष	**माह**	**औसत सामान्य तापमान**	**अधिकतम तापमान**
2022	अप्रैल	37	44
2021	अप्रैल	39	43
2020	मई	37	40
2019	मई	39	43
2018	जून	38	40
2017	मई	38	41
2016	अप्रैल	38	42
2015	मई	39	42

8.5.2 गर्म हवा / लू से सुरक्षा हेतु नगर निगम के द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी –

- जिला सांख्यिकी विभाग के साथ सामंजस्य बनाते हुए नगर परिक्षेत्र में मौसम अलर्ट जारी करने कि व्यवस्था करना
- विभिन्न हितभागियों यथा PHED, CSOs, नगर व्यावसायिक संघ आदि के सहयोग से लू से बचाव के लिए प्याऊ की व्यवस्था के लिए पूर्व से तैयारी रखना
- निर्जलीकरण से बचने के लिए ORS का भंडारण
- गर्म हवा / लू से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना

➢ **जागरूकता कार्यक्रम –**

- गर्म हवा / लू से बचाव के लिए **"क्या करें, क्या ना करें"** के पोस्टर मुख्य चौराहों पर लगाया जाना
- वार्डवार CMM एवं CRP की मदद से लोगों के बीच **"क्या करें, क्या ना करें"** का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना
- सभी शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना

जिम्मेदारी –
• नगर निगम

➢ **गर्म हवा / लू से सुरक्षा से संबंधित IEC सामग्री का निर्माण और प्रचार प्रसार**

जिम्मेदारी
- **IEC सामग्री** - बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित एडवाइजरी का इस्तेमाल किया जा सकता है
- **IEC सामग्री का प्रचार प्रसार**- उप नगर आयुक्त, नगर निगम
- **वित्तीय व्यवस्था— नगर निगम**

8.5.3 गर्म हवा / लू के दौरान प्रतिक्रिया –

आपदा की स्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी जल्दी हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार होंगे उतना कम नुकसान होगा।

- **कंट्रोल रूम की स्थापना–** गर्म हवा / लू की स्थिति बनने की अवस्था में कंट्रोल रूम को नगर आयुक्त की सहमति से एक्टिवेट करना तथा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यों के संपादन के लिए प्रतिनियुक्त करना। यह कंट्रोल रूम एकीकृत कमांड सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। इसका समन्वय जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से भी किया जाना जरुरी है।

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
1	नगर आयुक्त	कमांड अधिकारी के रूप में- 1. सभी नगर निगम अधिकारियों की ज़िम्मेदारी फ़िक्स करना 2. DEOC एवं ज़िला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु संवाद स्थापित करना - अलर्ट मोड पर निम्न महत्वपूर्ण विभाग एवं संस्था को रहने के लिए सूचित करना a. DEOC b. जिला सांख्यिकी विभाग (मौसम सूचना के लिए)

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
		c. स्वास्थ्य विभाग d. शिक्षा विभाग e. अग्निशाम सेवा f. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) g. विद्युत् विभाग 3. मीडिया से संवाद के लिए ज़िम्मेदार 4. ज़रूरी संसाधनों को जुटाने के लिए त्वरित रूप से सभी ज़िला स्तरीय विभाग के पदाधिकारियों से संवाद करना 5. ज़िला पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करना 6. प्रतिदिन शाम में राहत कार्यों का अनुश्रवण एवं अगले दिन की योजना का निर्धारण करना 7. अकस्मात आए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन
2	उपनगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों में सहयोग करना तथा प्रतिदिन शाम में नगर आयुक्त को मौसम की स्थिति और विभिन्न राहत दलों के द्वारा निष्पादित कार्यों का प्रतिवेदन समर्पित करना 2. प्रभावित क्षेत्र में जाकर राहत कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना 3. नगर निगम के द्वारा बनाए गए विभिन्न राहत दलों का supportive supervision करना 4. राहत कार्यों के दौरान राहत दलों को logistic support सुनिश्चित करना
3	नगर प्रबंधक	1. कंट्रोल रूम का संचालन करना 2. सभी राहत दलों के Team Leader के साथ समन्वय करना 3. किए जा रहे राहत कार्यों में आने वाली परेशानियों और आवश्यकताओं के संबंध में उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सूचित करना 4. घायल/ बीमार एवं मृतकों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना 5. उप नगर आयुक्त को गतिविधियों का प्रतिदिन प्रतिवेदन समर्पित करना

राहत टीम – राहत दल का गठन कर उसे क्रियाशील बनाना (इसका समय कम से कम रखा जाना चाहिए)-

कार्य	उत्तरदायी	दायित्व
विभिन्न दलों का गठन	नगर आयुक्त	नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त के सहयोग से निम्न दलों का गठन करेंगे- 1. राहत कार्य दल 2. अग्निशमन दल 3. स्वास्थ्य सेवा दल

राहत कार्य – लू की स्थिति में नगर क्षेत्र में आवश्यक संसाधनों के साथ निरंतर राहत का कार्य करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
राहत कार्य दल	नगर प्रबंधक	- DEOC, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा आवश्यकतानुसार अग्निशाम विभाग के साथ समन्वय कर राहत में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी संसाधनों व सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे - जिला सांख्यिकी विभाग के साथ सामंजस्य बनाते हुए नगर परिक्षेत्र में मौसम अलर्ट जारी करना - विभिन्न हितभागियों यथा PHED, CSOs, नगर व्यावसायिक संघ आदि के सहयोग से लू से बचाव के लिए जगह-जगह प्याऊ की व्यवस्था करना - समुदाय में CRP तथा शहरी स्वयं सहायता समूह की मदद से निर्जलीकरण से बचने के लिए ORS पैकट का वितरण करना - गर्म हवा / लू से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना

विभाग	जिम्मेदारी
स्वास्थ्य विभाग	- स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यरत कर्मियों को गर्म हवाएं / लू से जनित बीमारियों के संबंध में संवेदीकरण तथा क्षमता निर्माण यथा लू संबंधी चिकित्सीय स्थितियां, लक्षण तथा प्रबंधन करना - लू से प्रभावित व्यक्तियों का तत्काल ईलाज सुनिश्चित करना - अस्पतालों में ठन्डे आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करना जहाँ विद्युत् आपूर्ति निर्बाध रहे - सारे UPHC में पर्याप्त मात्रा में ORS, जीवन रक्षक दवाइयां एवं IV फ्लूइड का भंडारण सुनिश्चित करना - अत्यधिक गर्मी पड़ने पर समुदाय के बीच में भी ORS के पैकेट का वितरण करना - लू से पीड़ित गंभीर रोगियों के लिए चलंत चिकित्सा दल की व्यवस्था सुनिश्चित करना
शिक्षा विभाग	- लू से सुरक्षा के लिए क्या करें, क्या नहीं करें के बारे में जागरूक करना (मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत) - विद्यालयों का संचालन सुबह की पाली में करना - विद्यालयों में अकार्यशील हैण्ड पम्प/जलापूर्ति प्रणाली की मरम्मती एवं संधारण
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	- पूर्व से लगे हुए हैण्ड पम्प को दुरस्त रखना तथा पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रणाली की मरम्मती तथा संधारण - जल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकर के द्वारा पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना
श्रम संसाधन विभाग	- लू से बचाव हेतु मजदूरों के कार्य अवधि को लू की स्थिति में पूर्वाहन 6 बजे से 11 बजे तक तथा पुनः अपराहन 3.30 बजे से 6.30 बजे तक निर्धारित करने का निर्देश जारी करना - यह सुनिश्चित करना कि उद्योगों तथा निर्माण कार्य स्थल पर पीने के पानी और ORS की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध रहे - कार्मिकों को लू से सुरक्षा के लिए “क्या करें, क्या नहीं करें” के बारे में जागरूक करना

विभाग	जिम्मेदारी
विद्युत् विभाग	- ढीले और लटके हुए तारों की मरम्मती सुनिश्चित करना ताकि तेज़ हवा से वे आपस में ना टकराएं
अग्निशमन विभाग	- अग्नि से प्रवण इलाकों में मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना - समुदाय के बीच अग्नि सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाना - अग्निशमक उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण प्रदर्शित कर करना - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के साथ समन्वय कर hydrant की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना
नगर निगम के द्वारा गर्मी प्रारंभ होने से पहले ही सभी संबंधित विभागों को उपरोक्त कार्यों की तैयारी एवं निष्पादन के लिए अनुरोध पत्र निर्गत किया जाएगा.	

8.6 शीतलहर – प्रतिक्रिया योजना

शीतलहर एक प्राकृतिक आपदा है जो मौसमसंबंधी चरम स्थितियां हैं और सामान्यतः दिसंबर के आखिरी सप्ताह से जनवरी माह के मध्य तक घटित होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग शीतलहर को एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्गीकृत करता है, जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे हो और लगातार 2 दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान हो। शीतलहर एक वायुमंडलीय स्थिति है, जिसमें शारीरिक क्रियाओं में तनाव उत्पन्न होता है, जो कभी-कभी जानलेवा हो सकता है। शीतलहर के कारण सामान्य जन-जीवन के विभिन्न क्रियाकलाप प्रभावित हो जाते हैं। सबसे विकट प्रभाव बेघर लोगों, बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ता है।

उद्देश्य : शीतलहर के दौरान कुछ संभावित परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिनका समुचित रूप से ध्यान रखने पर ही हम उचित प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया योजना का उद्देश्य है कि शीतलहर आपदा के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रत्युत्तर दे सकना जिससे होने वाले नुक़सान को कम से कम किया जा सके और सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली जल्द से जल्द हो सके।

शीतलहर की स्थिति बनने से निम्न संभावित परिस्थितियाँ सामान्यतः उत्पन्न होती हैं –

- जीवन क्षति अथवा लोगों का स्वास्थ्य खराब होना
- शरीर में पानी की कमी होना

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तर के लिए निम्न कार्य किए जाने आवश्यक हैं-

- राहत कार्य
- संसाधन लामबंद (Resource Mobilization) करना
- एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- समुदायों के बीच अलर्ट जारी करना
- जगह-जगह अलाव की व्यवस्था करना
- बेघरों के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था करना

उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शीतलहर से संबंधित आपदा प्रत्युत्तर योजना को विस्तार से निम्नरूपेण व्याख्यायित किया जा सकता है-

8.6.1 शीतलहर के दृष्टिकोण से बेगूसराय नगर का परिचय

- बेगूसराय नगर में शीतलहर की स्थिति नहीं होती है परन्तु न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है।
- बेगूसराय नगर में पिछले 8 वर्षों का न्यूनतम तापमान जनवरी माह में दर्ज किया गया है

क्र.	वर्ष	माह	औसत सामान्य तापमान	न्यूनतम तापमान
1	2022	जनवरी	19	12
2	2021	जनवरी	22	15
3	2020	जनवरी	20	15
4	2019	जनवरी	21	15
5	2018	जनवरी	20	14
6	2017	जनवरी	21	14
7	2016	जनवरी	22	15
8	2015	जनवरी	21	14

8.6.2 शीतलहर के संबंध में नगर निगम के द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी –

- जिला सांख्यिकी विभाग के साथ सामंजस्य बनाते हुए नगर परिक्षेत्र में मौसम अलर्ट जारी करने की व्यवस्था करना
- विभिन्न हितभागियों यथा CSOs, नगर व्यावसायिक संघ आदि के सहयोग से शीतलहर से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था के लिए पूर्व से तैयारी रखना
- शीतलहर से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना

➢ **जागरूकता कार्यक्रम –**

- शीतलहर से बचाव के लिए **"क्या करें, क्या ना करें"** के पोस्टर मुख्य चौराहों पर लगाया जाना
- वार्डवार CMM एवं CRP की मदद से लोगों के बीच **"क्या करें, क्या ना करें"** का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना
- सभी शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना

जिम्मेदारी – • नगर निगम

➢ **शीतलहर से सुरक्षा से संबंधित IEC सामग्री का निर्माण और प्रचार प्रसार**

जिम्मेदारी - **IEC सामग्री** - बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित एडवाइजरी का इस्तेमाल किया जा सकता है - **IEC सामग्री का प्रचार प्रसार**- उप नगर आयुक्त, नगर निगम - **वित्तीय व्यवस्था— नगर निगम**

8.6.3 शीतलहर के दौरान प्रतिक्रिया –

शीतलहर के दौरान यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी जल्दी हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार होंगे उतना कम नुकसान होगा।

- **कंट्रोल रूम की स्थापना–** शीतलहर की स्थिति बनने की अवस्था में कंट्रोल रूम को नगर आयुक्त की सहमति से एक्टिवेट करना तथा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यों के संपादन के लिए प्रतिनियुक्त करना। यह कंट्रोल रूम एकीकृत कमांड सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। इसका समन्वय जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से भी किया जाना जरुरी है।

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
1	नगर आयुक्त	कमांड अधिकारी के रूप में- 1. सभी नगर निगम अधिकारियों की ज़िम्मेदारी फ़िक्स करना 2. DEOC एवं ज़िला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु संवाद स्थापित करना - अलर्ट मोड पर निम्न महत्वपूर्ण विभाग एवं संस्था को रहने के लिए सूचित करना a. DEOC b. जिला सांख्यिकी विभाग (मौसम सूचना के लिए)

क्र	पदाधिकारी	ज़िम्मेदारी
		c. स्वास्थ्य विभाग d. शिक्षा विभाग e. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) f. विद्युत् विभाग 3. मीडिया से संवाद के लिए ज़िम्मेदार 4. ज़रूरी संसाधनों को जुटाने के लिए त्वरित रूप से सभी ज़िला स्तरीय विभाग के पदाधिकारियों से संवाद करना 5. ज़िला पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करना 6. प्रतिदिन शाम में राहत कार्यों का अनुश्रवण एवं अगले दिन की योजना का निर्धारण करना 7. अकस्मात आए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन
2	उपनगर आयुक्त	1. नगर आयुक्त के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों में सहयोग करना तथा प्रतिदिन शाम में नगर आयुक्त को मौसम कि स्थिति और विभिन्न राहत दलों के द्वारा निष्पादित कार्यों का प्रतिवेदन समर्पित करना 2. राहत कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना 3. नगर निगम के द्वारा बनाए गए विभिन्न राहत दलों का supportive supervision करना 4. राहत कार्यों के दौरान राहत दलों को logistic support सुनिश्चित करना
3	नगर प्रबंधक	1. कंट्रोल रूम का संचालन करना 2. सभी राहत दलों के Team Leader के साथ समन्वय करना 3. किए जा रहे राहत कार्यों में आने वाली परेशानियों और आवश्यकताओं के संबंध में उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सूचित करना 4. घायल/ बीमार एवं मृतकों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना 5. उप नगर आयुक्त को गतिविधियों का प्रतिदिन प्रतिवेदन समर्पित करना

राहत टीम – राहत दल का गठन करना और उसे कार्यशील बनाना

कार्य	उत्तरदायी	दायित्व
विभिन्न दलों का गठन	नगर आयुक्त	आपदा की सूचना प्राप्त होते ही नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त के सहयोग से निम्न दलों का गठन करेंगे- 1. राहत कार्य दल 2. स्वास्थ्य सेवा दल

राहत कार्य – शीतलहर की स्थिति में नगर क्षेत्र में आवश्यक संसाधनों के साथ निरंतर राहत का कार्य करना।

दल	दल पर्यवेक्षक	ज़िम्मेदारी
राहत कार्य दल	नगर प्रबंधक	1. DEOC तथा स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर राहत में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे

		2. जिला सांख्यिकी विभाग के साथ सामंजस्य बनाते हुए नगर परिक्षेत्र में मौसम अलर्ट जारी करना 3. विभिन्न हितभागियों यथा CSOs, नगर व्यावसायिक संघ आदि के सहयोग से शीतलहर से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था करना 4. शीतलहर से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना 5. अस्थायी आश्रय स्थल निर्माण करना

विभाग	जिम्मेदारी
स्वास्थ्य विभाग	- स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यरत कर्मियों को शीतलहर से जनित बीमारियों के संबंध में संवेदीकरण तथा क्षमता निर्माण यथा शीतलहर संबंधी चिकित्सीय स्थितियां, लक्षण तथा प्रबंधन करना - शीतलहर से प्रभावित व्यक्तियों का तत्काल ईलाज किया जाए - अस्पतालों में गर्म आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करना जहाँ विद्युत् आपूर्ति निर्बाध रहे - सारे UPHC में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयां का भंडारण सुनिश्चित करना - शीतलहर से पीड़ित गंभीर रोगियों के लिए चलंत चिकित्सा दल की व्यवस्था सुनिश्चित करना
शिक्षा विभाग	- शीतलहर से सुरक्षा के लिए 'क्या करें, क्या नहीं करें' के बारे में जागरूक करना (मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत) - विद्यालयों का संचालन सुबह की पाली में ना कर 9 बजे के बाद से करने का निर्देश जारी करना
नगर निगम	- बेघरों के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था करना तथा ठंड से बचने के लिए कंबल वितरण की यथासंभव व्यवस्था करना - जगह-जगह अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना
नगर निगम के द्वारा ठंड प्रारंभ होने से पहले ही सभी संबंधित विभागों को उपरोक्त कार्यों की तैयारी एवं निष्पादन के लिए अनुरोध पत्र निर्गत किया करेगा तथा अपने अधीन आने वाले कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करेगा।	

8.7 महत्वपूर्ण संपर्क –

(इसे हमेशा अपडेट किया जाना जरुरी है)

क्र०	पदनाम	नाम	संपर्क संख्या
1	नगर आयुक्त	मनोज कुमार	9153971912
2	उप नगर आयुक्त	अजय कुमार	790355908
3	नगर प्रबंधक	चंदना झा	7004179458
4	नगर मिशन प्रवन्धक- NULM	रंजना कुमारी	9546123788
5	नगर मिशन प्रवन्धक- NULM	संजय कुमार	9304446614
6	कंप्यूटर ऑपरेटर	जितेन्द्र कुमार	9334033371
7	अमिन	संजीव कुमार	9334074680
8	कनीय अभियंता	राजीव कुमार	9430066616

क्र०	पदनाम	नाम	संपर्क संख्या
9	नगर निगम नियंत्रण कक्ष		
10	मुख्य सफ़ाई निरीक्षक, नगर निगम		
11	DEOC नियंत्रण कक्ष	विकास कुमार	7488466607
	Help line Number		9279808780
12	प्रभारी पदाधिकारी ज़िला आपदा प्रबंधन (ADM-Disaster Management)	अनीश कुमार	8800875965
13	DM कन्सल्टंट	मिस्टर रिज़वी	9386598287
14	ज़िला पदाधिकारी	श्री रौशन कुशवाहा	9473191412
	उप विकास आयुक्त	श्री सुशांत कुमार	9431818370
15	अपर ज़िला समाहर्ता	श्री राजेश कुमार सिंह	9473191413
16	SDM सदर	श्री रामानुज प्रसाद सिंह	9473191414
17	पुलिस अधीक्षक	श्री योगेन्द्र कुमार	9431800011
18	SDPO सदर		9431800020
	ज़िला सूचना पदाधिकारी	मनीष कुमार मिश्रा	9430282681
19	ज़िला अग्निशाम पदाधिकारी		
20	अग्निशामलय बेगूसराय	मनीष जी	7654714988 (SI)
21	अंचलाधिकारी सदर		8544412452
22	सिविल सर्जन	Dr. Pramod kumar	9470003084
23	ज़िला अस्पताल प्रबंधक	पंकज	
24	SDRF बेगूसराय	S B Shama (SI)	6205041002
25	ज़िला पशुपालन पदाधिकारी		7903592933
26	ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी	शेषनाथ सिंह	6201 035 086
27	District Statistic Officer		
28	कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग		8544428603
29	कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग		7763815325
30	यातायात उपाधीक्षक		
31	ज़िला परिवहन पदाधिकारी		6202751026
32	नगर निगम परिधि के अंदर आने वाले थाना का नम्बर		9431822832 (टाउन थाना) 9431822840 (मुफ़्फ़सिल बेगूसराय)

8.8 अस्पतालों की सूची –

8.8.1 सरकारी अस्पताल

अस्पताल का प्रकार	बेड संख्या	पद	कुल पद
ज़िला अस्पताल	ट्रॉमा -2	चिकित्सक	32
	बर्न बेड -8	ANM/ नर्स	54
	सामान्य बेड -100	कम्पाउण्डर / ड्रेसर	16
	ICU-15	पैरामेडिकल कर्मचारी (Technician and Pathologist)	2
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (तेलिया पोखर, बाघा, उल्लाव और बिशनपुर)		चिकित्सक	8
		ANM/ नर्स	16
		कम्पाउण्डर / ड्रेसर	-
		पैरामेडिकल कर्मचारी	4

8.8.2 ग़ैर सरकारी अस्पताल

क्र0	अस्पताल का नाम	प्रभारी	प्रभारी सम्पर्क	कुल सामान्य बेड	कुल ICU बेड
1	एलेक्सिया अस्पताल	डॉक्टर द्राक्षा नाज़	9934100905	40	10
2	अमर ज्योति अस्पताल	डॉक्टर अंगेश कुमार	9835853348	50	15
3	अमृत जीवन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड	डॉक्टर कृष्णा कुमार	8210037349	28	12
4	अनन्या नर्सिंग होम	डॉक्टर समवर्था कुमार	9431039729	20	10
5	BM हॉस्पिटल (बिशनुपर मल्टी स्पेसियलिटी हॉस्पिटल)	डॉक्टर अतुल कुमार राज	8434050002	100	14
6	बोनस एंड जॉट्स हॉस्पिटल	डॉक्टर उज्ज्वलेंदु	9973692689	50	10
7	धृति जीवन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड	डॉक्टर चंदन सिन्हा	9971597413	30	15
8	गलोकल हॉस्पिटल	डॉक्टर मो. इजाज़ खान	8296384442	50	20
9	लाइफ़ लाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर	डॉक्टर कुमार शंकर नाथ	6205254290	25	10
10	महावीर अग्रसेन सेवा सदन	डॉक्टर रंजन राकेश	9430885214	24	10
11	मायेरा मेडिलैंड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड	डॉक्टर राजीव कुमार रॉय	8470834105	40	15
12	निर्माया हॉस्पिटल, केसावे रोड, अंग्रेज़ी ढाला	डॉक्टर रवि शंकर सिंह	7766956222	21	9
13	सहज संजीवनी हॉस्पिटल, डाक बंगला रोड, बेगूसराय	डॉक्टर बिनय कुमार	7903796477	40	10
14	सृष्टि जीवन हॉस्पिटल, बेगूसराय	डॉक्टर ज़फ़र अरशद	8084604587	40	10

क्र0	अस्पताल का नाम	प्रभारी	प्रभारी सम्पर्क	कुल सामान्य बेड	कुल ICU बेड
15	सिद्धि विनायक क्रिटिकल केयर एंड हॉस्पिटल, बेगूसराय	डॉक्टर सत्यजीत सिन्हा	9102990506	30	10
16	मीरा नर्सिंग होम, अशोक नगर पोखरिया, बेगूसराय	डॉक्टर मीरा सिंह		50	10
17	AMIMS हॉस्पिटल, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी		10	0
18	शिवम् नर्सिंग होम, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर राम यतन सिंह		40	10
19	MNC ट्रॉमा एंड ओर्थोपेडिक सेंटर, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर मुक्ति नाथ चौधरी		10	0
20	बीना नर्सिंग होम, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर बीना सिंह		50	10
21	कल्पना नर्सिंग होम, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर अशोक शर्मा		30	10
22	मंजु मीरा हॉस्पिटल, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर ब्रजेश कुमार		30	10
23	सिटी हॉस्पिटल, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर रौशन लाल		20	10
24	पेनसिया हॉस्पिटल, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर मृत्युंजय कुमार		50	10
25	गंगा हॉस्पिटल, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर दीपक कुमार		50	10
26	अवध मेमोरियल हॉस्पिटल (ट्रॉमा), NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर मनीष कुमार		40	10
27	आयुष्मान हॉस्पिटल, NH-31, बेगूसराय	डॉक्टर हीरा कुमार		20	10

तालिका 37 : बेगूसराय ज़िले में आपदा से निपटने के लिए उपलब्ध उपकरण (*BSDRN* पोर्टल से प्राप्त)

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
BARAUNI PUMP STATION INDIAN OIL CORPORATION LTD(BARAUNI KANPUR PIPELIN)	Chains 6 feet (3 ton lift)	Fire ,	1	BARAUNI PUMP STATION INDIAN OIL CORPORATION LTD PO-BARAUNI OIL REFINERY DIST- BEGUSARAI	8874040109
	Lifting tackle-3ton	Accidents (Rail, Road, Air) ,	1		8874040109
	BASKET	Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	1	BARAUNI PUMP STATION INDIAN OIL CORPORATION LTD(BARAUNI KANPUR PIPELIN)	8874040109
	GLOVES RUBBER TESTED UP TO 25000 VOLT	Fire ,	1		8874040109
	Sledge Hammer (4 Units)	Fire ,	1		8874040109
BIHAR FIRE SERVICE	BOLT CUTTER	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	1	FIRE STATION BAKHARI, BEGUSARAI	7485805948
	CROW BAR	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Earthquake , Flood , Drowning / Boat capsizing ,	3		7485805948
	FIRE MAN AXE	Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Flood , Fire ,	2		7485805948
	FIRE MIST-TECHNOLOGY	Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Chemical disaster ,	2		7485805948

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
	hammer	Earthquake , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	2		7485805948
	LADDER	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) ,	2		7485805948
	LARGE AXE	Earthquake , Fire , Earthquake , Fire ,	1		7485805948
	PICKAXE	Earthquake , Fire ,	1		7485805948
	ROPE	Earthquake , Flood , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure ,	4		7485805948
	SPADE	Earthquake , Fire , Earthquake , Fire ,	2		7485805948
	Water Tender	Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Nuclear disaster , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Fire ,	2		7485805948
	WOODEN SAW	Earthquake , Fire ,	1		7485805948
	BOLT CUTTER	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	1	FIRE STATION BALLIA, BEGUSARAI	7485805954
	CROW BAR	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Earthquake , Flood ,	1		7485805954

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
		Drowning / Boat capsizing ,			
	FIRE MAN AXE	Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Flood , Fire ,	1		7485805954
	FIRE MIST-TECHNOLOGY	Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Chemical disaster ,	1		7485805954
	hammer	Earthquake , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	2		7485805954
	LADDER	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) ,	2		7485805954
	LARGE AXE	Earthquake , Fire , Earthquake , Fire ,	2		7485805954
	PICKAXE	Earthquake , Fire ,	1		7485805954
	ROPE	Earthquake , Flood , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure ,	1		7485805954
	SPADE	Earthquake , Fire , Earthquake , Fire ,	1		7485805954
	Water Tender	Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Nuclear disaster , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Fire ,	2		7485805954
	BOLT CUTTER	Earthquake , Fire , Accidents (Rail,	1		7485805950

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
		Road, Air) , Collapse Structure ,		FIRE STATION BARAUNI, BEGUSARAI	
	CEILING HOOK	Earthquake , Flood , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	1		7485805950
	CROW BAR	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Earthquake , Flood , Drowning / Boat capsizing ,	1		7485805950
	FIRE MAN AXE	Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Flood , Fire ,	1		7485805950
	FOME TENDER	Fire , Chemical disaster ,	1		7485805950
	hammer	Earthquake , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	1		7485805950
	HOGE PIPE	Earthquake , Flood , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure ,	6		7485805950
	PICKAXE	Earthquake , Fire ,	1		7485805950
	PILAS	Earthquake , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Earthquake , Flood ,	1		7485805950

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
		Fire , Accidents (Rail, Road, Air) ,			
	SHOVEL	Earthquake , Fire , Earthquake , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Earthquake , Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	1		7485805950
	SPADE	Earthquake , Fire , Earthquake , Fire ,	1		7485805950
	Water Tender	Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Nuclear disaster , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Fire ,	2		7485805950
	B.A SET (BREATHING APPARATUS)	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Chemical disaster , Nuclear disaster ,	3	FIRE STATION BEGUSARAI	7485805944
	CEILING HOOK	Earthquake , Flood , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	2		7485805944
	CROW BAR	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Earthquake , Flood ,	5		7485805944

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
		Drowning / Boat capsizing ,			
	FIRE ENTRY SUIT	Fire , Collapse Structure , Fire , Chemical disaster ,	1		7485805944
	FIRE MIST-TECHNOLOGY	Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Chemical disaster ,	4		7485805944
	hammer	Earthquake , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	3		7485805944
	HOGE PIPE	Earthquake , Flood , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure ,	25		7485805944
	LADDER	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) ,	8		7485805944
	SPADE	Earthquake , Fire , Earthquake , Fire ,	1		7485805944
	Water Tender	Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Nuclear disaster , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Fire ,	4		7485805944
	WOODEN SAW	Earthquake , Fire ,	1		7485805944
	B.A SET (BREATHING APPARATUS)	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) ,	1	FIRE STATION MAJHAUL, BEGUSARAI	7485805947

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
		Chemical disaster , Nuclear disaster ,			
	BOLT CUTTER	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	1		7485805947
	CROW BAR	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Earthquake , Flood , Drowning / Boat capsizing ,	2		7485805947
	FIRE MIST-TECHNOLOGY	Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Chemical disaster ,	2		7485805947
	hammer	Earthquake , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	2		7485805947
	HOGE PIPE	Earthquake , Flood , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure ,	10		7485805947
	LADDER	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) ,	2		7485805947
	SPADE	Earthquake , Fire , Earthquake , Fire ,	1		7485805947
	Water Tender	Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Nuclear disaster , Fire , Accidents	2		7485805947

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
		(Rail, Road, Air) , Fire ,			
	WOODEN SAW	Earthquake , Fire ,	1		7485805947
	B.A SET (BREATHING APPARATUS)	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Chemical disaster , Nuclear disaster ,	1	FIRE STATION TEGHADA, BEGUSARAI	7485805952
	BOLT CUTTER	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	1		7485805952
	CEILING HOOK	Earthquake , Flood , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	1		7485805952
	FIRE EXTIGUISHER ABC TYPE	Fire ,	6		7485805952
	FIRE MAN AXE	Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Flood , Fire ,	1		7485805952
	FIRE MIST-TECHNOLOGY	Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Chemical disaster ,	3		7485805952
	hammer	Earthquake , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	2		7485805952
	HOGE PIPE	Earthquake , Flood , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat	18		7485805952

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
		capsizing , Collapse Structure ,			
	LADDER	Earthquake , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) ,	2		7485805952
	LARGE AXE	Earthquake , Fire , Earthquake , Fire ,	1		7485805952
	PICKAXE	Earthquake , Fire ,	1		7485805952
	ROPE	Earthquake , Flood , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure ,	1		7485805952
	Water Tender	Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Nuclear disaster , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Fire ,	2		7485805952
Disaster Management Branch, Begusarai	Satellite phone	Earthquake , Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure ,	4	Collectorate Office, Begusarai	9473191412
	Tent	Flood ,	300	Disaster Management Branch, Collectorate Office , Begusarai	9473191412
DISTRICT DISASTER MANAGEMENT	Country Boat	Flood , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing ,	19	Bachhwara Block	9473191413

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
BRANCH BEGUSARAI	Country Boat	Flood , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing ,	2	Balia Block	9473191413
	Country Boat	Flood , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing ,	2	Barauni Block	9473191413
	Country Boat	Flood , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing ,	1	Begusarai Sadar	9473191413
	MOTOAR BOAT	Flood , Drowning / Boat capsizing ,	1	CIRCLE OFFICE BARAUNI	8544412451
	Country Boat	Flood , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing ,	15	Circle Office Teghra	9473191413
	Life buoys	Flood , Drowning / Boat capsizing ,	105	Collectorate, Begusarai	9473191413
	Suit Fire proximity	Fire ,	1	PHBPL Barauni , Indian Oil Corporation , Begusarai , Pin 85114	7485805949
	Country Boat	Flood , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing ,	2	Shamho Akha Kurha Block	9473191413
	Search & Rescue Team for Flood	Flood , Drowning / Boat capsizing ,	5	Simaria Ghat, Barauni	9473191413
	Country Boat	Flood , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing ,	7	Teghra Block	9473191413
DM , BEGUSARAI	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	141	9473191413	Collectorate, Begusarai
	boat	Flood , Drowning / Boat capsizing ,	179	AT VARIOUS BLOCK, BEGUSARAI	9473191413
	Trained Swimmer	Flood ,	112		9473191413

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing , Accidents (Rail, Road, Air) ,	4	Bachhwara Block	8544412459
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing , Accidents (Rail, Road, Air) ,	10	Bakhri	8544412445
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing , Accidents (Rail, Road, Air) ,	2	Balia Block	8544412448
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	6		9473191413
	inflatable boat	Flood , Drowning / Boat capsizing ,	4	Barauni Block	8544412451
	shelter	Flood ,	2	BARAUNI IRD, AT+P.O.-PAPRAUL, NH-31, BEGUSARAI, 851210	9534462007
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing , Accidents (Rail, Road, Air) ,	10	Begusarai Sadar Block	8544412452
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	25		9473191413
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing , Accidents (Rail, Road, Air) ,	6	Bhagwanpur	8544412460
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	5	Bhagwanpur block	9473191413
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	8	Birpur	9473191413

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	20	Cheriya Bariyarpur Block	9473191413
	Rescue Boat	Earthquake , Flood ,	2	Circle office , Barauni	8544412451
	MOTOAR BOAT	Flood , Drowning / Boat capsizing ,	2	CIRCLE OFFICE BARAUNI	8544412451
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	25	Circle Office Begusarai	8544412452
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing , Accidents (Rail, Road, Air) ,	6	CO BARANI	8544412451
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing , Accidents (Rail, Road, Air) ,	11	CO Cheria Bariyarpur	8544412456
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing , Accidents (Rail, Road, Air) ,	3	CO Chhorahi	8544412457
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing , Accidents (Rail, Road, Air) ,	4	CO Dandari	8544412449
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing , Accidents (Rail, Road, Air) ,	8	CO Garhpura	8544412446
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing , Accidents (Rail, Road, Air) ,	5	CO Khodabandpur	8544412458
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing ,	14	CO Nawkothi	8544412447

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
		Accidents (Rail, Road, Air) ,			
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing , Accidents (Rail, Road, Air) ,	3	CO S.KAMAL	8544412450
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing , Accidents (Rail, Road, Air) ,	15	CO Teghra	8544412462
	Life buoys	Flood , Drowning / Boat capsizing ,	210	COLLECTORATE , BEGUSARAI	9473191413
	Mahajaal	Flood , Drowning / Boat capsizing ,	2		9473191413
	Satellite phone	Earthquake , Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure ,	4	Collectorate, Begusarai	9473191412
	Driver teams	Flood ,	12	Collectoriate, Begusarai	9473191413
	Polythene sheets	Earthquake , Flood , Collapse Structure , Flood , Fire , Cyclonic storm , Drowning / Boat capsizing ,	55972		9473191413
	Tent	Flood ,	250		9473191413
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	9	Garhpura Block	9473191413
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	2	Khorampur matihani	9473191413

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	1	Khorampur, Matihani	9473191413
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing , Accidents (Rail, Road, Air) ,	2	Mansurchak	8544412461
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	11	Mansurchak Block	9473191413
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing , Accidents (Rail, Road, Air) ,	8	Matihani Block	8544412454
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	11		9473191413
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	29	Nawkothi Block	9473191413
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	1	New Jafer Negar, Sahebpurkamal	9473191413
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	2	Parmanandpur, Balia	9473191413
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	1	Rachiyahi, Begusarai	9473191413
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	18	S. Kamal Block	9473191413
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	1	Sabdalpur, Sahebpurkamal	9473191413
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing , Accidents (Rail, Road, Air) ,	4	Sahebpur Kamal Block	8544412450
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	2	Sanha West, Sahebpurkamal	9473191413
	Life Jackets	Flood , Drowning / Boat capsizing ,	4	Shamho Block	8544412455

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
		Accidents (Rail, Road, Air) ,			
	Search & Rescue Teams for Flood	Flood ,	12	Teghra Block	9473191413
DM/DISTRICT DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY BEGUSARAI	4 Wheel vehicle	Earthquake , Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure , Chemical disaster , Biological disaster , Radiological disaster , Nuclear disaster ,	1	IOCL, BARAUNI	7485805949
FIRE STATION BAKHRI	HEAVY AXE	Fire ,	2	FIRE STATION BAKHRI	7485805949
FIRE STATION BEGUSARAI	FIRE ENTRY SUIT	Fire , Collapse Structure , Fire , Chemical disaster ,	1	FIRE STATION BEGUSARAI	06243-223133
HINDUSTAN PETROLEUM CORP. LTD.	4 Wheel vehicle	Earthquake , Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure , Chemical disaster , Biological disaster , Radiological disaster , Nuclear disaster ,	1	BARAUNI IRD, AT+PO: PAPRAUR, NH-31, BEGUSARAI 851210	9534462007
	Bucket large plastic	Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) ,	5		9534462007

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
		Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure ,			
	CO2 Type	Earthquake , Accidents (Rail, Road, Air) , Fire ,	8		9534462007
	Cold cutters	Earthquake , Accidents (Rail, Road, Air) ,	1		9534462007
	Containers of AFFF	Fire , Earthquake , Accidents (Rail, Road, Air) ,	96		9534462007
	Crescent/Adjustable wrenches	Fire , Earthquake , Accidents (Rail, Road, Air) ,	1		9534462007
	cutting axe	Earthquake , Accidents (Rail, Road, Air) ,	1		9534462007
	Electric drill bit set (complete set of 19 bits)	Earthquake , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	1		9534462007
	ELECTRIC TORCH	Earthquake , Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure , Chemical disaster , Biological disaster , Radiological disaster , Nuclear disaster ,	2		9534462007

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
	Extension Ladder	Fire , Earthquake , Flood , Fire , Collapse Structure , Earthquake , Accidents (Rail, Road, Air) , Fire ,	1		9534462007
	First aid Kits	Earthquake , Accidents (Rail, Road, Air) ,	2		9534462007
	Gas cutter/ regulator	Earthquake , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	2		9534462007
	HACKSAW	Earthquake , Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure ,	1		9534462007
	HAND TOOL SET	Earthquake , Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure , Chemical disaster , Biological disaster , Radiological disaster , Nuclear disaster ,	1		9534462007
	LEL METER	Accidents (Rail, Road, Air) ,	2		9534462007

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
	Non Sparking brush, brooms, shovels	Earthquake , Accidents (Rail, Road, Air) ,	1		9534462007
	Non Sparking tool	Earthquake , Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure ,	1		9473118496
	Office building	Earthquake , Accidents (Rail, Road, Air) , Fire ,	1		9534462007
	Plastic drums	Earthquake , Accidents (Rail, Road, Air) , Flood , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	52		9473118496
	public address system	Earthquake , Accidents (Rail, Road, Air) , Fire ,	1		9534462007
	ROPE	Earthquake , Flood , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure ,	0		9534462007
	Safety Helmet	Earthquake , Flood , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Earthquake , Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail,	45		9534462007

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
		Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure , Chemical disaster , Biological disaster , Radiological disaster , Nuclear disaster ,			
	search light	Earthquake , Flood , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Earthquake , Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing ,	2		9534462007
	Slotted Screwdrivers	Fire ,	1		7485805949
	VHF Sets Static	Earthquake , Flood , Fire , Drowning / Boat capsizing , Earthquake , Accidents (Rail, Road, Air) ,	1		9534462007
	Water tank	Earthquake , Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing , Collapse Structure ,	3		9534462007

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
	Suit-fire proximity	Earthquake , Accidents (Rail, Road, Air) ,	1	HINDUSTAN PETROLEUM CORP. LTD.	7485805949
Indian Oil Corporation ,PHBL	Water filter	Earthquake , Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	2	Indian Oil Corporation ,PHBL	7485805949
	Steel Cutting and Binding Machine	Earthquake , Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure	1 1	PHBPL BARAUNI	7485805949 9473191413
	Suit-fire proximity	Earthquake , Accidents (Rail, Road, Air) ,	1	PHBPL Barauni , Indian Oil Corporation , Begusarai , Pin 85114	7485805949
INDIAN OIL CORPORATION LTD(BARAUNI KANPUR PIPELIN)	AIR COMPRESSOR 20CFM AL	Earthquake , Flood , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Drowning / Boat capsizing ,	1	INDIAN OIL CORPORATION LTD(BARAUNI KANPUR PIPELIN)	8874040109
INDIAN OIL CORPORATION, BEGUSARAI	ELECTRIC GENERATOR	Flood , Fire , Earthquake , Flood , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Chemical disaster , Biological disaster , Radiological disaster , Nuclear disaster ,	2	INDIAN OIL CORPORATION, BEGUSARAI	8874040109
	BLANKETS	Accidents (Rail, Road, Air) , Fire ,	4	PHBPL BARAUNI	7485805949

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT BEGUSARAI	OXYGEN CYLINDER	Earthquake , Flood , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Chemical disaster , Biological disaster , Radiological disaster , Nuclear disaster , Earthquake , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Earthquake , Flood , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	104	SADAR HOSPITAL, BEGUSARAI	06243-222285
Public Health Deptt.	OXYGEN CYLINDER	Earthquake , Flood , Fire , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Chemical disaster , Biological disaster , Radiological disaster , Nuclear disaster , Earthquake , Fire , Cyclonic storm , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure , Earthquake , Flood , Accidents (Rail, Road, Air) , Collapse Structure ,	204	Public Health Deptt.	9470003084

Owners / Deptt. / Organisation / Inst. Name	Name of the Item/Equipment	Equipment Used in Disasters/Hazard Name	Quantity	Available Location/Revenue Circle & Police Station	Contact No
SDRF, BIHTA ,PATNA	CHILD BIRTH KIT	Flood ,	3	PURANI KENDRIYA VIDYALAYA KHAGARIA	9113764551

तालिका 38 : बेगूसराय ज़िले में *DEOC* में पंजीकृत निजी ऐम्ब्युलन्स (*BSDRN* पोर्टल से प्राप्त)

Owner Name	Vehicle Registration No	Address	Contact No. (Mobile No./Tel No.)	Location(s) of Vehicle
RADHE PASWAN	BR09PA6540	BACHHWARA, BEGUSARAI	9334325391	BACHWARA
MANOJ KUMAR	BR09PA6452	BAKHRI, BEGUSARAI	8084844377	BAKHRI
RAHUL PASWAN	BR09PA6495	BAKHRI, BEGUSARAI	9060899940	BAKHRI
NAVIN KUMAR ABHINAAS	BR09PA6483	NOWKOTHI, BEGUSARAI	9939918329	NOWKOTHI
AJAY KUMAR	BR09PA6488	GHARPURA ,BEGUSARI	9142109502	GHARPURA
SATRUDHAN KUMAR	BR09PA6451	BHAGWANPUR, BEGUSARAI	8340552094	BHAGWANPUR
SANTOSH KUMAR	BR09PA6506	BHAGWANPUR, BEGUSARAI	8298763527	BHAGWANPUR
RAUSHAN KUMAR	BR09PA6467	MANSURCHAK, BEGUSARAI	7011513783	MANSURCHAK
PRADIP KUMAR	BR09PA6501	BACHWARA, BEGUSARI	8210395128	BACHHWARA

अध्याय - 9 : रिकवरी, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास योजना

आपदा के बाद उठाए जाने वाले कदमों में रिकवरी, पुनर्निर्माण और पुनर्वास सबसे महत्वपूर्ण है। "शॉर्ट-टर्म रिकवरी" महत्वपूर्ण लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए ज़रूरी होती है जबकि "दीर्घकालिक पुनर्वास" को क्षेत्र के पूर्ण पुनर्विकास तक जारी रहना होता है। आपदा से राहत और बचाव अभियान के तुरंत बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण चरण शुरू हो जाता है। रिकवरी चरण पहले से मौजूद रणनीतियों और नीतियों पर आधारित होना चाहिए जो रिकवरी कार्य के लिए स्पष्ट संस्थागत जिम्मेदारियों को सुविधाजनक बनाता है तथा सार्वजनिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। रिकवरी चरण का महत्व एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा सकता है जिससे इसे बेहतर बनाने के लिए (Build Back Better), पहले की तुलना में आपदारोधी बनाने के उपायों को सुनिश्चित किया जा सके।

आपदा के बाद का यह दौर तब तक जारी रहता है जब तक कि प्रभावित लोगों का जीवन सामान्य नहीं हो जाता। इसलिए, पुनर्प्राप्ति योजना उन गतिविधियों के लिए एक समन्वय तंत्र स्थापित करके बेहतर निर्माण पर केंद्रित है, जिन्हें अल्पकालिक से मध्यम / दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति अवधि में निष्पादित करने की आवश्यकता है।

आपदा के बाद के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र सुधार के लिए निम्नलिखित गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए।

- नुकसान का आकलन
- मलबे का निपटान
- सहायता पैकेज तैयार करना
- घरों के लिए सहायता का सही वितरण
- स्थानांतरण
- जागरूकता और क्षमता निर्माण
- निगरानी और समीक्षा
- नगर योजना और विकास योजनाएं
- आवास प्रतिस्थापन नीति के रूप में पुनर्निर्माण
- आवास बीमा
- शिकायतों का अविलम्ब निपटारा

9.1 प्रशासनिक राहत

किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद रिकवरी, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास की मुख्य जिम्मेदारी ज़िला की होती है जिसके तहत प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करना, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना, क्षति मूल्यांकन के बाद उचित पुनर्वास के उपायों को सुनिश्चित कराना है। इस पूरे प्रयासों में नगर निगम की एक महत्वपूर्ण भूमिका, विभिन्न विभागों तथा प्रत्येक वार्ड के साथ निरंतर समन्वय स्थापित करने की बन जाती है।

9.2 बुनियादी ढांचे को पुनर्स्थापित करना

घरों और अन्य बुनियादी ढांचों की मौजूदा संरचनाओं के नुकसान का आकलन करने के बाद उनके स्तर के आधार पर, पीड़ित को तत्काल पुनर्वास करवाने एवं पुनर्निर्माण गतिविधियों को करने के लिए वित्तीय प्रावधान किया जाता है।

बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी नोडल एजेंसी है और इस प्रक्रिया में आवास बोर्ड को भी पुनर्निर्माण योजनाओं का ध्यान रखना है। बुनियादी ढांचों को बहाल करते समय आपदा के प्रकार और डिग्री के आधार पर ज़ोनिंग कानूनों और अन्य आवश्यक सावधानियों का पालन सुनिश्चित किया जाता है।

9.3 क्षतिग्रस्त इमारतों/ सामाजिक बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण

क्षतिग्रस्त इमारतों का पुनर्निर्माण किया जाएगा और इसके लिए बीमा, अल्पकालिक ऋण, जैसे अन्य महत्वपूर्ण किफ़ायती साधनों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए:

- निजी संरचनाओं का पुनर्निर्माण कार्य संचालित करना
- सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यक्रम (पीपीपीपी) के तहत, गैर सरकारी इमारतों और बुनयादी ढाँचों का पुनर्निर्माण किया जाता है।
- आपदा प्रवण क्षेत्रों में सभी घरों का बीमा कराने को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय, तकनीकी और भौतिक सहायता की जानकारी दे कर सहायता पाने में मदद करना ।
- सरकार द्वारा प्रदान किए गए घरों के भूकंपरोधी पुनर्निर्माण के लिए डिजाइन जारी करना ।
- सामग्री बैंकों के माध्यम से रियायती दरों पर सामग्री सहायता प्रदान की जाती है।
- अपने स्वयं के डिज़ाइन के विकल्प के साथ मॉडल हाउस के डिज़ाइन का विकल्प देना।

9.4 आजीविका फिर से सुनिश्चित करना

आपदा के बाद के चरण में आजीविका को फिर से सुनिश्चित करना, पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण घटक है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं, लक्षित सीएसआर कार्य, एवं एक दीर्घकालिक पुनर्वास, और टिकाऊ आजीविका की दिशा में बहु-एजेंसी प्रयासों के अभिसरण (convergence) से बेगूसराय नगर निवासियों की भविष्य की आपदाओं के प्रति जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।

9.5 सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक मदद

महिलाओं और बच्चों सहित प्रभावित समुदाय के सदस्यों की मनो-वैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने से आपदा के बाद के पुनर्वास में "बिल्ड बैक बेटर" के सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू कराया जा सकता है । सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक मदद का मतलब केवल आपदा की घटनाओं के बाद चिकित्सीय, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता का प्रावधान नहीं है बल्कि इसमें विभिन्न आपदा प्रभावों की गहन समझ और प्रभावों के स्पेक्ट्रम में सहायता का प्रावधान भी शामिल है। आपदा के बाद सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक मदद का एक उदाहरण महाराष्ट्र (विदर्भ क्षेत्र, जो सूखे और किसानों के संकट से ग्रस्त है) का "सुखी बलिराजा पहल (एसबीआई)" है । एसबीआई के अंतर्गत विभिन्न विषयगत हस्तक्षेपों के माध्यम से सूखा प्रभावित किसानों के संकट को कम करने के लिए एक समग्र रणनीति विकसित की गयी है। इस रणनीति के तहत स्थायी कृषि, मिट्टी और जल संरक्षण, सामुदायिक विकास, किसान उत्पादक समूहों को बढ़ावा देना और सामूहिक कृषि तकनीक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पहल आदि शामिल हैं ।[1]

9.6 आपदा से क्षति और हानि का आकलन

पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों को शुरू करने से पहले आपदा की घटना से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन आवश्यक है। आपदा के बाद के नुकसान के आकलन में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ-साथ भौतिक एवं स्थायी संपत्तियों के नुक़सान का मूल्यांकन शामिल है। आपदा से हुए प्रभावों और कुल क्षति का पता लगाने के लिए सभी क्षेत्रों में हुए नुक़सान का एकत्रीकरण किया जाना भी आकलन प्रक्रिया में शामिल हैं।
नुकसान के आकलन का उद्देश्य नुकसान की सटीक प्रकृति और सीमा का निर्धारण करना है ताकि जिला प्रशासन द्वारा राहत और पुनर्वास के आवश्यक उपाय किए जा सकें। उल्लेखनीय है कि, केंद्र सरकार द्वारा

[1] http://www.tatatrusts.org/section/inside/sukhi-baliraja-initiative

जारी विज्ञप्ति संख्या 17/2015/1973 के अंदर अधिसूचित आपदाओं में प्रभावित लोगों को राहत पैकेज प्रस्तावित है। राष्ट्रीय एवं राजकीय अधिसूचित आपदाओं की सूची में से निम्न आपदाओं से बेगूसराय नगर आमतौर पर प्रभावित रहता है :

1. भूकम्प	2. अग्निकांड
3. बाढ़ एवं जल जमाव	4. चक्रवात
5. शीत लहर एवं लू	6. ठनका, ओला वृष्टि
7. कीटों का हमला	8. बेमौसम या अधिक वर्षा
9. नाव त्रासदी	10. डूबना (नदियाँ, तालाब, खाई
11. मानवजनित दुर्घटनाएं जैसे सड़क दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, गैस रिसाव	

निम्न तालिका के माध्यम से क्षति आकलन की प्रविधि को अच्छी तरह समझा जा सकता है।

तालिका 39 : आपदा के बाद हुए नुक़सान के आकलन की प्रविधि और जिम्मेदारियाँ

घटक विवरण	प्रविधि	जिम्मेदार एजेंसियां
1. आपदा के प्रकार 2. आपदा की तिथि और समय 3. प्रभावित नगर क्षेत्र (नाम और संख्या) 4. नाम और वार्ड संख्या 5. कुल प्रभावित व्यावसायिक प्रतिष्ठान 6. कुल प्रभावित आबादी (उम्र और लिंग के अनुसार) 7. कुल मानव जीवन क्षति (उम्र और लिंग के अनुसार) 8. कुल लापता लोगों की संख्या (उम्र और लिंग के अनुसार) 9. कुल प्रभावित जानवरों की संख्या (बड़े, छोटे और पोल्ट्री) 10. कुल क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या (आंशिक और पूर्ण) 11. कुल क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना (रोड, पुल, बांध आदि) 12. राहत कार्य के लिए उठाए गए कदमों का संक्षिप्त विवरण (राहत शिविरों की संख्या, स्थान और उनमें रहने वाले लोगों की उम्र एवं लिंग आधारित संख्या) 13. वितरित राहत सामग्रियों का विवरण	नुक़सान आकलन के लिए टूल्स: (a) एरियल सर्वेक्षण (b) प्रभावित क्षेत्र के फोटोग्राफ, वीडियो ग्राफ (c) सैटेलाइट इमेजरी (d) फील्ड रिपोर्ट (e) टीवी/प्रेस कवरेज (f) दृश्य निरीक्षण चेकलिस्ट: a. कैमरा b. लैपटॉप c. नोटबुक d. जीआईएस मानचित्र e. GPS	क्षेत्र निरीक्षण और वार्ड स्तर की जानकारी के लिए वार्ड सदस्य ज़िम्मेदार होंगे जिसमें मानव जीवन की हानि, प्रभावित आबादी , क्षतिग्रस्त घरों की संख्या शामिल है • संबंधित विभाग बिजली आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग, सड़कों, तटबंधों आदि के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग, पशुधन विवरण के लिए कृषि और मत्स्य पालन विभाग, राहत के लिए आपदा प्रबंधन विभाग

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को न केवल आवश्यक संस्थागत तंत्र तैयार करना चाहिए बल्कि निगरानी भी करनी चाहिए, वहीं गैर सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों के काम के साथ समन्वय करना भी आवश्यक है ताकि जिले में उपलब्ध विशेषज्ञता और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बाहरी एजेंसियों का एक समयबद्ध दृष्टिकोण होता है और परियोजना के समाप्त होने तक राहत और पुनर्वास कार्य पूरी तरह से ख़त्म हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसलिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, रिकवरी प्रक्रिया के लिए ज़िम्मेदार एजेन्सी है और इसे योजना के क्रियान्वयन, इसकी प्रगति और रिपोर्टिंग की निरंतरता को सुनिश्चित करनी है।

रिकवरी प्रक्रिया के दौरान, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि समुदाय पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन की सहायता पर निर्भर न हों। रिकवरी प्रक्रिया के दौरान इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए कि रिकवरी प्रक्रिया में समुदाय की स्पष्ट भागीदारी हो और धीरे-धीरे पूरी प्रक्रिया समुदाय द्वारा ही संचालित हो। इसके साथ-साथ समुदाय के परामर्श से रिकवरी प्रक्रिया में बहु-अनुशासनात्मक गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे समुदाय और पूरे जिले के सतत विकास को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

9.7 बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण

बेहतर बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने ज़रूरी हैं। इससे प्रभावित आबादी के आजीविका और जीवन स्तर को पुनर्स्थापित कर पटरी पर लाया जा सकता है। बुनियादी ढाँचे की बहाली के मुख्य मार्गदर्शक निम्नलिखित हैं:

बुनियादी ढांचे की बहाली के मार्गदर्शक सिद्धांत

1. एक अच्छी पुनर्निर्माण नीति समुदायों को फिर से सक्रिय करने में मदद करती है और लोगों को उनके आवास, जीवन और आजीविका के पुनर्निर्माण के लिए सशक्त बनाती है।
2. पुनर्निर्माण आपदा के दिन से शुरू होता है।
3. समुदाय के सदस्यों को नीति निर्माण में भागीदार और स्थानीय कार्यान्वयन में अग्रणी होना चाहिए।
4. पुनर्निर्माण नीति और योजनाएं आपदा जोखिम में कमी के संबंध में वित्तीय रूप से यथार्थवादी लेकिन महत्वाकांक्षी होनी चाहिए।
5. विभिन्न संस्थाओं के बीच परस्पर समन्वय से परिणामों में सुधार होता है।
6. पुनर्निर्माण भविष्य के लिए योजना बनाने और अतीत को संरक्षित करने का एक अवसर है।
7. स्थानांतरण जीवन को बाधित करता है और इसे न्यूनतम रखा जाना चाहिए।
8. आकलन और निगरानी से पुनर्निर्माण के परिणामों में सुधार हो सकता है।
9. दीर्घकालिक विकास में योगदान करने के लिए, पुनर्निर्माण टिकाऊ होना चाहिए।

आधारभूत संरचना के दृष्टिकोण से नगरों की संरचना गाँव की तुलना में अलग होती है। शहरी क्षेत्रों में पुनर्निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं :

शहरी क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं:

1. उच्च जनसंख्या घनत्व और विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास विकल्प
2. अधिक संख्या अनौपचारिक आवास, इसका अधिकांश भाग उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थित होना
3. बहु-परिवार आवास और किराएदारों का एक बड़ा अनुपात
4. स्वामित्व संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो सकती है
5. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के उपाय सुनियोजित योजना और विनियमन पर आधारित

6. उच्च आय स्तर और प्रभावित आबादी के जीवन स्तर के आधार पर उदार सहायता रणनीतियाँ
7. उच्च भूमि मूल्य और कम अविकसित भूमि
8. चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय जोखिम
9. उच्च मूल्य और अधिक बुनियादी ढांचा निवेश
10. अधिक जटिल सामाजिक संरचनाएं जो संघर्षों को जन्म दे सकती हैं और पुनर्निर्माण योजना में भागीदारी जटिल हो सकती हैं

9.8 बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए किए जाने वाले कार्य

तालिका 40 : बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए किए जाने वाले कार्य की तालिका

आधारभूत संरचना	विवरण	ज़िम्मेदार एजेन्सी
सुदृढ़ीकरण और रेट्रोफिटिंग	पीडब्ल्यूडी और भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सभी महत्वपूर्ण भवनों में कार्य की शुरुआत की जाएगी। नहरों और तटबंधों के लिए क्रमशः सिंचाई विभाग और डब्ल्यूआरडी ज़िम्मेदार होंगे। स्कूलों के लिए ये कार्य शिक्षा विभाग का आधारभूत संरचना निगम करेगा।	लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग का आधारभूत संरचना विकास निगम
सड़कों और पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण	रिकवरी चरण के दौरान NHAI और पीडब्ल्यूडी-सड़क (राज्य और ग्रामीण) द्वारा सड़कों और पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण की निगरानी और निष्पादन किया जाएगा।	NHAI RCD नगर निकाय
आवास	पीड़ितों के लिए स्थायी आवास का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी के तहत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गैर सरकारी संगठनों, निजी कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग, आदि जैसी बाहरी एजेंसियों के सहयोग और वित्तीय सहायता में आवास समाधान प्रदान किए जा सकते हैं। योजना और निष्पादन में स्थानीय समुदाय को परामर्श और मूल्यांकन के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाते हुए शामिल करना होता है।	नगर विकास एवं आवास विभाग
जैव विविधता का पुनर्जनन Regeneration of biodiversity	वनों और जैव विविधता को पुनर्जीवित करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास, वन और जल संसाधन विभाग द्वारा वनीकरण की पहल की जानी है। केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं में कन्वर्जेन्स के माध्यम से मनरेगा और जल जीवन हरियाली मिशन के तहत मुख्यमंत्री वृक्षारोपण और वृक्ष संरक्षण योजनाओं को लागू करना।	पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग पर्यावरण और वन विभाग जल संसाधन विभाग जल जीवन हरियाली मिशन

9.9 सामाजिक और आर्थिक रिकवरी

पुनर्वास
इस चरण के दौरान, अपने घरों के नुकसान, विनाश या उनकी भूमि के कटाव के कारण अस्थायी आश्रयों में रखे गए परिवारों का आवश्यक बुनियादी ढांचे की रिकवरी के माध्यम से पुनर्वास किया जाना है। इन परिवारों को मूल बस्तियों के करीब स्थानों पर पुनर्वास के प्रयास किए जाने चाहिए।
शिक्षा
आपदा के बाद यथाशीघ्र स्कूलों को शुरू करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
दैनिक मज़दूरी की व्यवस्था
शहरी ग़रीबों की एक बड़ी आबादी नगर क्षेत्र की मलिन बस्तियों में रहती है और किसी भी आपदा या महामारी के दौरान उनके रोज़गार के अवसर लगभग ख़त्म हो जाते हैं। इस स्थिति में नगर निगम की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है कि दैनिक मज़दूरों के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ।
आजीविका
आजीविका को आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से अधिक टिकाऊ बनाने के साथ-साथ भविष्य की आपदाओं के प्रति अधिक लचीला बनाने की दिशा में कार्य किए जाने चाहिए। इस दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति प्रयास में, आजीविका विविधीकरण, वैकल्पिक आय सृजन गतिविधियों के निर्माण, ऋण और बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने तथा मौजूदा और नई आजीविका के लिए बाजारों के साथ आगे के संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने चाहिए।
ऋण की व्यवस्था
प्रभावित समुदायों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के द्वारा माइक्रोक्रेडिट प्रदान करके घरेलू पशुओं, कृषि उपकरण, शिल्प उपकरण और अन्य जैसी संपत्तियों को खरीदने या पुनर्निर्माण में सहायता की जा सकती है ।
सूक्ष्म बीमा
भविष्य में किसी भी आपदा से नुकसान के मामले में जोखिम हस्तांतरण लाभ सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक किसानों और पशुधन मालिकों और उनकी उत्पादक भूमि/पशुधन को शामिल करने के लिए सूक्ष्म बीमा की कवरेज में वृद्धि की जानी चाहिए ।

अध्याय -10 आपदा और जोखिम न्यूनीकरण योजना

संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक जोखिमों और क्षति के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक शमन उपायों की पहचान की जानी चाहिए। पहले से किए गए सक्रिय उपायों से जीवन, संपत्ति, बुनियादी ढांचे के नुकसान आदि पर आपदाओं से प्रतिकूल प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है, इसकी चर्चा इस अध्याय में की जाएगी। जोखिम न्यूनीकरण योजना तैयार करने में संबंधित विभागों एवं उनके कार्यकर्मों की पहचान की जाएगी तथा जन जागरूकता वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा दिए जाने के उपायों को सम्मिलित किया जाएगा । साथ ही इन योजनाओं को विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के साथ शामिल करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।

10.1 अल्पकालिक, मध्यम-कालिक और दीर्घ-कालिक आपदा न्यूनीकरण योजना

बेगूसराय नगर के अंतर्गत भूकंप के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• भवनों का आंशिक और पूर्ण नुक़सान। • मानव और पशुओं का घायल होना या मृत्यु होना। • आधारभूत संरचनाओं का नुक़सान जैसे सड़क, तटबंध, आदि। • घरेलू हिंसा और मानव तस्करी की घटनाओं में बढ़ोतरी।	• आपदा के बाद, **अंचल पदाधिकारी** की मदद से **राहत शिविरों** की व्यवस्था कराना। • **मलबों के निष्पादन** की अविलम्ब व्यवस्था **PWD और ULB** के द्वारा किया जाना। • **शवों के निस्तारण** की समुचित व्यवस्था **स्वास्थ्य विभाग** की मदद से **ULB** द्वारा किया जाना। • **सिविल सर्जन** के साथ समन्वय कर स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर उपलब्धता प्रभावी ढंग से लागू करना।	• नए बनने वाले इमारतों को बिल्डिंग बायलॉज के स्थापित मानकों के अनुसार ही निर्माण करने के लिए ULB के द्वारा अनुमति प्रदान की जाए और इसे सख़्ती से लागू की जाए। • कार्यालय अथवा आवासीय भवनों में अवस्थित ग़ैर संरचनात्मक वस्तुओं को भूकंप के दौरान गिरने से बचाने के लिए समुचित व्यवस्था किये जाने के लिए ULB द्वारा व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। • अभियंताओं/ वास्तुविदों/ संवेदकों/ निर्माणकर्ताओं/ राज मिस्त्रियों को भूकंप रोधी निर्माण एवं रेट्रोफिट्टिंग तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण BSDMA अथवा इनजिनियरिंग महाविद्यालयों के सहयोग से दिया जाना। • भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों को संचालित करने के लिए ज़िला प्रशासन अथवा राज्य के द्वारा SOP निर्माण करना और उसका सख़्ती से ULB द्वारा पालन करवाना।	• नए भवनों का भूकम्परोधी तकनीक से निर्माण को ULB द्वारा बढ़ावा देना। • पूर्व से निर्मित भवनों का प्रशिक्षित अभियंताओं के द्वारा रेट्रोफ़िट्टिंग करना। • सभी संबंधित विभागों, विद्यालयों, अस्पतालों और अन्य संबंधित कार्यालयों में ULB एवं संबंधित संस्थाओं जैसे SDRF, NDRF, सिविल डिफ़ेंस के सहयोग से समय समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन करना।

बेगूसराय नगर के अंतर्गत जल-जमाव एवं बाढ़ के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• घरों का डूब जाना। • संक्रामक रोगों का तेज़ी से बढ़ना, पशुओं का नुक़सान, बच्चों का डूबना, घरेलू हिंसा और मानव तस्करी की घटनाओं में बढ़ोतरी।	• प्रभावित आबादी (मानव और पशु) के लिए अस्थायी आवास के लिए अंचल पदाधिकारी और भोजन के लिए ज़िला खाद्य एवं आपूर्ति पदाधिकारी के साथ समन्वय कर ULB के द्वारा व्यवस्था करना। • सिविल सर्जन के सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर उपलब्धता प्रभावी ढंग से लागू करना। • ULB के स्तर से स्वच्छता सेवाओं की उपलब्धता प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना। • ULB के स्तर से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंताओं के साथ समन्वय कर अविलम्ब जलनिकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	• ULB के स्तर से मानसून से पूर्व सभी नालों का उड़ाहि करना। • ULB के स्तर से योजनाबद्ध तरीक़े से ठोस कचरा का सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करना। • ULB के द्वारा ज़िला प्रशासन के सहयोग से राहत और बचाव कार्यों को संचालित करने के लिए SOP निर्माण करना।	• सीवरेज लाइन का निर्माण। • कम से कम 6 सम्प हाउस का निर्माण। • STP और FSTP का निर्माण।

बेगूसराय नगर के अंतर्गत अगलगी के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• भवनों का आंशिक और पूर्ण नुक़सान। • मानव और पशुओं का घायल होना या मृत्यु होना, घरेलू हिंसा और मानव तस्करी की घटनाओं मे बढ़ोतरी।	• प्रभावित आबादी (मानव और पशु) के लिए अस्थायी आवास के लिए अंचल पदाधिकारी और भोजन के लिए ज़िला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के साथ समन्वय कर ULB के द्वारा व्यवस्था करना। • सिविल सर्जन के सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर उपलब्धता प्रभावी ढंग से लागू करना।	• नगर निगम, ज़िला अग्निशमन कार्यालय एवं ज़िला प्रशासन के सहयोग से राहत और बचाव कार्यों को संचालित करने के लिए SOP निर्माण करना।	• चिन्हित अग्नि आपदा सम्भावित क्षेत्र/ वार्ड की पहचान कर वहां Hydrant लगाना। • **नगर निगम, ज़िला अग्निशमन कार्यालय के सहयोग से वार्डों में निर्मित स्वयं सहायता समूहों** के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

बेगूसराय नगर के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• वाहन चालकों/ यात्रियों / पैदल यात्रियों का घायल होना अथवा मृत्यु होना। • सड़क के किनारे लगे दुकानों/घरों की क्षति होना। • वाहनों में आग लग जाना।	• दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को नज़दीकी अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था करना। • ULB, ज़िला ट्रैफ़िक उपाधीक्षक के साथ समन्वय कर पुलिस कर्मी को प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित प्रशिक्षण देना। • ULB, ज़िला ट्रैफ़िक उपाधीक्षक के साथ समन्वय कर Black Spot की पहचान करना।	• विभिन्न हितभागियों के सहयोग से सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाना। • ट्रैफ़िक नियमों का पालन करवाना। • सभी वाहनों का बीमा होना तथा लोगों का दुर्घटना बीमा होना। Black Spot चिन्हित स्थानों पर सुरक्षा चेतावनी लगवाना।	• सड़क सुरक्षा से संबंधित क़ानूनों का प्रचार प्रसार करना। • सड़कों के संरचनात्मक डिज़ाइन में आवश्यक सुधार हेतु कार्य करना। • गुड सेमिरेटन को प्रोत्साहित करना। • Black Spot चिन्हित स्थानों पर संरचनात्मक सुधार करवाना

बेगूसराय नगर के अंतर्गत तेज आंधी तूफ़ान के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• कच्चे और अर्ध पक्के घरों के छतों का उड़ जाना, • फ़सलों का नुक़सान, • पेड़ों का गिर जाना • बिजली के खंभों एवं तारों का गिरना एवं उससे बिजली आपूर्ति ठप हो जाना।	• घरों की मरम्मत करवाएँ • कच्चे मकान की छतों को 'J' कील के मध्यम से सुरक्षित करना।	• चक्रवात का पुर्वानुमान और चेतावनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, चक्रवात से सुरक्षा हेतु लोगों को जागरुक करना, फ़सलों एवं चक्रवात से ख़तरे वाली सम्पत्तियों का बीमा करना	• चक्रवात से सुरक्षित निर्माण हेतु बिल्डिंग बाय लॉज़ के संबंध में लोगों को जागरुक करना • सघन वृक्षारोपण/ वनीकरण

बेगूसराय नगर के अंतर्गत लू के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• गम्भीर रूप से बीमार पड़ना। • हीट स्ट्रोक से मानव और पशुओं की मृत्यु।	• आहत व्यक्ति को अविलम्ब ठंडे और हवादार जगह पर रखना, ORS का पानी/ निम्बू पानी या छाछ देना और तुरंत स्वास्थ सेवा मुहैया कराना	• लू से बचने के उपायों पर लोगों को जागरुक करना। • लोगों को जागरुक करने के लिए मीडिया के सभी रूपों का उपयोग करना।	• वन आच्छादन को बढ़ाना, गर्मी के दिनों में जगह-जगह प्याऊ की व्यवस्था करना।

बेगूसराय नगर के अंतर्गत शीत लहर के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• गम्भीर रूप से बीमार पड़ना, मानव और पशुओं की मृत्यु।	• बीमार व्यक्ति को स्वास्थ सेवा मुहैया कराना।	• जगह-जगह अलाव का इंतज़ाम करना। • लोगों को जागरुक करने के लिए मीडिया के सभी रूपों का उपयोग करना।	• शहरी बेघरों के लिए रैन बसेरा का इंतज़ाम करना।

बेगूसराय नगर के अंतर्गत नाव दुर्घटना के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• मानव और पशुओं का डुबना, मृत्यु होना, सम्पत्ति का नुक़सान होना।	• नाव डूब जाने पर अविलम्ब सहायता पहुँचाने की व्यवस्था कराना ।	• नाविक और सवारियों को नाव सुरक्षा को लेकर जागरुक करना।	• नाव सुरक्षा के मानक संचालन प्रक्रिया को सही ढंग से लागू कराना, सुरक्षित नावों का कोर्डिंग कराना।

बेगूसराय नगर के अंतर्गत औद्योगिक ख़तरे के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• लोगों के स्वास्थ्य का नुक़सान, मानव और पशु जीव एवं सम्पत्ति का नुक़सान ।	• प्रभावित लोगों को अविलम्ब स्वास्थ्य सहायता पहुँचाना ।	• कर्मचारियों और समुदाय को सम्भावित औद्योगिक दुर्घटना होने पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जागरूक करना।	• औद्योगिक इकाइयों का समय समय पर सुरक्षा ऑडिट करवाना • सभी सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित करवाना ।

बेगूसराय नगर के अंतर्गत वज्रपात के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• मानव और पशु, जीव एवं सम्पत्ति का नुक़सान ।	• प्रभावित लोगों को अविलम्ब चिकित्सकीय सहायता पहुँचाना।	• लोगों को जागरुक करने के लिए मीडिया के सभी रूपों का उपयोग करना, वज्रपात होने की सम्भावना की सूचना समय पर समुदाय तक पहुँचना ।	• पूर्व चेतावनी प्रणाली को और बेहतर बनाना।

बेगूसराय नगर में सर्प दंश से बचाव के लिए न्यूनीकरण एवं तैयारी योजना			
जोखिम	**अल्प कालिक**	**मध्यम कालिक**	**दीर्घ कालिक**
• मानव और पशु जीव का नुक़सान ।	• प्रभावित व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाना।	• लोगों को सर्प दंश होने के बाद समुदाय में विद्यमान अंध विश्वासों के बारे में जागरूक करना।	• अस्पतालों में Anti Dot दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, सर्प दंश के अधिक मामले वाले क्षेत्रों के चिकित्सा कर्मियों को संवेदित करना।

10.2 आपदा मोचन के संरचनात्मक उपाय:

आपदा प्रबंधन के लिए शमन उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे नुकसान को कम करने और आपदाओं के प्रबंधन में लोगों की क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं । विकास के लिए किए जाने वाले संरचनात्मक कार्य व निर्माण पूरी तरह से आपदारोधी होने चाहिए। इसी कड़ी में पुरानी संरचनाओं की समीक्षा कर रेट्रोफ़िट्टिंग द्वारा उन्हें आपदारोधी बना देना चाहिए। नए निर्माण को Building bylaws के मानकों के अनुरूप होने पर ही अनुमोदित करना चाहिए।

नगर में बाढ़ के पानी के आने की सम्भावना को कम करने के लिए सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों के लिए रोकथाम और शमन योजनाएं विकसित की जानी चाहिए। विशिष्ट क्षेत्रों के जोखिम और संवेदनशीलता की डिग्री के आधार पर रोकथाम और शमन रणनीतियों की सीमा अलग-अलग होगी। इन रणनीतियों के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को केंद्र में रखा जाएगा। जोखिम में कमी के प्रमुख कार्य हैं:

- विशिष्ट आपदाओं के प्रति प्रवण क्षेत्रों की पहचान करें
- बाढ़ क्षेत्रों/जोखिम वाले स्थानों पर विकास/निर्माण को रोकें
- खतरनाक क्षेत्रों में बसावट होने से रोकें
- संभावित खतरों को केंद्र में रखकर आपदा प्रतिरोधी संरचनाओं का विकास करना
- आवास निर्माण में बहु आपदारोधी डिज़ाइन व तकनीक को बढ़ावा देना
- खतरनाक क्षेत्रों को तेजी से खाली करने या निवासियों को सुरक्षित संरचनाओं में स्थानांतरित करने की क्षमता विकसित करना।
- आपदा प्रतिरोधी तकनीक से प्राकृतिक खतरों के प्रभाव को कम करना।

10.3 शमन रणनीति के तहत विकास योजनाओं से जुड़ाव :

चक्रवात और बाढ़ जैसे खतरों का एक निश्चित आवृत्ति और पैटर्न होता है। तकनीकी प्रगति और प्राकृतिक परिघटनाओं की बढ़ती समझ ने आपदाओं का वैज्ञानिक कुशलता से मुकाबला करना संभव बना दिया है। चक्रवात की चेतावनी और बाढ़ के स्तर की भविष्यवाणी में स्थानीय समुदायों द्वारा अपनाए जाने वाले पारंपरिक ज्ञान को राज्य में लागू की जा रही वैज्ञानिक विधियों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं को कम करने की रणनीतियों को सभी हितधारकों जैसे सरकारी तंत्र, अनुसंधान

संस्थानों, गैर-सरकारी एजेंसियों और समुदाय के समर्थन से बनायी जानी चाहिए। शमन रणनीति के मुख्य चरणों में शामिल हैं:

- जोखिम मूल्यांकन और भेद्यता विश्लेषण।
- अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।
- जन जागरूकता और प्रशिक्षण।
- अंतर्ज्ञान तंत्र को बढ़ावा देना।
- शमन के लिए प्रोत्साहन और संसाधन।
- आपदा के बाद विस्थापितों को मुख्यधारा में लाने के लिए भूमि उपयोग योजना और विनियम।
- पूर्व चेतावनी केंद्रों आदि द्वारा स्थापित निगरानी तंत्र को विश्लेषण आधारित बनाना।

पिछली आपदाओं के डेटा विश्लेषण के आधार पर विकसित शमन रणनीतियां उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं जहां निगरानी तंत्र विकसित नहीं हैं। राज्य स्तर पर शमन रणनीति को मजबूत करने के लिए चेतावनी प्रणाली को तकनीक आधारित और सटीक किया जाना आवश्यक है। विभिन्न माध्यमों से शीघ्र चेतावनी प्रसारित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुसंधान/प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ गठजोड़ करके आपदा सिमुलेशन अभ्यास करना चाहिए ।

रिमोट सेंसिंग, उपग्रह संचार और भू-स्थिति प्रणाली (जीपीएस) जैसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं का विभिन्न प्रकार की आपदाओं की पूर्व चेतावनी और निगरानी तंत्र में व्यापक उपयोग होता है। रिमोट सेंसिंग का उपयोग बड़े पैमाने पर खतरों की प्रगति की निगरानी में किया जाता है, विशेष रूप से चक्रवात और बाढ़ के दौरान। **राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी (NRSA), राष्ट्रीय भौगोलिक अनुसंधान संस्थान (NGRI), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO), भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) और भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT)** का उपयोग राज्य में आपातकालीन निगरानी तंत्र को बढ़ाने में किया जाता है। राज्य में आपदाओं को कम करने के लिए इन संस्थानों के साथ तकनीकी गठजोड़ को प्राथमिकता के तौर पर शुरू किया जाना चाहिए और इससे प्राप्त आँकड़ों को ज़िला एवं नगर निगम के साथ साझा करने की एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए। इसी तरह विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों को स्नातक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में आपदा न्यूनीकरण को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग और वास्तु संस्थानों को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

10.4 कार्य योजना

आपदा शमन के संरचनात्मक उपायों को कारगर रूप से लागू करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता है। यह कार्य योजना विभिन्न हितभागियों और लाइन विभागों के साथ संवाद के बाद विकसित किया जाना चाहिए। आपदा शमन की कार्य योजना को निम्नलिखित बिन्दुओं के संदर्भ में विकसित किया जाना चाहिए:

- भविष्य के शहर को सम्भावित आपदा से तैयार बनाने के लिए नगर विकास योजना में आपदा प्रतिक्रिया रणनीतियों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। समुदाय की जरूरतों को विस्तृत रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। शमन और अनुकूलन उपायों को उचित रूप से चरणबद्ध करने और शहर की लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजनाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- **आँधी तूफ़ान** से बिजली के ग्रिड को नुकसान होता है विशेष रूप से बिजली के वितरण, साथ ही संचार व्यवस्था भी प्रभावित होती है, इसके साथ-साथ पर्यावरण को काफ़ी नुक़सान होता है। ओवरहेड पावर और संचार लाइनों को चरणबद्ध तरीक़े से भूमिगत करना आवश्यक है।

- **बाढ़:** प्राकृतिक नालों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से समय के साथ बनते हैं। अतिक्रमणों को रोकने के लिए स्पष्ट निर्देश होना चाहिए और उसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। बिना ठहराव के पानी के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए नालियों को समय-समय पर रखरखाव की आवश्यकता होती है। गुणवत्तापूर्ण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता नेटवर्क जल जमाव की स्थिति में निकासी व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं।
- **महामारी:** स्वास्थ्य और स्वच्छता विशेष रूप से आपदा के बाद एक चिंता का विषय है। स्लम क्षेत्र सबसे अधिक असुरक्षित हैं और निवासियों के लिए जागरूकता अभियानों के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रबंधन के उपाय किए जाने चाहिए। विशेष रूप से बरसात के मौसम में जलभराव वाले क्षेत्रों को जल निकासी नेटवर्क से ठीक से जोड़ा जाना चाहिए।
- **जलवायु परिवर्तन:** भूवैज्ञानिक, जल विज्ञान व वनस्पतियों और जीवों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भूमि उपयोग और विकास योजनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन के पहलुओं को सुनिश्चित करेगा। टैक्स-सब्सिडी और पेनल्टी के माध्यम से क्लाइमेट प्रूफिंग बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोत्साहन को लागू किया जाना चाहिए।
- **आईसीटी:** शहर की सूचना और डेटा प्रबंधन सुशासन की कुंजी है। दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में जीआईएस, SCADA (Supervisiory Control and Data Aquisition) जैसे प्रविधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। डेटा आपदाओं के दौरान तैयारियों, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति में भी उपयोगी होगा।

10.5 समुदाय का प्रशिक्षण और जन जागरूकता गतिविधियाँ

आपदाओं का समुदाय पर बहुत गम्भीर प्रभाव होता है; आर्थिक प्रभाव और ढांचागत क्षति से समुदाय आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी कमजोर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक प्रभावी नेतृत्व के द्वारा आपदा से संबंधित विभिन्न नीतियों का सही तरीक़ों से कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो जाता है। विशिष्ट आपात स्थितियों के लिए 'क्या करें और क्या न करें' पर जागरूकता के माध्यम से समुदाय को तैयार किया जा सकता है। समुदाय आधारित संगठन और गैर सरकारी संगठन समुदाय को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तैयारियों में समुदाय को मजबूत करने के लिए, निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा:

- ऐसे कार्यक्रम विकसित करना जिनमें स्थानीय भाषा में जागरूकता या प्रशिक्षण नियमावली शामिल हो, जिसमें सभी खतरों के दौरान क्या करें और क्या न करें, को रेखांकित किया गया हो । कार्यक्रमों में मूल्यांकन और निगरानी तंत्र भी शामिल किया जाना ज़रूरी है जो प्रशिक्षण और जागरूकता उपायों के संशोधन और सुधार में मदद करेंगे।
- आपदा प्रबंधन को केंद्र में रख कर वार्ड /समुदाय स्तर की सामाजिक सभाओं में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना ।
- राज्य और स्थानीय निर्वाचित अधिकारियों का क्षमता निर्माण और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना ताकि खतरे के शमन का समर्थन करने वाले कानून और प्रशासनिक नीतियों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाली रणनीतियों को बढ़ावा देना।
- शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना ताकि वे आपदाओं, संभावित प्रभावों और बरती जाने वाली सावधानियों को समझ सकें।

- स्कूलों के भीतर आपदा सिमुलेशन का आयोजन; सुरक्षित निकासी के लिए अभ्यास आयोजित करना; आपदा/आपात स्थिति में कर्मचारियों और छात्रों की आपातकालीन प्रतिक्रियाओं की समीक्षा की जानी चाहिए।
- सम्भावित आपदाओं के प्रभाव से बचने या कम करने के तरीके निर्धारित करने में समुदाय की मदद ली जानी चाहिए।

10.6 बीमा

बीमा किसी आपदा या जोखिम से क्षति को कम करने का एक प्रभावी उपाय है। आपदा से जुड़े बीमा को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और बीमा कवर न केवल जीवन के लिए बल्कि घरेलू सामान, पशुधन, संरचनाओं और फसलों के लिए भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आपदा के दौरान प्रभावित होने वाले भूमिहीन मजदूरों, झोपड़पट्टियों के निवासियों को शामिल करने के लिए विशेष बीमा योजना बनायी जानी चाहिए। संरचनाओं के लिए आपदा बीमा शुरू करने की रणनीति में निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए :

- खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना।
- रियल एस्टेट एजेंटों पर जोखिम प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू करना।
- विशेष बीमा अभिसरण और पॉलिसी राइडर्स की पेशकश।
- किफायती दरों पर प्रीमियम बनाए रखना।

10.7 स्वयंसेवकों का क्षमतावर्द्धन

उच्च स्तर की दक्षता बनाए रखने के लिए स्वयंसेवकों को आपदा और उसके व्यवहार, चेतावनी संकेत और उनके प्रसार के साथ-साथ निकासी, आश्रय, बचाव, प्राथमिक चिकित्सा और राहत अभियान पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। स्वयंसेवकों को स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा विशेष प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसी कड़ी में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा सामुदायिक स्वयं सेवकों का 12 दिवसीय बहुआपदा पर प्रशिक्षण निरंतर जारी है।

10.8 जन जागरूकता

जन जागरूकता आपदा के शमन और तैयारी गतिविधियों का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ध्यान में रखते हुए, आपदा प्रवण क्षेत्रों में निम्नलिखित जन जागरूकता गतिविधियों को करना चाहिए :

- अभ्यास और प्रदर्शन
- फिल्म/वीडियो शो/लोक गीत
- प्रचार अभियान
- रेडियो और टेलीविजन
- पोस्टर, पत्रक और पुस्तिकाएं
- नुक्कड़ नाटकों का मंचन

10.9 नगर में आपदा प्रबंधन के लिए उपकरण एवं मशीनरी की आवश्यकता

रेस्क्यू दल के द्वारा ले जाने वाले उपकरणों में 10 फीट लंबे आयरन शोड लीवर, फलक्रम, क्रॉबर, पिक्स, फावड़ा, हाफ राउंड फाइलें, स्लेज हैमर, हैवी एक्स, लाइट एक्स, दो हैंडल क्रॉस-कट आरी, हैवी ब्लॉक होनी चाहिए। हैंड सॉ, 3 इंच की 100 फीट लंबी फाइबर रस्सी, 5/8 " की 100 फीट लंबी तार रस्सी, 40 फीट लंबाई 1 1/2" फाइबर लैशिंग लाइन, चेन टैकल, सिंगल शीव स्नैच ब्लॉक, 20 फीट बांस की सीढ़ी, पेट्रोमैक्स लैम्प, इलेक्ट्रिक टार्च, हरिकेन लालटेन, तिरपाल 12' x 12', विविध उपकरणों का बॉक्स, रोप टैकल का सेट-3 शीव्स-2 शीव्स, जैक 5 टन लिफ्ट करने में सक्षम, 1 1⁄2" की 20 फीट लंबी रेशेदार रस्सियां, रबर के दस्ताने (एक जोड़ी, 25000 वोल्टेज तक परीक्षण किया हुआ), 3" या 4" की 200 फीट लंबी रस्सी (जब आवश्यक हो), स्ट्रेचर हार्नेस (सेट), मलबे की टोकरियाँ, फायरमैन की कुल्हाड़ियाँ (पाउच ले जाने के साथ) , छोटी सीढ़ी (8 या 10 फीट), बाल्टी, तिरपाल या मोटा कैनवास शीट 12'xl2' (फंसे हुए व्यक्तियों को गिरने पर मलबे से बचाने के लिए), चमड़े के दस्ताने, प्राथमिक चिकित्सा पाउच, प्राथमिक ए आईडी बॉक्स, स्ट्रेचर। बचाव दल के बैग का हिस्सा बनने के लिए सामग्री हैं पट्टियां त्रिकोणीय, कामचलाऊ टूर्निकेट्स को कसने के लिए केन, ड्रेसिंग शैल, ड्रेसिंग फर्स्ट-एड, लेबल, हताहत पहचान (20 के पैकेट), सेफ्टी पिन (बड़े) 6 के कार्ड, कैंची, टूर्निकेट।

भूकंप बचाव उपकरण: कंक्रीट कटर, स्टील कटर, वुड कटर, इमरजेंसी लाइट, हैंड हेल्ड कटर, स्प्रेडर्स, कॉम्बीटूल और मिनी कटर, लिफ्टिंग किट, हेड टॉर्च, हेलमेट और सर्च लाइट, चमड़ा और रबर हैंड ग्लव्स, इंसुलेटेड फायरमैन एक्स, न्यूमेटिक जैक। कंप्रेसर के साथ एयर सिलेंडर और श्वास उपकरण सेट, दूरबीन (2-3 किलोमीटर रेंज)।

अग्नि बचाव उपकरण: प्राक्सिमटी सूट, जल (C02, फोम , डीसीपी), थर्मल कैमरा, पाइप के साथ उच्च दबाव पोर्टेबल पंप, रस्सी (मनीला), चार्जेबल टॉर्च, तार 2.4 केवी जेनरेटर के साथ फ्लड लाइट स्टैंड, श्वास उपकरण सेट।

बाढ़ बचाव उपकरण : बोरवेल कैमरा/पानी के नीचे खोज करने वाला कैमरा, इन्फ्लेटेबल बोट (OBM के साथ और OBM के बिना (10 एचपी), HRP नावें (OBM के साथ और ओबीएम के बिना (10 एचपी)), लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, गमबूट, हेलमेट, स्ट्रेचर, सुरक्षा गॉगल्स, चेन पुली ब्लॉक, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रोप लैडर, डायमंड सॉ कटर, सर्च लाइट्स, हाई-पावर टॉर्च, हाइड्रोलिक या पेट्रोल से चलने वाला वुड कटर, एयर सिलेंडर के साथ डाइविंग सूट, पेट्रोल संचालित कंप्रेसर आदि।

अध्याय -11 : वित्तीय व्यवस्था

आपदा प्रबंधन में संसाधन जुटाना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम ने प्रभावी आपातकालीन प्रबंधन के लिए संस्थागत और वित्तीय संरचनाओं की स्थापना को अनिवार्य किया है। जैसा कि वैश्विक प्रक्रियाओं और समझौतों ने समुदाय के बीच आपदा जोखिम में कमी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को मान्यता दी है, राष्ट्रीय प्रयास भी आपदा प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए आगे आए हैं। राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन योजना में आपदाओं के शमन और तैयारियों की सैद्धांतिक समझ को उजागर किया गया है और अपनाया गया है, लेकिन इस दूरदर्शी दृष्टिकोण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपदा न्यूनीकरण के वित्तपोषण के रास्ते तलाशने की जरूरत है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, धारा 48(1) में राज्यों और जिलों के लिए आपदा प्रतिक्रिया हेतु वित्तीय संसाधनों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष के रूप में परिभाषित किया गया है। संबंधित निधियां राज्य कार्यकारी समिति और जिला समितियों को आपदा प्रतिक्रिया जुटाने हेतु उपयोग करने के लिए स्थापित की गईं हैं। अधिनियम के भीतर ऐसे प्रावधान हैं, जो विशेष परिस्थितियों में राज्य के लिए केंद्र से धन उधार लेना संभव बनाते हैं। **राज्य स्तरीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए कोष की स्थापना केंद्र और राज्य के योगदान से क्रमशः 75:25 अनुपात के साथ की गई है। संबंधित राज्य और जिला शमन कोष का प्रावधान** भी स्थापित किया गया है।

हाल ही में, **15वें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुरूप, आपदा न्यूनीकरण को केंद्र** में रखते हुए राज्य और जिला स्तर पर आपदा न्यूनीकरण निधियों को प्राथमिकता देने और स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

"इन शमन निधियों का उपयोग उन स्थानीय स्तर और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों के लिए किया जाएगा जो जोखिमों को कम करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों और आजीविका प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। हालांकि, बड़े पैमाने पर शमन हस्तक्षेप जैसे तटीय दीवारों का निर्माण, बाढ़ तटबंध, सूखा प्रतिरोध के लिए समर्थन आदि को नियमित विकास योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, न कि शमन कोष से।"

वित्त आयोग ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए छह आवंटन की सिफारिश की है, दो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत और चार राष्ट्रीय आपदा शमन कोष। वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता (2021-2026) भी प्रदान की है, जिसे राज्य भर में स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त शहरी विकास निधि में एकीकृत करके प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

बिहार डीआरआर रोडमैप (2015-2030) ने शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न नगर-स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों और योजनाओं के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में मान्यता दी है। रोडमैप सभी सरकारी विभागों के लिए विभाग स्तर की वार्षिक योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए धन की व्यवस्था करने के प्रावधानों का सुझाव और प्रोत्साहन भी देता है। आपदा प्रबंधन का बहु-विषयक आयाम है और व्यापक एवं समग्र योजना के लिए सभी सरकारी विभागों की भागीदारी की आवश्यकता है।

डीआरआर रोडमैप ने आपदा प्रबंधन और वित्त विभाग के सहयोग से योजना और विकास विभाग के दायरे में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम से संबंधित योजनाओं को अपनाने और एकीकरण का प्रावधान भी किया है। बिहार डीआरआर रोडमैप और राज्य आपदा प्रबंधन योजना में खाद्य और वित्तीय सुरक्षा और रिकवरी के उपायों का एकीकरण एक प्रमुख विषय है। यह शहरों को आपदा सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि काम की तलाश में प्रवास करने वाले समुदायों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करते हैं।

सार्वजनिक भवनों का निर्माण आपदा प्रतिरोधी तकनीक से होना चाहिए और विकास निधि और योजना के समन्वय से वित्तपोषित होना चाहिए। शहर के स्तर पर स्थापित आपातकालीन संचालन केंद्रों को भी शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक बजट के प्रावधानों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन योजना में पहचाने गए दो तरीकों से वित्तीय व्यवस्था की जा सकती है, जिनमें शामिल हैं:

- कुल वार्षिक बजट के एक निश्चित प्रतिशत का आवंटन, स्थापना, कार्यक्रम और गतिविधियों की लागत, बचाव, राहत, प्रतिक्रिया और पुनर्वास लागत को पूरा करने के लिए किया जाता है ।
- वार्षिक आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार वार्षिक बजट में आपदा न्यूनीकरण व्यय को पूरा करने के लिए एक निश्चित प्रतिशत का आवंटन किया जाता है ।

वार्षिक बजट आपदाओं के लिए तैयारी और आपदाओं के बाद विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। शहर के स्तर पर आपदा प्रबंधन संरचनाओं की स्थापना, व्यय लागत, प्रशिक्षण सामग्री, और संचार लागतों को सालाना प्रस्तुत और नियोजित करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में निजी संगठनों के साथ सहयोग का पता लगाया जाना चाहिए और इसका उपयोग लचीलापन बनाने तथा सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए।

निजी संस्थानों में जोखिम हस्तांतरण तंत्र और वित्तीय जोखिम प्रबंधन उपायों को प्रोत्साहित करने से आपदा जोखिमों के खिलाफ संरचनाओं की सुरक्षा में मदद मिलती है। बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की पूंजीगत लागत, उपकरण और सामग्री लागत, कार्यक्रम और गतिविधि लागत सहित अन्य संबंधित लागतों को संबंधित विभागों, भागीदारी संस्थानों और द्विपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा शहर स्तर पर संचालित किया जाएगा।

11.1 आपदा प्रबंधन के लिए बजटीय और वित्तीय प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- **आपदा प्रबंधन विभाग,** बिहार सरकार का नोडल विभाग है, जिसे राज्य के प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन का दायित्व है। यह विभाग आपदाओं एवं इसके जोखिमों से निपटने हेतु तैयारी ; रोकथाम ; शमन ; प्रत्युत्तर ; सहाय्य (Relief) ; पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण हेतु उत्तरदायी है। आपदा प्रबंधन विभाग, आवश्यक राशि उपलब्ध कराता है। भारत सरकार के अनुरूप राज्य सरकार में भी आपदा प्रबंधन हेतु दो प्रकार के फंड बनाए गए हैं।
    - State Disaster Mitigation Fund
    - State Disaster Response Fund

- **जिला आपदा प्रतिक्रिया और शमन कोष:** आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 48 (1) (बी) और (डी) के अनुसार, राज्य सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष और जिला आपदा शमन कोष के प्रयोजनों के लिए स्थापित करेगी। 48(2)(iii) के तहत राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जिला प्राधिकरण को धनराशि उपलब्ध हो।

- **विभागों द्वारा निधियों का आवंटन:** प्रत्येक विभाग अपनी आपदा प्रबंधन योजना में निर्धारित गतिविधियों और कार्यक्रमों को चलाने के प्रयोजनों के लिए निधियों के लिए अपने वार्षिक बजट में प्रावधान कर सकते हैं और ऐसे प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, राज्य सरकार के विभागों पर लागू होंगे ।

11.2 आपदा न्यूनीकरण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष: केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक कोष है और इसका उपयोग आपदा की स्थिति में आपातकालीन राहत, आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्वास के दौरान किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसे पहले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) कहा जाता था, जिसे 11वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाता था। 2005 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) अधिनियमित किया गया और इसने एनसीसीएफ का नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) कर दिया। तदनुसार, एनसीसीएफ के फंड को एनडीआरएफ में मिला दिया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 46 एनडीआरएफ को परिभाषित करती है। एनडीआरएफ को भारत सरकार के "सार्वजनिक खाते" में "आरक्षित निधि जिसमें ब्याज नहीं है" के तहत रखा गया है। चूंकि इसे सार्वजनिक खातों में रखा जाता है, इसलिए सरकार को इस फंड से पैसा निकालने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। गंभीर प्रकृति की आपदाओं के मामले में तत्काल राहत की सुविधा के लिए राज्य निधि के साथ पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एनडीआरएफ राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की पूर्ति करता है। NDRF का ऑडिट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा किया जाता है।

भारत सरकार ने मौजूदा संस्थानों को मजबूत करने, प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार, क्षमता निर्माण और आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है (गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2011)। राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित योजनाएं और फंडिंग पैटर्न हैं:

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष - आपदा प्रभावित परिवारों और समुदायों को राहत/सहायता पर ध्यान देने के साथ, राहत के मानदंड अनुबंध (पत्र 1418) में दिए गए हैं।

आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण : आपदा प्रतिक्रिया के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रशासनिक तंत्र के भीतर क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। जिला और राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण के दिशा-निर्देश, पत्र संख्या: 23(32) एफसीडी/2010 दिनांक 05.10.2010 दिए गए हैं।

अग्निशमन सेवाओं में सुधार - शहरी स्थानीय निकायों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में अग्निशमन सेवाओं के सुधार के लिए अनुदान (पत्र संख्या 12(2) एफसीडी/2010 दिनांक 23.09.2010)

11.3 अन्य विकल्प:

11.3.1 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (*MPLADS*):

प्रत्येक संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र में आवश्यक कार्यों के विकास के लिए प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये आवंटित किए जा सकते हैं। परियोजनाओं की पहचान सांसदों द्वारा की जाती है और जिला प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसके अलावा, आवंटित निधि को मौजूदा प्रमुख कार्यक्रमों और अन्य विकासात्मक परियोजनाओं जैसे मनरेगा, आदि के साथ जोड़ा जा सकता है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में भी MPLADS के कार्यों को क्रियान्वित किया जा सकता है। गैर-प्रभावित राज्यों के लोकसभा सांसद भी प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति वर्ष तक अनुमेय कार्य की सिफारिश कर सकते हैं। गंभीर आपदा की स्थिति में एक सांसद प्रभावित जिले के लिए 50 लाख रुपये तक के कार्य की सिफारिश कर सकता है।

11.3.2 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (*MLALADS)*:

सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदा / राष्ट्रीय आपदा के पीड़ितों को राहत के लिए संबंधित विधायक के अनुरोध पर प्रति विधायक प्रति वर्ष 35 लाख रुपये तक की धनराशि जारी किया जा सकता है जिसे मुख्यमंत्री सहायता कोष को उपलब्ध कराया जाता है।

11.3.3 प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष

प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदा/ राष्ट्रीय आपदा के पीड़ितों को राहत के लिए धनराशि जारी की जा सकती है।

11.3.4 जोखिम और सूक्ष्म बीमा

आपदा जोखिम प्रबंधन में शमन, तैयारी और न्यूनीकरण महत्वपूर्ण कदम हैं। लेकिन आपदा की प्रकृति एवं उनकी तीव्रता से होने वाले नुक़सान की क्षतिपूर्ति के लिए जोखिम बीमा एक महत्वपूर्ण साधन है। जोखिम बीमा के लिए उपलब्ध दो प्रमुख योजनाएं हैं:

1. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना - एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जो दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता से सुरक्षा प्रदान करती है, जो 20/- रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2,00,000/ कुल कवरेज प्रदान करता है।
2. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना - 436/- प्रति वर्ष रुपये के प्रीमियम पर 2,00,000/- कुल कवरेज के साथ बीमा योजना।
3. अन्य योजनाओं जैसे फसल बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना, भूकंप और संपत्ति के लिए बाढ़ बीमा को राज्य और केंद्र सरकारों के परामर्श से बढ़ावा दिया जा सकता है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बंधन, कैशपोर, उज्जीवन, सीडीओटी, साईजा जैसे मौजूदा नेटवर्क के माध्यम से सूक्ष्म बीमा योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है।

11.3.5 Corporate Social Responsibility (CSR)

आपदा प्रबंधन में कॉरपोरेट्स की भूमिका आती है जो राहत कार्य में एक बड़ा बदलाव लाती है। कॉरपोरेट्स की सीएसआर गतिविधियां आपदा के बाद के राहत, पुनर्वास और प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कर्मचारी योगदान, धन या दान के माध्यम से विकास कार्यों में सीएसआर के योगदान से लोगों के लिए ट्रैक पर वापस आना आसान बनाता है। आपदा प्रबंधन में कॉर्पोरेट क्षेत्र को एकीकृत करने के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योगदान के हिस्से के रूप में सभी आपदा राहत व्यय को शामिल किया है।

कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी (सीएसआर पॉलिसी) आजकल एक आम बात हो गई है। अधिकांश कंपनियां विभिन्न परोपकारी और सीएसआर कार्यों में आगे आई हैं। अधिकांश कंपनियों ने लंबे समय से समाज की भलाई में योगदान देने के व्यापक लक्ष्य के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के किसी न किसी रूप का अभ्यास किया है। लेकिन आजकल, सीएसआर को एक व्यावसायिक दिनचर्या के रूप में दिखाने का दबाव बढ़ रहा है, जिसे सर्वोत्तम परिणाम देना है। कंपनी की सीएसआर नीति होने से कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, कंपनी के वित्तीय परिणामों में योगदान होता है, और बड़े पैमाने पर समुदाय की मदद करता है। कंपनियों को अपनी सीएसआर गतिविधियों को मौलिक लक्ष्यों पर फिर से केंद्रित करना चाहिए और सीएसआर रणनीतियों में सुसंगतता और अनुशासन लाने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करनी चाहिए।

धारा 135 r/w कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसार CSR को अनिवार्य बनाती है यदि कोई कंपनी:

a. जिस कम्पनी का कुल सम्पत्ति 500 करोड़ या अधिक हो। या
b. जिस कम्पनी का कुल कारोबार 1,000 करोड़ या अधिक हो। या
c. जिस कम्पनी का कुल लाभ 5 करोड़ या अधिक हो।

कॉर्पोरेट जगत की सीएसआर नीतियां विभिन्न आपदा प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से समाज के ज्ञान, क्षमता और कौशल निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि औद्योगिक संपत्ति और बुनियादी ढांचा आपदा प्रतिरोधी हों। आपदा संभावित क्षेत्र में रहने वाले समुदायों के बीच सुरक्षा और शमन रणनीति और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के विकास सहित संवेदीकरण कार्यक्रम आपदा जोखिम को कम करने के लिए एक प्रभावी कदम है। सरकार की मदद से, कॉर्पोरेट क्षेत्र आपदा प्रबंधन के लिए उद्योग के लोगों, समुदायों, स्वयंसेवकों आदि को प्रशिक्षित करने में मदद कर सकता है। विभिन्न एजेंसियों के साथ तैयारी के स्तर और संबंधों को प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है। मॉक अभ्यास के संचालन के कुछ उद्देश्य हैं, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को उजागर करना और योगदानकर्ताओं के बीच समन्वय को बढ़ाना, संसाधनों, संचार और प्रणालियों में अंतराल की पहचान करना, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए क्षेत्रों की पहचान करना और समुदाय को सामना करने के लिए सशक्त बनाना। आपदा प्रबंधन के दौरान गरीबों, मध्यम वर्ग और प्रभावित लोगों के लिए बीमा के माध्यम से जोखिम हस्तांतरण के तंत्र को लाना भी महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश में प्रभावी आपदा प्रबंधन को लागू करना, जो दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, एक लंबा और कठिन कार्य है। हालांकि, एक उचित रोड मैप और सरकार, कॉरपोरेट्स और अन्य योगदानकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों के साथ, यह निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ देश को मजबूत कर सकता है।

अध्याय -12: योजना क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

12.1 नगर आपदा प्रबंधन योजना क्रियान्वयन

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत बेगूसराय नगर आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन की जवाबदेही बिहार राज्य नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 21 एवं 22 के आलोक में "नगर निगम की सभी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हुए सशक्त स्थाई समिति की होगी। इसी अधिनियम के अनुच्छेद 28(2) के आलोक में सशक्त स्थाई समिति, लिखित आदेश द्वारा, इस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, अपने किन्ही शक्तियों या कार्यों को महापौर या आयुक्त नगर निगम बेगूसराय को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

बिहार म्यूनिसीपल एक्ट 2007 के अध्याय 39 में उद्धृत धारा 361:
प्राकृतिक या प्रौद्योगिक आपदा का प्रबंधन-

(1) जहां तक सम्भव हो सकेगा बेगूसराय नगर निगम मौसम विज्ञान सम्बन्धी कार्यालय के आलावा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के संबंधित पदाधिकारियों के सहयोग से मौसम नक़्शा तथा प्रभावी क्षेत्र-आरेख तैयार कराएगा तथा अन्य सुसंगत आँकड़े एकत्र करेगा। प्राकृतिक तथा प्रौद्योगिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए अपेक्षित सहायक उपकरण को स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

(2) बेगूसराय नगर निगम आपदा प्रबंधन के संबंध में आपातक़ालीन क्रिया-कलाप आयोजित करेगी तथा जन चेतना को बढ़ावा देगी।

(3) योजना तथा नगर विकास प्राधिकारों के द्वारा उच्च भूकंपीय क्षेत्रों में भूकंप की भयावहता को कम करने तथा इस सम्बंध में नागरिक चेतना जगाने के लिए बनाए गए विनियमों को यदि कोई हो, कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी।

12.2 अनुश्रवण और मूल्यांकन फ़्रेमवर्क:

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 32 के आलोक में ज़िला स्तर पर भारत और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय ज़िला पदाधिकारी ज़िला प्राधिकरण के अधीन रहते हुए -आपदा प्रबंधन योजना में निहित प्रावधानों का नियमित रूप से पुनरावलोकन करेंगे और उसे अद्यतन करेंगे। इसके लिए योजना क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ज़रूरी हो जाता है। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है। कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी ख़ास माह में अधिक होती है और कुछ आपदाएँ बिना किसी पूर्व सूचना/ आभास के अचानक ही घटित होती हैं। दोनो तरह की आपदाओं का जोखिम आकलन, शमन, पूर्व तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनःप्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति ब्योरा का सहारा लिया जाता है। पहले के सफल अनुभवों से सीख लेते हुए उसका उपयोग पूरी प्रतिक्रिया में किया जाता है। प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के बाद इसका दस्तावेज़ीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनों तरह के प्रयासों की विवेचना की जानी चाहिए। इन समीक्षा दस्तावेज़ों के आलोक में **प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनःमूल्यांकन** कर उसे अद्यतन किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ यह भी ज़रूरी है कि भीषण आपदा के समय योजना के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता की जाँच की जाए। आपदा के बाद, उससे निपटने की योजना के प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाना ज़रूरी है। इस मूल्यांकन से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन

कौन से उपाय आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य संचालन, पुनर्स्थापित या पुनःप्राप्ति में अधिक प्रभावी साबित हुए हैं। भविष्य की आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को शामिल किया जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आपदा के दौरान अनुपालित योजनाओं के सटीक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए सूचक (indicators) का तय किया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इन सूचकों में समुदाय के स्वास्थ्य एवं पोषण, आवास, आधारभूत संरचना, असमय मृत्यु और विभिन्न विभागों/ एजेंसियों से होने वाले जुड़ाव के मानक शामिल होने चाहिए।

नगर आपदा प्रबंधन का संरचनात्मक ढाँचा

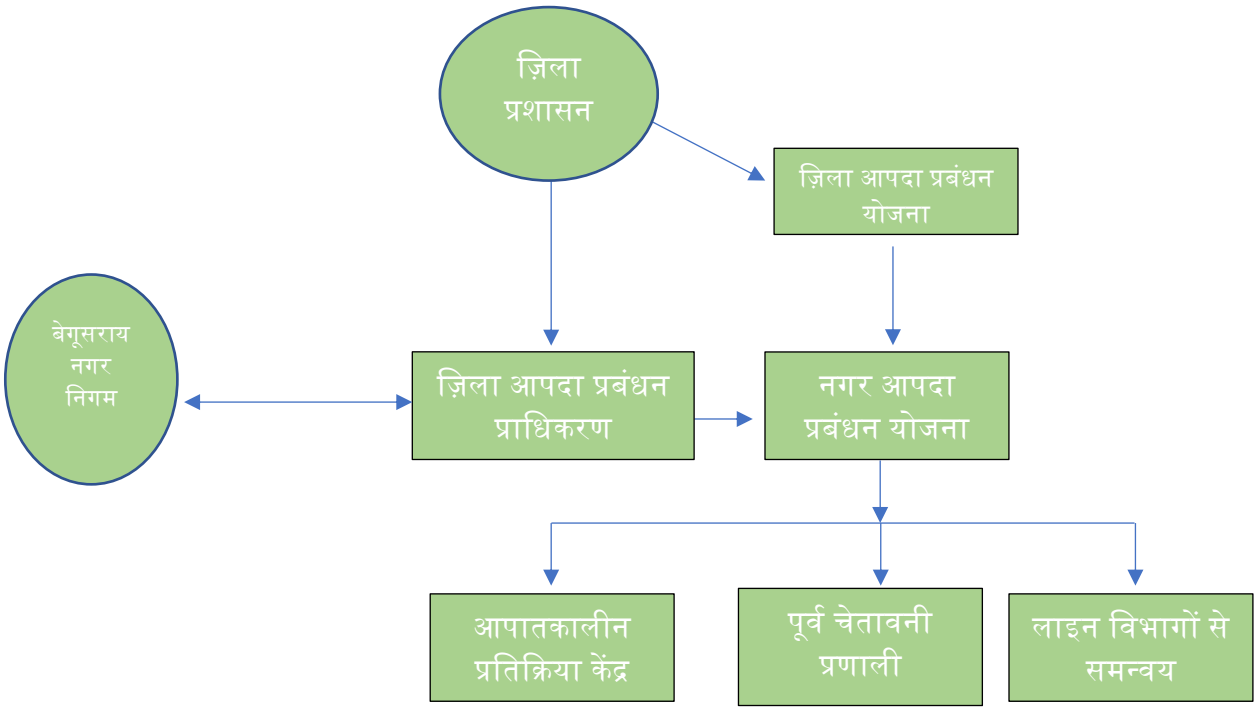

चित्र 18 : नगर आपदा प्रबंधन का संरचनात्मक ढाँचा

तालिका 41 : अनुश्रवण और मूल्यांकन फ्रेमवर्क

माइलस्टोन	सूचक
भवनों और परियोजनाओं के सुरक्षित निर्माण में सरकार और समुदायों की सहायता के लिए क्षमता। (इंजीनियरों का प्रशिक्षण, सुरक्षित निर्माण के लिए आर्किटेक्ट, राजमिस्त्री आदि)।	• .....% प्रशिक्षित निर्माण-संबंधित प्रोफ़ेशनल ।
सभी सरकारी कार्यालयों, निजी भवनों और सामाजिक बुनियादी ढांचे (जैसे आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन आदि) का संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट ।	• .....% सरकारी कार्यालयों, निजी भवनों और सामाजिक बुनियादी ढांचे जिनका वार्षिक संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कर लिया गया है। • .....% सरकारी कार्यालयों, निजी भवनों और सामाजिक बुनियादी ढांचे की संख्या जिनमें संरचनात्मक सुरक्षा उपाय या रेट्रोफ़िट्टिंग शुरू किए गए।
सभी प्रमुख नयी सरकारी परियोजनाओं और भवनों का निर्माण आपदा सुरक्षित मानकों के अनुसार शुरू किया गया है।	• .....% परियोजनाओं और भवनों के निर्माण में बिल्डिंग बाय लॉज के मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन ।
ज़िला में आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसीएस) का गठन ।	• कार्यात्मक आपातकालीन संचालन केंद्र
सभी व्यावसायिक भवनों (जैसे मॉल, सिनेमा हॉल और सामूहिक सभा के अन्य सार्वजनिक स्थानों) की संरचनात्मक सुदृढीकरण सुनिश्चित की गयी है।	• .....% पहचान किए गए व्यावसायिक भवनों के सुधारात्मक उपायों के लिए योजनाएँ विकसित की गयीं। • .....% पहचान किए गए व्यावसायिक भवनों के संरचनात्मक सुरक्षा के उपाय किए गए।
सभी संबंधित विभागों और नगर निगम की वार्षिक योजनाओं और पीआईपी बहु-जोखिम को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है ।	• ....% लाइन विभाग जिन्होंने बहु-जोखिम को केंद्र में रखकर अपना वार्षिक योजना और पीआईपी तैयार किया है । • .....% लाइन विभाग जिन्होंने अपने बहु-जोखिम शमन योजना में स्थानीय स्वशासन की स्पष्ट भागीदारी रखी है । • ....% लाइन विभाग जिन्होंने अपने बहु-जोखिम शमन योजना में समुदाय की भागीदारी रखी है विशेषकर अधिक जोखिम वाले समूह जैसे किशोर, बच्चे, महिलाएँ, बुजुर्ग, दिव्यांग, मलिन बस्ती में रहने वाले आदि ।
सभी संबंधित विभागों और नगर निगम ने अपनी बुनियादी सेवाओं और महत्वपूर्ण ढांचे को एसडीसीपी / आईसीपी को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है ।	• .....% लाइन विभागों जिन्होंने अपनी योजनाएं एसडीसीपी/आईसीपी के हिसाब से बनायीं हैं।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण निर्णय लेने के लिए डीडीएमए को संसाधनों, अधिदेशों और क्षमताओं के साथ अधिसूचित किया गया है।	• पिछले वर्ष की तुलना में DDMA के लिए कितना .....% बजट बढ़ा । • पिछले वर्ष की तुलना में DDMA के पास कितने .....% प्रशिक्षित प्रोफ़ेशनल बढ़े ।

माइलस्टोन	सूचक
	• पिछले वर्ष की तुलना में DDMA के पास आपदा से निपटने के लिए कितना ज़रूरी उपकरण बढ़े।
पूर्व चेतावनी सूचना प्राप्त करने, प्रसार करने और तत्काल उचित कार्रवाई करने के लिए एक प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) स्थापित।	• कार्यशील और प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस)
आपदा को लेकर जागरुक और संवेदनशील समुदाय।	• .....% वार्डों में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वयं सेवक • .....% वार्डों में गठित आपदा शमन कमिटी
आपदा जोखिम न्यूनीकरण निर्णय लेने के लिए बेगूसराय नगर निगम को संसाधनों, अधिदेशों और क्षमताओं के साथ अधिसूचित किया गया है।	• पिछले वर्ष की तुलना में नगर निगम का आपदा मद में कितना .....% बजट बढ़ा। • पिछले वर्ष की तुलना में आपदा से निपटने के लिए नगर निगम में कितने .....% प्रशिक्षित प्रोफ़ेशनल बढ़े। • पिछले वर्ष की तुलना में निगम के पास आपदा से निपटने के लिए ज़रूरी उपकरण बढ़े।
आपदा के बाद आजीविका गतिविधियों को पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार योजना।	• नगर निगम द्वारा अपनाई गई आजीविका जोखिम प्रबंधन संबंधी नीतियों की संख्या और प्रकृति। • निगम में आजीविका जोखिम प्रबंधन संबंधी नीतियों और उपायों पर प्रशिक्षित आजीविका प्रोफ़ेशनल की संख्या।

अनुलग्नक I : रेसिलीयंट सिटी चेकलिस्ट UNDRR

अनुलग्नक II : लाइन विभागों द्वारा दिए गए आँकड़े

बिहार सरकार
जिला जन–सम्पर्क कार्यालय
सूचना भवन, बेगूसराय – 851101
e-mail id: dpro-beg@prdbihar.gov.in

पत्रांकः– 34 / ज0स0,

प्रेषक,

जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी,
बेगूसराय।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, बेगूसराय।

बेगूसराय, दिनांकः– 28/02/2022

विषयः– बेगूसराय नगर आपदा प्रबंधन योजना से संबंधित प्रतिवेदन भेजने के संबंध मे।
प्रसंग :– आपका पत्रांक 3101, दिनांक :– 23.12.2021।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि जिला जन–सम्पर्क कार्यालय, बेगूसराय द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर की जाने वाली तैयारियों और बेगूसराय को आपदा से सुरक्षित बनाने हेतु विस्तृत विवरण विहित प्रपत्र में संलग्न कर भेजी जा रही है :–

जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी का कार्यालय

1. जिला जन–सम्पर्क विभाग के मुख्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण

क्र.	नाम	पद	ईमेल ID	मोबाईल नम्बर
1	श्री भुवन कुमार	प्रभारी जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी	bhuwankumar.pib@gmail.com	9471937183
2	श्री राजेश कुमार ओझा	प्रधान सूचना लिपिक	rajeshprd64@gmail.com	9939331157

2. नगर क्षेत्र में आपदा से संबंधित एडवाइजरी जारी किया जाता है या नहीं –....... नही................
3. यदि हाँ तो किस प्रकार का (कृप्या सैंपल संलग्न करें) –
   (क) आपदा पूर्व, ...N/A........
   (ख) आपदा के दौरान,..........1. जिला पदाधिकारी महोदय के निदेशानुसार आपदा से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकाली जाती है।
   (ग) आपदा के पश्चात.........N/A........
4. यदि हाँ तो किस विभाग के द्वारा आपके पास आपदा से संबंधित सूचना प्रकाशन के लिए आती है–
   1. आपदा प्रबंधन शाखा।
   2. स्वास्थ्य विभाग।
5. क्या किसी विभाग के द्वारा Early Warning के सम्बन्ध में कुछ सूचना प्रकाशन के लिए दी जाती है
   जिला पदाधिकारी महोदय के स्वीकृति के उपरान्त आपदा यथा बाढ़ के खतरे से बचाव, अग्नि सुरक्षा एवं कोरोना महामारी से बचाव हेतु टीका लगाने से संबंधित प्रचार–प्रसार होर्डिंग/फ्लैक्स, नुक्कड़ नाटक एवं रोड पेंटिग के माध्यम से किया जाता है।
6. यदि हाँ तो किस विभाग या अधिकारी के द्वारा......N/A........

विश्वासभाजन

28.2.2022

जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी,
बेगूसराय।

E/office file/2022/Dist lev

9

समाहरणालय बेगूसराय
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक 120 सा0सु0,दिनांक 23.02./ 2022

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
बेगूसराय।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, बेगूसराय।

विषयः– बेगूसराय नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के संबंध में।
प्रसंगः– भवदीय पत्रांक–3101, दिनांक–23.12.2021

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के संबंध में कहना है कि जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बेगूसराय अंतर्गत नगर आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भर कर प्रेषित की जा रही है:–

1. **जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग के मुख्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण :–**

क्र0	नाम	पद	ईमेल आई0डी0	मोबाईल नम्बर
01	श्री भुवन कुमार	सहायक निदेशक	adss.beg@gmail.com	9471937183
02	श्री विशेश्वर पासवान	उ0व0लि0	adss.beg@gmail.com	8579992515
03	श्री अजीत कुमार	नि0व0लि0	ajitr1778@gmail.com	7479696977
04	श्री अमित कुमार	कार्यपालक सहायक	kumar.amit298@gmail.com	6202004233
05	श्री निशांत कुमार	तकनीकी सहायक	kumar.nishant142@gmail.com	7004232540
06	श्री महादेव ठाकुर	परिचारी		6207386400

क्र0	प्रश्न	उत्तर
2.	क्या विभाग के द्वारा अन्य विभागों को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के निर्माण में सहयोग किया जाना है?	हा, समय–समय पर प्रखंड स्तर पर कार्यक्रमों/बैठक के आयोजन के माध्यम से तथा जिला स्तर पर विभिन्न बैठकों के क्रम में सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी अन्य विभागों के साथ साझा की जाती है।
3.	यदि हां तो क्या आपदा प्रबंधन के पहलू को योजनाओं/कार्यक्रमों में समावेशित करने के लिए विभाग के द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है (यदि हां तो कृप्या निर्देश संलग्न करें)	नहीं हालाकि कई अवसरों पर बेगूसराय में समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित बुनियाद केन्द्रों में आने वाले दिव्यांगजनों को आपदा से संबंधित योजनाओं/प्रावधानों की भी जानकारी दी जाती है।
4.	अभी तक किन–किन विभागों को इस प्रकार के निर्देश दिया गया है (यदि हां तो कृप्या निर्देश संलग्न करें)	लागू नहीं
5.	समीक्षा/अनुश्रवण के पश्चात क्या कोई निर्देश निर्गत किया गया है	लागू नहीं

विश्वासभाजन
23.2.2022
सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा कोषांग
बेगूसराय।

E/amit/General Letter

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय

1. पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	ईमेल आई डी	मांवाईल संख्या
श्री अनिन्द कुमार सिंह, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय	dicbegusarai92@gmail.com	7320923229
श्री राजकुमार रजक, अनुवेषक		7970684018

2. नगर क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का विवरण –

उद्योग का नाम	उत्पाद का नाम	कर्मचारियों की संख्या	क्या उद्योग खतरनाक श्रेणी में आता है (हाँ या नहीं)	सुरक्षा उपायों के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध (हाँ या नहीं)	औद्योगिक सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त है (हाँ या नहीं)	औद्योगिक परिसर में एम्बुलेंस की उपलब्धता (हाँ या नहीं)	परिसर में डिस्पेंसरी की उपलब्धता	ट्रॉमा सेंटर की दूरी
M/S UMA DAIRY PRODUCT GORGAWAN BAHADPUR MATIHANI BEGUSARAI	DAIRY PRODUCT	100	नहीं	1. अग्निशामक 2. गृह व्यवस्था	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल, बेगूसराय लगभग 8 कि0मी0 के अन्दर में।
M/S GANGA DAIRY LIMITED BAHADPUR BEGUSARAI	DAIRY PRODUCT	300	नहीं	1. अग्निशामक 2. गृह व्यवस्था	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल, बेगूसराय लगभग 8 कि0मी0 के अन्दर में।
M/S BHUVNESHWAR GREEN BRICKS KESHAVE BARAUNI BEGUSARAI	R.P.C TO C.P.C	10	नहीं	1. अग्निशामक 2. गृह व्यवस्था	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल, बेगूसराय लगभग 8 कि0मी0 के अन्दर में।
M/S BHUSARI COLD STORAGE KORJANA BEGUSARAI	COLD STORAGE UNDER R.A.B.C	11	नहीं	1. अग्निशामक 2. गृह व्यवस्था	नहीं	नहीं	नहीं	सदर हॉस्पिटल, बेगूसराय लगभग 8 कि0मी0 के अन्दर में।

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय

1.शिक्षा विभाग के मुख्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण

क्र0	नाम	पद	ईमेल ID	मोबाईल न0
1	Sharmila Roy	DEO	deobegusaraiedn.@gmail.com	8544411075
2	Raj kamal kumar	DPO (SSA)	dlcbegusara@gmail.com	8178563697
3	SATISH PRASAD SINGH	HM GMS DUMRI		9570029815
4	MD KHALID MANSUR	HM GPS MAKTAB DUMRI		8877322933
5	KUMARI RENUKA	HM HM NPS NAYA TOLA		7631936083
6	Iffat Nasim	HM R.A. HIGH SCHOOL (GYAN BHARTI)		8709705928
7	Binod kumar Ram	HM RAJKIYAKRIT J.K. HIGH SCHOOL		9835465146
8	DR SUBODH KUMAR	HM B.S.S. COLLEGIATE (+2) SCHOOL		9430077935
9	dr pravin chandra singh	HM B.P. INTER SCHOOL		7541979228
10	RAMASHISH CHOUDHARY	HM GMS KAMRUDDINPUR		9955555113
11	AMIT KUMAR	HM GPS SINGHAUL DIH		6201247983
12	NIKHAT YASMIN	HM GPS MAKTAB SINGHAUL		8521101770
13	SUDHA KUMARI	HM UMS SINGHAUL		8862924787
14	ARJUN SINGH	HM UMS KAITHMAA		9835530978
15	KUMARI ARACHNA	HM NPS SANT NAGAR W16		8292512494
16	NILAM KUMARI	HM NPS GNESH TOLA WN8		7549669629
17	PANKAJ KUMAR	HM NPS KARPURIGRAM		9709800564
18	RAJA RAM SINGH	HM GMS PASPURA		9431282938
19	MALA KUMARI	HM GMS HEMRA		9570826808
20	PRAMCHANDRA SINGH	HM GPS PATTAPUR		9334320553
21	MANJU KUMARI	HM GPS VISHNUPUR CHATURBHUJ		7631625432
22	BIBHUTIBHUSHAN JHA	HM GPS RAMTOL		9608416840

बिहार सरकार

कार्यालय– कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेगूसराय

पत्रांक 240 ल0सिं0प्र0, बेगूसराय,दिनांक 26/02/2022

प्रेषक,

ई0 रंजीत कुमार
कार्यपालक अभियंता
लघु सिंचाई प्रमंडल, बेगूसराय।

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम, बेगूसराय।

विषय :– बेगूसराय नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक–2953 दिनांक–29.11.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि लघु सिंचाई प्रमंडल, बेगूसराय के अंतर्गत नगर निगम में अवस्थित "वॉटर बॉडीज" राजकीय नलकूप उलाव, सिंघौल एवं महम्मदपुर रघुनाथ का विस्तृत विवरण विहित प्रपत्र में तैयार कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु0–विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन

पी0एच0ई0डी0 (कार्यपालक अभियंता)

1. कार्यपालक अभियंता का नाम/मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई डी0 – ई अली हैदर/8544428603/ eephedbeg@yahoo.co.in

2. जिले तथा नगर में पेयजल श्रोत कौन–कौन से हैं – जिलेा अंतर्गत बखरी नगर पंचायत, तेघड़ा नगर परिषद, बीहट नगर परिषद, बेगूसराय नगर निगम अंतर्गम पेयजलापूर्ति से संबंधित सभी कार्य उक्त सभी नगर निकाय को हस्तांतरित की जा चुकी है । बलिया नगर पंचायत अंतर्गत जलापूर्ति से संबंधित कार्य पी0एच0डी0 द्वारा किया जा रहा है जिसका विवरणी निम्नवत है ।

जल श्रोत का नाम	स्थल का नाम	किस वार्ड में अवस्थित है ।	क्षमता
बलिया लखमिनियाँ–1	बलिया लखमिनियाँ–1	4	50000 गैलन
बलिया लखमिनियाँ–2	बलिया लखमिनियाँ–2	2	50000 गैलन
बलिया लखमिनियाँ–3	बलिया लखमिनियाँ–3	16	50000 गैलन

3. नगर क्षेत्र के किन वार्डों के जल श्रोतों में विसंगति पायी गई

जलीय अशुद्धता या विसंगति	वार्ड संख्या	जल श्रोत का नाम	जल जाँच की तिथि	जल जाँच का रिपोर्ट	अशुद्धता या विसंगति दूर करने के लिए उठाए गये कदम
जलीय अशुद्धता (जल में लौह की मात्रा अनुमान्य सीमा से अधिक)	4	बलिया लखमिनियाँ–1		संलग्न	अशुद्धता दूर करने हेतु लौह निष्कासन संयंत्र का अधिष्ठापित किया गया है ।
जलीय अशुद्धता (जल में लौह की मात्रा अनुमान्य सीमा से अधिक)	2	बलिया लखमिनियाँ–2		संलग्न	अशुद्धता दूर करने हेतु लौह निष्कासन संयंत्र का अधिष्ठापित किया गया है ।
जलीय अशुद्धता (जल में लौह की मात्रा अनुमान्य सीमा से अधिक)	16	बलिया लखमिनियाँ–3		संलग्न	अशुद्धता दूर करने हेतु लौह निष्कासन संयंत्र का अधिष्ठापित किया गया है ।

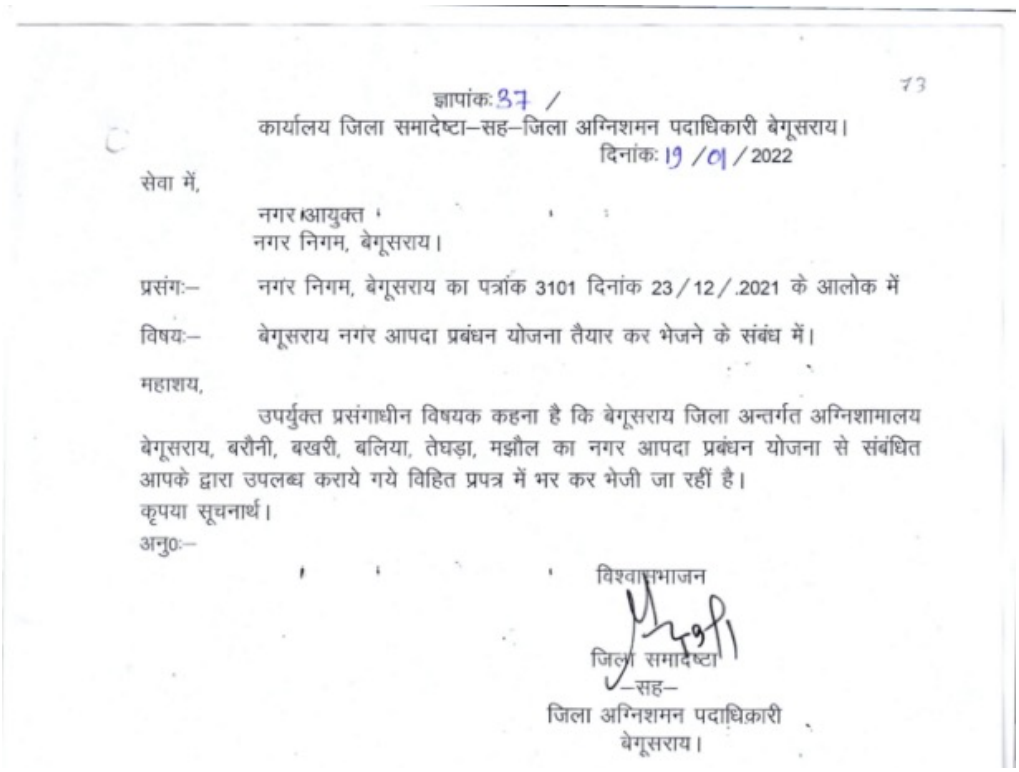

ज्ञापांकः 37 /
कार्यालय जिला समादेष्टा–सह–जिला अग्निशमन पदाधिकारी बेगूसराय।
दिनांकः 19 /01 / 2022

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम, बेगूसराय।

प्रसंगः– नगर निगम, बेगूसराय का पत्रांक 3101 दिनांक 23 / 12 / 2021 के आलोक में

विषयः– बेगूसराय नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक कहना है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत अग्निशामालय बेगूसराय, बरौनी, बखरी, बलिया, तेघड़ा, मझौल का नगर आपदा प्रबंधन योजना से संबंधित आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में भर कर भेजी जा रहीं है।

कृपया सूचनार्थ।

अनुः–

विश्वासभाजन

जिला समादेष्टा
–सह–
जिला अग्निशमन पदाधिकारी
बेगूसराय।

समाहरणालय बेगूसराय

(जिला आपूर्ति कार्यालय)

1. जिला आपूर्ति के मुख्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरणः–

क्र0सं0	नाम	पदनाम	ई–मेल आई0डी0	मोबाईल नम्बर	अभ्युक्ति
1	श्री सोमनाथ सिंह	वरीय उपसमाहर्ता–सह–प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बेगूसराय।	dsobegusarai@gmail.com	8544426106	
2	श्री श्रवण कुमार	उच्च वर्गीय लिपिक		9262850716	
3	श्री जितेन्द्र कुमार	निम्न वर्गीय लिपिक		7004858269	

2. नगर क्षेत्र में अन्त्योदय (AAY) कार्डधारी की संख्याः–**9290**

3. नगर क्षेत्र में पूर्वीकताप्राप्त (PHH) कार्डधारी की संख्याः–**74796**

4. सुरक्षित अनाज भंडारण की व्यवस्था :– हाँ।

5. आपदा के समय विभाग, संभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के विवरण

वर्ष	आपदा का प्रकार	अनाज प्राप्त करने वाले राशनकार्डधारियों की संख्या	राशनकार्डधारियों में अन्त्योदय (AAY) की संख्या	वितरित अनाज की मात्रा (किलो में)	संबंधित विभाग या योजना जिसके तहत अनाज का वितरण किया गया।
2018	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
2019	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
2020	कोविड–19–अप्रैल–2020	488124	72695	Wheat-5271860 Rice-7907788	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
	कोविड–19–मई–2020	437772	72769	Wheat-4839553 Rice-7259348	
	कोविड–19–जून–2020	443094	72769	Wheat-4888980 Rice-7333473	

D:\Supply-2021\Miscellaneous\Report Performa

जल संरक्षण

जीवन संरक्षण

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय

E-mail ID – eefcdbgs@gmail.com Mobile no. – 7463889799

पत्रांक– 194 / बेगूसराय, दिनांक 07- 03 /2022

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, बेगूसराय।

विषय :– बेगूसराय नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 3101 दिनांक 23.12.21

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, बरौनी के पत्रांक 30 दिनांक 05.03.2022 से शिहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराया जाता है।

अनु0– यथाकथित।

विश्वासभाजन

07.03.2022

कार्यपालक अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय।

Annexure III: BSDMA के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण

नाविकों को दिए गए प्रशिक्षण की सूची

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	पता	जिला	मोबाईल नं0
3	श्री हरिश्चन्द्र पोद्दार	श्री मांगो पोद्दार	प्र0 बिथान, ग्राम–बेलहरि, पो0– बेलाही	समस्तीपुर	9801830921
	श्री उपेन्द्र पासवान	स्व0 प्रेमलाल पासवान	ग्राम– सोहमा, प्रखंड– विधान	समस्तीपुर	9631648122
	श्री महेश कुमार	स्व0 राजेन्द्र प्रसाद	ग्राम एवं पोस्ट – पुसठो, प्रखंड – विधान	समस्तीपुर	9162938326
4	श्री अर्जुन कुमार	श्री मंगल महतो	सिमरिया घाट	बेगूसराय	7255001378
	श्री प्रिंस कुमार	श्री जालिम बिंद	सिमरिया घाट, बिंद टोली	बेगूसराय	9097541083
	श्री अरूण कुमार	श्री नाथो निषाद	सिमरिया घाट, बिंद टोली	बेगूसराय	9572779463
	श्री कृष्ण कुमार	श्री प्रमेश्वर महतो	सिमरिया घाट	बेगूसराय	9504335740
	श्री जाटो कुमार महतो	श्री संजीव महतो	सिमरिया घाट	बेगूसराय	8210736532

सचिव

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण, पटना

BSDMA द्वारा अभियंताओं को दिए गए प्रशिक्षण की सूची

Begusarai : List of trained engineers on earthquake resistant construction					
Sr. no.	**Name (Er.)**	**Designation**	**Department**	**Place of Posting**	**Mobile No.**
1	Ashok Kumar Pandey	EE	BCD	Begusarai	9430929167
2	Abhay Kumar Chandan	JE	BCD	Begusarai	9574360111
3	Dilip Kumar	JE	BCD	Begusarai	7781824179
4	Manoj Kumar Anand	AE	LAEO	Begusarai	8757098487
5	Rajendra Prasad	AE	LAEO	Begusarai	9955409409
6	Anil Kumar	JE	LAEO	Begusarai	9934665170
7	Nawal Kishore	EE	MWRD	Begusarai	9304205062
8	Ashwini Kumar	AE	PHED	Begusarai	7903289337
9	Alihajder	EE	PHED	Begusarai	8544428603
10	Nitin Kumar	AE	PHED	Begusarai	9262880414
11	Abhishant Raj	AE	PHED	Begusarai	8544428728
12	Prabhas Gautam	AE	PHED	Begusarai	8544428727
13	Rupesh Kumar	AE	PHED	Begusarai	8544428729
14	Nand Hari Kumar	Estimatee	PHED	Begusarai	88622931764
15	Bidyanand Singh	JE	PHED	Cheriabariyarpur	8987360243
16	Kamalesh Kumar	JE	PHED	Khodawanpur	7009566980
17	Manoj Kumar	JE	PHED	Khodawanpur	7323950375
18	Sanjay Kumar Mandal	JE	PHED	Begusarai	8544429021
19	Ravi Kumar	JE	PHED	Begusarai	7488640624
20	Dhiraj Kumar	JE	PHED	Begusarai	7479939263
21	Prem Prakash	JE	PHED	Begusarai	8610393398
22	Satyendra Pathak	AE	RCD	Begusarai	7739883915
23	Jyotindra Kumar Joshi	JE	RCD	Begusarai	9470005745
24	Rakesh Kumar Roushan	JE	RCD	Begusarai	8340703598
25	Anil Kumar	JE	RCD	Begusarai	6202227608
26	Arbind Kumar	JE	RCD	Begusarai	8789396718
27	Subhash Chandra Bhushan	JE	RWD	Balia	8340570612
28	Shams Tabrej	AE	RWD	Begusarai	8986915872
29	Satish Rajak	JE	RWD	Balia	8986916187

BSDMA द्वारा राज मिस्त्रियों को दिए गए प्रशिक्षण की सूची

List of Trained Mason Begusarai Sadar Block, Begusarai			
Sr.No.	Name of Mason (Shri/Md.)	Name of Village	Mobile No.
1	Shambhu Paswan	Ratauli	7549651512
2	Md. Haidar	Chakfaridar	9939478510
3	Mantun Paswan	Maharathpur	9709626732
4	Radhe Bhagat		9798411589
5	Suchit Ray	Tulsipur	6205310436
6	Kaleshwar Sah	Taraiya	9608895193
7	Vishnu Dev Pandit	Rajauli	8298089025
8	Shyam Yadav	Rajapur	7676001486
9	Sunil Kumar	Chilmil	6207997023
10	Ashok Yadav	Rajapur	9135747432
11	Umesh Yadav	Rajapur	7808055590
12	Vinod Ray	Tulsipur	8368892501
13	Ganga Pandit	Tulsipur	9570465010
14	Santosh Mahto	Gandhi Tola	9709281505
15	Pankaj Mahto	Sujibhari	
16	Sanjeev Kumar Ray	Tulsipur	8303812019
17	Aman Kumar	Tulsipur	9632701274
18	Shankar Tanti	Bhari	7631505014
19	Arvind Mahto	Bhari	7631891733
20	Rajesh Tanti	Tulsipur	6239129872
21	Kishor Pandit	Tulsipur	9709933944
22	Mukesh Paswan	Ratauli	6201535342
23	Sitaram Tanti	Tulsipur	8407031116
24	Ranjeet Tanti	Tulsipur	8171839350
25	Pankaj Tanti	Tulsipur	8171708435
26	Birbal Tanti	Tulsipur	9997652468
27	Makho Tanti	Tulsipur	9031155239
28	Babulal Tanti	Tulsipur	9334566370
29	Govind Tanti	Tulsipur	9999754232

30	Ram Vikash Kumar	Tulsipur	7549508244

BSDMA द्वारा RVS पर अभियंताओं को दिए गए प्रशिक्षण की सूची

List of trained Engineers on RVS_Dated 21-9-2017					
Sr. No.	Name	Designation	Department	District	Mobile No.
1	Shashi Kant	AE	BCD	Begusarai	9525945805
2	Shashikant Prasad	AE	BEPC	Begusarai	8544411080

List of Master Trainer Details					
Sr. No.	Name of Engineer	Designation	Department	District (Posting)	Mobile No.
1	Ali Haider	Assistant Engineer	Public Health Engineering Department	Begusarai	8544428727
2	Rajeev Kumar	Executive Engineer	Building Construction Department	Begusarai	9430866257

BSDMA द्वारा प्रशिक्षित बेगूसराय के मास्टर प्रशिक्षकों की सूची

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना– 800001

विषय :– आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर मुखिया एवं सरपंच का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण।
जिला :– बेगूसराय
दिनांक :– 16–17 जुलाई, 2018

मास्टर ट्रनर्स की सूची

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	नाम (Name)	पदनाम (Designation)	पंचायत का नाम (Name of Panchayat)	मोबाईल नं0 (Mobile Number)
1	मटिहानी	अशोक कुमार	सरपंच	गोरगामा	9661777471
2	बरौनी	मो0 सालीम खान	मुखिया	मोसादपुर	9934436249
3	बरौनी	कैलाश सिंह	सरपंच	महना	9939988219
4	शाम्हो	पमपम देवी	मुखिया	सलहा सैदपुर बरारी–02	9546993019
5	शाम्हो	राकेश कुमार	सरपंच	सलहा सैदपुर बरारी–01	8298894581
6	बलिया	मनोज कुमार सिंह	मुखिया	ताजपुर	8521551136
7	बलिया	विंदु देवी	सरपंच	ताजपुर	9162042668
8	सा0 कमाल	उषा कुमारी	मुखिया	रघुनाथपुर करारी	7903626966
9	सा0 कमाल	देवनंदन यादव	सरपंच	रघुनाथपुर करारी	9835614091
10	डंडारी	परमानंद शर्मा	मुखिया	कटहरी	8407887475
11	डंडारी	शिवजी पासवान	सरपंच	कटरमाला उ0	9801628844
12	तेघड़ा	राम पुकार चौरसिया	मुखिया	बरौनी–01	7549529597
13	तेघड़ा	राजेन्द्र सिंह	सरपंच	बरौनी–01	9931029205
14	बछवाड़ा	श्रीराम राय	मुखिया	विशुनपुर	9708410615
15	बछवाड़ा	संतोष कुमार	सरपंच	चमथा–03	7631224438
16	भगवानपुर	बनारसी सहनी	मुखिया	संजात	9199313639
17	भगवानपुर	राम विलास चौरसिया	सरपंच	संजात	8678897692
18	मंसूरचक	राजीव पासवान	मुखिया	गोविन्दपुर–01	8210401100
19	मंसूरचक	संदीप कुमार चौधरी	सरपंच	गोविन्दपुर–02	9931468278

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

"सुरक्षित तैराकी (Safe Swim)" मास्टर ट्रेनर्स छठे बैच (पुरूष) का प्रशिक्षण
जिला–बेगूसराय (बेगूसराय, मटिहानी, सा0 कमाल, बलिया एवं बरौनी)
स्थानः–NINI, गायघाट, पटना, दिनांक–15.10.2019 से 23.10.2019

मास्टर ट्रेनर्स की सूची

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	गाँव/पता	ब्लॉक	मोबाईल नं0
1	श्री प्रभात राय	श्री सहदेव राय	रचियाही	बेगूसराय	8298792347
2	श्री अभिषेक कुमार	श्री कौशल किशोर राय	खोरमपुर	मटिहानी	7632861489
3	श्री अनिकेत मिश्रा	श्री अनिरूद्ध मिश्रा	खोरमपुर	मटिहानी	7762005336
4	श्री मिन्टु कुमार	श्री रामबालक राय	खोरमपुर	मटिहानी	9939478168
5	श्री सोनू कुमार	श्री लक्ष्मी साह	खोरमपुर	मटिहानी	6205102079
6	श्री सिकन्दर राज	स्व0 रामगुलाम सिंह	सिहभा	मटिहानी	8969211317
7	श्री संजीत कुमार	श्री महेन्द्र महतो	सनहा पश्चिम	सा0 कमाल	6200648715
8	श्री अजित कुमार	श्री जिमीदार महतो	सनहा पश्चिम	सा0 कमाल	9709652776
9	श्री सुमित कुमार	श्री कापो महतो	सनहा पश्चिम	सा0 कमाल	8877702088
10	श्री पप्पु सहनी	श्री तुलसी सहनी	सबदलपुर	सा0 कमाल	9693810421
11	श्री रवि कुमार	श्री यदुनंदन सिंह	सनहा पश्चिम	सा0 कमाल	7673011366
12	श्री मुकेश कुमार	श्री जय जय राम राय	न्यू जाफर नगर	सा0 कमाल	8051782714
13	श्री सत्यम राणा (गौतम कुमार)	श्री कपिलदेव यादव	परमानंदपुर	बलिया	9570882221

22/01/2020

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	गाँव / पता	ब्लॉक	मोबाईल नं0
14	श्री अमृत कुमार	श्री विजय यादव	परमानंदपुर	बलिया	6362822401
15	श्री सिन्टु कुमार	श्री नरेश यादव	परमानंदपुर	बलिया	9534801621
16	श्री दिव्यांशु कुमार	श्री दुखित यादव	परमानंदपुर	बलिया	6201303813
17	श्री अशोक कुमार	श्री गोविन्द महतो	सिमरिया घाट बिन्द टोली	बरौनी	8507894454
18	श्री कृष्ण कुमार	श्री परमेश्वर महतो	सिमरिया घाट बिन्द टोली	बरौनी	6202103151
19	श्री राकेश महतो	श्री धनेश्वर महतो	सिमरिया घाट बिन्द टोली	बरौनी	6206124278
20	श्री कुन्दन कुमार	श्री परमेश्वर महतो	सिमरिया घाट बिन्द टोली	बरौनी	7519871437
21	श्री भरत निशाद	श्री अकलेश्वर निषाद	सिमरिया घाट बिन्द टोली	बरौनी	6202115833

23/01/2020

BSDMA द्वारा प्रशिक्षित तैराकों की सूची

तैराकी प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागी की सूची

क्रं0 स0	नाम	पिता का नाम	ब्लॉक	पता	मोबाईल नं0
1	आँचल कुमारी	स्व0 सुनिल कु0 सिन्हा	मनेर	शेरपुर	8271424059
2	रिंकु कुमारी	श्री महेश शर्मा	मनेर	दोस्त नगर	8539968236
3	ममता कुमारी	श्री उमेश राय	मनेर	शेरपुर	6207054341
4	मेनका कुमारी	श्री सुरेन्द्र राय	मनेर	शेरपुर	7739707060
5	कंचन कुमारी	श्री सुन्दर साहनी	फतुहाँ	सम्मसपुर	7488450138
6	काजल कुमारी	श्री सुनिल कुमार	शेरपुर	मनेर	6207596763
7	चाँदनी कुमारी	श्री पाँचु राय	मनेर	शेरपुर	8404927433
8	रेखा कुमारी	श्री श्याम नारायण राय	मनेर	शेरपुर	7561919179
9	रिना कुमारी	श्री सुदामा राम	मनेर	दूधैला	7070403380
10	माला कुमारी	श्री दिलीप राम	मनेर	दूधैला	8292838898
11	रिया कुमारी	श्री रमेश प्र0 सिंह	मनेर	शेरपुर	7643937301
12	मोनी कुमारी	श्री आनंद मोहन सिंह	मनेर	टाटा कॉलोनी	9334977261
13	खुशी कुमारी	श्री सुरेन्द्र राउत	मनेर	दोस्त नगर	9693621460
14	ज्योति कुमारी	श्री महेश कु0 शर्मा	मनेर	दोस्त नगर,	7301100936
15	निशा कुमारी	श्री अवधेश सिंह	मनेर	हल्दी छपड़ा	9631607042
16	अनिषा कुमारी	श्री प्रदीप कुमार	मनेर	रामाधार नगर	6207082950
17	लवली कुमारी	श्री प्रदीप कुमार	मनेर	रामाधार नगर	6207082950
18	रेखा कुमारी	स्व0 विश्वनाथ राय	मनेर	हल्दी छपड़ा	9504464902
19	प्रतिमा कुमारी	श्री सहेश राय	मनेर	रतन टोला	8252445393
20	नितू कुमारी	श्री सहेश राय	मनेर	रतन टोला	8252445393
21	रोमा भारती	श्री विनोद कु0 सिंह	मनेर	छिहत्तर	6299247979

Annexure IV: BSDMA द्वारा जारी की गयी एडवाईजरी

"विकास ऐसा हो जो आफत से बचाए, ऐसा न हो जो कि आफत बन जाए"

बाढ़ सुरक्षा सप्ताह

1-7 जून 2021

हमारा बिहार भारत के अधिकतम बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। हमारे 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं। जिनमें से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण हैं। राज्य के कुल आबादी के लगभग 76 प्रतिशत लोग बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहते हैं। सरकार द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए जिला एवं पंचायत स्तर पर अनेक उपाय किये जा रहे हैं। इसी क्रम में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जागरूकता एवं बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए बाढ़ सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। बाढ़ से पूर्व, बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद उपायों को अपनाकर बाढ़ से बचने एवं उससे होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। आम जनता की सुरक्षा के लिए ये उपाय नीचे दिये जा रहे हैं :-

बाढ़ के दौरान

क्या करें | क्या न करें

बाढ़ के बाद

क्या करें | क्या न करें

बिहार बाढ़ प्रभावित मानचित्र

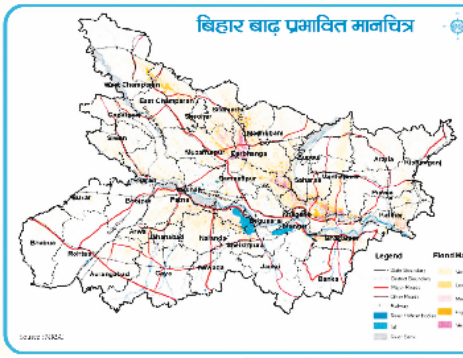

Source: NRSA

15 अति बाढ़ प्रवण जिलों के नाम :

1. सुपौल
2. मधेपुरा
3. शिवहर
4. सहरसा
5. खगड़िया
6. सीतामढ़ी
7. दरभंगा
8. मुजफ्फरपुर
9. मधुबनी
10. समस्तीपुर
11. वैशाली
12. कटिहार
13. पूर्वी चम्पारण
14. बेगूसराय
15. भागलपुर

13 बाढ़ प्रवण जिलों के नाम :

1. सारण
2. नालन्दा
3. पूर्णियाँ
4. प. चम्पारण
5. पटना
6. सिवान
7. गोपालगंज
8. बक्सर
9. अररिया
10. शेखपुरा
11. किशनगंज
12. भोजपुर
13. लखीसराय

Source: DISASTER MANAGEMENT DEPTT. GoB

बाढ़ से पहले

क्या करें

बाढ़ के समय

क्या करें

पीने का पानी एवं भोजन

- गहराई में गड़े चापाकल का ही पानी पियें तथा जो ऊँचाई पर भी हो।
- क्लोरीन टेबलेट की एक गोली 20 लीटर पानी में डालकर 30 मिनट बाद पानी पियें।
- सामान्य चापाकल को हर 20–30 दिन के अन्तर पर 30–40 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर से शुद्ध करें।
- कोशिश करें पानी उबालकर ही पियें। पीने के पानी व भोजन को ढक कर रखें।

आत्म सुरक्षा

- सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। सूखे, सूती व हल्के कपड़े पहनें।
- घर में उचित प्रकाश की व्यवस्था रखें।
- सांप के काटे व्यक्ति को तुरन्त अस्पताल ले जायें। सांप काटे व्यक्ति का हौंसला बढ़ाये रखें।
- नाविक के निर्देशों का पालन अवश्य करें।

स्वास्थ्य व सफाई

- शौच के बाद राख या मिट्टी अवश्य डालें।
- बच्चों के शौच को तत्काल राख या मिट्टी से ढक दें और उसे गड्ढे में ही डालें।
- शौच के बाद सदैव हाथ साबुन या राख से ही धुलें।
- माहवारी के समय साफ, सूती व धुले कपड़े का प्रयोग करें।

प्राथमिक उपचार

- डूबे व्यक्ति के मुंह में यदि कुछ फंसा हो तो निकाल कर पीठ के सहारे लिटा दें।
- डूबे व्यक्ति को ऊँचे स्थान पर या घड़े के ऊपर पेट के बल लिटा दें।
- डूबे व्यक्ति को उठा कर पुनः पीठ के सहारे लिटा कर आराम करने दें।
- मूर्छा आ जाने पर मुंह पर पानी का छींटा मारें।
- प्रसव के लिये गांव की आशा बहन से संपर्क कर एम्बुलेन्स की सहायता से नजदीकी अस्पताल पर जायें।
- यदि घर में प्रसव होना है तो प्रशिक्षित दायी से ही कार्य करवायें।
- तेज बुखार हो जाने पर शरीर को पानी से पोछते रहें व डाक्टर से संपर्क करें।

पशुओं का रख–रखाव

- पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दें।
- पशुओं को मच्छर से बचाने के लिए नीम के पत्ते का धूआँ करें।
- पशुओं को बाढ़ के बाद कीड़े की दवा अवश्य दें।
- पशुओं के खुर व पूंछ को पानी से धुलायी करें।

क्या न करें

पीने का पानी एवं भोजन

- बाढ़ में डूबे चापाकल का पानी न पियें। खुला व देर तक रखा पानी न पियें।
- पीने के पानी में हाथ न डालें।
- बासी व देर का रखा भोजन न खायें। भोजन को खुला न छोड़ें।
- साबुन या राख से हाथ धुले बिना भोजन न करें। भोजन पर मक्खियों को न बैठने दें।

आत्म सुरक्षा

- चर्मरोग व सड़न की बीमारी से बचने के लिये गीले कपड़े न पहनें।
- रात में बाहर जाते समय बिना जूता, टार्च, लाठी या डण्डे के न जाएं।
- सांप के काटने पर झाड़–फूंक न करायें। सांप काटे व्यक्ति को सोने न दें।
- नाव पर क्षमता से ज्यादा बोझ न लादें। बाढ़ के पानी में बिना सुरक्षा के न जायें।

स्वास्थ्य व सफाई

- अस्थायी शौचालय का निर्माण पेय जल स्रोत व आवास के पास न करें।
- घर के आस–पास पानी जमा न होने दें।
- साबुन या डिटरजेन्ट पाउडर के बिना धुले कपड़े न पहनें।
- घर के कूड़े कचरे को घर के आस–पास न फेंके।

प्राथमिक उपचार

- डूबे व्यक्ति का पैर पकड़ कर कदापि न घुमायें।
- अपनी सुरक्षा के उपाय किये बिना डूबते हुये को बचाने का प्रयास न करें।
- डूबे व्यक्ति को बिना डाक्टर की सलाह के कोई दवा न दें।
- हड्डियों में चोट लगने पर मालिश न करें।
- कट–फट जाने पर किसी घरेलू सामग्री जैसे हल्दी, चूना इत्यादि न लगावें।
- प्रसव के दौरान किसी भी गन्दी वस्तु जैसे कपड़ा, पुराना ब्लेड आदि का प्रयोग न करें।
- तेज बुखार के दौरान व्यक्ति को चादर, कम्बल न ओढ़ायें।

पशुओं का रख–रखाव

- कीचड़ वाले स्थान पर पशुओं को न बाँधे।
- पशुओं को बाढ़ का पानी न पीने दें।
- बाढ़ में डूब घास को न खाने दें।
- पशुओं को सड़ा व पहले का भीगा भूसा न खिलावें।

सौजन्य : Unicef & Grameen Development Services, Sitamarhi

आपदाओं में हर पशु का महत्व

आपदा से पहले

- सुनिश्चित करें कि सभी पशुओं के पहचान चिन्ह हो, जैसे कान पर टैग, ब्रांडिंग, रंगीन टैटू, दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि कोई हो।
- अपने और अपने पशुओं के लिए एक आपातकालीन किट तैयार करें।

आपदा के दौरान

- पशु छोड़ते समय पट्टा, रस्सी, मोहरा एवं गर्दन की रस्सी के उन पर नहीं छोड़ें क्योंकि इनके द्वारा पशुओं को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में रुकावट आ सकती है।
- पशुओं को एक साथ नहीं बांधें, इसे उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना और संभलन कठिन होगा।
- पशुओं को उनकी जरूरतों के आधार पर चुनें। पशुओं को अन्य जोखिमों में डालने से बचें और गंभीर रूप से प्रभावित पशुओं को झुंड से अलग करें।
- अपने पशुओं को पर्याप्त चारा, पानी, पशु चिकित्सीय देखभाल और आवास प्रदान करें।

सौजन्य : WSPA, India

आपदा के बाद

- मृत पशुओं का उचित रूप से निवारण करें ताकि संदूषण की रोकथाम हो सके।
- पशु आवासों, नादों का विसंक्रमण और सफाई करें।
- अपने मौजूदा और नए लाए गए पशुओं की स्वास्थ्य जांच के लिए, टीकाकरण और पेट के कीड़े के लिए पशु चिकित्सक से सलाह लें।

कोविड से बचाव संबंधी सावधानियाँ

1. कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाएँ, सामाजिक दूरी बनाये रखें एवं हाथों को साबुन से बार-बार धोएं।
2. सर्दी, खांसी, बुखार, एन्टी एलर्जी संबंधी दवाएँ एवं कोविड-19 संक्रमण से संबंधी सामान्य दवाओं का भी संग्रहण अवश्य कर लें।
3. कोविड-19 के दृष्टिगत सेनेटाईजर/साबुन एवं पल्स ऑक्सीमीटर भी साथ रखें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल, पंत भवन, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना–800 001, फोन : (0612) 2522032, फैक्स : (0612) 2547311

visit us : www.bsdma.org; e-mail : info@bsdma.org अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC - (0612) 2294204, 205)

बिहार सरकार

आपदा नहीं हो भारी यदि पूरी हो तैयारी।।

कोविड–19 के प्रकोप के संदर्भ में बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु मार्गदर्शिका

आवश्यक उपाय

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

1

भूकम्प सुरक्षा सप्ताह-2022

15-21 जनवरी 2022

भूकम्प से पहले

प्राधिकरण द्वारा राज्यभर में अभियंताओं और राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनका सहयोग लेकर भूकम्परोधी घर का निर्माण करवायें।

भारी एवं शीशे का सामान निचले खाने में रखें

अलमारी को क्लैम्प से, दीवार में जकड़ दें।

बचाव एवं प्राथमिक उपचार का नजदीकी अस्पताल / रेड क्रॉस से संपर्क कर प्रशिक्षण लें

झुको–ढको–पकड़ो का नियमित अभ्यास करें।

आवश्यक सामान के साथ सुरक्षा किट तैयार रखें।

अपने आस–पास सुरक्षित स्थलों की पहचान कर लें।

बाहर जाने वाले रास्तों को बाधामुक्त रखें

भूकम्प के समय

सिर को बचाएं।

गिरने वाले चीजों से दूर रहें।

हड़बड़ाकर मत भागें।

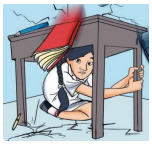

मजबूत टेबल या पलंग के नीचे छिप जाएँ।

अगर टेबल या पलंग न हो तो कमरे के अंदरूनी कोने के पास रहें।

यदि गाड़ी चला रहे हों, तो

सड़क के किनारे रूकें, पुल पर न चढ़ें।

अपनी जगह पर शांत रहें, झटका रूकने पर, क्रम से बाहर निकलें।

पुलिस	100
अग्निशमन	101
एम्बुलेंस	102,108
राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष, पटना	0612–2217302/2217305
जिला आपदा नियंत्रण कक्ष Toll Free No.	1070

भूकम्प के झटका रूकने पर

गैस सिलिन्डर बन्द करें।

मेन स्विच ऑफ करें।

लिफ्ट का उपयोग न करें। सीढ़ी से उतरें।

घर से बाहर निकलें।

खुले मैदान में आ जाए, घायलों की सहायता करें।

गिरने वाली चीजों से सिर को बचाए।

बिजली पोल, विज्ञापन बोर्ड, पेड़ से दूर रहें।

अफवाहों पर ध्यान न दें सरकार एवं प्रशासन से प्राप्त सुचनाओं का पालन करें

भूकम्प के उपरांत अगले एक–दो दिनों तक भूकम्पीय झटके **(After Shocks)** संभावित हैं। इस अवधि में विशेष सावधानी एवं चौकसी बरतने की आवश्यकता है। घबराएँ नहीं एवं धैर्य के साथ ऊपर बतायी गयीं सावधानियों का पालन करें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना- 800 001, Tel. : +91 (612) 2547032, Fax. : +91 (612) 2547311
visit us : www.bsdma.org; e-mail : info@bsdma.org

www.bsdma.org

बिहार सरकार

आपदा नहीं हो भारी, यदि पूरी हो तैयारी।।

पाठकों से अनुरोध है कि इस विज्ञापन की उपयोगिता को ध्यान रखकर इसे कार्यालय की दीवार पर आवश्यक संशोधों एवं इसे निरंतर उपयोग में लायें।

शीत लहर / ठंड से बचाव हेतु सलाह (ADVISORY)

राज्य में ठंड के मौसम में सामान्यतया दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह से जनवरी माह के तीसरे सप्ताह तक शीत लहर का प्रकोप रहता है। सामान्यतया यदि तापमान 7 डिग्री से0 से कम हो जाय तो इसे शीत लहर की स्थिति माना जाता है। शीत लहर से मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतएव शीत लहर से बचाव हेतु जन साधारण को निम्नानुसार सलाह दी जा रही है।

शीत लहर या ठंड लगने पर व्यक्ति में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं :-

1. शरीर का ठंडा होना एवं इसके अंगों का सुन्न पड़ना।
2. अत्यधिक कपकपी या ठिठुरन।
3. बार–बार जी मिचलाना या उल्टी होना।
4. अर्द्धबेहोशी की स्थिति अथवा बेहोश होना।

शीत लहर या ठंड से बचाव के उपाय :-

क्या करें :-

1. अनावश्यक घर से बाहर न जाएँ और यथासम्भव घर के अंदर सुरक्षित रहें (विशेषकर वृद्ध एवं बच्चे)।
2. यदि घर से बाहर जाना आवश्यक हो तो समुचित ऊनी एवं गर्म कपड़े पहन कर ही निकलें। बाहर निकलते समय अपने सिर, चेहरे, हाथ एवं पैर को भी उपयुक्त गर्म कपड़े से ढक लें।
3. समाचार पत्र/रेडियो/टेलीविजन के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहें।
4. शरीर में उष्मा के प्रवाह को बनाये रखने के लिए पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें।
5. बन्द कमरों में जलती हुई लालटेन, दीया एवं कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धुंएँ के निकास का उचित प्रबंध करें। प्रयोग के बाद इन्हें अच्छी तरह से बुझा दें।
6. हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करने के बाद स्विच ऑफ करना न भूलें अन्यथा यह जानलेवा हो सकता है।
7. राज्य सरकार शीत लहर के समय रात्रि में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करती है, जिसका लाभ उठाकर शीतलहर से बचा जा सकता है।
8. राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए रैन–बसेरों का प्रबंध किया जाता है, जहाँ कंबल/बिस्तर आदि उपलब्ध रहते हैं। इन सुविधाओं का प्रयोग करें।
9. उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीज तथा हृदय रोगी चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें तथा सामान्यतया धूप होने पर ही घर से बाहर निकलें।
10. विशेष परिस्थिति में नजदीकी सरकारी अस्पताल से अविलम्ब चिकित्सा परामर्श लें।

एम्बुलेन्स की सहायता लेने हेतु दूरभाष संख्या-102 या 108 पर सम्पर्क करें।

11. पशुओं के बथान गर्म रखने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को ठंड लगने पर पशु अस्पताल/पशु चिकित्सक की सलाह लें।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)
बिहार सरकार

द्वितीय तल पंत भवन, बेली रोड, पटना – 800001, फोन : +91(612) 2522032, फैक्स : +91(612) 2532311, Visit us : www.bsdma.org : e-mail : info@bsdma.org अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC-612-2217301-305) आपदा प्रबंधन विभाग– 0612-2215680

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बिहार सरकार

आपदाओं से रक्षा हेतु मानो एक सुझाव। बेहतर पूर्व तैयारी से ही होता है बचाव॥

गर्म हवाएं/लू

हमारे राज्य में गर्मी के महीनों में गर्म हवाएँ एवं लू चलती हैं जिनका प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है जो कभी-कभी तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस संबंध में नीचे दिये गये उपायों का पालन कर के गर्म हवाओं/लू के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है।

गर्म हवाएं/लू से सुरक्षा के उपाय

क्या करें :-

- जितनी बार हो सके पानी पीयें, बार–बार पानी पीयें। सफर में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें।
- जब भी बाहर धूप में जायें यथा संभव हल्के रंग के, ढीले ढाले एवं सूती कपड़े पहने। धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। गमछे या टोपी से अपने सिर को ढकें व हमेशा जूता या चप्पल पहनें।
- हल्का भोजन करें, अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल जैसे– तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, संतरा आदि का अधिकाधिक सेवन करें।
- घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नमक–चीनी का घोल, छाछ, नींबू–पानी, आम का पन्ना इत्यादि का नियमित सेवन करें।
- अपने दैनिक भोजन में कच्चा प्याज, सत्तू, पुदीना, सौंफ तथा खस को भी शामिल करें।
- जानवरों को छाँव में रखें एवं उन्हें भी खूब पानी पीने को दें।
- रात में घर में ताजी और ठंडी हवा आने की व्यवस्था रखें।
- स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान और आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में विभिन्न विश्वसनीय सूत्रों से लगातार जानकारियां लेते रहें।
- अगर तबीयत ठीक न लगे या चक्कर आये तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

लू लगने पर क्या करें:

- लू लगे व्यक्ति को छाँव में लिटा दें। अगर उनके शरीर पर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- लू लगे व्यक्ति का शरीर ठंडे गीले कपड़े से पोछें या ठंडे पानी से नहलायें।
- उसके शरीर के तापमान को कम करने के लिए कूलर, पंखे आदि का प्रयोग करें।
- उसके गर्दन, पेट एवं सिर पर बार–बार गीला तथा ठंडा कपड़ा रखें।
- उस व्यक्ति को ओ0आर0एस0/नींबू – पानी, नमक–चीनी का घोल, छाछ या शर्बत पीने को दें, जो शरीर में जल की मात्रा को बढ़ा सके।
- लू लगे व्यक्ति की हालत में यदि एक घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में ले जायें।

क्या न करें :-

- जहाँ तक संभव हो कड़ी धूप में बाहर न निकलें।
- अधिक तापमान में बहुत अधिक शारीरिक श्रम न करें।
- चाय, कॉफी जैसे– गर्म पेय तथा जर्दा तंबाकू आदि मादक पदार्थों का सेवन कम से कम अथवा न करें।
- ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन जैसे – मांस, अंडा व सूखे मेवे, जो शारीरिक ताप को बढ़ाते हैं, का सेवन कम करें अथवा न करें।
- यदि व्यक्ति गर्मी या लू के कारण उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने–पीने को न दें।
- बच्चों को बंद वाहनों में अकेला न छोड़ें।